लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र

Tenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
03.2.84
Parliament Library

(खंड 40 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 41 to 50)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 47, बुधवार, 29 अप्रैल, 1970/9 वैशाख, 1892 (शक)

No. 47, Wednesday, April 29, 1970/Vaisakha 9, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1291	वायु मुख्यालय का पुनर्गठन	Reogranisation of Air Headquarters	1-4
1293	भारतीय साम्यवादियों को बढ़ावा देने के लिये रेडियो मास्को का अभियान	Radio Moscow campaign to boost Indian Communists	4-13
1295	न्यू विक्टोरिया काटन मिल्स, कानपुर	New Victoria Cotton Mills, Kanpur.	13-14
1296	इडिक्की परियोजना	Iddikki Project	15-18
	अल्प सूचना प्रश्न	Short Notice Question	
25	चाय गोदामों में हड़ताल	Strike in Tea Warehouses	18-20
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
	तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos.		
1292	कोरी फिल्मों के आयात पर रोक हटाना और उन पर शुल्क में कमी करना	Removal of restrictions on import of raw films and reduction in levy of duties	20-21
1294	खेल कूद के सामान का निर्यात	Export of sports goods	21-22
1297	पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार	Atrocities on East Pakistan Minorities	22
1298	मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम द्वारा इन्सटेंन्ट चाय का निर्माण	Manufacture of Instant Tea by M/s Coca Cola Export Corporation	22-23

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
1299 काफी का निर्यात	Export of Coffee	23-24
1300 योरुपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के सम्मिलित होने का भारत के व्यापार पर प्रभाव	Impact of Britain's entry into European Economic community on India's Trade	24
1301 क्यूबा से व्यापार	Trade with Cuba	24-25
1302 जवानों को दी जाने वाली किट में सुधार	Improvement in Kit supplied to Jawans	25
1303 ऊन उद्योग के रद्दी ऊन वाले क्षेत्र के लिये दिये जाने वाले आयात कोटे में कमी	Low import quota for shoddy sector of wool industry	25-26
1304 निर्यात में विविधता लाना	Diversificaion of exports	26
1305 भारत पाकिस्तान सीमांकन के बारे में प्रगति	Progress made on Indo Pak Boundary demarcation	26-27
1306 कपड़े की नियन्त्रित किस्मों के मूल्यों में वृद्धि की मांग	Demand for increasing prices of controlled varieties of cloth	27
1307 पाकिस्तान के साथ पटसन का व्यापार पुनः आरम्भ करना	Resumption of Trade in Jute with Pakistan	27
1308 कम्बोडिया में सीटो का हस्तक्षेप	SEATO Intervention in Cambodia	27-28
1309 प्रत्यर्पण करार के बारे में मलयेशिया से बातचीत	Talks with Malaysia on Extradition Agreement	28
1310 फूलों का निर्यात	Export of Flowers	28-29
1311 कोलम्बिया का व्यापार तथा आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल	Colombian Trade and Economic Mission	29
1312 विदेशों की गैर सरकारी फर्मों से भारत में शस्त्रों का आयात	Import of Arms into India from Private Firms in Foreign Countries	29-30
1313 सेना अधिकारियों द्वारा सेना के जवानों की सेवाओं का घरेलू कामों के लिये उपयोग	Services of Army Jawans utilized by Officers for domestic purpose	30
1314 कोसी कनाल योजना की नहरों में रेत का जमना	Setting of silt in Canals of Kosi Canal	30-31
1315 जापान से इस्पात का आयात	Import of Steel from Japan	31
1316 कच्छ की रण में सीमा निर्धारित करना	Demarcation of Boundary in Rann of Kutch	31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
1317 भारत बर्मा सीमा के मोरेह टाउन पर बर्मा का दावा	Burmese claim on Moreh Town on Indo Burma Border	32
1318 राज्य व्यापार निगम द्वारा एक मर्सीडीज कार की बिक्री	Sale of a Mercedes car by State Trading corporation	32-33
1319 कलकत्ता की समस्यायें	Problems of Calcutta	33
1320 देश में ग्लाइडिंग एकक आरम्भ करना	Starting of Gliding units in the country	33-34
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
7847 हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी, नासिक के मैनेजर के विरुद्ध शिकायत	Complaint Against Manager of Hindustan Aircraft Factory at Nasik	34
7848 फलों का निर्यात	Export of fruits	35
7849 कुवेत, बेहरीन, आबू आदि के साथ सम्बन्ध	Relations with Kuwait, Baherin Abu Dabi	35
7850 सगोन में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के लिये विकल्प प्रतिनिधि	Alternate Delegate to ICC in Saigon	36
7851 भारतीय प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थानों के अध्ययन के लिये ईरान की सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष को निमन्त्रण	Invitation extended to former chief of Staff of Iranian Armed forces to Study India's Defence Production Establishment	36-37
7852 विभिन्न किस्मों की रूई के मूल्य में वृद्धि	Increase in prices of cotton varieties	37
7853 खेल-कूद के सामान का निर्यात करने के लिये योजनायें तथा आयोजनायें	Schemes and Plans for Export of Sports Goods	37-38
7854 राज्य व्यापार निगम द्वारा 'बफर' दुर्लभ कच्चे माल का स्टाक का बनाया जाना	Building of Buffer Stock of Scarce Raw materials by State Trading Corporation	38
7855 भारत में सैनिक स्कूल	Sainik schools in India	38-39
7856 उटकमन्ड में रेडियो दूरवीक्षण यंत्र (टेलिस्कोप)	Radio Telecope at Ootacummand	39-40
7857 दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के जोन संख्या 13 में बिजली की अनियमित सप्लाई	Irregular supply of Electricity in Zone No. 13 of Delhi Electric Supply Undertaking	40-41
7858 ग्वालियर क्षेत्र के लिये सिंध परियोजना पर निर्णय	Decision of Sindh Project for Gwalior Area	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
7859 रांची में भारतीय सुरक्षा बल के कैप्टन का लापता हो जाना	Missing captain of India Security Force at Ranchi	41-42
7860 भारतीय चल चित्र निर्यात निगम के अध्यक्ष के भाषणों के प्रकाशित करने पर व्यय	Expenditure on Publication of Speeches of Chairman, Indian Motion pictures export corporation	42
7861 लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा टेलीविजन बनाना	Manufac ture of T. V. Sets by small scale industries development organisation	43
7862 रूसी राजदूत द्वारा केरल सरकार को सहाययया की तथाकथित पेशकश	Reported help offered by USSR Ambassador to Kerala Government	43-44
7863 राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कथित भेदभाव	Alleged Discrimination in assistance to States	44-45
7864 एक मेजर द्वारा एक अर्दली को पीटा जाना	Beating of an orderly by a Major	45
7865 बिहार राज्य की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में बिहार के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement by Chief Minister of Bihar re. Deteriorating Economy of Bihar State	45-46
7866 1975 में एक उपग्रह का चालू करना	Commissioning of a Satellite in 1975	46
7867 भारत में उपलब्ध टेलीविजन सेट	T. V. Sets available in India	46-47
7868 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें	Rural Electrification schemes sanctioned by Rural Electrification Corporation	47-48
7869 हिमालय की घाटी में रेशम के कीड़े पाल कर टसर कोकन तैयार करने सम्बन्धी परियोजना	Project for Tusser Cocoon by rearing Silk Worm in Himalayan Valley	48-49
7870 आपातकाल कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सरकारी मकानों का दिया जाना	Emergency commissioned officers provided with Government Accommodation	49
7871 औद्योगिक कारखानों के लिये विदेशी व्यापार विकास एजेंसी की स्थापना	Setting up of Foreign Trade Development Agency for Industrial Units	49-50
7872 तमिलनाडु में राष्ट्रीय छात्र सेना के लिये आदेशार्थ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग	English Command Words for N.C.C. in Tamil Nadu	50-51
7873 रूसी दूतावास द्वारा स्कूलों में पुस्तकों का वितरण	Distribution of books in schools by Soviet Embassy	51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
7874 आई० बी० एम० कारख़ाने का बम्बई से बंगलौर में स्थानान्तर करने की अनुमति में विलम्ब	Delay in permission for transfer of IBM Factory from Bombay to Bangalore	51-52
7875 मैसूर राज्य के पिछड़े क्षेत्र में सरकारी उपक्रम	Public Sector Undertakings in Backward areas of Mysore State	52
7876 जबलपुर की आदर्श सरकारी उत्पादन संघ द्वारा अभ्यावेदन	Representation by Model Vegetable Growers' Association of Jabalpur	52-53
7877 पुस्तकों का आयात	Import of books	53
7878 दिल्ली के एक वनस्पति व्यापारी को रेनौल्ट ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने का लाइसेंस दिया जाना	Grant of import licences for spare parts of Renault Tractors to a Vanaspati dealer of Delhi	53-54
7879 मैसर्स ब्रिटिश मोटर कार कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को आयात लाइसेंस दिया जाना	Import licence granted to M/s British Motor Car Co. (P) Ltd.	54
7880 एक सहकारी समिति को ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने का लाइसेंस देना	Grant of import licence for tractor spare parts to a cooperative society	54-55
7881 लघु क्षेत्र में रेडियो उद्योग में संकट	Crisis in Radio Industry in Small Sector	55-56
7885 भारत तथा पाकिस्तान में प्रतिरक्षा सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय	Per capita expenditure of defence services in Pakistan and India	56
7886 काश्मीर के शिल्पियों को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to Kashmir artisans	56-57
7887 पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण तथा विस्तार	Expansion and Modernisation of Jute Industry	57
7888 चाय उद्योग के बारे में भारत-श्रीलंका करार	Indo Cylone agreement about tea Industry	58
7889 काश्मीर के मामले पर ईरान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन	Iranis support to Pakistan on Kashmir	58-59
7890 संचार प्रयोजनों के लिये उपग्रह की स्थापना में बेकार इंजीनियरों को रोजगार	Employment for jobless engineers in setting up of a satellite for communication purposes	59
7891 विद्युत संकट पैदा न होने देने के लिये कार्यवाही	Steps to avoid Power famine	59-60

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
7892 दूतावासों द्वारा अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint by Embassies	60
7893 चीनी सेना में अवांछनीय तत्वों की सफाई	Purge in Chinese Army	60-61
7894 भारत द्वारा कम्बोडिया में अमरीकी जहाज को मुक्त करते समय उपस्थित होने से इन्कार करना	Indian refusal to witness release of American ship in Combodia	61
7895 बम्बई में राज्य व्यापार निगम के गोदाम में सोडियम हाइड्रो सल्फेट में आग लगना	Sodium Hydro Sulphate gutted in STC Godown in Bombay	61
7896 पटसन से निर्मित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क हटाना	Abolition of export duty on jute manufacures	62
7897 कम्बोडिया में शान्ति के लिये फ्रांस का प्रस्ताव	French proposal for peace in Combodia	62
7898 भारतीय दूतावासों में कर्मचारियों को दिये जानेवाले वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभ	Pay, Allowance and benefits to Employees in Indian Embassies	63
7899 एक देश का दूसरे देश द्वारा शोषण किये जाने को रोकना	Prevention of exploitation of one country by another country	63
7900 रोडेशिया को निर्यात तथा रोडेशिया से आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव	U. N. Resolution re. Ban on Export to and Import from Rhodesia	63-64
7901 भारतीय दूतावास में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी और प्रतिनिधि	Scheduled castes and scheduled tribes staff and Representatives in Indian Embassies	64
7902 सरकार द्वारा नेफा सम्बन्धी प्रतिवेदन का प्रकाशन	Release of NEFA report by Government	64
7903 रबड़, चाय और काफी बागान में उत्पादन	Production in Rubber, tea and coffee plantations	65
7904 विदेशी सहयोग से भारत में नियंत्रित टैंक तोड़ प्रक्षेपणास्त्रों का बनाया जाना	Manufacture of Anti Tank guided Missiles in India with Foreign Collaboration	65
7905 आयुध कारखानों में प्रतिरक्षा उपकरणों का वार्षिक मूल्य	Annual value of defence equipment produced in ordnance factories	65-66
7906 सोडा रसायनों का आयात	Import of Chemicals of Soda	66-67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
अता० प्र० सं० U. S Q. Nos.		
7907 आयुध कारखाना, शकूरबस्ती, दिल्ली में अग्निकांड	Firing in Ordnance Factory, Shak urbasti (Delhi)	67
7908 आपात के समय सैनिक सेवा में गये असैनिक सरकारी कर्मचारियों के मामले में धारणाधिकार, वेतन तथा भविष्य निधि के बारे में आदेश लागू करना	Application of orders re. lien pay and provident fund in the case of civil Government servants who joined Military service during emegency	67-68
7909 चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न परियोजनाओं के लिये बिजली	Power for various projects in Fourth Five Year Plan	68-69
7910 प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ द्वारा औद्योगिक गैर औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त अथवा तदर्थ वेतन वृद्धि की मांग	Demands for additional or ad hoc increments for industrial and non industrial employees by Defence employees federation	69
7911 सऊदी अरब को निर्यात	Exports to Saudi Arabia	69
7912 1970 का हज यात्रासम्बन्धी प्रतिवेदन	Haj report for 1970	70
7913 इसराइली दूतावास द्वारा एक संसद् सदस्य की आलोचना	Israeli Embassy's criticism of a Member of Parliament	70
7914 केरल में ग्राम्य विद्युतीकरण और पम्पसैटों को बिजली से चलाने सम्बन्धी योजनाएं	Rural Electrification and Energisation of Pump set schemes of Kerala	70-71
7915 पश्चिम बंगाल में भर्ती-केन्द्रों का खोला जाना	Opening of Recruitment centres in West Bengal	71-72
7916 चीन द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में गोला बारूद बनाने के एक कारखाने की स्थापना	Setting up of an ammunition factory in East Pakistan by China	72
7917 हल्के और भारी रूसी ट्रैक्टरों का भूतपूर्व सैनिकों को आवंटन	Allotment of light and heavy Russian Tractors to Ex-servicemen	72
7918 विज्ञान नीति सम्बन्धी संकल्प को क्रियान्वित करना	Implementation of Science policy Resolution	73
7919 पश्चिम जर्मन के सहयोग से सेना के लिये मोटर गाड़ियां निर्माण करने के लिये जबलपुर में एक कारखाने की स्थापना	Setting up of a plant at Jabalpur with West German Collaboration for the manufacture of defence vehicles	73

अता० प्र० सं० U S Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
7920	अन्तरिक्ष में अमरीकी सहयोग से अन्तरिक्ष किरणों सम्बन्धी अनुसंधान	Ressearch in Cosmic rays in space with US Collaboration 73-74
7921	पाकिस्तान को इटली द्वारा पनडुब्बियों की सप्लाई	Italian submarines for Pakistan 74
7922	परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिये संयुक्त अरब गणराज्य से करार	Agreement with UAR for cooperation in atomic field 74
7923	पक्षियों और पशुओं का निर्यात	Export of birds and Animals 75
7924	माही परियोजना के अन्तर्गत बांध का निर्माण	Construction of dam under Mahi Project 75-76
7926	ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम की प्रतिशतता	Percentage of rural electrification Programme in Orissa 76
7927	कच्छ और काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के बारे में अध्ययन	Study of Pak Aggression in Kutch and Kashmir 76-77
7928	उत्तर प्रदेश में उठाऊ (लिफ्ट) नहर का निर्माण	Construction of Lift Canals in Uttar Praodesh 77
7929	सीमेंट के खम्भों का निर्माण	Manufacturing of cement poles 77
7930	थुम्बा में राकेट छोड़ने का केन्द्र	Rocket launching at Thumba 77-78
7931	राज्यों में बाढ़ सम्बन्धी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना	Setting up of flood forecasting centres in States 78
7932	अपोलो-13 की चन्द्रयात्रा में भारतीय वैज्ञानिकों का अंशदान	Contribution of Indian Scientists in Apolo 13 78
7933	सिंथेटिक टॉप बनाने वाले बेकार पड़े कारखाने	Synthetic Top making plant lying idle 79
7936	भारत में आयुध कारखाने तथा उनका वार्षिक उत्पादन	Ordnance Factories in India and the Annual Production 79-80
7937	जनसंघ तथा स्वतन्त्र पार्टियों के विरुद्ध रेडियो पीस ऐंड प्रोग्रेस प्रसारण	Radio peace and progress broadcast against Jan Sangh and Swatantra Parties 80
7938	कम्बोडिया की स्थिति के बारे में राष्ट्र संघ के महासचिव की भारतीय राजनयिक से वार्ता	U. N. Secretary General's talks with Indian Envoy on Combodian Situation 80-81
7939	कर्णफूली तथा तिस्ता परियोजनाओं के लिये पाकिस्तान को सहायता	Help to Pakistan for Karnafuli and Tista Projects 81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
7940 हिन्दी कार्य के लिये भारतीय दूतावासों में नियुक्त किये गये अधिकारी	Officers posted in Indian Embassies for Hindi work	81
7941 1962 की लड़ाई में हार के लिये सिविलियन अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराते हुए अहमदाबाद में ब्रिगेडियार दाल्वी का भाषण	Speech by Brig. Dalvi at Ahmedabad Alleging Civilian Officers Responsibility in 1962 Conflict Setback	81-82
7942 मेवों का निर्यात	Export of Dry fruits	82
7943 वर्ष 1969-70 में पाकिस्तान को अमरीका, रूस तथा तुर्की द्वारा शस्त्रों की सप्लाई	Supply of arms to Pakistan by USA USSR and Turkey in 1969-70	82-83
7944 पंजाब में अणुशक्ति परियोजना की स्थापना	Setting up of an atomic power project in Punjab	83
7945 भारत जर्मनी सहयोग के अन्तर्गत सिंचाई योजनाएं	Irrigation schemes under Indo German Collaboration	83-84
7946 आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर में छुपे विद्रोही नागाओं और मिजो की गतिविधियों के कारण प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि	Increase in defence expenditure due to activities of Nagas and Miso underground Hostiles in Assam, Tripura and Manipur	84
7947 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण का आधार	Basis for Irrigation and rural electrification of States and Union Territories	84-85
7948 दूतावासों द्वारा विदेशी शराब का आयात करने पर प्रतिबन्ध	Ban on Import of Foreign Wine by Embassies	85
7949 चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में राज्यों के अधिकारियों द्वारा दिल्ली का दौरा	Visit to Delhi by State Officials in connection with finalisation of Fourth Five Year Plan	85
7950 आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में कोडिंग असिस्टेंटों के पद के लिये अनिवार्य अर्हताएं	Essential qualification for the post of Coding Assistants in the office of the C. C. I.& E	85-86
7951 अफ्रीकी देशों को निर्यात	Exports to African countries	86-87
7952 तुलिहाल हवाई अड्डा	Tulihal Aerodrome	87-88
7953 आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण देना	Training of officials of office of Chief Controller of Imports and Exports in Foreign Countries	88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
7954 राजनयिकों को शरण देना	Granting asylums to diplomats	88-89
7955 केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of staff in Central Water and power commission	89
7956 समुद्र द्वारा तट के कटाव को रोकने के लिये राज्यों को सहायता	Assistance to States for prevention of sea erosion	89-90
7957 दानापुर छावनी बोर्ड	Danapur Cantonment Board	90
7958 पोलैण्ड के साथ करार	Agreement with Poland	90-91
7959 दानापुर स्थित बिहार रेजीमेंट सैंटर में की गई भर्ती	Recruitment made in Bihar Regimental Centre at Danapur	91
7960 दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा करदाताओं के विरुद्ध मुकदमे दायर करना	Filing of cases against tax payers by Danapur Cantonment Board	91
7961 गन कैरिज फैक्टरी एस्टेट, जबलपुर के गैर सरकारी मकानों का लिया जाना	Acquisition of private house of gun carriage factory estate, Jabalpur	91-92
7962 भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में सैनिक रोजगार में पुनः नियुक्त करना	Rehabilitation of ex-servicemen in Madhya Pradesh in civil employment	92
7963 मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल तथा स्वैच्छिक कोर से लोगों की सेना में भर्ती	Recruitment of persons from Madhya Pradesh in N. C. C. and Volunteer Corps	92-93
7964 मध्य प्रदेश में भर्ती केन्द्र	Recruitment centres in Mdhya Pradesh	93
7965 भारत चीन सम्बन्धों के बारे में युगोस्लाविया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत	Talks with Yugoslavia foreign Minister on Sino-Indian Relation	93
7966 महाराष्ट्र से वस्तुओं का निर्यात	Export of commodities from Maharashtra	94
7967 जवानों को समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की सप्लाई	Supply of Newspapers and Magazines to Jawans	94
7968 सेना में सभी अधिकारियों को समान दर पर मंहगाई भत्ता देना	Uniform Rate of Dearness Allowance for all officers in Army	94-95
7969 महाराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें	Irrigation facilties in Vidarbha Region of Maharashtra	95
7970 बिजली के मूल्य में असमानता	Discriminatory Rates of Electricity in Rajasthan	95-96
7971 कोटा को सप्लाई की जाने वाली विद्युत की दर	Rate of power supply to Kotah	96-97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
7972 कारगिल में पन बिजली परियोजना पर व्यय	Expenditure on Hydel project in Kargil	97
7973 लेह में एक पन बिजली केन्द्र स्थापित करना	Setting up a Hydel electric station in Leh	97
7974 रिहन्द परियोजना, उत्तर प्रदेश, द्वारा पैदा की जाने वाली विद्युत में मध्य प्रदेश का भाग	Share of Madhya Pradesh in power of Rihand Project, U. P.	97-98
7975 हीराकुण्ड परियोजना से बिजली की सप्लाई में मध्य प्रदेश का हिस्सा	Share of Madhya Pradesh in power supply from Hirakud project	98
7976 पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा अजमेर का दौरा	Pak High commissioners' visit to Ajmer	98-99
7977 आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Staff in Office of Chief Controller of Imports and Exports	99
7978 दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियन्त्रण विंग के अधीन डिवीजनों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों की संख्या	Number of Divisions/Work charged Staff under Flood Control Wing of Delhi Administration	99-100
7979 दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियन्त्रण विंग में कार्य प्रभारित कर्मचारी	Workcharged staff in Flood Control wing of Delhi Administration.	100
7980 ब्रिटेन में भारतीय कर्मचारियों के बारे में प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब	Delay in issue of certificates in regard to Indian Emplyees in U. K.	100-101
7981 विदेशी दूतावासों को दिये गए स्वतंत्रता दिवस समारोह के पास	Republic day passes issued to foreign Embassies	101
7982 1970 में गणतन्त्र दिवस पर व्यय	Expenditure on Republic day, 1970	102
7983 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण प्रधान मंत्री सचिवालय के निलम्बित किये गए कर्मचारी	Employees of Prime Minister's Secretariat suspended due to their participation in 19th September, 1968 strike	102
7984 सियम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के निलम्बित किए गए कर्मचारी	Employees of irrigation and power Ministry suspended due to participation in September, 1968 strike	102-103
7985 भारतीय वैदेशिक व्यापार सेवा का बनाया जाना	Creation of Indian Foreign Trade Service	103

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos .		
7987 मध्य प्रदेश में बादो उतावली परियोजना का निर्माण	Construction of Badi Utavali Project in Madhya Pradesh	103
7988 पालमपुर में चाय का आधुनिक कारखाना	Modern tea factory at Palampur	103-104
7989 दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार तथा सम्पूर्ण भारत में बिजली की प्रतिवर्ष प्रति-व्यक्ति उपलब्धता	Per Capita availability of power in South Bihar, North Bihar and whole of India per annum	104
7990 व्यास परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भूमि का अर्जन	Acquisition of land by Beas project Authorities	104-105
7991 चाय बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा भेजा गया मांग पत्र	Charter of Demands submitted by Tea Board Employees	105
7992 चांदी का निर्यात	Export of Silver	105
7993 कर्नल डी० एस० बोहरा की मेजर के रैंक में अनिवार्य सेवा निवृत्ति	Compulsory retirement of col D. B. Vohra in rank of a Major	105-106
7994 समुद्र जल का तापीय अपक्षारीकरण	Nuclear desalination of Sea Water	106
7995 मुसी परियोजना	Musi Project	107
7996 नागार्जुन सागर परियोजना के अन्तर्गत विद्युत प्रजनन योजना पर व्यय	Expenditure for power generation scheme under Nagarjunasagar Project	107
7997 पटसन का उत्पादन	Production of Jute	107-108
7998 भूतपूर्व सैनिक लीग का वार्षिक समारोह	Annual function of ex-servicemen League	108
7999 मगरहाट, (पश्चिम बंगाल) में गन्दे पानी की नाली	Sewage canal of Magrahat (West Bengal)	108-109
8000 विदेशों के साथ राजनयिक तथा व्यापार सम्बन्ध	Diplomatic and trade relations with foreign countries	109-110
8001 भारत में अमरीकी विनियोजन	U. S. investment in India	110
8002 प्रति व्यक्ति आय	Per Capita income	110-112
8003 फरक्का बांध परियोजना का पूरा होना	Completion of Farakka Barrage Project	112
8004 शक्तिमान ट्रकों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of Shaktiman trucks	112-113
8005 हवाई हमलों के दौरान समूचे देश में लगाने के लिए आपेक्षित राडारों की संख्या	Radars required to cover the entire country during Air Raids	113

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
8006 वायु सेना के कैडिटों के प्रशिक्षण के लिए मैसूर में विदार हवाई अड्डे का सुधार	Improvement of Bidar Airport in Mysore for training of Air Force Cadets	113-114
8007 केरल में ट्रांसफार्मरों की कमी	Shortage of Transformers in Kerala	114
8008 प्रतिरक्षा सेनाओं में विदेशी शराब का आयात	Import of foreign liquors for Defence Services	114-115
8009 प्रतिरक्षा सेनाओं के अधिकारियों की मैसों में खपत के लिए विदेशी शराब का आयात	Import of foreign liquor for consumption in Defence Forces Officers' Messes	115
8010 तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco	115-116
8011 केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों की वरीयता का पुन: निर्धारण	Refixation of seniority of Class I and Class II Officers of Central Water and Power Commission	116-117
8012 प्रतिरक्षा अध्ययन संस्थान के निदेशक का भारत द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के बारे में वक्तव्य	Statement of the Director of Institute for Defence studies about India owning Nuclear Power	117
8013 केरल में विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानी का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign owned Tea Plantations in Kerala	117
8014 'मित्रता संगठन' के सदस्यों तथा संसद् सदस्यों द्वारा विदेशों की यात्रा	Foreign countries visited by Friendship organisation members and mebers of Parliament	118
8015 लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से कर्नल के रैंक पर पदोन्नति की कसौटी	Criterion for promotion from the rank of Lt. Colonel to Colonel	118
8016 सीमेंट का निर्यात	Export of cement	118-119
8017 कपड़ा मिलों को अधिकार में लेना	Taken over Textile Mills	119
8018 प्रादेशिक सेना की सेवा की शर्तों में संशोधन करने के लिए समिति की नियुक्ति	Appointment of a committee for revising terms and conditions of service of Territorial Army	119
8019 हिमालय क्षेत्र की पन बिजली क्षमता का अनुमान	Assessment of Hydel Power Capacity of Himalayan Region	120
8020 मैडिकल, इंजीनियरिंग तथा पशु चिकित्सा सम्बन्धी पदी पर एमरजेंसी तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप से स्नातकों तथा अवर स्नातकों की भर्ती	Recruitment of Graduates and non Graduates in Medical, Engineering and Veterinary Posts as Emergency and short Service Commissioned Officers	120-121

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० U. S. Q. Nos.		
8021 रबड़ अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान निदेशक के पद के लिए भर्ती	Recruitment of director of Research in Rubber Research Institute of India	121-122
8022 रबड़ उत्पादन आयुक्त की नियुक्ति	Appointment of Rubber production Commission	122
8023 कडाना परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	Kadana Project's Report	122-123
8024 कडाना परियोजना के बारे में गुजरात और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Chief Ministers of Gujarat and Rajasthan Re: Kadana Project	123
8025 कदना बांध की ऊंचाई	Height of Kadana Dam	123
8026 नागा विद्रोहियों के साथ मुठभेड़	Encounters with Naga Hostiles	124-125
8027 ऊन उद्योग का निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य करना	Woollen industry working at low capacity	125
8028 1969-70 के विदेशी व्यापार के विकास के लिए सर्वेक्षण	Survey for development of foreign trade during 1969-70	125-126
8029 पश्चिम बंगाल की बहु प्रयोजनीय तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाएं	Multipurpose and Major Irrigation projects of West Bengal	126
8030 इंगलैण्ड में भारतीय उच्चायोग में विदेशी पत्नियों वाले कर्मचारी	Staff in Indian High Commission in U. K. with foreign wives	126-127
8031 भारतीय इलैक्ट्रानिक्स उद्योग का विकास	Development of Indian electronics Industry	127
8032 विश्वविद्यालयों द्वारा अनिवार्य राष्ट्रीय छात्र सेना दल प्रशिक्षण को लागू न करना	Universities not opting for compulsory N. C. C. training	128
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	128-135
बैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् संबन्धी जांच समिति के सभापति-पद से श्री ए० के० सरकार के त्यागपत्र का समाचार	Reported resignation of Shri A. K. Sarkar from Chairmanship of Inquiry Committee on C. S. I. R.	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	135
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा दोषसिद्धि (सर्वश्री रामेश्वर राव तथा सुरेन्द्र रेड्डी)	Arrest and Conviction of Members (Sarvashri Remeshwar Rao and Surender Reddy)	136

प्राक्कलन समिति	Estimates Committee 136
कार्यवाही सारांश	Minutes
सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति	Committee on Public Undertakings 136-137
(एक) कार्यवाही सारांश	(i) Minutes;
(दो) 48वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों के उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण	(ii) Statement showing replies to recommendations contained in Forty-eighth Report
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	Committee on Private Member's Bills and Resolutions 137
62वां प्रतिवेदन	Sixty-second Report
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee
121वाँ, 122वां, 126वां, तथा 127वां प्रतिवेदन	Hundred and twenty-first. Hundred and twent-second, Hundred and twenty-sixth and Hundred and twenty-seventh Reports 137
लोक-लेखा समिति	Public Accounts Committee
108वां, 109वां, 113वां, 114वां, 117वां, तथा 119वां प्रतिवेदन	Hundred and eighth, Hundred and ninth, Hundred and thirteenth, Hundred and fourteenth, Hundred and seventeenth and Hundred and nineteenth Reports. 137-138
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings
68वां तथा 69वां प्रतिवेदन	Sixty-eighth and Sixty-ninth Reports 138
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	Committee on Subordinate Legislation
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report 138
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances 138-139
(एक) आठवां प्रतिवेदन	(i) Eighth Report
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence
श्री हरिदास मूंदड़ा के नाम बकाया कर को बट्टे खाते डालने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1085 के उत्तर में शुद्धि	Correction of answer to S. Q. No. 1085 re. writing off of tax arrears against Shri Haridas Mundhra. 139
अनुदानों की मांगें, 1970-71	Demands for Grants, 1970-71 139-171
समाज कल्याण विभाग	Department of Social Welfare
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain 143
श्री बसुमतारी	,, Basumatari 144
श्री कं० हल्दार	,, K. Halder 145

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री कांबले	Shri Kamble	146
श्री ओ० प्र० त्यागी	,, Om Prakash Tyagi	147
श्री चन्द्रिका प्रसाद	,, Chandrika Prasad	148
श्री एन० शिवप्पा	,, N. Shivappa	149
श्री अ० कु० किस्कु	,, A. K. Kisku	150
श्री मोलहू प्रसाद	,, Molahu Prasad	152
श्री रा० ढो० भंडारे	,, R. D. Bhandare	153
श्री दुरायरासु	,, Durairasu	155
श्री के० अनिरुद्धन	,, K. Anirudhan	156
श्री ख० प्रधानी	,, K. Pradhani	157
श्री बे० कृ० दासचौधरी	,, B. K. Daschowdhury	157
श्री छ० म० केदारिया	,, C. M. Kedaria	159
श्री कार्तिक ऊरांव	,, Kartik Oraon	160
श्री हुये गोंडा	,, M. H. Gowda	161
डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह	Dr. (Shrimati) Phulrenu Guha	162
श्री शिवचरण लाल	Shri Shiv Charan Lal	165
श्री बे० ना० कुरील	,, B. N. Kureel	166
श्री सोमचन्द सोलंकी	,, S. M. Solanki	167
श्री सोनवाने	,, Sonavane	169
श्री नागेश्वर द्विवेदी	,, Nageshwar Dwivedi	170
श्री ना० नि० पटेल	,, N. N. Patel	170
श्री यमुना प्रसाद मंडल	,, Yamuna Prasad Mandal	170
श्री न० प्र० यादव	,, N. P. Yadav	171
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	

लोक-सभा

LOK-SABHA

बुधवार, 29, अप्रैल, 1970/9 वैशाख, 1892 (शक)
Wednesday, April 29, 1970/ Vaisakha 9, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वायु मुख्यालय का पुनर्गठन

+

*1291. **श्री राम गोपाल शालवाले :** **श्री आत्म दास :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु-मुख्यालय का पुनर्गठन करने की कोई योजना विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या व्यक्तियों और दलों की कार्य-कुशलता का स्तर नियत करने की एक योजना भी विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उन अध्ययन दलों के प्रतिवेदन प्राप्त हो गए हैं, जो यह देखने के लिए गठित किये गए थे कि विशेषकर, फालतू पुर्जों के निर्माण और क्रय में किस प्रकार कुशलता बढ़ाई जा सकती है और किफायत की जा सकती है; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है और यदि

हां, तो हैदराबाद में वायु सेना अकादमी की स्थापना करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसमें कब से कार्य शुरू होगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : लोक सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

एयर हेडक्वार्टर के पुनर्गठन के बारे में चीफ एयर स्टाफ की एक योजना सरकार द्वारा विचाराधीन है। जटिल हथियारों और उपकरणों के प्रारम्भ और उनके रख-रखाव तथा प्रशासनिक अवलंब के लिए लम्बे समय की योजना एक आवश्यकता होती है। पुनर्गठन की योजना एयर हेडक्वार्टर की विभिन्न ब्रांचों और डाइरेक्टोरेटों में अच्छे समन्वय को लाएगी और हेडक्वार्टर की कार्यक्षमता को बढ़ाएगी। आधुनिक प्रबन्ध पद्धति उदाहरणार्थ पद्धति विश्लेषण, प्रायोजनप्रबन्ध इत्यादि को अधिक तीव्र उपाय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। एयर हेडक्वार्टर के विशेषित क्षेत्रों में सलाहकारों की नियुक्ति भी हमारी नीति है। एडमिनेस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद को कुछ मदों के संस्थापन और एयर फोर्स स्थापनाओं में पुर्जों के उपलब्ध कराने और देने की पद्धति के बारे में एयर हेडक्वार्टर को सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया है। यह अध्ययन प्रगति पर है और सलाहकारों की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

2. पुनर्गठन के अन्तर्गत एयर स्टाफ और मेंटेनेन्स इंस्पेक्शन टीमें बनाने का सुझाव है जो विभिन्न हथियार पद्धतियों की कार्यकुशलता का निर्धारण करेंगी और संक्रियात्मक कार्यकुशलता और रख-रखाव स्तरों में सुधार के लिए क्रियाविधि निर्धारित करेंगी।

3. हैदराबाद के निकट की एयर फोर्स अकादमी पाइलटों, नेवीगेटरों और सिगनलरों और गैर-तकनीकी ब्रांच के ग्राउंड ड्यूटी अफसरों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। स्थल सैनिक अफसर जो एयर आवजरवेशन पोस्ट एयरक्राफ्ट और नौसेना के एयर विंग के पाइलट और नेवीगेटर हैं, वे भी इस अकादमी में अपनी प्रारम्भिक प्रशिक्षण उड़ान प्राप्त करेंगे। 1970 के अन्त तक इस परियोजना के प्रथम चरण के पूरा हो जाने की आशा है।

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Speaker, Sir, in the statement it has been mentioned that Air Force Academy is being established at Hyderabad. During the last Indo-Pak war a pilot was sentenced to imprisonment for three years for rendering useless components of eight aeroplanes and destroying one aeroplane at Hyderabad. In view of that incident I would like to know what steps, Government have taken to check the recurrence of such incidents in future. Why this Academy is being set up at Hyderabad ?

Shri Swaran Singh : Since suitable land is available at Hyderabad, Air Force Academy is being set up there. The Hon. Member has given a reference of an incident which occurred at Hyderabad. In this regard I would like to say that such cases usually happen and the only way to check such cases is to tighten our security forces.

Shri Ram Gopal Shalwale : It is not a simple case. I would like to know whether it is a fact or not ? If yes, what steps Government have taken in this regard ?

श्री स्वर्ण सिंह : मूल प्रश्न वायु मुख्यालय के पुनर्गठन के बारे में है। अब माननीय सदस्य किन्हीं विशिष्ट मामलों के बारे में जानकारी चाहते हैं जिनमें कुछ अधिकारियों या अन्य सेना कर्मचारियों का हाथ है। यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न की सूचना दें तो मैं मामले से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करूंगा।

Shri Ram Gopal Shalwale : I would like to know what steps Government have taken against the persons who purchase useless components of aeroplanes, due to which Government have to bear financial loss ? What measures Government have taken to avoid such cases in future ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक सामान्य प्रश्न है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि कोई विशिष्ट मामला मेरे ध्यान में लाया जाएगा तो जानकारी एकत्रित करूंगा।

श्री मनुभाई पटेल : वायु सेना स्कंध में प्रशिक्षित विमान चालकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। अतः उन्हें विमान चालन का कार्यभार नहीं सौंपा जाता। समय बिताने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया जाता है। क्या इस मामले की जांच की जाएगी और समुचित समायोजन किया जाएगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहाँ तक विमान चालकों का सम्बन्ध है, उन्हें प्रशिक्षित करने में काफी समय लग जाता है। चाहे हम वायुयानों की संख्या क्यों न बढ़ा दें, हम विमान चालकों को अपेक्षित स्तर पर प्रशिक्षित नहीं कर सकते। अतः यह योजना वास्तविक रूप में प्रशंसनीय है कि इतनी बड़ी संख्या में विमानचालकों को इसलिये प्रशिक्षित किया जाता है कि यदि हम विमानों की संख्या बढ़ा भी दें तो हमें विमान चालक पहले ही उपलब्ध हो सकें। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हम मित्र देशों को प्रशिक्षण पुनर्गठन के मामले में सहायता दे रहे हैं और हमारे कुछ योग्य अधिकारी विदेशों में विमान चालकों को प्रशिक्षित करने के लिए भेजे गए हैं।

श्री मनुभाई पटेल : प्रशिक्षकों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। उन्हें विमान चालक का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उन्हें भंडारी या लिपिक का काम दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और इस प्रकार उनका सारा प्रशिक्षण बेकार चला जाता है।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे यह दोषारोपण बिल्कुल स्वीकार्य नहीं कि हम उन्हें केवल समय बिताने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देते हैं। यह बात ठीक नहीं है।

श्री रणजीत सिंह : सैनिक समाचार में हाल में ही छपे लेख में वायुसेना अध्यक्ष ने परिवर्तनों की रूपरेखा देते समय यह लिखा है कि वे जिस ढंग से वायुसेना को पुनर्गठित करना चाहते हैं, उसमें कई बाधाएं हैं और उन्होंने यह संकेत दिया कि ये बाधाएं असैनिक मंत्रालय, उदाहरणार्थ वित्त मंत्रालय के कारण उपस्थित होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में वायुसेना अध्यक्ष से व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत की है कि उन्होंने अपने लेख में कौन सी बाधाओं का जिक्र किया है। अभी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया, उस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि हमारे विमान-चालकों को उड़ान के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता क्योंकि काफी संख्या में विमान मरम्मत न होने के कारण उड़ान भरने में असमर्थ हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक वायुसेना अध्यक्ष से बातचीत करने का प्रश्न है, मैंने बातचीत की है। जहाँ तक वायुसेना मुख्यालय द्वारा रखे गए प्रस्तावों का प्रश्न है, उस पर सरकार वित्त मंत्रालय से सलाह लेकर विचार करेगी। चूंकि माननीय सदस्य ने जिस अनुच्छेद का हवाला दिया है, वह अनुच्छेद मैंने नहीं पढ़ा है अतः मेरा उत्तर देना केवल काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देना होगा। कठिनाइयाँ तो कुछ नहीं है परन्तु कुछ मामले ऐसे अवश्य हैं जिनका इस मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा निराकरण किया जाना है और ऐसे मामलों को निपटाया जाना है। अतः मेरे विचार में

संतोषजनक उपाय प्राप्त करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच है कि विमानों की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्यक्रम अच्छे ढंग से नहीं चल रहा था जिसके कारण वायुसेना के पुनर्गठन पर प्रभाव पड़ा है और अब प्रबन्ध पहले से बेहतर है।

श्री रणजीत सिंह : यदि मंत्री महोदय को कुछ कठिनाई है तो वे कल वक्तव्य दें सकते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मजाक की भी कोई हद होती है। आप मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछकर न केवल अपना उपहास कर रहे हैं बल्कि सदन का भी उपहास कर रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह : आपको तो हर चीज मूर्खतापूर्ण लगती है। आपका 'मूर्खतापूर्ण' शब्द से क्या अभिप्राय है? कई बार मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि विमानों की मरम्मत तेजी से नहीं हो रही है। यह सब मंत्री महोदय की अयोग्यता का परिणाम है। उन्हें इस शब्द के लिए क्षमा माँगनी चाहिए। यह देश की रक्षा का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए और ऐसे शब्दों का प्रयोग न कीजिए।

श्री स्वर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऐसे शब्द कहने का दुस्साहस किया है।

श्री रणजीत सिंह : इसे आप 'तुस्साहस' नहीं कह सकते।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं अवश्य कहूँगा। यदि आप इतना जोर से बोलेंगे तो आपको वैसा उत्तर भी सुनना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों कृपया शान्त हो जाएं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूँ पर मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिए जाने के दौरान बाधा न डाले और न ही असंगत प्रश्न करें। हमें कहने के ढंग में सुधार करना चाहिए।

हम विमान-चालकों को विमान तथा प्रशिक्षण हेतु प्रयोग किए जाने वाले विमान जुटा रहे हैं ताकि वे उड़ान के मामले में कुछ योग्यता प्राप्त कर सकें।

Shri Ram Charan : According to the statement, the Chief of Air Staff has suggested about reorganisation of Air, Headquarter its establishments and maintenance. I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that durng the last seven years bogus transaction of spare parts worth rupees 30—35 crores has been made between the Alahabad Base and the establishment situated at the front? May I also know whether it is a fact that those spare parts have not been sent to the concerned establishment and sold in the market for 30—35 thousand rupees? Will Government effect reorganisation in such a way that spare parts can be purchased in a proper manner so that it may not prove bogus or out of date and . Government may not have to suffer a loss of crores of rupees? In fact pilot officer and other officers above him are not involved in corruption. But those officers who are working in the foreign missions and who are doing the work of purchasing and indenting are involved in corruption.

श्री स्वर्ण सिंह : इस सुझाव पर कार्रवाही की जा सकती है। हमने इसको नोट कर लिया है।

भारतीय साम्यवादियों को बढ़ावा देने के लिये रेडियो मास्को का अभियान

†1293. **श्री शारदा नन्द** :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री दे० अमात :
श्री सूरज भान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो मास्को भारतीय साम्यवादियों को बढ़ावा देने वाला प्रचार कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह रेडियो भारत के कुछ राजनैतिक दलों की आलोचना कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार ने रूस सरकार से इसका विरोध करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) रूस सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) : जैसा कि दूसरे देशों की टिप्पणियों में होता है वैसे ही मास्को रेडियो की हाल की टिप्पणियों में भारत की राजनीतिक घटनाओं तथा राजनीतिक दलों को मास्को रेडियो के अपने स्तर और रुचि के अनुरूप आंका गया है। उसने कुछ दलों को वामपंथी और लोकतंत्रात्मक कहा है और उसका यह भी कहना है कि उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है। कुछ अन्य दलों को दक्षिण पंथी और प्रतिक्रियावादी कहा गया है।

(ग) सरकार विदेशी अखबारों और रेडियो प्रसारणों के ऐसे सामान्य आकलनों को इस काबिल नहीं समझती कि जो विरोध प्रकट किये जाने की अपेक्षा रखते हों।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Sharda Nand : Mr. Speaker, Sir, through you I would like to know from the hon. Minister whether he considers propeganda by foreign radio as an interference in our internal affairs or not ?

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker, Sir, which broadcast he has referred to ?

Mr. Speaker : Hon. Member has asked whether he considers propaganda by foreign radio as an interference in our internal affairs or not ?

Shri Surendra Pal Singh : It depends upon the nature of the broadcast and the country from which it has been broadcast.

Mr. Speaker : Main question is about U. S. S. R. broadcast.

Shri Surendra Pal Singh : In this regard I have already told that Moscow radio has assessed the Indian political scene and political parties according to the Radio's own standards and we cannot consider this general assessment of foreign countries as interference in our internal matters and we do not consider the necessity of lodging any protest for that.

Shri Sharda Nand : Moscow Radio is launching a propaganda campaign against political parties in India and brand them as reactionaries. Since Government has got support mainly from leflist parties, it is not of their concern. Hence I would like to know whether Government would allow the leader of those political parties against whom Moscow Radio has let loose false propaganda, to give reply to them through All India Radio ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा है कि जिन दलों या नेताओं के विरुद्ध विदेशों से रेडियो द्वारा प्रसारण किया जाता है, उनको इसका निराकरण करने के लिए अवसर दिया जाएगा ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे समाचार पत्रों में, विदेशी समाचार पत्रों में और विदेशी प्रसारणों में, जिनमें सोवियत संघ के प्रसारण भी शामिल हैं, टीका टिप्पणी की जाती है। हमारे लिए इस बात के लिए वचनबद्ध होना बहुत कठिन है कि ऐसी प्रत्येक टीका-टिप्पणी का प्रतिकार किया जाएगा। इस देश में हमारे माननीय सदस्यों और नेताओं को समाचार-पत्रों में छपे या अन्य साधनों से प्राप्त टीका–टिप्पणियों पर विचार व्यक्त करने की सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन जब भी हमारे या हमारे हित के विरुद्ध कुछ कहा जाएगा हम अपने साधनों द्वारा उसका निराकरण करेंगे।

Shri Sharda Nand : Hon. Minister has not given proper reply to my question.

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं कि हर माननीय सदस्य को उसकी इच्छा के अनुकूल उत्तर मिले।

An. Hon. Member : Hon. Minister should tell when he has counteracted U. S. S. R. campaign.

Shri Hukam Chand Kachwai : Hon. Minister should tell when he has counteracted U. S. S. R. campaign.

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन ऐसा ही होता है। इसे सहन नहीं किया जा सकता।

श्री पीलु मोडी : ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आप मन्त्री महोदय से सही उत्तर देने के लिए नहीं कहते।

श्री नन्द कुमार सोमानी : बड़े ही खेद की बात है कि मास्को रेडियो द्वारा विषैला और आपत्तिजनक प्रचार न केवल जनतांत्रिक संस्थाओं अपितु देश के न्यायांग के भी विरुद्ध है पर इस सरकार ने उसको आपत्तिजनक नहीं माना है ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार अपने ही देश की एकता और प्रभुसत्ता पर ध्यान न दे।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री नन्द कुमार सोमानी : वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के मन्त्री द्वारा दिए गए आपत्तिजनक वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की रूस द्वारा किए गए उस प्रसारण की क्या प्रतिक्रिया है जिसमें कहा गया है कि अधिनियम (बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम) का प्रतिक्रियावादी स्वतन्त्र एवं जनसंघ दल के नेताओं ने घोर विरोध किया है। इन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम क्रियान्वयन को रोकने में कोई कसर नहीं उठा रखी और ऐसा लगता है कि इन्होंने ही उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रेरणा दी।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक नहीं है.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : समझ में नहीं आता कि सरकार देश की एकता और प्रभुसत्ता को किस प्रकार बनाए रख सकती है। अतः 24 फरवरी, 1970 को आकाशवाणी के शिमला केन्द्र से प्रसारित वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि सोवियत प्रसारणकर्ताओं का खंडन करने के लिए वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के जरिए सरकार ने ऐसी कौन सी कार्रवाही की है जिससे उन्हें बताया जा सके कि देश के प्रजातांत्रिक और न्यायिक मामलों की चिन्ता करना हमारे अपने देश का काम है और हम नहीं चाहते कि कोई अन्य देश इन मामलों में हस्तक्षेप करे।

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य के इस मत से पूरी तरह सहमत हूँ कि सोवियत संघ जैसे मित्र देश को इस मामले में उच्चतम न्यायालय के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए थीं **(व्यवधान)**

Mr. Speaker : Order, Order.

श्री दिनेश सिंह : सोवियत संघ के कार्यदूत को यह सूचना भेज दी गई थी कि मास्को रेडियो से ऐसे वक्तव्य प्रसारित नहीं करने चाहिए जिनमें हमारी संस्थाओं और विशेषकर उच्चतम न्यायालय पर कीचड़ उछाला जाय। **(व्यवधान)**

श्री नन्द कुमार सोमानी : कुछ समय पहले उपमन्त्री ने कहा था कि जहां तक सोवियत संघ के प्रसारण का सम्बन्ध है, उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है और इसलिए उनसे शिकायत करने का कोई कारण नहीं है और अगले ही क्षण उनके वरिष्ठ मन्त्री ने कहा है कि उन्होंने सोवियत संघ के कार्यदूत को सूचना भेज दी है। एक ही समय में कही गई दो बातों में इतना अन्तर क्यों हैं? दूसरे सोवियत संघ के प्रतिनिधि पर इसकी क्या प्रतिक्रिया पड़ी है? क्या उसने क्षमा याचना की है अथवा आश्वासन दिया कि ऐसा प्रचार फिर नहीं होगा?

श्री दिनेश सिंह : जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है जिसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि मेरे और उप मन्त्री के दिए गए वक्तव्यों में अन्तर है, तो मैं कहना चाहता हूं कि वे कृपया यह देखें कि क्या प्रश्न पूछा गया था? उनके प्रश्न में संस्थानों का कोई हवाला नहीं दिया गया। इसमें तो केवल उन संदर्भों का हवाला दिया गया है जो शायद राजनीतिक दलों के विरुद्ध किए गए थे। मैने अपने उत्तर में बता दिया है कि हमने इस मामले पर सोवियत संघ के प्रतिनिधि से बातचीत नहीं की है। जहां तक उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में लगाए गए आक्षेपों का सम्बन्ध है, यह इस मामले पर हमने बातचीत की है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सत्य नहीं है कि सोवियत संघ रेडियो 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' (शांति तथा प्रगति) के जरिए हमारे राजनीतिक दलों और व्यक्तियों के विरुद्ध जहरीला प्रचार कर रहा है? क्या यह भी सत्य नहीं है कि तथा कथित रेडियो 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' मास्को रेडियो का ही एक अंग है अथवा एक अलग संस्था है? क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि क्या 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' रेडियो अलग से एक संस्था है अथवा मास्को रेडियो का ही एक अंग है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : कई बार पहले भी इस बात का उत्तर दिया जा चुका है। मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। यह सच है कि हमारे राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों की कटु आलोचना की गई है। हमने सोवियत सरकार से कहा है कि ये प्रसारण अवांछनीय हैं और इनसे गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें चाहिए कि वे रेडियो 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' पर यह जोर डालें कि ऐसे वक्तव्य प्रसारित न किए जाएं। सोवियत सरकार ने बताया है कि रेडियो 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' एक स्वायत्त निकाय द्वारा चालित है और सरकार का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

श्री हेम बरुआ : पिछली बार मन्त्री महोदय ने बताया कि सोवियत सरकार का उस रेडियो पर कोई नियन्त्रण नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या यह रेडियो मास्को रेडियो का अंग है या नहीं। अगर है, तो इसका नियन्त्रण भी मास्को रेडियो करता होगा।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक स्वायत्त संगठन है और इस नाते यह रेडियो मास्को के नियन्त्रण में नहीं हो सकता।

श्री पीलु मोडी : उस देश में स्वायत्त संगठन की ऐसी व्याख्या नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

श्री तेन्नटी विश्वनाथम : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है कि कोई भी संगठन सोवियत सरकार से अलग रहकर कार्य कर सकता है ?

श्री दिनेश सिंह : स्पष्ट प्रश्न किया गया था कि क्या रेडियो 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' रेडियो मास्को के आधीन है और सोवियत सरकार के नियन्त्रण में है । सोवियत सरकार ने जानकारी दी है कि यह एक स्वायत्त निकाय है और उनके अधीन नहीं है । हमें उनके कथन को स्वीकार करना ही पड़ेगा ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न है क्या यह रेडियो मास्को रेडियो का एक अंग है ?

डा० रानेन सेन : प्रश्नोत्तर से यह लगता है कि स्वतन्त्र दल के एवं जनसंघ के सदस्य मास्को रेडियो को नियमित रूप से सुनते हैं । यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने मास्को रेडियो के इस प्रसारण पर आपत्ति की है जिसमें इन दोनों दलों को प्रतिक्रियावादी कहा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि सदन के अधिकांश सदस्य इन दलों को प्रतिक्रियावादी मानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का यहां प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Atal Behari Vajpayee : Earlier 'Peace and Progress' Radio used to interfere in our internal matters. At that time the Soviet Government and our stooge Government tried to save their skin by saying that it is an autonomous body. But today Moscow Radio is interfering in our internal affairs. India is s a Democratic Republic having several political parties. These parties have several disputes. I would like to ask if All India Radio makes cemments upon the rift within the Soviet Communist Party, how our Soviet Friends here will react to it ? I would like to know whether U. S. S. R. broadcasts are not flagrant interference in our internal affairs ?

Shri Dinesh Singh ; How can I say how Soviet friends will react to it ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Hon. Minister has not replied to my second question. My question is whether propaganda launched by Moscow Radio against our political parties is not an interference in our internal affairs ?

Mr. Speaker : The question has already been replied.

Shri Atal Behari Vajpayee : Please ask the Minister to reply to my question.

Mr. Speaker : He has replied.

Shri Atal Behari Vajpayee : What is the reply ?

Mr. Speaker : You may see.

Shri Atal Behari Vajpayee : I will have to rise on the point of order. Have you disallowed my question ? Does it depend upon the whims of hon. Ministers to give or not to give reply ?

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न पहले ही एक अन्य माननीय सदस्य द्वारा पूछा जा चुका है । माननीय मन्त्री ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोइ उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री कृपया उत्तर को दोहरा दें क्योंकि जब उन्होंने उत्तर दिया था उस समय माननीय सदस्य, जो दल के नेता हैं, उपस्थित नहीं थे ।

Shri Surendra Pal Singh : I had told whatever has been broadcast from Moscow Radio against our political parties is not of a nature which can be considered as an interference. It is right that references made by them about the Supreme Court were improper. Hon. Minister has admitted that it was wrong and we have taken up this matter with the Soviet Government.

श्री पीलु मोदी : पर जब मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि सोवियत संघ के स्वायत्त निकाय भारत के स्वायत्त निकायों की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र हैं तो मुझे सरकार के सीधे पन पर बड़ा आश्चर्य होता है। अतः मेरे विचार में इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि इस मामले का वैदेशिक कार्य मंत्रालय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। इस सम्बन्ध में मैंने और अन्य सदस्यों ने उनका ध्यान कई बार इस मामले की ओर दिलाया है। मास्को रेडियो और 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाने वाला प्रचार न केवल राजनीतिक दलों के विरुद्ध हैं बल्कि श्री मोरार जी देसाई, जब वे उप-प्रधान मन्त्री थे, श्री एस० के० पाटिल तथा अन्य दलों के सदस्यों जिसमें श्री वाजपेयी भी शामिल हैं और सदन के विपक्षी सदस्यों के भी विरुद्ध हैं। उन्होंने हमें प्रतिक्रियावादी कहा। हमें उनके ऐसा कहने पर कोई आपत्ति नहीं। हमें इस पर गर्व है। परन्तु.....

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण मत दें, कृपया प्रश्न पूछें।

श्री पीलु मोदी : यह समय सरकार के चुप बैठे रहने और यह कहने का नहीं है कि वह विवश हैं। इससे राष्ट्र के समक्ष सरकार की कायरता ही प्रदर्शित होती है। मेरे विचार में यह समय है.....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया प्रश्न पूछेंगे ?

श्री पीलु मोदी : मेरे विचार में इस समय सरकार को चाहिये कि जिस प्रकार सोवियत सरकार ने हमारी तीव्र निन्दा की है, उसी प्रकार सरकार भी करे। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमें भी आकाशवाणी पर बोलने का समान अवसर दिया जाएगा क्योंकि आकाशवाणी पर तो सरकार का एकाधिकार है ? चाहे आकाशवाणी स्वायत्त संस्था है या नहीं, हमें आकाशवाणी पर बोलने का समान अवसर दिया जाना चाहिये ताकि हम सोवियत संघ की उसी प्रकार निन्दा कर सकें जिस प्रकार उन्होंने हमारी की है।

श्री स० मो० बनर्जी : आप 'वायस आफ अमेरिका' का प्रयोग क्यों नहीं करते ;

श्री दिनेश सिंह : जहां तक सादगी का सम्बन्ध है, मेरे विचार में सदन ने सादगी का कोई उदाहरण नहीं देखा होगा जो कि माननीय सदस्य ने अपने हाव-भाव द्वारा प्रदर्शित किया है।

जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, वे स्पष्ट है। विदेशी रेडियो हमारे राजनीतिक दलों और व्यक्ति विशेष के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। मैंने सदन तक और समस्त सदस्यों तक यह बात पहुँचाने की कोशिश की है कि हमने सोवियत सरकार का ध्यान उनके रेडियो द्वारा प्रसारित प्रचार के परिणाम-स्वरूप सदन में हुई प्रतिक्रिया की ओर दिलाया है। मेरी निजी धारणा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

जहां तक आलोचनात्मक उल्लेखों का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को कुछ विशेष आलोचनात्मक टिप्पणियां दिखा सकता हूं जो यूरोपीय देशों में तथा समाचार पत्रों में मेरे साथियों और हमारे दल के सदस्यों के विरुद्ध की गई हैं। आप तो उनकी मित्रता का दावा करते हैं। अतः मुझे आशा है कि आप उन देशों पर यह जोर डालेंगे कि भविष्य में वे देश ऐसा न करें।

श्री पीलु मोडी : क्या आप मुझे आकाशवाणी पर बोलने का अवसर देंगे ? माननीय मन्त्री अपने पीछे बैठे सहयोगियों से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री दिनेश सिंह : पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही 'न' में दे दिया है।

श्री पीलु मोडी : क्यों दिया है ? क्योंकि आप कायर हैं, सोवियत संघ की उंगलियों पर नाचते हैं, उनके खुशामदी हैं। **(व्यवधान)**

श्री वी० कृष्णमूर्ति : खेद की बात है कि विदेशी रेडियो द्वारा हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में सरकार का रवैया बड़ा ढ़ीला है। यदि चीन या पाकिस्तान ने ऐसी आलोचना की होती तो हम समझ सकते थे। यह एक अलग मामला है। किसी भी विदेशी संगठन द्वारा हमारे दल का प्रचार करना उसकी आर्थिक सहायता या उसका खुला समर्थन करने के समान है और किसी दल की आलोचना करना उसका विरोध करने के समान है। हालांकि रूस को हमारा मित्र कहा जाता है फिर भी मास्को रेडियो द्वारा हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के विरोध में सदन में बार-बार आवाज उठाई गई है। मुझे समझ नहीं आता कि माननीय मंत्री कार्रवाई क्यों नहीं करते ? क्या वे रूसी उस्तादों से डरते हैं ? इस मामले में उन्हें किसी से नहीं डरना चाहिए। चाहे रूसी रेडियो हो अथवा अमरीकी रेडियो, उन्हें हमारे देश के राजनीतिक दलों की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री साहस कर के कम से कम सोवियत सरकार को इस आधार पर निन्दा या भर्त्सना करेंगे कि उस सरकार ने मास्को रेडियो द्वारा हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध या रोक नहीं लगाई।

श्री म० ला० सोंधी : यह भारत की आवाज है।

श्री दिनेश सिंह : जब यहां मालिक और सेवक जैसे गैर-जिम्मेदार शब्दों का सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है तो हम बाहरवालों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वे जिम्मेदार रहें या हमारे मामलों की आलोचना न करें ?

डा० रामसुभग सिंह : वे कहते हैं कि माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न उठाया था। गैर-जिम्मेदार हैं क्या उन्हें इस पर निर्णय करने का अधिकार है ? इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार आपको है कि किसी सदस्य द्वारा दिया गया वक्तव्य गैर-जिम्मेदार है या नहीं।

श्री रंगा : पता नहीं कि आप कैसे बर्ताव करते हैं। आप अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। आपको निर्णय करना चाहिए कि किसी सदस्य ने अनुत्तरदायित्वपूर्ण बर्ताव किया है या नहीं। **(व्यवधान)** ऐसे अध्यक्ष से क्या लाभ है अगर वे यह पता लगाने को तैयार नहीं होते कि असली गलती कहां है ? अगर वे हमे दोष देते हैं, तो उन्हें वैसे ही हिम्मत से, तटस्थता से उन्हें भी दोष देने के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने आपको इस प्रकार अपना कर्तव्य निभाते हुए नहीं देखा। इससे हम बहुत दुखी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष से उलझना बहुत पसंद करते हैं। मैं उन्हें उत्तर देने के लिए कैसे जोर दे सकता हू ? **(व्यवधान)** मैं किसी मंत्री पर उत्तर देने के लिए जोर नहीं दे सकता।

श्री रंगा : वे गैर-जिम्मेदार आदमी हैं।

एक माननीय सदस्य : रूसवालों के खुशामदी हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस सारे शोरगुल में मैं कुछ नहीं समझ सकता।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : क्या 'रूस के मालिक' शब्द असंसदीय है ? वे यह कैसे कह सकते हैं कि मैं गैर-जिम्मेदार आदमी हूँ ? गैर जिम्मेदार वे ही हैं।

श्री म० ला० सोंधी : कृपया उनसे वह शब्द वापस लेने को कहिए। उन्हें इस शब्द के प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं तो मैं कुछ भी समझ नहीं सकता।

श्री म० ला० सोंधी : उनकी विदेश नीति का क्या रिकार्ड है ? पराजयों की एक लंबी सूची है।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के विषय के सम्बन्ध में, मैंने और अपने सहयोगी ने कहा कि कई देशों के रेडियो द्वारा कुछ आलोचनात्मक बातें कही जाती हैं। इसके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

श्री बलराज मधोक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने अभी कहा कि विदेशी रेडियो द्वारा नाम का उल्लेख किया जाता है। पहले ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने या उनके पहले के मंत्री ने इस सदन में कहा था कि उन्होंने इसका विरोध किया है और ऐसी बातें अनुचित है इत्यादि। मगर आज मंत्री महोदय यह तर्क पेश कर रहे हैं कि विदेशी रेडियो द्वारा नाम का तो उल्लेख किया जाता है मगर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। यह उनके द्वारा दिये गए पहले वक्तव्य के एकदम विरुद्ध है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय इस बात से इनकार कर सकते हैं कि रूस रेडियो द्वारा प्रेषित सभी समाचार और समाचार पत्रों के वक्तव्य वगैरह सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और वहां विचार-स्वतन्त्र नहीं है ? अतः क्या मंत्री महोदय इस कथन से संतुष्ट है कि मास्को रेडियो प्रसारण या रेडियो पीस एन्ड प्रोग्रेस के प्रसारण पर सोवियत सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई नियन्त्रण नहीं है ?

श्री दिनेश सिंह : हमें किसी सरकार द्वारा दिये गए वक्तव्य को मानना चाहिए। हम किसी अन्य देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

Shri Randhir Singh : Really it is a matter of regret that a country like Russia which has close friendship with the entire people of India, is involved in propaganda against some parties or some sections of the population. In India communist party is not the only party. There are so many parties here. If they are wooing only one party, that means definitely there is something undesirable in thier friendship. By criticising any paty, they are actually defaming India. I would like to urge the Government to protest against it and unequivocally say that this amounts to interference in the internal affairs of the country, and they should not criticise the parties in India. Will the Government of India ask them whether they are prepared to change their policy ?

Shri Dinesh Singh : So far as the voice of the House is concerned, it reaches them. Apart from this, I have mentioned that we informed them what was considered to be appropriate. They also said that herein also the papers publish such news which may affect the friendly relations between both the countries, and some people are eagerly willing to breakup the relations. As a matter of fact, such kind of criticims appear here as well as there. We have to view this from that point.....

Shri Atal Behari Vajpayee : The question was not of printing. It was regarding the radio broadcast.

Shri Om Prakash Tyagi : It is purely a product of his imagination.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि कोई सरकारी अभिकरण ऐसा कार्य कर सकता है जैसे रेडियो मास्को कह रहा है और जैसे ही पीलूमोडी ने सूचित किया, क्या इसको हमारे रेडियो में प्रसारित किये जाने की अनुमति दी जा सकती है ? क्या दो सरकारी अभिकरणों के बीच ऐसा कोई समझौता है कि ऐसा कोई भी कार्य न किया जाए जो दो देशों के आपसी सम्बन्ध में बाधा उपस्थित करे ? आप रेडियो मास्को की पश्चिमी या अन्य देशों के रेडियो से तुलना करते हैं। क्या आपका मतलब यह है कि ये सारे रेडियो सरकारी अभिकरण हैं ? हमारा मतलब उस सरकारी रेडियो से है जिसका उपयोग इस खास बात के लिए किया जाता है। गैर-सरकारी रेडियो की आवाज से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। मगर प्रश्न यह है कि आप के अधीन भी एक सरकारी अभिकरण है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सोवियत संघ की जिसके साथ हमारा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है, किसी भी प्रकार की आलोचना को हमारी रेडियो पर अनुमति नहीं दी जाती, क्या उनके भी ध्यान में यह बात लाना आपका कर्त्तव्य नहीं है कि वे भी अपने रेडियो द्वारा हमारी आंतरिक राजनीति की आलोचना न किया करें ?

क्या सरकार इस बात की ओर रूसी सरकार का ध्यान आकर्षित करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्या ने वास्तविक मुद्दा पेश किया और कहा कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या रेडियो मास्को जो कि एक सरकारी संगठन है, ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो हमारी चिन्ता का विषय है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्या उस समय यहां उपस्थित नहीं थी जब पहले एक सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था। उस समय हमने कहा था कि मास्को रेडियो द्वारा कुछ आलोचनात्मक बातें कही गई थीं जो उच्चतम न्यायालय के कार्यों पर एक प्रकार से दोषारोपण करने वाली हैं। इसका हमने विरोध किया है। जहां तक अन्तरिम मामलों, सरकार की नीतियों आदि के बारे में कही गई बातों का सम्बन्ध है सोवियत संघ ने कहा है कि मास्को रेडियो इनकी आलोचना नहीं करता है। राजनैतिक दलों के बारे में जो आलोचनात्मक बातें कही गई हैं, हमारे विचार से, वे उस तरह की नहीं हैं जिनका विरोध करना आवश्यक हो। रेडियो पीस एन्ड प्रोग्राम के कार्यों के सम्बन्ध में सदन में कई चर्चा की गई है और मेरे सहयोगी माननीय मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में अब तक किये गये कार्यों से सदन को अवगत कराया है। हमने सोवियत सरकार को सूचित किया है कि इन आलोचनात्मक बातों में जनता के मन में गलत घटनायें पैदा होने की संभावना है और यह आपसी सम्बन्ध को सुदृढ़ करने में सहायक न होगी।

Shri S. M. Banerjee : I have not heard all the broadcasts from Radio 'Peace and Progress' because I donot listen to a foreign radio. Russia is a socialist country.

Mr. Speaker : Hon. Member need not give any explanation. He can ask question directly.

Shri S. M. Banerjee : Mr. Speaker, Sir, I am going to ask the question. After all this is question and not anything like a bullet that can be fired within no time. Russia is a socielist country.

Mr. Speaker : Who does not know that it is a socialist country ? You please ask question.

Shri S. M. Banerjee : Therefore they criticise the antesocialist elements in a more constructive way. (If they are not doing that they do not deserve to be called a socialist country. (**Interruption**). The Minister has rightly said that he would convey the feelings of the people to Soviet Union. But has it ever come to his notice that the voice of America, a Private agency (**interruption**.....), has been doing scandalous attacks on the country and its progressive measures in the name of autonomy ? If so, will the Government take any action in this regard and tell the Americans that this is an unfriendly act? (**interruptions**). Has he represented to the soviet Union about certain comments expressed in this House by those Members who according to us are reactionaries but Members of Parliament. Another thing is that it has been brought to his notice that the voice of America has in a sustained manner been propagating against progressive masures in this country which were taken against the capitalists and this system. Has it been brought to his notice and if so, what steps have been taken ?

श्री दिनेश सिंह : सरकार को सदन में कही गई बातों की ओर ध्यान देना होगा। माननीय सदस्य ने इस बात की आवश्यकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हम वायस आफ अमरीका के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं से अमरीकी सरकार को अवगत करा दें। अवश्य ही हम इस पर विचार करेंगे। मगर, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इन मामलों पर इस तरीके से विचार करें जिससे सचमुच हम दूसरों पर कुछ प्रभाव डाल सकें। अगर विदेशों में कोई ऐसी बात होती है जो देश के लिए चिन्ता का विषय है, जो हमें क्षुब्ध करती है तो अवश्य ही हम उन सरकारों से दृढ़ता से विरोध कर सकते हैं। मगर सार्वजनिक जीवन में हमारे विरुद्ध आम तौर पर जो आलोचनात्मक बातें कही जाती हैं। उससे हम बहुत अधिक उत्तेजित न हुआ करें। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा हमारे सम्बन्ध में जो बातें कही जाती हैं उनसे हमारा ऐसा दृष्टिकोण बनता जा रहा है।

न्यू विक्टोरिया काटन मिल्स, कानपुर

*1295. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू विक्टोरिया काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर में काम शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी काम पर लिये गये हैं;

(ग) कितने कर्मचारियों को अभी तक काम पर नहीं लिया गया है; और

(घ) उन्हें काम पर लेने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेशी व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) : मशीनों की मरम्मत, ओवरहाल तथा परीक्षण करने का कार्य चालू कर दिया गया है और 582 कर्मचारियों को लगाकर कुछ अनुभागों में परीक्षण के तौर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ग) तथा (घ) : ऐसा विचार है कि मिल के कार्यचालन को धीरे-धीरे बढ़ाया जायेगा और 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी काम पर लगाए जायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार ने अच्छी तरह जांच करने के बाद निर्णय लिया था कि यह मिल भारतीय वस्त्र निगम के अधीन रखी जाए। मेरे विचार से निगम ने यह अपने हाथ में ले ली है। यह भी निर्णय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए ऋण दे दे या इस पर 24 करोड़ रुपये खर्च कर दे। मगर अब मुझे पता लगा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको नामंजूर

किया है और केन्द्रीय सरकार से कहा है कि वे इसका खर्च उठायें। इसके परिणामस्वरूप मिल के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि या तो वह रकम राज्य सरकार से प्राप्त करने या मिल को चलाने के लिए अपनी ओर से राशि देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र जिसमें कहा गया है कि वे मिल की वित्तीय सहायता नहीं कर सकती, अप्रैल 10 को प्राप्त हुआ। यह मामला अब राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सम्मुख है जिनसे कहा गया है कि वे इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करें। मगर यह ठीक है कि एक बिलकुल नई परिस्थिति पैदा हो गई है क्योंकि पहले प्रबन्ध के अनुसार राज्य सरकार को कुल रकम का 49 प्रतिशत देना निश्चित किया गया था। उन्होंने पहली किश्त में 4.9 लाख रुपये दिये थे और राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 5 लाख से कुछ अधिक राशि दी थी। मगर अब जो एकदम नई स्थिति पैदा हो गई है उसे ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय वस्त्र निगम इस मामले पर विचार कर रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे खुशी है कि वस्त्र निगम इस मामले पर विचार कर रहा है, मगर यह एक बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि यह वहां काम करने वाले 4000 मजदूरों की नौकरी से सम्बन्धित है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसके लिए व्यय नहीं कर सकती तो क्या वस्त्र निगम केन्द्रीय सहायता से इस मिल को अपने हाथ में ले लेगा या केन्द्रीय, सरकार 4000 लोगों को जो गत ढाई वर्ष से रोजगार के लिए गली गली में घूम रहे हैं, रोजगार देने की बात को दृष्टि में रखते हुए, इस मिल को चलाने का काम स्वयं ले लेगी।

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा कि एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है जिससे मेरा मतलब है कि राज्य सरकार रोजगार प्रदान करने और मिल को चलाने में उतनी ही दिलचस्पी रखती है जितनी हम, और वे बराबर इस मामले में सहयोग देती रही हैं। इसमें राज्य सरकार अधिक चिन्तित है। उन्हें तकलीफ इसीलिए होती है क्योंकि वे इस मामले से सीधे संबन्धित हैं। मगर राज्य सरकार ने कहा है कि वे वित्तीय सहायता कार्य में भाग नहीं लेंगी। अतः हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़े, तो हम राज्य सरकार से परामर्श करेंगे कि वे क्यों अपने पूर्व-निर्णय से हट गई।

Shri Hukam Chand Kachwai : In reply to the original question the Minister said that the work of cleaning, repairing and overhauling of the Mill were going on. May 1, know how much time it will take to complete it and when it is expected to start functioning ? Since the financial condition of the mill is in ruin the Government propose to give financial aid to it. Will the Government accept the suggestion that the ownership of the mill should be vested in the workkers and necessary financial aid be given to them ?

Shri B. R. Bhagat : It is a new suggestion. At present there are 56,000 spindles and 1248 looms. in this mill. A larger part of these have become completely obsolete. These had to be scrapped off. About 32,000 spindles and 750 looms will be set in work. An amount of Rs.58 lakhs is necessary for its financing out of which 48 or 51 percent will be given by the state Government, the Central Government and the Textile Corporation. This scheme is now set to work. But there is some kind of difficulty in its working also. It is a different issue whether the ownership will be given to the workers. It will be considered later on, as and when necessary.

इडिक्की परियोजना

* 1296. **श्री मंगलाथुमाडम्** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इडिक्की परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब होने के कारण दक्षिणी ग्रिड में विद्युत की कमी हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केरल द्वारा अन्य पड़ोसी राज्यों को दिये गये वचनों को पूरा न कर पाने के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा ; और

(ग) केरल राज्य के अन्य विकासशील सिंचाई कार्यक्रमों में कोई बाधा उत्पन्न न होने पावे इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अद्यतन अनुसूची के अनुसार इडिक्की में 130-130 मैगावाट के तीन उत्पादन यूनिटों में से दो के चतुर्थ योजना के दौरान चालू होने की सम्भावना है, इडिक्की में तीनों यूनिटों के चालू हो जाने पर भी, दक्षिणी क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 600 मैगावट की बिजली की कमी रहेगी ।

(ख) केरल में कुछ हद तक बिजली फालतू है । यह अन्य राज्यों के साथ किसी भी लम्बी अवधि के लिए बचनबद्ध नहीं है जिससे उस करार को पूरा करने के लिए इसे कठिनाई का सामना करना पड़े ।

(ग) उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं के लिए अपेक्षित बिजली की वर्तमान मांग लगभग 20 मैगावाट की है और इससे बढ़कर 1973-74 तक 50 मैगावाट हो जाने की सम्भावना है । यह केरल में उपलब्ध बिजली से पूरी हो सकती है ।

श्री मंगलाथुमाडम् : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान 6 अप्रैल के 'हिन्दू' के सम्पादकीय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । उसमें कहा गया है : "तमाम दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिक शक्ति के आवंटन और विकासशील योजना की आवश्यकता है । मैसूर की काली-नदी एवं अन्य परियोजनाओं और आन्ध्र प्रदेश की श्रीशैलम परियोजनाओं को पूरा करने के अलावा कल्पकम के दूसरे यूनिट, और नैवेली में एक दूसरी खान बनाने में भी देरी नहीं होनी चाहिए ।"

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि वे प्रश्न पूछें ।

श्री ए० श्रीधरन : वे इसकी पृष्ठभूमि बना रहे हैं । यहां हर सदस्य ऐसा करता है ।

श्री मंगलाथुमाडम् : मैं इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ । "आन्ध्रप्रदेश को कोथागुडम ताप बिजली केन्द्र की उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ाना आवश्यक है । जब चारों राज्यों के ग्रिड आपस में प्रभावशाली ढंग से मिला दिए जाएंगे; तो आर्थिक आधार पर बिजली का उत्पादन और वितरण सम्भव हो सकेगा । अगर समय रहते आवश्यक निर्णय नहीं किया जाएगा, तो 1973-75 में दक्षिण में बिजली की बड़ी कमी होगी ।"

अध्यक्ष महोदय : वे सम्पादकीय टिप्पणी का हवाला दे सकते हैं, मगर इस प्रकार उद्धरण नहीं दे सकते ।

श्री मंगलाथुमाडम् : मैं जानना चाहता हूँ कि दक्षिणी राज्यों में विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिक राशि आवंटित करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री डा० कु० ल० राव) : यह सच है कि चौथी योजना के अन्त में देश के कई क्षेत्रों में, खासकर उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में, बिजली की कमी होगी। हम इससे पूर्णत: अवगत हैं। असल में इसी कारण से चौथी योजना में विद्युत परियोजाओं के लिए अधिक राशि दिलवाने के लिए मंत्रालय ज़ोर दे रहा है। माननीय सदस्य ने जिन परियोजनाओं के बारे में कहा है, उनमें से कुछ परियोजनाओं के निर्माण कार्य की अनुमति के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री मङ्गलाथुमाडम् : मैं जानना चाहता हूँ कि इडिक्की परियोजना का दूसरा कारखाना कब तक चालू होगा और सारे कारखानों को एक साथ चलाने में क्या कठिनाई है ?

डा० कु० ल० राव : पहले कारखाने के ठीक तरह से चालू होने में कुछ समय लगेगा। उसके बाद हर कारखाने को हर छः महीने में चालू किया जाएगा। वर्तमान योजना के अनुसार हम आशा करते हैं कि पहला कारखाना अगस्त, 1973 में चालू किया जा सकेगा और उसके बाद हर छः महीने के बाद दूसरे और तीसरे कारखाने चालू किये जाएंगे।

श्री ए० श्रीधरन : यह परियोजना भारत सरकार की अनिश्चित एवं बेतुकी नीति का शिकार है। इस परियोजना में इसीलिये विलम्ब हुआ कि वित्त मन्त्रालय ने आग्रह किया कि जिन तीन जनरेटरों की आवश्यकता है, उनमें से दो यहीं के बनाए हुए हों और सिर्फ एक जनरेटर का आयात किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण मत दीजिये।

श्री ए० श्रीधरन : मैं भाषण नहीं देता। मैं कोई असंगत बात नहीं कहता हूं। जब भी मैं कुछ बोलने के लिए उठता हूँ, आप कहते हैं "भाषण मत दीजिए।"

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित न होइये।

श्री ए० श्रीधरन : कई सदस्य कई मिनिट तक बोलते रहते हैं और आप उस समय चुप रहते हैं। जब मैं कुछ कहने लगता हूं, तो आप मुझे चुप करा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी प्रकार की भूमिका के लिए अनुमति नहीं दे सकता। आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री ए० श्रीधरन : अगर आप सुनते नहीं हैं कि मैंने क्या प्रश्न पूछा, आप कैसे निर्णय कर सकते हैं कि यह सङ्गत है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर से उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपना प्रश्न पूछें···(**व्यवधान**) अनुपूरक प्रश्नों के समय भाषण देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री ए० श्रीधरन : मन्त्री महोदय ने यह बात मान ली है कि दक्षिण में बिजली की कमी पड़ने वाली है। इस स्थिति में भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय ने जानबूझ कर जो प्रशासन सम्बन्धी विलम्ब किया, उसके कारण इस परियोजना के चालू होने में विलम्ब हुआ। अगर तीनों जनरेटरों के आयात की अनुमति दी गई होती, तो इसको बहुत पहले ही चालू किया जा सकता। मैं जानना चाहता हूँ कि वित्त मन्त्रालय ने सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय को तीनों जनरेटरों, जो परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक है, के आयात की मंजूरी दी है या वे अपने पुराने निर्णय पर अटल रहते हैं कि दो जनरेटरों का निर्माण यहीं किया जाना चाहिए ? मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट जवाब चाहता हूँ।

डा० कु० ल० राव : परियोजना के पूरे होने में विलम्ब के कई कारण हैं। इनमें एक कारण वह भी हो सकता है जो माननीय सदस्य ने कहा। मगर मुख्य कारण श्रमिक उपद्रव था।.....(व्यवधान)

श्री ए० श्रीधरन : श्रीमान् मैंने मंत्री महोदय की बात नहीं सुनी।

अध्यक्ष महोदय : जब इस प्रकार हल्ला मच जाता है तो आप दूसरों से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वे कार्यवाहियों को मानकर चलें। मुझे इस बात की खुशी है कि वे अब इस तकलीफ को समझते हैं।

डा० कु० ल० राव : यह दुर्भाग्य की बात है कि इस परियोजना के निर्माण कार्य में कुछ विलंब हुआ। हमें इस बात को मानना पड़ेगा। इसके कई कारण हैं। अब हम इसके निर्माण कार्य को तेज कर रहे हैं। जैसे माननीय सदस्य ने कहा, हम तीनों जनरेटरों के आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री तिरुमल राव : प्रश्न में "अन्य पड़ोसी राज्यों के प्रति उनके दायित्व" का जिक किया गया है। क्या सरकार की नीति यह है कि नैवेली, कल्पकम और दक्षिण भारत की अन्य केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं की अतिरिक्त बिजली का आन्ध्र, मैसूर और केरल में वितरण किया जाए?

डा० कु० ल० राव : मैसूर और केरल में अतिरिक्त बिजली पैदा की जाती है। असम में मैसूर और केरल तमिलनाडु को बिजली देते हैं। अब एक आम सिद्धांत स्वीकृत किया गया है बिजली का उत्पादन इस ढंग से किया जाए ताकि सारे पड़ोसी राज्यों के काम आ सके।

श्री वासुदेवन नायर : मेरे माननीय मित्र श्री श्रीधरन का विशिष्ट प्रश्न यह था कि क्या वित्त मंत्रालय ने तीन जेनरेटरों के आयात की मंजूरी दी है। मंत्री महोदय का जवाब है "हम इन तीनों जेनरेटरों के आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं।" मैं इस संबंध में विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है या नहीं।

डा० कु० ल० राव : हम ये तीन जेनरेटर विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं।

श्री उमानाथ : विशिष्ट उत्तर मिलना चाहिए कि वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है या नहीं।

डा० कु० ल० राव : भारत सरकार एक इकाई के रूप में काम करती है। तीनों जेनरेटर हम बाहर से प्राप्त कर रहे हैं।

श्री प० गोपालन : अध्यक्ष महोदय, इडिक्की में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार और धनराशि के दुरुपयोग का गंभीरता आरोप लगाया गया है, और इस संबंध में और एक विशेष बात यह है कि केरल राज्य विद्युत मंडल जो कि भ्रष्टाचार के मामले में कुख्यात हो गया है, इडिक्की के निर्माणकार्य का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि हाल में भ्रष्टाचार-निरोधक विभाग द्वारा उक्त मामलों की जांच की गई थी और वे कुछ चौंकानेवाले तथ्य प्रकाश में लाये हैं और क्या निर्माण कार्य में विलंब ये सारे भ्रष्टाचार और धनराशि के दुरुपयोग के कारण हुआ था? क्या इडिक्की परियोजना के निर्माण में इससे बाध्य पड़ी है? क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इन सभी मामलों की जांच कराने का आदर्श देगी। ताकि निर्माणकार्य में बाधा पड़ने की नौबत न आये।

डा० कु० ल० राव : मुझे भ्रष्टाचार के किसी मामले की जानकारी नहीं है। केवल सरकार

द्वारा इस परियोजना का सुचारु रूप से संचालन किया जा रहा है। मैंने अभी तक किसी भी भ्रष्टाचार की बात नहीं सुनी है। यदि माननीय सदस्य किसी खास मामले को मेरे ध्यान में लायेंगे तो मैं उस पर ध्यान दूंगा।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

चाय-गोदामों में हड़ताल

†

25. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हड़ताल के कारण गोदामों में बड़ी मात्रा में चाय इकट्ठी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले को सुलझाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेशी व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार वर्तमान गतिरोध को सुलझाने के लिए प्रयत्न कर रही है। केन्द्रीय वेयर हाउसिंग निगम, कलकत्ता स्थित लोक गोदामों को मैसर्स वात्मेर लारी एंड कम्पनी लि० से अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

श्रीमती इला पालचौधरी : इस बात को दृष्टिगत रखते हुये कि पिछले कुछ महीनों से माल-गोदामों में हड़ताल चल रही है और लगभग 15 करोड़ रुपये के मूल्य की चाय वहां से उठाई नहीं गई मैं यह जानना चाहती हूँ कि सरकार इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? मजदूरों ने किस कारणवश हड़ताल की है और क्या उनकी शिकायतें दूर की जा सकती है ? दूसरे क्या कुछ उत्पादक जिनकी पूंजी रुकी पड़ी है वे भारी उत्पादन शुल्क तथा हड़ताल के कारण अपने बागान को बन्द करने की सोच रहे हैं ? तीसरे, 4,62,000 टन चाय गोदामों में निर्यात के लिए रुकी पड़ी है। यह आसाम के जिले दार्जीलिंग की चाय है। यदि इसे समय से निर्यात न किया गया तो इसकी महक खत्म हो जाएगी। परिणामतः हमें विश्व मन्डो में इसका उतना मूल्य न प्राप्त हो सकेगा जितना कि पहले निर्यात करने से हो सकता है। चाय की बिक्री के लिए देहली अथवा गोहाटी को केन्द्र बनाया गया तो कलकत्ता बन्दरगाह के व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कलकत्ता एक परम्परागत स्थान है जहां शुरू से चाय खरीदी बेंची जाती रही है। मैं आशा करती हूं कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ दृढ़ आश्वासन देंगे और मेरे प्रश्नों का पृथक से उत्तर देंगें।

श्री ब० रा० भगत : दुर्भाग्यवश माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए सभी प्रश्न ठीक हैं। जनवरी से हड़ताल 'काम धीरे करो' ने अप्रैल में आकर पूर्ण हड़ताल का रूप धारण कर लिया और

इस समस्या के निराकरण के लिए अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार तथा कार्मिक संघ में चार बैठकें भी हो चुकी हैं, बलमेर लौरी तथा कमिश्नर पोर्ट के प्रतिनिधियों से बातचीत के बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकला। यह भी सच है कि लगभग 5½ लाख पेटियों में, 15 या 17 करोड़ रुपये की चाय गोदामों से उठाई नहीं गई है। निर्यात की जाने वाली चाय का निर्यात न होने के कारण फरवरी मार्च के महीने में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है और निर्यात संबन्धी पूरे आंकड़ों में कमी आने का यह भी एक कारण है। वहां श्रमिकों को ठेके पर लगाया जाता है और वह स्थायी नौकरी चाहते हैं किन्तु बलमेर लौरी ग्रुप अब समाप्त हो रहा है और वह भण्डागारों को रखना नहीं चाहते ऐसी अवस्था में वह श्रमिकों को स्थायी नौकरी कैसे दे सकते हैं? केन्द्रीय भाण्डागार निगम इस बात की जांच कर रहा है कि क्या वह इसे अपने हाथों में ले सकता है। हमें आशा है कि ऐसी स्थिति में भी हड़ताल को दूर किया जा सकता है यदि कुछ और समय तक चाय वहां पड़ी रही तो उसकी महक खत्म हो जायेगी और उसका निर्यात मूल्य भी कम हो जाएगा परिणामतः हमें नुकसान होगा।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि गोदामों को अपने हाथ में लेने की इच्छा होने पर भी केन्द्रीय भाण्डागार निगम तीन-चार महीनों तक ऐसा नहीं कर सकता और यदि इतने समय तक हड़ताल जारी रही तो 15 करोड़ रुपये के मूल्य की चाय बिल्कुल खराब हो जाएगी। अतः कुछ न कुछ कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिये और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या करने का विचार है?...

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह भय तो बना ही हुआ है और यही कारण है हम हर सम्भव उपायों से हड़ताल समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : इस गम्भीर समस्या को, जिससे चाय के निर्यात में बाधा उत्पन्न हो गई है, हल करने के बारे में मन्त्री महोदय की शुभ आशाओं के बावजूद मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मजदूर संघ तथा भाण्डागार निगम के बीच समझौता कराने के लिए केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने क्या कार्यवाही की है? श्रमिकों की मांगें उचित है अतः उनको पूरा करके समस्या सुलझाई जाए।

श्री ब० रा० भगत : ऐसी अवस्था में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के बीच में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पश्चिम बंगाल सरकार तथा वहां के श्रमिक विभाग इस मसले को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। बलमेर लौरीग्रुप भाण्डागार रखना नहीं चाहता। अतः ठेके पर कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को तब तक स्थायी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि कुछ स्थायी पदधारी इसको अपने हाथ में न ले लें। अतः इसका निर्णय आगामी पद-धारियों द्वारा ही किया जा सकता है। केन्द्रीय भण्डागार निगम इस मामले की जांच कर रहा है और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही यह मामला निपट जाएगा।

श्री एस० एम० कृष्ण : इसमें कितने श्रमिक अन्तर्ग्रस्त हैं।

श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है, इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

Shri Shiv Charan Lal : May I know whether the hon. Minister will look into the matter as to why the labourers working in the warehouse located at Tundla, which belongs to the Calcutta tea factory, are not made permenent although they have requested the manager of the

said Warehouse so many times in this regard but the said manager is adopting an attitude of victimization and the labourers are retrenched from service after every three months.

Mr. Speaker : How does it arise out of this. The question is about strike.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, the demands of the labourers are reasonable. They want that they should be employed on permanent basis so that they may have feeling that their employment is secure. Such labourers are in a large number. I want to know whether the Government will guarantee that these labourers will be employed on permanent basis in order to avoid the present loss ? Secondly, I wish to know the amount of loss in foreign exchange. Keeping this in view what shall be the ratio of payments to be made by the Government and by the company ? Is the Government willing to bring pressure on the company in this regard as you are introducing a bill to put an end to contract labour and this is the reason of their strike also. Their demand is fair and just and should be considered. May I know what steps are being taken by the Government in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : I agree that they should be employed on permanent basis and their demands are fair and just but those who are running the warehouses, their contract is expiring by 30th of this month. When they themselves are leaving who is there to do so.

Shri Hukam Chand Kachwai : You should employ them on permanent basis.

Shri B. R. Bhagat : If Central Government takes over this only then we can think of employing labourers on permanent basis but the present problem is how to resolve the strike. Had we exported half of the tea out of the tea worth 17 crores of rupees in the months of February and March the loss would have been of about 8 to 10 crores, just half of it.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : निर्यात में कमी होती रही है और सरकार इसे रोकने में असमर्थ है यह कैसी विवशता है मेरी समझ में कुछ नहीं आता यदि बलमेर लौरी कम्पनी श्रमिकों की उचित मांगों को स्वीकार नहीं करती तो सरकार उन्हें निकाल बाहर कर सकती है । विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां सरकार पर ऐसा प्रतिबन्ध हो । अतः सरकार बलमेर लौरी कम्पनी को हटाने के लिए, तथा किसी अन्य कम्पनी को पदस्थ करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है । ताकि श्रमिकों की उचित मांगें भी पूरी हो जाए और निर्यात भी पुनः शुरू हो जाए ।

श्री ब० रा० भगत : वस्तुतः यही सब कुछ तो किया जा रहा था अब वे स्वयं ही अपना काम समाप्त कर रहे हैं । उन्होंने नोटिस दे दिया है कि 30 अप्रैल के बाद वह काम नहीं करेंगे । हम भी यह कोशिश कर रहे हैं कि केन्द्रीय भण्डागार निगम इसे अपने हाथ में स्थायी रूप से ले ले जहां तक श्रमिकों को नौकरी देने का प्रश्न है उन्हें स्थायी रूप से नौकरी दी जानी चाहिये । किन्तु जब तक ऐसा नहीं होता इसकी गारन्टी कौन देगा इस बीच यह हड़ताल जारी है पहले तो यह धीरे काम करने से शुरू हुई और बाद में इसने पूर्ण हड़ताल का रूप धारण कर लिया । चाय के कारण 17 करोड़ रुपये के नुकसान होने का भय बना हुआ है जिसमें से 8 या 10 करोड़ रुपये की हानि हम पहले से ही उठा चुके हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोरी फिल्मों के आयात पर रोक हटाना और उन पर शुल्क में कमी करना

1292. **श्री गाडिलिंगन गोड** : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'भारतीय फिल्म उद्योग का स्तर ऊंचा करने के लिये प्रादेशिक भाषाओं की, विशेषकर मलयालम की, फिल्मों का योगदान, विषय पर आयोजित एक गोष्ठी में कोरी फिल्मों के आयात पर से रोक हटाने तथा उन पर शुल्क में कमी करने की मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की कितनी फिल्में विदेशों को निर्यात की गई ; और

(घ) प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के विचार से इन फिल्मों का स्तर ऊंचा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) : दि केरल दर्पण सोसाइटी आफ दिल्ली ने दिल्ली में 14 फरवरी, 1970 को "हिन्दीतर भारतीय भाषाओं में फिल्मों की समस्याओं तथा सम्भाव्यताओं" पर एक गोष्ठी आयोजित की। सोसाइटी के अध्यक्ष से ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया गया है जिन पर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा उनके प्राप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) स्वस्थ आधार पर फिल्मों के विकास को प्रोत्साहन देने तथा हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में फिल्मों का स्तर ऊंचा करने के लिये सरकार ने फिल्म वित्त निगम लि०, बम्बई की स्थापना की है और फिल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार रखे हैं। निगम निर्माताओं को अच्छी किस्म की फिल्में तैयार करने के लिये ऋण देता है। हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों के निर्यात को बढ़ाने के लिये किये गये उपायों में से कुछ ये हैं : अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सप्ताहों में भाग लेने के लिये सुविधाएं, विदेशों में भारतीय फिल्म सप्ताह आयोजित करना, मलयेशिया तथा सिंगापुर में सघन निर्यात प्रयास के लिये प्रमुख निर्माताओं का एक सार्थ संघ बनाना, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा एक उपशीर्षक संयंत्र की स्थापना तथा फिल्मों के निर्यात के आधार पर आयात प्रतिपूर्ति देना।

खेल-कूद के सामान का निर्यात

*1294. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1970-71 में खेल-कूद के सामान का निर्यात बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावों की मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में वस्तुवार कुल कितना निर्यात हुआ है ; और

(घ) 1970-71 में यह सामान किन-किन देशों को निर्यात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) : खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद् ने, जो खेल-कूद के सामान के निर्यातों को आयोजित करने तथा बढ़ाने के लिये एक अभिकरण है, वर्ष 1970-71 के लिये निर्यातों का 2 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्यातों को बढ़ाने के लिये प्रस्थापनाएं तैयार की जा रही हैं।

(ग) तथा (घ) : विगत तीन वर्षों में खेल-कूद के सामान के सम्बन्ध में वस्तुवार निर्यात

निष्पादन दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3341/70**] खेल-कूद के सामान के लिये प्रमुख बाजार ये हैं : ब्रिटेन, मलयेशिया, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, प० यूरोपीय देश, पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीकी देश।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

1297. **श्री सुमर गुह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्यधिक अत्याचार किए जाने और उनके भारत में आने के संबंध में सरकार ने भारत स्थित पाकिस्तान उच्च आयुक्त को और ढाका तथा रावलपिंडी में पाकिस्तान सरकार के प्राधिकारियों के पास कोई विरोध-पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो विरोध-पत्रों में क्या लिखा था और उनके संबंध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जाने और उनके योजनाबद्ध तरीके से निकाले जाने के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय राय बनाने के लिए सरकार ने कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सरकार इस बात से अवगत है कि पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जीवन, प्रतिष्ठ और संपत्ति असुरक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारत में प्रवजन करना पड़ता है। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या काफी बढ़ गई है। पिछले तीन महीनों में प्रतिमास पूर्व पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आने वाले लोगों की संख्या लगभग 6,000 तक पहुंच गई है। इससे बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

हम पाकिस्तान से संपर्क बनाए हुए हैं और अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कौन से आगे कदम उठाए जाएं, जिससे पूर्व पाकिस्तान अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में पुनः विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए पाकिस्तान सरकार राजी हो जाए।

मैसेर्स कोका कोला निर्यात निगम द्वारा इन्सटैन्ट चाय का निर्माण

*1298. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम को देश में 'इन्सटैन्ट' चाय बनाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की मुख्य बातें क्या हैं और उक्त निगम के निदेशकों के नाम तथा पते क्या हैं ;

(ग) जब कि सरकार की सामान्य नीति यह है कि उपभोक्ता तथा गैर-आवश्यक उद्योगों में विदेशी सहयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, तो इसके विपरीत इस सहयोग को अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रकार से अन्य किन उद्योगों को लाइसेंस दिये जाने का विचार है तथा ये लाइसेंस कब दिये जायेंगे ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) : चाय की हरी पत्ती से पेय आधार और सांद्रण तैयार करने के लिये एक कारखाना, जिसकी क्षमता अन्ततोगत्वा 25 लाख पौंड होगी; तमिलनाडु के अन्नामली में स्थापित करने की मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम की योजना को निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित कर दिया गया है :

(1) समस्त उत्पादन का निर्यात किया जायेगा। इसका अनुपालन करने के लिये कम्पनी ऐसे प्रबन्ध करेगी जो सरकार द्वारा विहित किया जाये।

(2) कच्चे माल के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) मशीनों तथा संघटकों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा नहीं दी जायेगी।

(4) योजना के अन्तर्गत चाय की पत्ती से तैयार करके निर्यात किये गये आधार तथा सांद्रणों सम्बन्धी कार्य के विषय में कम्पनी अलग-अलग हिसाब रखेगी ताकि निर्यातित माल के सही मूल्यांकन के विषय में प्राधिकारी अपना समाधान कर सकें।

भारत का कोका कोला निर्यात निगम न्यूयार्क के कोका कोला निर्यात निगम की एक शाखा है। न्यूयार्क के निगम के निदेशक ये हैं :

1. श्री जेम्स ए० फार्ले, अध्यक्ष।
2. श्री जे० पौल आस्टिन।
3. श्री टी० एच० चौअटे।
4. श्री यूजीन केली।
5. श्री जे० ए० सिप्ले।
6. श्री जे० आर० टेले।
7. श्री ली० टेले।
8. श्री डो० ए० टर्नर।
9. श्री जी० डब्ल्यू० बुडरूफ।
10. श्री आर० डब्ल्यू० बुडरूफ।

515, मैडिसन एवेन्यू, न्यूयार्क।

(ग) विदेशी सहयोग के लिये विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार 'उत्पादन के निम्न प्राथमिकता वाले या अनावश्यक क्षेत्रों के विषय में, जहां विदेशी सहयोग की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती, ऐसी स्थिति में छूट दी जा सकती है जब कि विदेशी सहयोगी अपने उत्पादन के अधिकांश को निर्यात के लिये रक्षित करने का वचन देता है क्योंकि योजना के अनुमोदन की शर्तों में एक शर्त यह थी कि समस्त उत्पादन का निर्यात किया जायेगा, अतः इस योजना का अनुमोदन सरकार की नीति के विपरीत नहीं था।

(घ) यदि और जब कोई प्रस्थापनाएं प्राप्त होंगी तो उन पर उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

काफी का निर्यात

*1299. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी की प्रति व्यक्ति बढ़ी हुई खपत को ध्यान में रखते हुए क्या हमारा देश विदेशों में, विशेषतः ब्रिटेन में, काफी की मांग को पूरा कर पायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार काफी उत्पादन उद्योग को क्या प्रोत्साहन देने का विचार कर ही है जिससे कि विश्व की मंडियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसकी किस्म में सुधार किया जा सके और निर्यात क्षमता बढ़ायी जा सके ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। विदेशों में, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, काफी की बढ़ी हुई मांग को, परम्परागत बाजारों (कोटे वाले देशों) के लिये, जिनमें ब्रिटिश बाजार भी शामिल है, अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार के अन्तर्गत निर्यातों की अधिकतम सीमा के अन्दर यथासंभव परिमाण तक ही पूरा किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

योरूपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के सम्मिलित होने का भारत के व्यापार पर प्रभाव

*1300. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरूपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के सम्मिलित होने और पश्चिम योरूप के देशों के साथ भारत के व्यापार में निरन्तर असुन्तलन रहने से उत्पन्न समस्याओं पर योरुपीय आर्थिक समुदाय आयोग के अध्यक्ष तथा भारतीय मंत्रियों और अधिकारियों के बीच हाल ही में नई दिल्ली में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय लिए गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) **तथा** (ख) : यूरोपीय समुदायों के आयोग के अध्यक्ष श्री जीनरे जापान से यूरोप को लौटते समय 31 मार्च से 3 अप्रैल, 1970 के बीच दिल्ली ठहरे थे। दिल्ली में उनके ठहरने के दौरान उनके साथ उन विभिन्न उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के निरन्तर व्यापार असन्तुलन को ठीक करने के लिए किए जा सकते हैं तथा ब्रिटेन द्वारा समुदाय से पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के आवेदन पर उसके साथ बातचीत के लिए सम्भाव्य समय-सारणी पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

क्यूबा से व्यापार

*1301. **श्री नवल किशोर शर्मा :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री मयाबन :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्यूबा सरकार का विचार भारत से बड़ी संख्या में मशीनों, रेल पटरियां, मालडिब्बों आदि का आयात करने का है ;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) क्या क्यूबा के साथ व्यापार आरम्भ करने में कोई कठिनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) क्यूबा सरकार से भारतीय मशीनों और रेलवे के सामान आयात के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) क्यूबा के साथ व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

Improvement in Kit Supplied to Jawans

*1302. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it s a fact that for the last 40 years, no improvement has been made in the kit, which an Indian Jawan carries on his back as it is heavy in weight, it takes longer time in removing and tying and it pinches the body;

(b) if so, the action being taken to effect improvements in the kit ;

(c) whethr it is also a fact that the American kit is the best and the Pakistani kit is also much better than the Indian kit ; and

(d) if so whether Government propose to effect improvements in the kit keeping in view the standard of kit used in various countries ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir. The last improved version of the standard kit was introducedin 1965. The kit now in service in the Indian Army is neither unduly heavy and cumbersome nor uncomfortable.

(b) and (d) : Steps are, nevertheless being taken to introduce a still lighter version of the standard kit.

(c) No, Sir.

ऊन उद्योग के रद्दी ऊन वाले क्षेत्र के लिये दिये जाने वाले आयात कोटे में कमी

*** 1303. श्री हरदयाल देवगुण :**

श्री जय सिंह : श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊन उद्योग में रद्दी ऊन के क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले आयात कोटे में भारी कमी कर दी गई है जब कि ऊन उद्योग के लिये कच्चे माल के आयात का कुल कोटा वही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोटे को पहले के बराबर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : अक्तूबर, 1969 से सितम्बर, 1970 के बीच शाडी क्षेत्र के लिए 150 लाख रु० का आबंटन किया गया है जिसमें राज्य व्यापार निगम के लिए 30 लाख रु० का विशेष कोटा शामिल है । कर्तकों द्वारा बुनकरों को उनके बीच हुए करार के अनुसार धागा न दिया जाने के फलस्वरूप, उद्योग

को आबंटित किए गए कोटे का उपयोग होने के कारण विगत अवधि अर्थात् अक्तूबर, 1968 से सितम्बर, 1969 के अबंटन को आगे अन्तरित करना पड़ा।

निर्यात में विविधता लाना

* 1304. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल के विश्व व्यापार विभाग द्वारा हाल में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि देश के निर्यात में अब तक जो विविधता लाई गई है वह बहुत कम है तथा अभी विविधता की बहुत अधिक गुंजायश है ;

(ख) क्या उक्त सर्वेक्षण के अनुसार परम्परागत उत्पादों में से पटसन के माल में, सूती कपड़ों में और चाय में बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाने की क्षमता विद्यमान है अथवा इनके निर्यात की क्षमता बढ़ायी जा सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो इन परम्परागत उत्पादों के निर्यात में उत्तरोत्तर कमी होने के क्या कारण हैं और निर्यात में विविधता प्राप्त करने की जो गुंजाइश है उसका लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : सरकार ने निर्दिष्ट प्रतिवेदन की एक प्रति मांगी है। प्रतिवेदन में दी गई विशिष्ट सिफारिशों पर प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा।

भारत-पाकिस्तान सीमांकन के बारे में प्रगति

* 1305. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच सीमांकन की प्रगति के बारे में विचार करने के लिए भारत-पाकिस्तान के अधिकारियों की ढाका में वार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को इस बात से सूचित किया है कि जब तक बेरुवाड़ी क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया जाता वह इस मामले में सहयोग नहीं देगा ; और

(ग) यदि हां, तो बैठक में पाकिस्तान के ऐसे रवैये के प्रति भारतीय दल की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां, 30 और 31 मार्च 1970 को।

(ख) पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने पश्चिम बंगाल पूर्व पाकिस्तान सीमा के कुछ क्षेत्रों के सीमांकन कार्य में सहयोग देने से तब तक के लिए इनकार कर दिया है, जब तक बेरुवारी क्षेत्र का सीमांकन कार्य पूरा नहीं हो जाता।

(ग) जैसा कि भारतीय दल ने पहले कई बार पाकिस्तानी प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह बतला दिया है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय, जिसके समक्ष अभी मामला विचाराधीन है,

बेरुवारी क्षेत्र में सीमांकन-कार्य पर लगाया गया व्यादेश-प्रतिबन्ध हटा नहीं लेता, इस क्षेत्र में सीमांकन-कार्य संभव नहीं है।

कपड़े की नियंत्रित किस्मों के मूल्यों में वृद्धि की मांग

*** 1306. श्री हिम्मतसिंहका : श्री देवराव पाटिल :**

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ (इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन) ने हाल ही में कपड़े के नियंत्रित किस्मों के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो मांग किस प्रकार की है ;

(ग) क्या उक्त मामले को, राय जानने के लिये कपड़ा आयुक्त को सौंपा गया है और यदि हां, तो इस बारे में व्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) : हाल ही में भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने रूई, मजूरी, भंडारों, बिजली, ईंधन, कोयले और रंजक तथा रसायन-सामग्री के मूल्यों में वृद्धि तथा ब्याज की दर और ऊपरी खर्च बढ़ जाने के फलस्वरूप नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि के लिए अनुरोध किया है।

(ग) वस्त्र आयुक्त को भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ के अभ्यावेदन में कही गई बातों की जांच करने के लिए कहा गया है और उसकी टिप्पणी प्रतीक्षित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

Resumption of Trade in Jute with Pakistan

*1307. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the **Minister of Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan Jute Association has made a demand in their Tenth Annual Conference, held in Dacca on the 10th March, 1970 that the trade in jute should be started with India ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) It is learnt that at a meeting of the Pakistan Jute Association held in Dacca on 10th March, 1970, the Vice Chairman had remarked that Pakistan should be allowed to trade with neighbouring countries, without making any direct reference to resumption of trade with India.

(b) The ban on trade with Pakistan was unilaterally lifted by India in May, 1966, but the Government of Pakistan have not reciprocated this gesture so far. Resumption of trade between the two countries is thus entirely dependent on the attitude of the Government of Pakistan.

कम्बोडिया में 'सीटो' का हस्तक्षेप

* 1308. **श्री बेदब्रत बरुआ :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि सीटो कम्बोडिया में हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार को कम्बोडिया की नई सरकार अथवा प्रिंस नरोडेम सिहानुक से कोई संदेश प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या सरकार ने सभी सम्बद्ध पक्षों के प्रति अपनी धारणा स्पष्ट बना ली है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार ने अखबारों में इस तरह की खबरें देखी हैं कि फिलिपिन्स में 'सीटो' के सैनिक सलाहकारों की जो बैठक हो रही हैं उसमें उन्होंने जरूरत पड़ने पर कम्बोडिया में कार्यवाई करने की योजनाएं बना ली हैं ।

(ख) जी नहीं । इस बारे में कोई नहीं ।

(ग) सरकार ने अपना यह रुख स्पष्ट कर दिया है कि कम्बोडिया के लोगों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी समस्याएं स्वयं निबटाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए ।

प्रत्यर्पण करार के बारे में मलयेशिया से बातचीत

* 1309. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मलयेशिया सरकारों के अधिकारियों ने फरवरी, 1970 में क्वालालम्पुर में हुई अपनी बैठक में प्रत्यर्पण सम्बन्धी करार पर विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : फरवरी 1970 में, कुआला लम्पुर में भारत और मलयेशिया के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से प्रत्यर्पण के प्रबन्धों को क्रियान्वित करने का विचार है । जैसे ही, इन पत्रों का आदान-प्रदान हो जायेगा, इस प्रबन्ध को कार्य रूप देने के लिए भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के अधीन आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी ।

Export of Flowers

*1310. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the **Minister of Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value of flowers exported by India at present, country-wise ;

(b) whether Government propose to appoint a Commission to suggest the means for production of good flowers grown in the various States and the facilities in respect of export thereof with a view to promote the export of flowers; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a)

Country	Value in '000'Rs.	
	1968-69	1969-70 (upto January, 1970)
France	—	7
German Fed. Rep.	—	23

Ghana	2	—
Japan	—	7
Others	2	2
Total	4	39

(b) and (c) Since the existing States and Union Government Organisations like the Indian Agricultural Research Institute have already undertaken research on the production of exportable varieties of roses and other flowers and also the Horticulture Development Council looks into the problems of export of fresh flowers, the need for constituting a Commission to suggest the means for the production of good flowers and facilities in respect of export thereof , is not felt.

कोलम्बिया का व्यापार तथा आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल

1311. **श्री चेंगलराया नायडु :** **श्री रा० बरूआ :**
श्री बाल्मीकी चौधरी

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1970 में कोलम्बिया के आठ सदस्यों के व्यापार तथा आर्थिक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिनिधिमंडल के साथ किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था ;

(ग) क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत के अन्त में जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी जाती है [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3342/70**] । संयुक्त वक्तव्य से पता चलेगा कि दोनों देशों के बीच एक व्यापार करार करने का विचार है और ऐसे एक करार का संयुक्त मसौदा तैयार कर लिया गया है । दोनों देशों के बीच जहाजरानी सुविधाओं को सुधारने के लिए संयुक्त अध्ययन करने तथा लघु उद्योगों और संयुक्त उद्यमों के क्षेत्रों में सहयोग के व्यावहारिक पहलुओं की जांच करने की भी प्रस्थापना है ।

Import of Arms into India from Private Firms in Foreign Countries

*1312. **Shri Deven Sen** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering the question of revising their policy in regard to the arms being exported to India by the private firms in foreign countries ;

(b) whether it is also a fact that the arms supplied by the foreign private firms to the Indian Air Force in 1952 and 1962 were of the inferior quality and that the Indian Air Force

had urged upon Government to reconsider their policy regarding private agencies in arms imports ; and

(c) if so, whether Government propose to renew the agreement concluded under the said policy which has now lapsed ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a), (b) **and** (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

It is the general policy of Government to purchase Defence stores, the import of which is inescapable, on a Government to Government basis or from the original manufacturers. Where tems of equipment and spares cannot be so procured, they are obtained directly from well established firms. In very rare cases as a last resort, when no other, source is available, procurement may be made from stockists. In all cases stores are accepted only after proper inspection. I.A.F. have not urged the Government to reconsider its present policy in arms imports.

2. As a result of the situation created by the imposition in 1965 of embargoes by a number of western countries on the export of arms and ammunition and other vital Defence stores to India a special arrangement was made with two parties for the procurement of spares for a transport aircraft. Supplies accepted were not sub standard or of inferior quality. The arrangement for the procurement of the spares with these two parties lapsed on January 31, 1970. A review of the need for the continuance of such an arrangement has been made recently and it is proposed not to renew the agreement with these two parties.

सेना अधिकारियों द्वारा सेना के 'जवानों" की सेवाओं का घरेलू कामों के लिए उपयोग

1313. **राम अवतार शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय सेना अधिकारियों द्वारा सेना के जवानों से अर्दली और रसोइया तथा घरेलू नौकर का काम कराया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने उन 'जवानों' की संख्या का पता लगाने का प्रयत्न किया है जिनको ऐसे उद्देश्यों तथा फार्मों में काम करने और सेना अधिकारियों के मकानों का निर्माण करने का काम में लगाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सेना अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही इस पद्धति पर, जिससे 'जवानों' का नैतिक पतन हो रहा है, रोक लगाने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जवानों से निजी कार्य विशेषत: अधिकारियों, के घरों पर घरेलू कार्य न लिया जाए इस बारे में स्थाई आदेश विद्यमान हैं । बन आदेशों ने प्रतिलंघन सम्बन्धी शिकायतों की जाँच की जाती है और उस पर उचित कार्यवाही की जाती है ।

Settling of Silt in Canals of Kosi Canal

*1314. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that silt is settling in the canals of Kosi Canal scheme to such an extent that the irrigation capacity of the said canals is decreasing every year ;

(b) if so, whether any contacts have been established with the State Government in this regard ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether the State Government have asked for any aid from Central Government in this regard ; and

(e) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c) The silt brought down by the river Kosi has been causing heavy deposits in the Main Eastern Canal of the Kos Project. Desilting operations on an extensive scale have been taken up by the State Government.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

जापान से इस्पात का आयात

*1315. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के एक मिल-समूह से, जिसके साथ लोह अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में हाल ही में करार किया गया है, इस्पात का आयात करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्छ की रण में सीमा निर्धारित करना

*1316. **श्री जार्जफरनेंडीज** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निदेशानुसार कच्छ की रण में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब पूरा हुआ था ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का अन्तिम रूप से विघटन कर दिया गया है ; और

(घ) सरकार ने इस न्यायाधिकरण पर कुल कितना व्यय किया ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 4 जुलाई, 1969

(ग) जी हां ।

(घ) भारत-पाकिस्तान पश्चिम सीमा मामला न्यायाधिकरण में भारत की 12,68,624 रुपये की धनराशि खर्च हुई है । भारत के प्रतिनिधि मंडलों पर खर्च, जिसमें कानूनी सलाह आदि का खर्च भी शामिल है, करीब 19 लाख रुपये हैं ।

भारत-बर्मा सीमा के मोरेह टाउन पर बर्मा का दावा

*1317 **श्री यशपाल सिंह :** **श्री हेम बरूआ :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने दावा किया है कि भारत बर्मा सीमा पर स्थित मोरेह नामक कस्बा उनका है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में बर्मा सरकार से कोई पत्र-व्यवहार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। मणिपुर क्षेत्र में संयुक्त सीमांकन कार्य, कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो गया है। अब 7 सीमा स्तम्भों की ठीक-ठीक स्थिति के प्रश्न पर आगे बातचीत करना बाकी है, जिनमें एक मणिपुर में मोरेह शहर के निकट है, इनकी स्थितियों के संबन्ध में तकनीकी स्तर पर कुछ छोटे मतभेद हैं।

(ग) यह मामला अभी तक बर्मा के महा सर्वेक्षक के साथ तकनीकी स्तर पर पत्राचार का विषय रहा है।

(घ) संयुक्त सीमा आयोग इस मामले पर विचार करेगा, जिसकी बैठक अगले महीने रंगून में होने वाली है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा एक मर्सीडीज़ कार की बिक्री

*1318 **श्री लोबो प्रभू :** क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 1970 के "टाइम्स आफ इंडिया में" 2.16 लाख रुपए में बेची गयी मर्सीडीज़" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह व्यक्ति जिसने कार खरीदी थी, आयातित कारों का व्यापारी है ;

(ग) यदि हां, तो वह कार राज्य व्यापार निगम से किस व्यक्ति के लिए खरीदी गई है और सरकार ने उस व्यक्ति के आय के साधनों की जांच क्यों नहीं की है ;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ऐसी बिक्री द्वारा काले धन को छिपाने में सहायता करता है ; और

(ङ) ऐसी कारें सार्वजनिक संस्थाओं अथवा अन्य निकायों को, जिनके लेखों के बारे में कोई शंका नहीं है, क्यों नहीं बेची जाती हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : राज्य व्यापार निगम द्वारा नीलामियों में सब से अधिक बोली लगाने वाले को बिक्री की जाती हैं और राज्य व्यापार निगम नहीं देखता कि कारें किस प्रयोजन के लिए खरीदी जाती हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित कारों की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार की जाती हैं। कारें खुली नीलामी द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेची जाती हैं।

कलकत्ता की समस्याएं

*1319. **श्री वेण शंकर शर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता निगम के मेयर, डिप्टी मेयर तथा पश्चिम बंगाल के अन्य नेता कलकत्ता समस्या के बारे में योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्यों से मिले थे;

(ख) उन्होंने क्या समस्याएं बताईं तथा क्या विचार व्यक्त किये; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान-मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री और योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) उन्होंने संक्षिप्त रूप में कलकत्ता नगर की वर्तमान समस्याओं का उल्लेख किया और निम्न सुझाव दिये—

(i) कलकत्ता नगर के लिए वर्ष 1970-71 की वार्षिक योजना के लिए नियत राशि तथा चौथी पंचवर्षीय योजना की राशि में वृद्धि की जाए।

(ii) अल्प अवधि के सुधार कार्यक्रमों को शीघ्र लागू करने के लिए राशि का निर्धारण।

(iv) पुराने संयंत्रों/महीनों और सामानों को शीघ्र ही बदलने के लिए प्रतिस्थापन एवं विकास निधि की योजना।

(iv) नगर के आय साधनों में वृद्धि के लिए चुंगी कर लगाने की अनुमति

(v) नगरीय सम्पत्ति पर केन्द्र द्वारा अतिरिक्त सम्पत्ति कर लगाये जाने के कारण अनुदान की स्वीकृति।

(ग) प्रतिनिधि मंडल से अनुरोध किया गया है कि यदि वे परियोजना को प्राथमिकता दिलाना चाहते हैं तो वे राज्य सरकार से अधिक राशि नियत करने के लिए कहें। कलकत्ता महापरिषद के विकास पर किया जाने वाला सम्पूर्ण व्यय पश्चिम बंगाल की योजना सीमा के अन्तर्गत होना चाहिये किन्तु यदि पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए अधिक राशि नियत करने लिए इच्छुक हो जाए तो योजना आयोग क्षेत्र के लिए नियत राशि को पुर्नसमायोजित करने को तैयार होगा।

देश में ग्लाइडिंग एकक आरम्भ करना

*1320. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में बीस से अधिक ग्लाइडिंग एककों के अतिरिक्त कुछ और एकक आरम्भ करने का है;

(ख) क्या इन केन्द्रों को समान रूप से विभिन्न स्थानों पर रखना देश के हित में नहीं होगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार तत्काल ही उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एक केन्द्र आरंभ करने के लिए उचित कार्यवाही करने का है जो कि बड़ी संख्या में नवयुवकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : राष्ट्रीय कैडेट कोर के वायु स्कन्ध के कैडेटों को ग्लाइडिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है । निम्नलिखित 28 एककों में अब तक ग्लाइडिंग को सक्रिय बनाया गया है :—

पटना, रांची, दिल्ली, कोयम्बतूर, बंगलौर, मद्रास, कोटा, हिसार, भोपाल, बड़ौदा, लखनऊ, नागपुर, अमृतसर; जयपुर, विवेंद्रम, पूना, इंदौर, अहमदाबाद, जलन्धर और रायपुर कलकत्ता (2 एकक), मैसूर, उदयपुर, सिकन्दराबाद और पटियाला ।

इसके अतिरिक्त शीघ्र ही बेलगांव में भी ग्लाइडिंग को सक्रिय बनाया जा रहा है ।

2. हाल में ही निर्माण के लिए मंजूर किये गये हैंगरों के प्राप्त होते ही निम्नलिखित एककों में भी शीघ्र ही ग्लाइडिंग सक्रिय बनायी जाएगी :—

विजयवाड़ा, वाल्यूयर, आगरा, वाराणसी, और करनाल ।

साथ ही आवश्यक सुविधाओं की मंजूरी और अन्य प्रबन्ध पूरे होने पर यथा समय निम्नलिखित स्थानों में भी ग्लाइडिंग सुविधा दी जाएगी : —

मंगलौर, तिरूचिरापल्ली, श्रीनगर, जम्मू और चण्डीगढ़

3. जहां तक संभव है राष्ट्रीय कैडेट कोर की ग्लाइडिंग यूनिटों को सारे देश में बांट दिया गया है ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी, नासिक के मैनेजर के विरुद्ध शिकायत

†7847. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओजोर, नासिक (महाराष्ट्र) स्थित हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की फैक्टरी के मैनेजर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के तथा उच्च सम्मान के साथ आई० टी० आई० की योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को उन जगहों के लिये इन्टरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं, जिनके लिये वे सर्वाधिक उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं; और वहां ऐसा किन नियमों के अधीन कर रहे हैं; और

(ग) इस फैक्टरी के कर्मचारियों को मुख्य श्रेणियों में स्थानीय आई० टी० आई० से योग्यता प्राप्त युवकों की प्रतिशतता क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अर्ध कुशल	84 प्रतिशत
कुशल	62 प्रतिशत
पूर्ण कुशल	58 प्रतिशत

फलों का निर्यात

7848. **श्री जगेश्वर यादव :** क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत द्वारा विदेशों को निर्यात किये गये फलों के नाम क्या हैं, उनका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा देशवार कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) 1970-71 में भारत द्वारा निर्यात किये जाने वाले फलों के नाम क्या हैं तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या विदेशों में भारतीय फलों की मांग है, और यदि हां, तो जिन फलों की मांग है उनके नाम क्या हैं और इन फलों के लिए जिन देशों ने क्रयादेश दिये हैं उनके नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०3343/70]**

(ख) केले, आम, सन्तरे और सेब वर्ष 1970-71 में होने वाले फलों के निर्यातों की मुख्य मदें होंगी और इससे लगभग 1 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आये होने की सम्भावना है।

(ग) विदेशों में केले, आम, संतरे और सेब जैसे भारतीय फलों की मांग है । हमारे फलों के लिए जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्विटजरलैंड और फारस की खाड़ी के देशों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं।

कुवैत, वेहरीन, आबूडाबी आदि के साथ संबंध

7849. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक कार्य उप-मन्त्री के नेतृत्व में जिन अधिकारियों ने फारस की खाड़ी के कुवैत, बेहरीन, आबू डाबी, दुबाई, धारिया तथा विश्राम सन्धि वाले अन्य देशों का हाल में दौरा किया था, उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इन देशों के साथ इस कारण अब तक संबन्ध स्थापित नहीं किये थे कि कहीं ईरान नाराज न हो जाए; और

(ग) यात्रा के क्या वास्तविक परिणाम निकले हैं और सरकार द्वारा उनके साथ किये गये सौदों का स्वरूप क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) फारस की खाड़ी के शेख-राज्यों की यात्रा पर उप विदेश मन्त्री के साथ कुवैत में भारत के राजदूत, श्री एस० के० चौधरी और विदेश मंत्रालय में विशेषाधिकारी, श्री एम० एच० अन्सारी भी गये थे।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उप मन्त्री की यात्रा सद्भावना यात्रा थी और संबद्ध सरकारों द्वारा इसका स्वागत किया गया था। उप मन्त्री ने न तो किसी प्रकार के समझौते की बातचीत की थी और न कोई समझौता किया था।

सैगोन में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के लिये विकल्प प्रतिनिधि

7850. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैगोन में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में विकल्प प्रतिनिधि के पद पर हमेशा ही प्रतिरक्षा सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पद पर कितने वर्ष तक (एक) सैनिक अधिकारी और कितने वर्ष तक (दो) वायुसेना अधिकारी नियुक्त रहे ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस पद पर सदा सैनिक अधिकारी ही नियुक्त किए गए हैं ।

भारतीय प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थानों के अध्ययन के लिये ईरान की सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष को निमन्त्रण

7851 **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ भारतीय प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थानों के अध्ययन के लिये ईरान की सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल हसन तूफानियन को आमंत्रित किया है ;

(ख) आमंत्रित किये गये दल के व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और भारत में उनकी यात्रा का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ईरान के शत्रुतापूर्ण रवैये तथा पाकिस्तान के साथ उसको खुली सांठ-गांठ को देखते हुए उनको नियंत्रण देना वास्तव में आवश्यक था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बात की क्या गारंटी है कि ईरान से आने वाले यह यात्री हमारे प्रतिरक्षा उत्पादन संस्थानों में जो कुछ देखेंगे उसके बारे में पाकिस्तान को सूचित नहीं करेंगे तथा इसका हमारी प्रतिरक्षा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार के नियंत्रण पर एक प्रतिनिधि मंडल जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हसन तूफानियन, महा निदेशक सैनिक उद्योग और चीफ आफ लोक्योरमेंट विभाग भारत आए थे । प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य थे :—

(1) मेजर जनरल मोस्तफा असद जादल, चीफ आफ जौइन्ट स्टाफ ।

(2) मेजर जनरल हशेल नाद जाम येजाद, चीफ आफ आर्थी आईनैंस विभाग ।

(3) रिपर एडमिरल अबोलकथ अरदाला तकनीकी और लोजिस्टिकि डिप्टी टू सी० इन० सी० आफ दि इमोरयल इरानियन नैवी ।

(4) कप्तान अली अकबर इरानियन ए० डी० सी० टू जनरल तूफानियन प्रतिनिधि मंडल 3 फरवरी से 11 फरवरी तक भारत में था और उसने पत्र गांव डाक बनवाया । रायफल फैक्टरी ईशापुर, मार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता, भारत अर्थ वर्क्स लिमिटेड और इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड बंगलौर देखे थे ।

(ग) और (घ) : सब सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पारिवारिक निकट संबंध

को बताने की इच्छा से तथा दोनों देशों के बढ़ते हुए आर्थिक सहयोग के कारण इस दौरे का प्रबन्ध किया गया था।

विभिन्न किस्मों की रुई के मूल्य में वृद्धि

7852. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्टूबर, 1969 और जनवरी, 1970 के बीच लगभग सभी किस्मों की रुई के मूल्य प्रति कैन्डी 250 रुपये से बढ़कर 300 रुपये हो गये थे, अर्थात् उनमें 20 प्रतिशत वृद्धि हुई थी और अभी भी मूल्यों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन के चेयरमैन के 15 जनवरी, 1970 के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि "यदि रुई के भाव को बढ़ने दिया गया तो हमें आशंका है कि हमें पुनः बड़ी संख्या में मिलें बन्द न करनी पड़े;"

(ग) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सहकारी विपणन संघ द्वारा अत्यधिक मात्रा में रुई खरीदे जाने के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(घ) रुई विपणन समितियों पर उधार लेने पर कोई पाबन्दी न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) निजी मिल मालिकों के साथ उचित व्यवहार हो, इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अक्तूबर, 1969 से जनवरी, 1970 की अवधि में रुई के मूल्यों में औसतन लगभग 240 रु० प्रति कैन्डी की वृद्धि है जिससे 16.5 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई है। तब से मूल्य प्रायः बढ़ते जा रहे हैं।

(ख) जी हां, दिनांक 8 जनवरी, 70 के पत्र में।

(ग) चालू वर्ष में संघ द्वारा की गई खरीद की मात्रा काफी अधिक अथवा इतनी प्रतीत नहीं होती जिससे कि मूल्यों पर प्रभाव पड़े।

(घ) रुई विपणन सहकारी समितियों पर भी, समय समय पर यदि और जब आवश्यक हो, उधार के विषय में प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं।

(ङ) मूल्य के रूख को ठीक करने के उद्देश्य से ऋण नियन्त्रण तथा रुई स्टाक नियन्त्रण में समायोजन करने के अलावा रुई तथा स्टेपल फाइवर की अतिरिक्त मात्राओं का आयात करने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं।

खेल-कूद के सामान का निर्यात करने के लिए योजनायें तथा आयोजनायें

7853. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल-कुद सामान निर्यात संवर्धन परिषद ने 1970-71 में खेल-कूद के सामान के निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिकतम माल निर्यात करने वालों, सामान के लिये नई

मंडियां ढूंढने वालों अथवा नई चीज बाजार में लाने वालों को पुरस्कार देने की कोई योजना बनाने का है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने खेल-कूद सामान उद्योग को एक तीन वर्षीय योजना बनाने की सलाह दी है और ऐसी योजना की क्रियान्विति में आर्थिक, तकनीकी तथा वाणिज्यिक सहायता देने का आश्वासन दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद् ने 1970-71 में खेल-कूद के सामान के निर्यात के लिये 2 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

(ख) तथा (ग) : "निर्यातकों को पुरस्कार" की एक योजना पहिले ही चालू है जिसके अन्तर्गत उत्कृष्ट निर्यात निष्पादन तथा विभिन्न निर्यात क्षेत्रों में उत्कृष्ट निर्यात प्रयास के लिये पुरस्कार दिये जाते हैं जिनमें नये बाजारों में पैठना तथा नयी मदों को प्रचलित करना शामिल है । निर्यातकों को पुरस्कार की योजना के ब्यौरे दिनांक 23 नवम्बर, 1969 की गजट अधिसूचना सं० 11 (8) 166-ई० ए० सी० में दिये गये थे जिसे 16 जनवरी तथा 6 दिसम्बर, 1969 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था ।

(घ) तथा (ङ) : राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष ने खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्यों को 30 मार्च, 1970 को परामर्श दिया है कि वे तीन वर्षीय निर्यात योजना तैयार करें और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य व्यापार निगम निर्यात उत्पादन के विकास तथा निर्यात विपणन के लिये संगठन तथा वित्त की दृष्टि से हर सम्भव सहायता देगा । राज्य व्यापार निगम का एक निदेशक ही खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा 'बफर' दुर्लभ कच्चे माल का स्टाक का बनाया जाना

†7854. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम मूल्यों को समान्य रूप से बढ़ने अथवा घटने से रोकने के लिए आयात के बजाय स्वदेशी साधनों से दुर्लभ कच्चे माल का बफर स्टाक बनाने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में सैनिक स्कूल

7855. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सैनिक स्कूल किन किन स्थानों पर हैं और उक्त स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए किन अर्हताओं पर विचार किया जाता है ; और

(ख) उक्त स्कूलों में दिये जाने वाले सैनिक प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) देश के सैनिक स्कूलों की स्थिति के बारे में एक विवरण संलग्न है । एक सैनिक स्कूल जम्मू तथा काश्मीर में जुलाई 1970 से खोला जा रहा है । लड़के जिन्होंने चौथी और पांचवी कक्षा दूसरी पाठशालाओं में सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, उनको प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है । परीक्षा में तथा साक्षात्कार में सफल अभ्यार्थियों को पांचवी तथा छठी कक्षाओं में सैनिक स्कूलों में भर्ती स्कूल में उपलब्ध रिक्त स्थानों तथा गुण दोषों के आधार पर भर्ती किया जाता है ।

(ख) सैनिक स्कूल के लड़कों को शिक्षा विस्तृत दी जाती है तथा उनमे से सब राष्ट्रिय कैडेट कोर का प्रशिक्षण लेते हैं ।

विवरण

सैनिक स्कूलों की स्थिति

(1) सतारा (महाराष्ट्र)
(2) कुंजपुरा (हरियाणा)
(3) बालाचंदी (गुजरात)
(4) कपूरथला (पंजाब)
(5) चित्तौरगढ़ (राजस्थान)
(6) कोसकोंडा (आंध्र प्रदेश)
(7) कोजाक्तम (केरल)
(8) भुवनेश्वर (उड़ीसा राज्य)
(9) पुरूलिया (पश्चिम बंगाल)
(10) अमरावती नगर (तमिलनाडू)
(11) रेवा (मध्य प्रदेश)
(12) तिलैया दाम (बिहार)
(13) बीजापुर (मैसूर)
(14) गोलपारा (असम राज्य)
(15) घोड़ाखाल (उत्तर प्रदेश)

उटकमण्ड में रेडियो दूरवीक्षण यंत्र (टेलिस्कोप)

7856. **श्री नंजा गौडर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उटकमण्ड में पिछली फरवरी से रेडियो दूरवीक्षण यंत्र (टेलिस्कोप) काम कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य मुख्य बातें क्या है तथा अब तक महत्वपूर्ण उपलब्धि यदि कोई है, तो क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) यह रेडियो दूरवीक्षण यंत्र, संसार से बड़े दूरवीक्षण यंत्रों में से एक है। इसके अद्वितीय डिजाइन जिसमें भारत का भूगौलिक विषुवतीय रेखा के पास स्थित होना भी शामिल है, के परिणामस्वरूप इसकी लागत संसार के अन्य ऐसे ही संवेदनशील तथा कार्यकुशल रेडियो दूरवीक्षण-यंत्रों की अपेक्षा बहुत कम है। इस दूरवीक्षण यंत्र की लम्बाई 530 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इसकी संवेदनशीलता इंग्लैंड में जाडरैल्ल की 250 फुट डिश वाले दूरवीक्षण–यंत्र से लगभग चार गुणा है। इस यंत्र की विरचना, अभिकल्पन तथा निर्माण भारत में किया गया है।

इस दूरवीक्षण–यंत्र का उपयोग निम्नलिखित अध्ययन करने के लिए किया जायेगा :–

(क) दूर तथा कमजोर रेडियो आकाशगंगा के बारे में अध्ययन ;

(ख) पल्सर कहलाने वाले स्पन्दी रेडियो श्रोतों के बारे में अध्ययन ;

(ग) आन्तग्रहिक माध्यम के बारे में अध्ययन।

दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के जोन संख्या 13 में बिजली की अनियमित सप्लाई

7857. **श्री प० ला० बारुपाल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली बिजली सप्लाई उपक्रम के जोन 13 में बिजली की अनियमित सप्लाई की ओर दिलाया गया है जिसके फलस्वरूप विद्युत चालित कृषि उपकरण जैसे प्रैशर, विन्नोवर, नलकूप आदि काम नहीं कर सकते और बिजली के न होने के कारण किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है ;

(ख) क्या यह सच है कि महीने में मुश्किल से पन्द्रह दिन नियमितरूप से बिजली की सप्लाई होती है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस क्षेत्र को बिजली की नियमित रूप से सप्लाई करने के लिए सरकार का विचार बिजली की लाइन को दोहरा बनाने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम के क्षेत्र संख्या 13 में विद्युत भार अधिकतर कृषि सम्बन्धी है। इस क्षेत्र में पहले से ही दो ऊपर से गुजरने वाले उच्च वोल्टता फीडरों से सप्लाई होती है। दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम ने सूचित किया है कि 1-1-70 से 22-4-70 के दौरान इस क्षेत्र में 11 बार बिजली फेल हुई जिसमें से 6 बार बवाना फीडर में और शेष 5 बार कंभावला फीडर में हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) बिजली फेल होने के मुख्य कारण ये हैं—तेज हवाओं के कारण कन्डक्टरों का टूटना, पक्षी; मोटर गाड़ियों का बिजली खम्भे से टकराना।

(घ) लाइनों में पड़ने वाले नुक्सों को स्थानीकृत तथा पृथक्कृत करने के लिये तथा बिजली फेल होने पर बिजली की सप्लाई को शीघ्र ही चालू करने के लिए दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम ने बवाना तथा कंभावला में स्विचिंग स्टेशनों के प्रतिष्ठापन के लिए स्कीमें तैयार की हैं।

ग्वालियर क्षेत्र के लिये सिंध परियोजना पर निर्णय

7858. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पिछले दस वर्षों से मध्यप्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र के लिये सिंध परियोजना पर, जो कि देश में सबसे कम लागत की तथा सर्वोत्तम योजना है, कोई निर्णय नहीं ले सकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : सिंध नदी के जल संशोधनों के विकास के लिए प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से पहले 1966 में और फिर 1969 में प्राप्त हुए थे। प्रथम चरण में, हारसी सिंचाई प्रणाली में जल की अनुपूर्ति के लिए दायें तट की नहर के पोषन के लिए मोहिनी पर आवश्यक ऊंचाई तक एक बांध का निर्माण परिकल्पित था। नए क्षेत्रों के लाभ के लिए दूसरे चरण में इस की ऊंचाई को बढ़ाने का प्रस्ताव था।

जबकि इनकी जांच की जा रही थी, मध्य प्रदेश के इन्जीनियरों ने केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग को सूचित किया कि राज्य सरकार अनुस्रोतीय दिशा में पहले से भी आगे एक स्थल पर वियर बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इन अद्यतन प्रस्तावों की रिपोर्ट राज्य सरकार से प्रतीक्षित हैं।

Missing Captain of India Securty Force at Ranchi

7859. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Ram Gopal Shalwale** :
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Yashwant Singh Kushwah** :
Shri Yashpal Singh : **Shri Ram Avatar Sharma** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Captain of the Indian Security Force, posted at Ranchi (Bihar), has been missing since the 25th February, 1970 ;

(b) whether Government have conducted a detailed enquiry in this regard ;

(c) if so, the results thereof ;

(d) whether Government apprehend that he has been kidnapped by the enemies;

(e) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Sardar Swaran Singh) : **(a) and (e)** A captain posted at Ranchi was granted 10 days casual leave from 22nd February, 1970. He did not rejoin duty on the expiry of the leave. Subsequent inquiries have brought to light movements of a person, who could be the missing officer, during March-April, 1970. The Headquarters Eastern Command have instructed all units under their command to liaise and seek assistance of civil police and trace the officer. A court of inquiry has also been ordered.

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के अध्यक्ष के भाषणों का प्रकाशित करने पर व्यय

7860. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने वर्ष 1969 में निगम के अध्यक्ष के भाषणों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने पर कितना खर्च किया और वे किन तारीखों को प्रकाशित हुये;

(ख) क्या निगम के कार्य-संचालन और उसके संविधान में इस प्रकार के व्यय की व्यवस्था है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त व्यय के वास्तविक कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, बम्बई ने वर्ष 1969 में अध्यक्ष के भाषणों के प्रकाशन के लिए 22,327 रु० खर्च किये। एक विवरण संलग्न है, जिसमें प्रकाशन की तिथियां दी गई हैं।

(ख) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम संघ के संस्था-ज्ञापन के अन्तर्गत, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के कार्यकलापों के प्रसारण और प्रचार के लिए खर्च करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के अध्यक्ष के समाचार पत्रों में प्रकाशित, भाषणों की तिथियां।

26 अगस्त, 1969
29 अगस्त, 1969
30 अगस्त, 1969
31 अगस्त, 1969
2 सितम्बर, 1969
3 सितम्बर, 1969
5 सितम्बर, 1969
9 सितम्बर, 1969
11 सितम्बर, 1969
सितम्बर, 1969
अक्टूबर, 1969

लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा टेलीविजन बनाना

7861. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री सोमिनाथन : **श्री दण्डपाणि :**

श्री चेंगलरायानायडू :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास संगठन ने एक पूर्णत: देशी टेलीविजन बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर ऐसे टेलीविजन बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री ललित नारायन मिश्र) : (क), (ख) और (ग) : सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी के द्वारा विकसित ज्ञान के आधार पर स्वदेशी 30,000 सेटों की निर्माण क्षमता हो गई है जिसका विभाजन सरकार ने संगठित सेक्टर की दो यूनिटों को (10,000 सेट प्रति यूनिट प्रति वर्ष) और दो छोटी यूनिटों की संस्थाओं से (5000 सेट प्रति संस्था प्रति वर्ष) के हिसाब से किया है।

दोनों संगठित सेक्टर यूनिटों ने और दो में से एक लघु पैमाने के सेक्टर संस्था ने टेलीविजन सेटों का निर्माण किया है। एक संगठित सेक्टर यूनिट से 2000 सेटों का निर्माण कर भी लिया है। अभी केवल दिल्ली में टेलीविजन का प्रसारण केन्द्र है। चौथी योजना के दौरान बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर और श्रीनगर में केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन नये केन्द्रों के स्थापित हो जाने पर तथा दिल्ली केन्द्र के प्रभाव क्षेत्र के बढ़ जाने पर टेलीविजन सेटों को मांग काफी बढ़ जायेगी।

टेलीविजन रिसीवरों की देश में मांग को पूरा करने के लिए सरकार इसके भारी तादाद में उत्पादन के बारे में अब विचार कर रही है।

रूसी राजदूत द्वारा केरल सरकार को सहायता की तथाकथित पेशकश

7862. **श्री शारदा नंद :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री सूरज भान :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसका पता है कि रूसी राजदूत ने केरल राज्य से बड़ी मात्रा में काजू तथा नारियल जटा खरीद कर केरल सरकार की सहायता करने की पेशकश की है;

(ख) क्या यह सच है कि इस पेशकश के बारे में सरकार को सूचना नहीं दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 'प्रोटोकौल' के नियमों के अनुसार विदेशी सरकार को इस प्रकार की पेशकश करने से पूर्व भारत सरकार से सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रूसी राजदूत से की गई पूछताछ के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस आशय की खबरें सरकार ने देखी हैं ।

(ख), (ग) और (घ) : इस बारे में पूछताछ की जा रही है ।

Alleged Discrimination In Assistance to States

7863. **Shri B. K. Das Chowdhury :** **Shri Muhammad Sheriff :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether at the meeting of the National Development Council which was held in New Delhi in March, 1970, some States alleged discrimination in the grant of Central assistance ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the details of other matters discussed in the Council and the decisions arrived at ?

The Prime Minister, Minister of Finance; Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) Yes Sir. This was due to the mistaken notion that special accommodation was the same as Plan assistance and that it should therefore be given to States on the basis of the formula approved by the National Development Council relating to the distribution of Plan assistance. This notion was dispelled at the meeting. An extract from the Deputy Chairman Planning Commission's elucidation on the subject at the meeting is placed on the Table of the House.

(c) The meeting of the National Development Council was called to consider the Planning Commission's paper on revised public and private sector outlays for the Fourth Five-Year Plan 1969---74. The Council endorsed the revised outlays by general consensus. This paper was placed on the Table of the House on March 24, 1970.

The question of the conversion of the additional exicse duty on Tobacco, sugar and textiles into sales tax was raised by certain Chief Ministers at the meeting and it was agreed that this might be considered by the Committee of State Chief Ministers.

Statement

Deputy Chairman pointed out that the advice of the Planning Commission to the Union Ministry of Finance on special accommodation for the States in no way infirnged the directives of the N. D. C. The total Central assistance of Rs.3,500 crores for the Fourth Plan had not increased, and none of the special accommodation sought to be given to several States added to their Plan outlays.

Deputy Chairman recalled that the A. R. C. and other bodies had examined the whole question of financial relations between the Centre and the States and had found that there was dichotomy between Plan and non-Plan expenditure. It was also pointed out by them that because Plan and non-Plan expenditure were considered separately, the total effect on implementation of programmes could not be judged properly.

After the award of the Finance Commission, the Planning Commission had drawn the attention of the Union Ministry of Finance to the possibility of dealing with the question of non-Plan deficits of all States. As a matter of fact the Union Ministry of Finance has each

year in the past been dealing with this problem in the form of loans, R. B. I. overdrafts, accommodation or other type of assistance to States from year to year. In relation to eight or nine States which were in a financially precarious position, the Planning Commission suggested a programme of action for the entire period of the Fourth Plan which would also cost least to the accommodation giving authority. The aim was to enable these States to raise and mobilise additional resources which could be utilised for Plan development, to commit the States to hold their non-Plan expenditure as much as possible to the 1968-69 base line, and to ensure that the total Plan outlay of each of these States would not in any case fall below the figures mentioned in the Draft Plan document. This was one step forward in integrating Plan and and non-Plan finances.

In this way special accommodation, which was hitherto uncoordinated, ad hoc and was determined each year, had been integrated over a five-year period. This enabled the Union Ministry of Finance to take a long-term view on non-Plan deficits and, at the same time, look on planning as a continuous process.

एक मेजर द्वारा एक अर्दली को पीटा जाना

7864. **श्री गणेष घोष** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मेजर ने जो एच० क्यू० 12, फील्ड वर्कशाप, जी० आर० ई० एफ० में आफिसर कमांडिंग हैं, 29 जनवरी, 1970 में श्री त्रिलोक सिंह नामक अर्दली को इसलिए बुरी तरह पीटा था कि उससे उनका पत्नी को गरम पानी देने में विलम्ब किया था, वह फिर उसको हैडक्वार्टर मकाबाला में ले गया और उसको फिर निर्दयता पूर्वक पीटा, उसके हाथों में बेड़ियां डालीं और बिना कम्बल के क्वार्टर गारद में रखा;

(ख) क्या अगली सुबह को मेजर ने उसके गले में एक भारी मोटर टायर डाल कर उसको परेड करने पर मजबूर किया और जब वह बेहोश हो गया, तो उसे 154 जनरल अस्पताल, कोहिमा में भेज दिया और उसे वहीं रखा गया परन्तु रजिस्टर में उसे वाह्य रोगी के रूप में दिखाया गया;

(ग) क्या अस्पताल के रिकार्ड में अब यह लिखा है कि वह मानसिक रोग से पीड़ित है;

(घ) क्या सीधा सड़क विकास बोर्ड के सचिव को भेजा जाने वाली उसकी याचिकाएं रोक ली गई थी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों को घरेलू कर्मचारियों के रूप में उपयोग करने को रोको और मेजर के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Statement by Chief Minister of Bihar Regarding Deteriorating Economy of Bihar State

7865. **Shri Bansh Narain Singh** : **Shri Ram Swarup Vidyapithi** :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the Chief Minister of Bihar as published in the daily Hindustan of the 27th March, 1970 to the effect that the economy of the Stzte is deteriorating on account of the economic policies of the Central Government and the Planning Commission ;

(b) if so, the details of the said economic policies of the Central Government and the Planning Commission ; and

(c) whether Government propose to adopt the principle of per capita in respect of providing facilities like irrigation, electricity, education and other types of Central assistance in order to remove the regional imbalance and the backwardness of Uttar Pradesh, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh and Rajasthan and if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, the Minister of Atomic Energy, the Minister of Finance (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The economic policies of the Government and the Planning Commission are enunciated in the Plan documents and the budgets of the Government.

(c) Plan outlay s are not determined on the basis of per capita considerations, The resources and potential of States and their needs and priorities are the main considerations in which Plan outlays are determined.

Within the limits of the resources of the Centre and the individual States, the per capita income of the States has been taken as one of the criteria in distributing Central Assistance to States for the Fourth Five Year Plan.

29 अप्रैल, 1970 को होने वाली सदन की बैठक के लिए 1975 में एक उपग्रह का चालू करना

7866. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि 1975 में एक उपग्रह चालू किया जायेगा;

(ख) क्या वह उपग्रह भारत का अपना होगा अथवा विदेशी फर्म के सहयोग से बनाया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : अंतरिक्ष प्राद्यौगिकी के क्षेत्र में एक प्रगत देश के सहयोग से एक संचार उपग्रह बनाने का प्रस्ताव है जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग तथा नेशनल एयरोटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त रूप से किये जा रहे परीक्षणों के पूरा होने के तुरन्त बाद एक मित्र देश की अन्तरिक्ष एजेन्सी द्वारा छोड़ा जा सकेगा ।

(ग) योजनाएं बनाई जा रही हैं तथा सम्बन्धित विवरण तैयार किये जा रहे हैं ।

भारत में उपलब्ध टेलीविजन सेट

7867. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय किस किस कम्पनी के टेलीवीजन उपलब्ध हैं और प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है; और

(ख) टेलीविजन सेटों के मूल्यों में कमी करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है ?

रक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री ललित नारायन मिश्र) : (क) निम्नलिखित मेक के 23" स्क्रीन के टेलीविजन सेट देश में प्रत्येक के सामने दिये गए विक्रय मूल्य पर उपलब्ध है :—

सेक	मूल्य
(i) सी० ई० ई० आर० आई, पिलानी 23" स्क्रीन	1500-00 रु० प्रति सेट
(ii) जे० के० 23" स्क्रीन सेट	1900-00 रु० प्रति सेट
(iii) टेलिराड 23" स्क्रीन सेट	1900-00 रु० प्रति सेट
(iv) पोलस्टार 23" स्क्रीन सेट	1900-00 रु० प्रति सेट

उपर्युक्त मूल्य में हाल में घोषित बिक्री कर और उत्पादन शुल्क सम्मिलित नहीं है। इन मूल्यों में एरियल का मूल्य तथा स्थापित करने का प्रभार भी शामिल नहीं है।

(ख) निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं :—

(i) प्रत्येक उत्पादन यूनिट को अधिक संख्या में टेलीविजनों का उत्पादन किफायती मात्रा में स्थापित करना होगा।

(ii) 12" से 16" तक के छोटे स्क्रीन वाले टेलीविजन रिसीवरों का और ट्रांजिस्टराइज्ड प्रचार का उत्पादन प्रारम्भ किया जायेगा।

(iii) टेलीविजन सेट के मूल्यों में इलेक्ट्रानिक पुर्जों के मूल्यों का काफी भार होता है, भारी मात्रा में उसे उत्पादन करके मूल्य को धीरे-धीरे नीचे लाया जा रहा है।

ऐसी आशा है कि ट्रांजिस्टराइज्ड टेलीविजन सेट जो 12" से 16" स्क्रीन वाले हैं वह बाजार में वर्तमान मूल्यों से काफी कम मूल्यों में उपलब्ध हो जायेंगे।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

7868. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जुलाई, 1969 में स्थापित किये गये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण की दस योजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने बारह योजनाओं का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं को किन राज्यों में लागू किया जायेगा और प्रत्येक राज्य में योजना का स्वरूप क्या होगा;

(घ) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कुछ और योजनाओं पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी और इन योजनाओं से कितने राज्यों को लाभ होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) : ग्राम विद्युतीकरण निगम के निदेशकों के बोर्ड के सम्मुख 12 ग्राम विद्युतीकरण स्कीम के प्रस्ताव किये गये थे। ये 12 स्कीमें स्वीकृत हो चुकी हैं।

(ग) : स्वीकृत 12 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(1) हरियाणा में मोहिन्दरगढ़ जिला : 20 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 1250 नलकूपों के ऊर्जन के लिए 44.70 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(2) मध्य प्रदेश के सियोनी जिले में कन्हीवाड़ा क्षेत्र : 40 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 2500 पम्पों के ऊर्जन के लिए 44 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(3) मध्य प्रदेश में छिन्दवाड़ा जिले : 16 ग्रामों के विद्युतीकरण और 4500 नलकूपों के ऊर्जन के लिये 79 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(4) आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कादिरी तालुक : 45 ग्रामों के विद्युतीकरण और 1350 नलकूपों के ऊर्जन के लिये 45 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(5) आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में पालनद तथा बिनुकोन्डा तालुक : 1110 पंपों के ऊर्जन के लिये 37 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(6) उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला : 65 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 500 नलकूपों के ऊर्जन के लिये 53.849 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(7) उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला : 150 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 300 नलकूपों के ऊर्जन के लिये 24.33 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(8) हरियाणा के गुड़गांव जिले में गुड़गांव तहसील : 69 ग्रामों के विद्युतीकरण और 1725 नलकूपों के ऊर्जन के लिये 51.38 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(9) पंजाब में फिरोजपुर जिला : 40 ग्रामों के विद्युतीकरण और 2820 नलकूपों/पंपों के ऊर्जन के लिये 74.02 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(10) पंजाब के लुधियाना जिले में माछीवाड़ा ब्लाक : 1500 नलकूपों के ऊर्जन के लिये 39 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(11) तमिलनाडु के कोयम्बेटूर जिले में इरोडे तालुक : 45 ग्रामों के विद्युतीकरण और 1597 पंपों के ऊर्जन के लिये 49 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(12) तमिल नाडु में रामनाथपुरम जिला : 63 ग्रामों के विद्युतीकरण और 923 पंपों के ऊर्जन के लिये 48.54 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) स्वीकृत स्कीमों का परिव्यय 589.819 लाख रुपये हैं। निगम द्वारा जिन स्कीमों पर अब कार्रवाई की जा रही है, उनका परिव्यय लगभग 40 करोड़ रुपये हैं और ये आन्ध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, हरियाणा, मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्डों से आई है।

Project for Tusser Cocoon by rearing Silk Worm in Himalayan Valley

7869. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the progress made so far in the project for producing tusser cocoon by rearing silk worms in the Himalayan Valley ?

The Deputy Minister of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (1) A detetailed scheme for expolitation of the existing potential for development of tassar culture in the sub-Himalayan region of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Assam has been formulated.

(2) Inter specific crosses between the imported exotic and indigenous tassar species have been prepared.

(3) A batch of technical personnel from the States concerned have been trained at the Central Tasar Research Station, Ranchi.

(4) In order to avail of the current rearing, season, the research staff of the Central Tassar Research Station, Ranchi, have already been deployed to work at Palampur (Himachal Pradesh), Gopeshwar (Uttar Pradesh), Ramsunghat (Assam) and Ramsu (J. and K.) for initiating the breeding programme.

आपातकाल कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सरकारी मकानों को दिया जाना

7870. **श्री देविंदर सिंह गार्चा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आपातकाल कमीशन प्राप्त कितने अधिकारियों को सरकारी रिहायशी मकान अलाट किये गये हैं;

(ख) आपातकाल कमीशन प्राप्त कितने अधिकारियों को अभी सरकारी मकान अलाट किये जाते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियमों के अनुसार उन्हें "बिना पारी के" आधार पर मकान अलाट नहीं किये जा सकते; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त आपातकाल कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा की गई राष्ट्रीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार इन नियमों में संशोधन करने का है और उनको सरकारी मकान अलाट करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 78.

(ख) 8.

(ग) और (घ) : निर्धारित नियमों के अनुसार सब आबंटन किये जाते हैं, विशिष्ट मामलों में जहां पर दया के आधार पर विशेष व्यवहार की आवश्यकता होती है उदाहरणार्थ बिना पारी के आबंटन की याचिकाओं को अंतर सेवा आवास सलाहकार समिति के द्वारा स्वीकृत करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है । सब याचिकाओं का जांच की जाती है और प्रत्येक मामले के गुण दोषों के आधार पर निर्णय किये जाते हैं । सब कमीशन प्राप्त अक्सर जिसमें आपात कमीशन अफसर भी शामिल हैं बिना पारी के आवास आबंटन के हकदार हैं ।

औद्योगिक कारखानों के लिए विदेशी व्यापार विकास एजेन्सी की स्थापना

7871. **श्री रा० बरुआ** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक कारखानों के उत्पादों के निर्यात की समस्याओं के अध्ययन तथा

व्यापार सम्बन्धी पूछताछ, विपणन, अनुसंधान और विकास के बारे में एकीकृत सेवायें प्रदान करने के लिये एक विदेशी व्यापार विकास एजेन्सी की स्थापना के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित व्यापार विकास प्राधिकारी के स्थापित होने पर उसके निम्नलिखित पांच प्रभाग होंगे :

1. सूचना प्रभाग;
2. गवेषणा तथा विश्लेषण प्रभाग;
3. पण्य सम्बन्धी प्रभाग;
4 निर्यात उत्पादन प्रभाग; तथा
5. विशेष परियोजनायें तथा उत्पाद गवेषणा तथा विकास प्रभाग ।

प्राधिकारी के निम्नलिखित कार्य होंगे :

–जानकारी (उत्पादन, व्यापार तथा वाणिज्यिक),

–बाजार गवेषणा तथा विश्लेषण,

–पण्य संबन्धी सम्पर्कों का पोषण तथा संवर्धन जिसमें निम्नलिखित के विषय में परामर्श देना भी शामिल है ।

(क) उत्पाद तथा पैकेजिंग,

(ख) विज्ञापन तथा बिक्री संवर्धन,

(ग) वित्तीय समर्थन, तथा

(घ) पार्टी का मूल्यांकन ।

–उत्पादन प्रोत्साहन तथा विस्तार जिसमें निर्यात अभिमुख संयुक्त उद्यम स्थापित करना तथा उप-करार करना शामिल हैं ।

–उत्पाद गवेषणा तथा विकास,

–नीति, मूल्यांकन तथा परामर्श ।

प्राधिकारी प्रत्येक निर्यातक की समस्याओं पर समेकित रूप से विचार करेगी । प्राधिकारी का परीक्षण संचालन 1971-72 के अन्त तक की अवधि के लिए होगा और उसका व्यवहार कुल चुने हुए उत्पादों के सीमित संख्या के निर्यातकों के साथ होगा । इसका अग्रेतर विस्तार इसके परीक्षण संचालन के अनुभव पर निर्भर करेगा ।

(ग) इस पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है ।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय छात्र सेना के लिए आदेशार्थ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग

7872. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस शर्त पर प्रशिक्षण पुनः आरम्भ करने की अनुमति दी है कि प्रशिक्षण में आदेशार्थ केवल अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जायेगा और कक्षा में उनका हिन्दी अनुवाद सिखाया जायेगा और राज्य का राष्ट्रीय छात्र सेना ने द्विभाषीयता को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1549 और 2569 जिसके उत्तर क्रमशः 26 नवम्बर, 1969 और 3 दिसम्बर 1969 को दिए गए हैं कि ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

रूसी दूतावास द्वारा स्कूलों में पुस्तकों का वितरण

7873. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** **श्री मीठालाल मीना :**

श्री अ० दीपा :

क्या **वैदेशिक कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास द्वारा स्कूलों तथा संस्थाओं में पुस्तकें वितरित किये जाने के बारे में शिकायतें मिली है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) : इस विषय पर राज्य सभा में 13,3,70 को जो बहस हुई थी सरकार ने उस पर ध्यान दिया है और, जैसा कि उस समय बताया गया था शिक्षा एवं युवक सेवा मन्त्री इस मामले में जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

आई० बी० एम० कारखाने का बम्बई से बंगलौर में स्थानान्तरण करने की अनुमति में विलम्ब

7874. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० बी० एम० विश्व व्यापार निगम को अपना कारखाना बम्बई से बंगलौर में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में, अप्रैल, 1968 में जो आदेश दिये गये थे, उसे कार्यरूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बंगलौर में इस कारखाने के लिये आवश्यक जलवायु अन्य इलेक्ट्रानिक संस्थानों की निकटता, अच्छी प्रकार की विद्युत तथा कारखाने के प्रसार के लिये भूमि उपलब्ध होगी जिसका बम्बई में बिल्कुल अभाव है ; और

(ग) मन्त्रालय द्वारा इसे कार्य रूप देने में किन कारणों से बिलम्ब किया गया है जिसे मैसूर सरकार का समर्थन प्राप्त हुआ है और जो औद्योगीकरण में अपने अंश लेने के लिए उत्सुक हैं ?

रक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क), (ख) और (ग) : मैसूर सरकार ने मैसर्ज आई० बी० एस० विश्व व्यापार निगम की उनके कारखाने को बम्बई से बंगलौर में

स्थानान्तारित करने की प्रार्थना का समर्थन किया है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे स्थानान्तरण पर आपत्ति की थी अतः मामले के गुणों की जांच की गई थी।

मैसर्ज आई० बी० एम० ने बताया था कि आवश्यक जलवायु, अन्य इलेक्ट्रानिक संस्थानों की निकटता, विद्युत और भूमि की उपलब्धता तथा कुछ अन्य कारणों से वे अपने कारखाने को बम्बई से बंगलौर स्थानान्तरित करना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अब मैसर्ज आई० बी० एम० को आश्वासन दिया है कि वे आई० बी० एम० के निर्माण कार्य के विस्तार के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसके परिणामस्वरूप फर्म की प्रार्थना स्वीकार कर दी गई है।

मैसर्ज आई० बी० एम० ने सरकार को लिखा है कि अपने कारखाने को बम्बई से बंगलौर स्थानान्तरण करने पर अधिक बल नहीं देंगे, अगर उन्हें महाराष्ट्र (पूना) में कारखाना लगाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।

मैसूर राज्य के पिछड़े क्षेत्र में सरकारी उपक्रम

†7875. **श्रीमती सुधा बी० रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मैसूर राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी उपक्रम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों के अग्रेतर विकास के लिए बनाई गई योजना क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री और योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र में मैसूर राज्य में कई औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना की है उनके लिए वित्तीय सहायता दी है, जैसे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर; भारतीय टेलीफोन उद्योग बंगलौर; मैसूर आयरन तथा स्टील वर्क्स, भद्रावती; सीमेन्ट फैक्टरी, कुरकुन्टा इनमें से कुछ परियोजनाओं से राज्य के पिछड़े क्षेत्र का विकास करने में सहायता मिली है।

(ख) चौथी योजना में पिछड़े क्षेत्र का विकास करने के लिए एक पृथक योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत, पिछड़े क्षेत्रों, में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का विचार है। सरकार इन जिलों में 50 लाख रुपये तक की औद्योगिक परियोजनाओं की कुल लागत पूंजी के दसवें भाग तक की आर्थिक सहायता देगी। राज्य सरकारों के ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए कहा गया है तथा, प्रारंम्भ में यह कार्य राज्य में केवल एक या दो जिलों, तक ही सीमित रहेगा। यह भी निश्चय किया गया है कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पीछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में वित्तीय तथा ऋण संस्थान कुछ सामान्य रियायतें दें।

जबलपुर की आदर्श सरकारी उत्पादन संघ द्वारा अभ्यावेदन

7876. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को जबलपुर में आदर्श सरकारी उत्पादन संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रहा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां आदर्श सरकारी उत्पादन संघ परिचित ने एक प्रतिवेदन दिया है ।

(ख) जबलपुर छावनी में रक्षा भूमि पर कृषि के लिए पट्टा 1970 में समाप्त हो रहा है, इसके नवीपन करने के लिए समिति ने प्रार्थना की थी, कि इसे अगली अवधि के लिए बढ़ा दिया जाय । सेना के इस छावनी में भूमि की प्रशिक्षण कार्यों के लिए आवश्यकता है । सेना की अधिक तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के उपरान्त बची हुई इस भूमि को एक वर्ष के पट्टे पर बढ़ा देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

पुस्तकों का आयात

7877. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी भारत विदेशों से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये के मूल्य की पुस्तकें आयात करता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) आयातित पुस्तकों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में पुस्तकों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : तकनीकी पुस्तकों, मैगजीन तथा पत्रिकाओं के आयात की निर्बाध अनुमति है चूंकि ज्ञान के प्रवाह पर प्रतिबन्ध लगाना वांछनीय नहीं समझा जाता । जिन तकनीकी पुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों के इस तरह आयात करने की अनुमति है उनकी किस्मों की सूची अप्रैल-मार्च, 71 के लिये लाल पुस्तक के परिशिष्ट 21 की सूची 2 में दी गई है । गैर-तकनीकी मैगजीनों/पत्रिकाओं का आयात सीमित आधार पर करने दिया जाता है और गल्प-कथानकों का आयात आयातकों के कोटे के 10 प्रतिशत तक सीमित है । अवांछनीय प्रकार की पुस्तकों, प्रहसन तथा गल्प कथानकों के आयात की अनुमति नहीं है ।

(घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है ।

दिल्ली के एक वनस्पति व्यापारी को रेनौल्ट ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने का लाइसेंस दिया जाना

7878. **श्री नम्बियार** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के एक वनस्पति व्यापारी की फर्म मैसर्स प्रभुदयाल हरीराम को वर्ष 1969 में रेनौल्ट ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने के लिये लाइसेंस दिया गया था जिसके लिये वे उस समय तक कभी एजेंट नहीं रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वह लाइसेंस कितने मूल्य का आयात करने के लिये दिया गया था ; और

(ग) क्या यह फर्म अब भी ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों का आयात करती है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) : दिल्ली के मै० प्रभुदयाल हरिराम, को वर्ष 1968-69 के उनके आवेदनपत्र पर रेनाल्ट ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने के लिये प्रायोजक मन्त्रालय की सिफारिश पर 8680 रुपये का एक लाइसेंस

दिया गया था। यह सिफारिश भारत में फ्रांस के राजदूतावास द्वारा दिये गये इस प्रमाणपत्र पर आधारित थी कि यह फर्म वर्ष 1968 के लिये भारत में रेनाल्ट ट्रैक्टर की एकमात्र एजेंट नियुक्त की गई थी।

(ग) उसके बाद उस फर्म को ट्रैक्टर के फालतू पुर्जों के आयात के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

मैसर्स ब्रिटश मोटर कार कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को आयात लाइसेंस दिया जाना

7879. **श्री नम्बियार** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में मैसर्स ब्रिटिश मोटर कार कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 3 लाख रुपये के मूल्य के ट्रैक्टरों का फालतू पुर्जे आयात करने का लाइसेंस दिया गया था यद्यपि अन्य एजेन्टों को अनुपाततः बहुत कम मूल्य के ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने के लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) क्या उपर्युक्त फर्म को एल० के० किप्पिंग ऋण संख्या 6 और 7 के अधीन लगभग 14 लाख रुपये के मूल्य के ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने के लाइसेंस पहले भी दिये जा चुके थे, और इस सम्बन्ध में कृषि मन्त्रालय को पूरी जानकारी थी ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उक्त दोनों लाइसेंसों के उपयोग के बारे में फर्म से कोई विवरण मांगा गया था ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) मैसर्स ब्रिटिश मोटर कार कं० प्रा० लि० को ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने के लिये 29 अगस्त, 1969 को 3,12,000 रु० का एक लाइसेंस दिया गया था। आयात लाइसेंस विशेष प्रकार के ट्रैक्टर, जिसके लिये फर्म के पास एजेंसी है, की संख्या के आधार पर दिया गया था।

(ख) तथा (ग) : 13 जनवरी, 1969 को फर्म को पंचम किपिंग ऋण के अधीन ट्रैक्टर के फालतू पुर्जों के आयात के लिये 11.25 लाख रुपये का एक लाइसेंस दिया गया था। 28 फरवरी, 70 को उस फर्म को छटे किपिंग ऋण के अधीन ऐसे पुर्जों के आयात करने के लिये 4.5 लाख रु० का भी एक लाइसेंस जारी किया गया। 3.12 लाख रु० अतिरिक्त लाइसेंस उन ट्रैक्टरों की संख्या के आधार पर दिया गया था जिनके लिये फर्म के पास एजेंसी थी।

(घ) लाइसेंसों के उपयोग के सम्बन्ध में फर्म से कोई विवरण नहीं मांगा गया है।

एक सहकारी समिति को ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने का लाइसेंस देना

7880. **श्री नम्बियार** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने वर्ष 1969 में दिल्ली में एक सहकारी समिति को ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे आयात करने का लाइसेंस दिया था ;

(ख) यदि हां, तो वह कितने मूल्य का आयात करने का लाइसेंस था ;

(ग) आयात लाइसेंस का उपयोग कैसे किया गया था ;

(घ) क्या यह आरोप कि लाइसेंस का दुरुपयोग किया गया है सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) : मैसर्स नेशनल एग्रीकलचरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली को ट्रैक्टर के फालतू पुर्जे आयात करने के लिये दिनांक 12-8-1969 को 5,74,363 रु० मूल्य का एक लाइसेंस दिया गया ।

(ग) अभी तक कोई आयात नहीं हुआ है क्योंकि आयात किये जाने वाले फालतू पुर्जों की सूची अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है ।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न नहीं उठते ।

लघु क्षेत्र में रेडियो उद्योग में संकट

7881. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः बड़े-बड़े कारखानों के विस्तार तथा अन्य नीतियों पर दत्त समिति के प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं, विदेशी सहयोग से केवल रेडियो सेटों का निर्माण कर रहे हैं ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप करोड़ों रुपये का विदेशी मुद्रा बाहर जा रहा है ;

(ग) इस छः कारखानों के नाम क्या हैं और गत दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा बाहर गई ;

(घ) क्या यह भी सच है कि हाल में चार बड़े कारखानों को 1970 में 24 लाख रेडियो सेट बनाने के लिये विस्तार की अनुमति दी गई है और इस प्रकार मंडी का 70 प्रतिशत भाग उन्हें दे दिया गया है और लघु उद्योग क्षेत्र के 3000 कारखानों के लिये केवल 30 प्रतिशत मंडी छोड़ी गई है ; और

(ङ) क्या लघु क्षेत्र में रेडियो उद्योग में गम्भीर संकट पैदा हो गया है ; और यदि हां, तो रेडियो उद्योग में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने और छोटे कारखानों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित नारायन मिश्र) : (क), (ख) और (ग) : केवल एक कम्पनी अर्थात मैसर्ज टेलिकनकन अभी तक रेडियो निर्माताओं को रायल्टी दे रही है । अन्य कम्पनियां अर्थात मैसर्ज फिलिप्स; मैसर्ज मार्को, मैसर्ज मूलचन्दानी रेडियो मैसर्ज नेशनल ईको, मैसर्ज ग्रामोफोन कम्पनी जो पहले रेडियो उत्पादन पर रायल्टी दे रही थीं अब रायल्टी नहीं दे रही हैं क्योंकि सहयोग-करार खतम हो चुके हैं और उनका दुबारा नवीकरण नहीं किया गया है । मैसर्ज टेलिकनकन के मामले में भी जिन्हें 3 लाख रेडियो रिसीवर प्रति वर्ष की मंजूरी दी गई थी, उन्हें भी प्रथमतः केवल 40,000 रेडियो की रायल्टी देने की आज्ञा दी गई थी । इस प्रकार केवल

थोड़ी सी विदेशी मुद्रा ही रायल्टी के रूप में दी जाती है। दूसरी ओर इन कम्पनियों द्वारा रेडियो के निर्यात से बाकी विदेशी मुद्रा की आय होती है।

(घ) 1973-74 तक रेडियो निर्माण का वार्षिक क्षमता 70 लाख है जिसमें से 38 लाख रेडियो संगठित क्षेत्रों को 32 लाख लघु क्षेत्र को दिये गए हैं। वस्तुतः लघु क्षेत्र को फर्में जितनी मात्रा में चाहे रेडियो बना सकती हैं क्योंकि उन्हें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और देश में रेडियो की मांग बहुत अधिक है। संगठित क्षेत्र के चार कारखानों से जिन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया था, उन्हें 1969 में विस्तार की मंजूरी दो गई थी जिससे उनकी कुल क्षमता 24 लाख रेडियो की हो गई लेकिन यह उनको संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत दिए गये 38 लाख रेडियो के विभाजन के अन्दर ही है।

(ङ) जी, नहीं लघु क्षेत्र में रेडियो फर्मों ने 1969-70 में 10 लाख रेडियो का उत्पादन किया और 1973-74 में इसका उत्पादन 30 लाख से अधिक हो जाने की आशा है।

भारत तथा पाकिस्तान में प्रतिरक्षा सेनाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

7885. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान का प्रतिरक्षा सेनाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय भारत से काफी अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) सरकार का इस हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है कि प्रतिरक्षा के बजट परिव्यय का उचित उपयोग हो और भविष्य में कोई कमी न हो ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तानी मुद्रा को इस मूल्य को ध्यान में रखते हुए 1969-70 वर्ष के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान की रक्षा सेनाओं पर तुलनात्मक प्रति व्यक्ति व्यय क्रमशः 20.55 रुपए और 32.55 रुपए हैं। पाकिस्तान के आंकड़े "मिलिट्री बैलेंस में दिए गए रक्षा व्यय पर आधारित हैं। तथापि यह कहा जा सकता है कि "मिलिट्री बैलेंस" में दिए गए पाकिस्तान के रक्षा व्यय के आंकड़े कम करके बताए गए हैं। हमारे विशेषज्ञों ने वास्तव में उनका प्रति व्यक्ति जो जायजा लिया है उसके अनुसार रक्षा व्यय 53.00 रुपए हैं।

(ग) पीछे जो भी कमी आई यह मुख्य रूप से भण्डारों को उपलब्धि में थी और उस कारण माल की सप्लाई पूरी होने में देरी और निर्माण कार्यों तथा भूमि अर्जन कर काफी बड़ी पूंजी का व्यय होता था। इस चीज की सुनिश्चितता के लिए सरकार ने आवश्यक कार्यवाही कर ली है जिससे कि भण्डारों की सप्लाई के लिए दिए जाने वाले आर्डर वास्तविक सप्लाई में होने वाले बिलम्ब को ध्यान में रख कर काफी समय पूर्व लिए जांय। जहां तक पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध है, इस बात की सुनिश्चितता के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि निर्माण को मंजूरी आविलम्ब दी जाय और भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्रवाई को और तेज गति दी जाय।

काश्मीर के शिल्पियों को केन्द्रीय सहायता

7886. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इकोनामिक टाइम्स' के दिनांक 16 फरवरी, 1970 में 'काश्मीर के शिल्पी जीवन-निर्वाह के स्तर से नीचे' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो शिल्पियों के आर्थिक उत्थान के लिये काश्मीर को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) योजनागत आवंटनों में हस्तशिल्प के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है । चौथी पंचवर्षीय योजना में जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये हस्तशिल्प के विकास हेतु 89.62 लाख रु० की व्यवस्था की गई है जिनमें से वर्ष 1970-71 के लिये 15.50 लाख रु० रखे गये हैं । आशा है कि इस आवंटन द्वारा प्रस्ताविक विकास होने पर शिल्पियों का आर्थिक उत्थान होगा ।

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण तथा विस्तार

7887. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग के विस्तार तथा आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्य के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा खर्च किये जाने के लिये कितनी राशि रखी गई है ;

(घ) औद्योगिक वित्त निगम को ऋणों के लिये विभिन्न जूट मिलों से अब तक प्राप्त आवेदनपत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या यह सच है कि जूट उद्योग द्वारा ऋण सुविधा का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारण मालूम किये हैं ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) : पटसन उद्योग में उत्पादन के आधुनिकीकरण, विस्तार एवं विविधीकरण को सभी सम्भव प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं । पटसन उद्योग को आय-कर अधिनियम की अनुसूची 5 में शामिल करने से इसे ऊंची दर पर विकास छूट मिल सकेगी और इस प्रकार प्राप्त धन का वह पूंजीगत निवेश के लिये उपयोग कर सकेगा । इस कार्य के लिये औद्योगिक वित्त निगम के मारफत ऋण दिये जा रहे हैं । मिलें प्रत्येक मामले में विस्तृत योजनाएं तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करेंगी ।

(ग) 8 करोड़ रुपये ।

(घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है ।

(ङ) तथा (च) : जी नहीं । तथापि कालीन अस्तर के सम्बन्ध में व्यापारिक परिस्थितियों में अस्थायी परिवर्तन आने और इसके परिणामस्वरूप चौड़े करघों की स्थापना सम्बन्धी योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा हो जाने से मंजूरशुदा ऋणों के विवरण की गति हाल में कुछ धीमी हो गई है ।

चाय उद्योग के बारे में भारत-श्रीलंका करार

7888. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं, विशेषतः उसकी बिक्री के बारे में पारस्परिक परामर्श के लिये श्रीलंका सरकार के साथ कोई करार है ;

(ख) चाय पर निर्यात शुल्क हटाने के सरकार के प्रस्ताव को देखते हुए क्या श्रीलंका सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को शिकायत पत्र भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या श्रीलंका के वाणिज्य मंत्री के विचार में चाय के सम्बन्ध में एक साथ काम कर रहे दोनों देश विश्व में चाय के मूल्यों में स्थिरता ला सकते हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) **तथा** (घ) : चाय के मूल्यों को स्थिर करने की अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही पर खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में बातचीत हुई है। चाय निर्यातक देशों की मारीशस में हुई बैठक में यह बात स्वीकार की गई कि 1970 के अनुमानित निर्यातों में से 9 करोड़ पौंड चाय हटा ली जायेगी। इस विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये नियामक उपाय तैयार करने के लिये तथा मूल्यों को स्थिर करने के लिये आवश्यक उपायों का और अध्ययन करने हेतु एक चाय सम्बन्धी परामर्श समिति बनाई गई है जिसमें उत्पादन करने वाले तथा आयात करने वाले प्रमुख देश शामिल हैं।

उपाय तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिये भारत तथा श्रीलंका संयुक्त रूप से कार्य करने के लिये सहमत हो गये हैं। साथ ही, भारत तथा श्रीलंका चाय के संयुक्त संवर्धन में और विशेषतः चुने हुए विदेशी बाजारों में मिश्रित तथा डिब्बा-बन्द चाय के विपणन के लिये एक संयुक्त सार्थ संघ की स्थापना के लिये सहयोग कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काश्मीर के मामले पर ईरान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन

7889. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री रा० की० अमीन :**

श्री मणिभाई जे० पटेल : **श्री प्र० के० देव :**

श्री घो० ना० देव : **श्री मीठालाल मीना :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की अपनी हाल ही की यात्रा के दौरान ईरान के शाह ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) काश्मीर के बारे में सरकार की स्थिति सर्व विदित है और ईरान की सरकार इसे जानती है। पाकिस्तान सरकार द्वारा अथवा उसके किसी हिमायती द्वारा कोई दावा करने से अथवा घोषणाएं करने से जम्मू तथा काश्मीर की इस स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ सकता कि वह भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन, 10-3-70 की संयुक्त विज्ञप्ति में एक ऐसे क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है कि हमारे लिए अत्यन्त चिंता का विषय है और हमने नई दिल्ली-स्थित ईरानी राजदूतावास को अपने विचारों से अवगत करा दिया है। तेहरान-स्थित अपने राजदूत को भी निदेश दिया गया है कि वह ईरान की सरकार को हमारी भावनाओं से अवगत करा दें।

संचार प्रयोजनों के लिये उपग्रह की स्थापना में बेकार इंजीनियरों को रोजगार

7890. **श्री गाडिलिंगन गौड :** **श्री देवकीनन्दन पटौदिया :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार प्रयोजनों के लिये, जिसमें टेलीविजन कार्यक्रम का पारेषण शामिल है, भारत जिस उपग्रह की स्थापना करेगा, उसमें कुछ बेरोजगार भारतीय इंजीनियरों को काम मिलने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में अन्य बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भिक अध्ययन विशेषतः इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में भाभा कमेटी द्वारा परिकलित आंकड़ों के आधार पर यह आशा की जाती है कि संचार उपग्रह पर आधारित बड़े पैमाने पर टेली-विजन पद्धति का अभिकल्पन, विकास तथा लोहे का सामान तैयार करने के काम में लगभग 4,500 ग्रेजुएट इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों एवम् बहुत से प्रविधिक्षों तथा कारीगरों को रोजगार मिल सकेगा। इस अनुमान से परियोजना का निर्माण करने, उसे चलाने तथा उसके सभी सिस्टमों की देखभाल करने के लिये जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। वह संख्या इसमें शामिल नहीं है।

(ग) इंजीनियरों को नौकरियां देने के सम्बन्ध में और साधन जुटाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने मई, 1968 में कई कदम उठाये थे। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की एक सूची 26 जुलाई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत की गई थी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा निरन्तर की जाती है।

विद्युत संकट पैदा न होने देने के लिए कार्यवाही

7891. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत तथा शक्ति सप्लाई उपकरणों के निर्माण में लगे बम्बई के प्रमुख उद्योग-पतियों ने विद्युत संकट पैदा न होने देने के लिये कोई कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : बम्बई में हुई इन्डियन इलैक्ट्रिकल्ज मैन्युफेचरर्ज एसोसियेशन की 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक में पदयुक्त अध्यक्ष ने अपना अध्यक्षीय अभिभाषण देते हुए इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि चौथी पंचवर्षीय योजना के 220 लाख के० वी० के लक्ष्य को बढ़ाकर कम से कम 250 लाख किलोवाट कर दिया जाए ताकि बहुत से राज्यों में बिजली के अकाल से बचा जा सके।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे के मुकाबले में संशोधित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बिजली के विकास के लिये परिव्यय में लगभग 371 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई है। प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 220 लाख किलोवाट से बढ़ाकर 230 लाख किलोवाट कर लिया गया है और पारेषण स्कीमों के लिये भी आवर्द्धित परिव्ययों की व्यवस्था कर दी गई है।

दूतावासों द्वारा अखबारी कागज का आयात

7892. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत तीन वर्षों में ब्रिटेन, रूस, अमरीका, पूर्व जर्मनी, जापान, पाकिस्तान और चीन के दूतावासों द्वारा अलग-अलग कुल कितने कागज का आयात किया गया ;

(ख) दूतावासों को अपने समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के लिये अखबारी कागज की कितनी आवश्यकता है ;

(ग) क्या सरकार ने शेष अखबारी कागज के उपयोग के बारे में उपर्युक्त दूतावासों से पूछताछ की है ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ दूतावास दिल्ली में अन्य समाचारपत्रों को अखबारी कागज सप्लाई कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते ।

चीनी सेना में अवांछनीय तत्वों की सफाई

7893. **श्री कंवरलाल गुप्त** : **श्री शारदा नन्द** :
श्री सूरज भान :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन अपनी सेना से अवांछनीय तत्वों को निकाल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पीकिंग स्थित हमारे दूतावास से इस बारे में कोई पूछ-ताछ की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने अखबारों की वे खबरें देखी हैं जिनमें यह कहा गया है कि चीनी सेना से अवांछनीय तत्व निकाले गए हैं। सरकार यह बात जानती है कि हाल ही में चीनी सेना के विभिन्न वर्गों में बहुत-से परिवर्तन हुए हैं लेकिन विस्तृत सूचना सुलभ नहीं है। हमारे मिशन की जानकारी में जो भी घटनाएं आती हैं उनसे वह बराबर हमें सूचित करता रहता है।

भारत द्वारा कम्बोडिया में अमरीकी जहाज को मुक्त करते समय उपस्थित होने से इन्कार करना

7894. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कम्बोडिया सरकार के इस अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया है कि वह अमरीकी जहाज को जिसका हाल में कम्बोडिया की समुद्री सीमा में अपहरण किया गया था, मुक्त करते समय उपस्थित रहे ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार का कहना यह था कि चूंकि यह विवाद संयुक्त राज्य अमरीका और कम्बोडिया के बीच था और उन्होंने स्वयं आपस में ही तय कर लिया था, इसलिए, इस समारोह में किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। अगर अमरीका और कम्बोडिया की सरकारें इस जहाज को वापस सौंपे जाने के अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की उपस्थिति चाहती थीं तो वे इसके लिए राजनयिक दलों से सम्पर्क कर सकती थीं।

बम्बई में राज्य व्यापार निगम के गोदाम में सोडियम हाइड्रो सल्फेट में आग लगाना

7895. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 अप्रैल, 1970 को राज्य व्यापार निगम के सेवरी, बम्बई स्थित गोदाम में आग लगने के कारण कितना तथा कितनी लागत का सोडियम हाइड्रो सल्फेट जला था ; और

(ख) आग लगने का क्या कारण था ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1.87 लाख रु० मूल्य का 28.8 मे० टन।

(ख) आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चला है।

पटसन से निर्मित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क हटाना

7896. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की वस्तुओं पर से उत्पादन शुल्क हटाने की पटसन उद्योग की मांग को सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) **तथा** (ख) : पटसन की कुछ प्रकार की निर्मित वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क हटा दिया गया है जब कि अन्य कुछ मामलों में शुल्क काफी कम कर दिये गये हैं। पटसन की वर्तमान कमी तथा ऊंचे मूल्यों को देखते हुए सरकार ऐसा नहीं समझती कि इस समय पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्कों में और कमी करने से निर्यातों के बढ़ाने में कोई सहायता मिलेगी।

कम्बोडिया में शांति के लिए फ्रांस का प्रस्ताव

7897. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री देवन सेन :
श्री चेंगलाराया नायडू :
श्री देवराव पाटिल :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया तथा अन्य इन्डोचाइना राज्यों में पुनः शान्ति कायम करने के लिए कार्यवाही करने हेतु फ्रांस सरकार "हितवद्ध पक्षों" का एक सम्मेलन आयोजित करने के प्रस्ताव को पहल की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) फ्रांस सरकार ने, 2 अप्रैल 1970 की जारी की गई घोषणा में सुझाव दिया है कि हिन्द चीन के बीच होने वाले अनिश्चित संघर्ष को तभी रोका जा सकता है जब कि सभी संबन्ध पक्ष स्थायी शान्ति के आधार की खोज करने और उसे सुरक्षित रखने के विचार से परस्पर बातचीत करें। उन्होंने सम्मेलन का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, हालांकि ऐसी बात भी नहीं कि उन्होंने उसे इसमें शामिल न किया हो।

(ख) भारत सरकार फ्रांस के इस विचार के विरुद्ध में नहीं है। भारत सरकार किसी भी ऐसे पहल का स्वागत करेगी, जिससे इस प्रदेश में शान्ति स्थापित हो और वह राजनयिक सूत्रों के माध्यम से विभिन्न सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

Pay, Allowance and benefits to Employees in Indian Embassies

7898. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees, category-wise, in the Indian Embassies abroad

(b) the details of pay, allowances and other facilites being provided to the above employees ; and

(c) the details of rules and regulations under which their services fall ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Information is given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT. 3344/70].**

(b)The scales of pay admissible to different categories of India-based employees working in Indian Missions abroad are given in the statement attached. In addition to their pay the employees are paid foreign allowance which varies not only according to the category of staff but also from country to country and from time to time in accordance with the local cost of living. They are further entitled to Children's Education Allowance, free furnished accommodation, medical attention and passages on transfer and home leave.

(c) The India-based employees in Missions are governed by the Indian Foreign Service (Pay, Leave Compensatory Allowances) Rules, 1961, and other rules and regulations prescribed by the Government of India for these employees from time to time. As regards the local employees in our Missions abroad, the rules and regulations governing their service are prescribed by Government generally in line with those laid down by the local Governments and other diplomatic missions in those countries, and vary from country to country.

Prevention of Exploitation of one Country by another Country

7899. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the measures being taken by India with the co-operation of the United Nations Organisation to end exploitation of one country by other country with a view to promoting international peace and prosperity ?

The Deputy Minister in the Ministry External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : India has always supported the view in the United Nations that international peace and prosperity can be achieved through the elimination of exploitation of one country by another, and towards this end we have supported moves towards the universal acceptance of the sovereign equality and territorial integrity of all States, freedom from colonial subjugation and racial discrimination, the liquidation of Economic Military and political domination and its replacement by cooperation between countries on a footing of equality and mutual benefit.

U. N. Resolution regarding ban on Export to and Import from Rhodesia

7900. **Shri Molahu Prasadh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the latest position in regard to demand made in the Resolution passed unanimously in the

Security Council on the 29th May, 1968 in respect of imposing a ban on export and import from Rhodesia and also on other economic treaties ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : A complete ban on trade with Southern Rhodesia was imposed with effect from November 17, 1965, that is, immediately after the Unilateral Declaration of Independence by the racist regime. India has no treaties or agreements of any kind with Southern Rhodesia.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Staff and Representatives in Indian Embassies

7901. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian representatives, category-wise, in foreign countries alongwith the names of the places, country-wise, where they have been stationed ;

(b) the basis on which the said representatives and employees are selected and appointed ; and

(c) the number of representatives and employees out of them who belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and of those who belong to other castes ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The selection and appointment to posts of Heads of Missions is made on the recommendation of the Foreign Minister and with the approval of the Prime Minister and the President. The basis on which selections for these appointments are made is the suitability of the person concerned for the particular assignment.

The Selections and appointments of employees are regulated by duly constituted Boards, which take into account such factors as period of duty at a particular station, experience, previous postings, language skills, availabilty of posts and the over all requirements of the services.

सरकार द्वारा नेफा सम्बन्धी प्रतिवेदन का प्रकाशन

7902. **श्री रणजीत सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेफा संबन्धी प्रतिवेदन के कुछ और भाग प्रकाशित करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : नेफा में सैनिक सक्रियाओं के बारे में हंडरसन ब्रुक की रिपोर्ट के मुख्य परिणामों को लोक सभा में रक्षा मन्त्री ने 2 सितम्बर 1963 के विवरण में सारांश रूप में बता दिया था। इस कागजाज को सदन के समक्ष न रखने अथवा इसके संक्षिप्त या सम्पादित कथन को प्रकाशित न करने के कारण उस विवरण के पैरा 5 और 6 में और बाद में कई अन्य अवसरों पर स्पष्ट कर दिये गये थे। वही कारण अब भी है।

रबड़, चाय और काफी बागान में उत्पादन

7903. **श्री जुगल मंडल** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़, चाय और काफी उसे तीन मुख्य बागानों ने वर्ष 1969-70 के लिये निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के कितनी कमी है और इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) यद्यपि रबड़ के उत्पादन में 1969-70 के लिये निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त हो जाने की आशा है तथापि चाय तथा काफी का उत्पादन उनके लिये 1969-70 के लिये निर्धारित लक्ष्यों से कम होगा।

(ख) जहां तक चाय का संबन्ध है, कमी 90 लाख क्रिगा तक होने का अनुमान है। यह कमी, अगस्त, 1969 में, जब कि फसल पकने की चरम-ऋतु थी, पश्चिमी बंगाल में 2 लाख बागान कर्मचारियों द्वारा 17 दिन की हड़ताल और दक्षिणी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, के कारण हुई।

जहां तक काफी का संबन्ध है, 6 हजार मे० टन की कमी होने का अनुमान है। यह प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण हुई, जैसे कि पौधों में फूल आने के बाद सहायक फुहारों का अभाव तथा गत नवम्बर-दिसम्बर में असामयिक वर्षा, जिससे बीज झड़ गये और फट गये।

विदेशी सहयोग से भारत में नियंत्रित टैंक-तोड़ प्रक्षेपणास्त्रों का बनाया जाना

7904. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नियंत्रित टैंक-तोड़ प्रक्षेपणास्त्र बनाने के लिए एक विदेशी फर्म के साथ एक करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कि विभिन्न अवस्थाओं की लक्ष्य-तिथियां क्या हैं;

(ग) यह कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा, और

(घ) विदेशी फर्म का नाम क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित नारायन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) ब्यौरों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

आयुध कारखानों में प्रतिरक्षा उपकरणों का वार्षिक मूल्य

7905. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में हाल के किसी वर्ष में कुल कितने मूल्य के प्रतिरक्षा उपकरण तैयार किये गये और 1948 से 1954 के बीच के किसी एक वर्ष में इसका सापेक्ष मूल्य क्या था और 1973 में इसका प्रत्याशित मूल्य कितना होगा,

(ख) प्रतिरक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर होने के लिए लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) भारत में लड़ाकू विमान, टैंक, पनडुब्बियां, विमान-भेदी हथियार तथा इनको भारत में तैयार करने के लिए सहायता किन देशों से प्राप्त हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1950-51 वर्ष के दौरान रक्षा उपस्कार जो जो जारी किये गए थे उनका मूल्य लगभग 12.92 करोड़ रुपये था। 1968-69 वर्ष के दौरान कुल आर्डनेंस फैक्टरीज से जारी किये गए मूल्य 114.15 करोड़ रुपये के थे जिसमें हैवी व्हीकल फैक्टरी आवड़ी भी शामिल है। 1973 वर्ष के दौरान प्रत्याशित मूल्य 150 करोड़ से अधिक होने की आशा है।

(ख) आत्मनिर्भरता धीरे धीरे प्राप्त की जा रही है और बहुत से रक्षा उत्पादनों में प्राप्त कर ली गई है। तथापि वर्तमान स्थिति में कुछ सीमाएं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तथा तकनीकी उन्नति और विकास करने और बड़े जटिल मदों के बारे में है।

(ग) यू० एस० एस० आर०, यू० के०, फ्रांस, जेकोस्लोवाकिया और स्वीडन ऐसे देश हैं जहां से भारत ने लड़ाकू विमान, टैंक, पनडुब्बी और एण्टी एयर-क्रैफ्ट हथियार प्राप्त किये थे तथा भारत में कुछ उपस्कारों की मदों के उत्पादन में सहायता प्राप्त की थी।

सोडा-रसायनों का आयात

7906. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से अब तक कितने मीटरी टन और कितने रुपये के मूल्य का लाइट सोडा ऐश, हैवी सोडा ऐश और कास्टिक सोडा आयात किया गया; और

(ख) इनमें से प्रत्येक रसायन का कितनी मात्रा में, रुपयों में समान मूल्य निर्यात के बदले प्रोत्साहन के रूप में और सीधे आयात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1968-69 और 1969-70 (दिसम्बर, 1969 तक-इसी मास तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) में आयातित विभिन्न प्रकार के सोडे का परिणाम और मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयात के आंकड़े प्रत्येक वर्ग के लिये दिये गये आयात लाइसेन्सों के आधार पर नहीं रखे जाते अपितु किसी भी वस्तु के रूप में रखे जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 (दिसम्बर, 1970 तक) में सोडा ऐश (न्यूट्रल सोडियम कार्बोनेट) और कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्रोक्साइड) का आयात।

मूल्य हजार रु० में
परिणाम मै० टन में

क्रमांक	व्यौरा	1968-69		1969-70 (दिसम्बर 1969 तक)	
		परि०	मूल्य	परि०	मूल्य
1.	सोडा ऐश (न्यूट्रल सोडा कार्बोनेट)				
	(क) डैन्स	7	3	—	—

क्रमांक	ब्यौरा	1968-69		1969-70 (दिसम्बर, 1969 तक)	
	(ख) लाइट	–	–	–	–
	(ग) अन्य	2	2	नगण्य	3
	योग : 1	9	5	नगण्य	3
2.	कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्रोक्साइड)	525	414	25	33

आयुध कारखाना, शकूरबस्ती, दिल्ली में अग्निकांड

7907. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री न० रा० देवधरे :
श्री न० कु० सांधी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1970 की शाम को शकूरबस्ती स्थित आयुध कारखाने के एक गोदाम में आग लगी थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके परिणामस्वरूप कितना हानि हुई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुलिस का जो दल इस डिपो में पहुंचा उसे परिवार में नहीं जाने दिया गया और सैनिक अधिकारियों ने उन्हें इस अग्निकांड के सम्बन्ध में प्रचार न करने का हिदायतें दी ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) प्रत्यक्षतः संदर्भ आर्डनेंस डिपो शकूर बस्ती के सम्बन्ध में है। यह सच है कि इस डिपो में 29 मार्च, 1970 को आग लग गयी थी।

(ख) एक स्टाफ जांच अदालत मामले की जांच कर रहा है तथा हानि को निर्धारित करेगा। जो पदें इसमें शामिल हैं उनमें तम्बू, तम्बू के लट्ठे, तम्बू की लकड़ी को देखें, सलीथा और वाटर प्रूफ कमरे थे।

(ग) जी नहीं, वास्तव में एक पुलिस दल डिपो के अन्दर गया और उसने घटना स्थल को देखा। उससे आग के प्रचार के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना नहीं की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयात के समय सैनिक सेवा में गये असैनिक सरकारी कर्मचारियों के मामले में धारणाधिकार, वेतन तथा भविष्य निधि के बारे में आदेश लागू करना

7908. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारणाधिकार वेतन तथा भविष्य निधि के बारे में जो प्रतिरक्षा मन्त्रालय के दिनांक

20 मार्च, 1963 के अपने ज्ञापन संख्या 1-4-63-डी० (पे)/सोसिज तथा उससे संलग्न अनुबन्ध I, II, तथा III में जारी आदेश और गृह-कार्य मन्त्रालय के दिनांक 4 दिसम्बर, 1962 के ज्ञापन संख्या एफ० 35-1-62-इस्टाब्लिशमेंट (बी) में निहित आदेश उस असैनिक सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते है जो पिछले "आपात" में सैनिक सेवा में गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित ज्ञापन से संलग्न अनुबन्ध-III में निहित आदेशों के बावजूद प्रतिरक्षा सेवा महा नियंत्रक ने असैनिक कर्मचारियों की भविष्य निधि में अंश-दान तथा सरकारी अंशदान राशि का सैनिक सेवा के दौरान उसके द्वारा लिये गये वेतनों के आधार पर हिसाब लगाने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार प्रतिरक्षा लेखा महा नियंत्रक को आवश्यक हिदायतें देने को है कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित ज्ञापन के अनुबन्ध III में निहित आदेशों के अनुसार असैनिक कर्मचारियों को भविष्य निधि की राशि दी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां । केवल इस मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/ 4/ 63-डी (पे/ सर्विसेज) दिनांक 20-3-1963 में उल्लिखित सीमा तक ।

(ख) से (घ) : गृह मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 35/ 1/ 62-इस्टेबलिशमेंट (बी) दिनांक 12, 1962 के अन्तर्गत भविष्य निधि और सरकारी अंशदान राशि को जमाकर्ता के भविष्य निधि तथा सरकारी कर्मचारी द्वारा सैनिक सेवा के दौरान लिए गए वेतनों (जैसाकि विभिन्न सम्ब-न्धित निधियों के नियमों में बताया गया है) के आधार पर हिसाब लगाया जाएगा । कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में बताया गया है कि आदेश इन पर लागू नहीं होंगे (रेलवे सेवा में काम करने वाले व्यक्ति (2) असैनिक सेवा में काम करने वाले व्यक्तियों को छोड़ कर जो संविदा पर काम कर रहे हैं और संविदा के दौरान स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं; और (3) सेवा के लिए बुलाए गए रिजर्विस्ट अस्थाई रूप से सैनिक सेवा में प्रविष्ट हुए एक रेलवे अधिकारी के मामले में प्रतिरक्षा सेवा महा नियंत्रण ने सामान्य आदेशों की व्याख्या की कि जहां सरकारी अंशदान दिया जाना है, उसका हिसाब रेलवे सेवा में सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए वेतनों के आधार पर लगाया जाएगा ।

प्रतिरक्षा सेवा महा नियंत्रक ने मामला सरकार को भेजा है और वह अब विचाराधीन है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिजली

†7909. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिजली की आवश्यकता का इस योजना लिए बिजली के निर्धारित लक्ष्यों से मिलान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों की परस्पर स्थिति क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) बिजली विकास के सम्बन्ध में राज्यों और केन्द्र की योजनाओं के लिए उपलब्ध परिव्यय के अनुसार 1973-74 के अन्त तक अनुमानत: 230 लाख किलोवाट बिजली की स्थापित क्षमता

हो जायेगी। इस क्षमता से सभी उद्योगों, सिंचाई पम्पों और अन्य आवश्यकताओं की बिजली सम्बन्धी मांग पूरी हो जायेगी।

प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ द्वारा औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त अथवा तदर्थ वेतन वृद्धि की मांग

†7910. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने विभिन्न प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में ऐसे औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त अथवा तदर्थ वेतन-वृद्धि की मांग की है जो गत दो वर्षों या इससे अधिक अवधि के बाद अपने वेतन मान की अधिकतम राशि प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार एक सामान्य विषय के रूप में इसकी जांच कर रही है। यदि और जब कभी असैनिक पक्ष के लिए सामान्य आदेश जारी किए जायेंगे तो रक्षा पक्ष में भी उन्हें लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

सऊदी अरब को निर्यात

7911. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में वर्षवार सऊदी अरब को किये गये निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या यह सच है कि कपड़े के निर्यात में कमी हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) सऊदी अरब को हमारे निर्यात इस प्रकार हैं :—

(लाख रु० में)

1966-67 (अप्रैल-मई)	1966-67 (जून-मार्च)	1967-68	1968-69	1969-1970 (अप्रैल-दिसम्बर)
अवमूल्यन पूर्व				(9 मास)
21	438	590	1097	1053

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3345/70**]

(ग) जी नहीं। इसके विपरीत, कपड़े के हमारे निर्यात वर्ष 1967-68 में 90.5 लाख रु० के थे जो 1968-69 में बढ़कर 106 लाख रु० मूल्य के हो गये।

1970 का हज यात्रा सम्बंधी प्रतिवेदन

7912. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को सरकारी प्रतिनिधिमन्डल या किसी संसद् सदस्य से 1970 का हज यात्रा सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां; "हज रिपोर्ट—1970" के शीर्षक से एक रिपोर्ट सरकार को मिली है जो बेगम शमशाद दर तथा माननीय सदस्य द्वारा सम्मिलित रूप से लिखी गई है ।

(ख) यह रिपोर्ट मार्च, 1970 में मिली थी ।

(ग) चूंकि माननीय सदस्य भी इस रिपोर्ट के एक लेखक हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें ब्यौरा अच्छी तरह ज्ञात है । सरकार ने इस रिपोर्ट को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा है ।

इसराइली दूतावास द्वारा एक संसद सदस्य की आलोचना

7913. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित इजरायली प्रतिनिधि द्वारा अपने बुलेटिनों अथवा अन्य प्रकाशनों द्वारा शरारत पूर्ण प्रचार किये जाने का कुछ देशों ने घोर विरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 12 जनवरी, 1970 को इजराइली दूतावास ने किसी संसद सदस्य की आलोचना की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत में इजराइली कौंसल की हाल ही की गतिविधियों के बारे में कुछ राजदूतावासों ने "कड़ा विरोध" तो प्रकट नहीं किया है, किन्तु इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है ।

(ख) और (ग) भारत में इजराइली राजदूतावास नहीं है । यह प्रश्न सम्भवतः 13 जनवरी, 1970 को इजराइली कौंसलावास द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति से उठा है, जिसमें माननीय प्रश्न-कर्ता सदस्य का नाम "इन्डिया इस्लामिक वर्ल्ड फ्रेंडशिप कन्वेशन" की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में लिया गया है । उसमें न तो किसी बात का उल्लेख था न किसी माननीय सदस्य की किसी प्रकार की आलोचना की गई थी । हालांकि 23 जनवरी की प्रेस विज्ञप्ति में इजराइली कौंसल ने औपचारिक रूप से पहली विज्ञप्ति वापस ले ली, फिर भी विदेश मन्त्रालय ने इजराइली कौंसल को बुलाया और प्रथमतः उन्हें उनकी ओर से जारी की गई इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति की अनुपयुक्तता बताई । उनसे यह भी कहा गया कि ये उन देशों की आलोचना न करें जिनके साथ भारत का मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है ।

केरल में ग्राम विद्युतीकरण और पंपसेटों को बिजली से चलाने सम्बन्धी योजनायें

7914. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण राज्यों और विशेषकर केरल में ग्राम्य विद्युतीकरण और पंपसेटों को बिजली से चलाने सम्बन्धी योजनाओं पर कुछ कठिनाइयों के कारण प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विकासशील कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार को ऐसी किन्हीं कठिनाइयों का ज्ञान नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में भर्ती-केन्द्रों का खोला जाना

7915. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के लिये पश्चिम बंगाल में केवल कलकत्ता से ही सैनिकों की भर्ती की जाती है ;

(ख) क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों में प्रतिरक्षा सेनाओं के तानों अंगों में सैनिकों की भर्ती बहुत से केन्द्रों से की जाती है जिनमें विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये केन्द्र भी सम्मिलित हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना सेवाओं भर्ती के लिये और अधिक केन्द्र खोले जायेंगे ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल की योद्धा जातियां जैसे 'नामशूद्र', 'संथाल', 'उग्र खत्रिय', 'भागदी' और अन्य जन जातियों से इफैंट्री में सैनिक भर्ती करने के विशेष प्रयत्न किये जायेंगे ; और

(ङ) पश्चिम बंगाल के किन केन्द्रों से प्रशिक्षण के लिये सैनिक अधिकारियों की भर्ती की जाती है तथा क्या स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं में बंगाली जवानों की भर्ती करने के लिये अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिये ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं । सेना की भर्ती के केन्द्र मुर्शीदाबाद, घूम और जलपाइगुड़ी में हैं ।

(ख) भर्ती केन्द्र केवल कुछ चुने हुए शहरों में स्थित होते हैं किन्तु भर्तीदल देहातों में भर्ती करने के लिए जितनी बार आवश्यक होता है जाते हैं ।

(ग) नहीं । भर्ती केन्द्रों के और अधिक खोलने की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है ।

(घ) इन्फेंट्री के लिए बंगालियों की भर्ती के लिए मांग क्षेत्रीय भर्ती अफसर, कलकत्ता को दी जाती है जो कि पूरी हो जाती है । अतः कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ङ) अफसरों का तीनों सेवाओं के लिए चयन अखिल भारतीय आधार पर होता है । संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के उपरान्त और / या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त होता है तथा किसी भर्ती केन्द्र के मार्फत नहीं होती हैं । सब पात्र अभ्यार्थी

प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। अतः किसी विशेष क्षेत्र से सरकार द्वारा अभ्यार्थियों को प्राप्त करके भर्ती के लिए विशेष प्रयत्न करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

चीन द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में गोला-बारूद बनाने के एक कारखानें की स्थापना

7916. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के पूर्वी पाकिस्तान में गोला-बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है ;

(ख) क्या चीन पूर्व-पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैरा-मलिशिया को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दे रहा है ;

(ग) क्या चीन पूर्व पाकिस्तान में नागा, मिजो और कुर्की लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है ;

(च) क्या पाकिस्तान चीनी इंजीनियरों तथा सैनिक विशेषज्ञों की सहायता से पूर्व-पाकिस्तान के सीमा क्षेत्रों, विशेषकर नायूला पास के निकट अपने उत्तरी, क्षेत्र में सड़कों, किला बन्दियों और हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो पूर्व पाकिस्तान की इस सैनिक तैयारी का ब्यौरा क्या हैं और इसका जटिलतायें क्या भारत की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान से चीन की सहायता से पूर्वी पाकिस्तान के जमदेवपुर में एक आर्डनेंस फैक्टरी लगाई है।

(ख) और (ग) सरकार को पाकिस्तानी लोगों और भारत के विरोधी तत्वों को चीनी निर्देशकों को सहायता से छापामार-युद्ध में प्रशिक्षण दिये जाने की जानकारी है।

(घ) और (ङ) यद्यपि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में सुरक्षा कार्यवाईयों और सड़क निर्माण में सुधार कर रहा है लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि इन कार्रवाईयों में चीन का हाथ भी है। ऐसे विकास कार्यों का हमारी सुरक्षा से सीधा सम्बन्ध होने के कारण इन बातों का ध्यान रखा जाता है।

हल्के और भारी रूसी ट्रैक्टरों का भूतपूर्व-सैनिकों को आवंटन

7917. **श्री एन० शिवप्पा** : **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय के पुनर्वास सम्बन्धी विभाग से भूतपूर्व-सैनिकों को कितनी प्रति-एकड़, भूमि के लिये हल्के और भारी रूसी ट्रैक्टरों का आवंटन किया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अब तक रक्षा सेवा कार्मिकों को हल्के और भारी आयातित ट्रैक्टरों (रूसी सहित) के आवंटन के लिए सामान्यतः प्रति एकड़ भूमि क्रमशः 5 एकड़ और 10 एकड़ है। हल्के ट्रैक्टरों के लिए प्रति एकड़ 10 एकड़ और भारी ट्रैक्टरों के लिए 20 एकड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विज्ञान नीति सम्बन्धी संकल्प को क्रियान्वित करना

†7918. **श्री एम० शिवप्पा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकार ने विज्ञान नीति सम्बन्धी संकल्प के बारे में विज्ञान तथा टैक्नोलोजी समिति से सम्बन्धित किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ;

(ख) क्या सरकार को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अपने बम्बई अधिवेशन में विज्ञान तथा टैक्नोलोजी के बारे में पारित किये गये संकल्प की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) विज्ञान तथा टैक्नोलोजी समिति की वैज्ञानिक नीति को लागू करने से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रतिवेदन में देश में विज्ञान और टैक्नोलोजी के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ सिफारिशें की गई है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक स्थायी दल की स्थापना की गई है जो कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से विज्ञान और टैक्नोलोजी के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन सिफारिशों पर पूरी तरह विचार करेगी।

(ख) और (ग) जी, हां। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव और प्रारम्भिक प्रतिवेदन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना विचार बनाएगी।

पश्चिम जर्मन के सहयोग से सेना के लिये मोटर गाड़ियां निर्माण करने के लिये जबलपुर में एक कारखाने की स्थापना

7919. **श्री अदिचन** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मन के सहयोग से सेना के लिये मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिये जबलपुर में स्थापित किये गये संयंत्र ने अपना पूरा उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो कब और यदि नहीं, तो उक्त संयंत्र पूरा उत्पादन कब आरम्भ कर देगा ; और

(ग) भारत में इस समय तीन स्थानों पर बन रहे विभिन्न प्रकार के सैनिक ट्रकों में विदेशी पुर्जों का अंश कितना है और नये संयंत्रों में निर्माण किये जाने वाले ट्रकों में विदेशी पुर्जों के अंश को कितना कम किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) और (ख) : नई व्हीकल फैक्टरी पूर्णता के अन्तिम चरण पर है। कुछ उपकरणों का उत्पादन आरम्भ हो चुका है। फैक्टरी द्वारा बनायी गई पहली गाड़ी 1972-73 में जारी किये जाने की आशा है। पूरी उत्पादन क्षमता 1975-76 तक हो जाने की आशा है।

(ग) 3-टन, 1-टन और गस्ती गाड़ियों में इस समय विदेशी पुर्जों का अंश क्रमशः 22 प्रतिशत, 39 प्रतिशत और 66·61 प्रतिशत है। 1973-74 तक इस अनुपात के 10 प्रतिशत तक कम हो जाने की आशा है। इसके पश्चात प्रयत्न विदेशी अंत्रा को पूर्णतया हटाने का होगा।

अन्तरिक्ष में अमरीकी सहयोग से अन्तरिक्ष किरणों संबंधी अनुसंधान

7920. **श्री अदिचन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अमरीका सरकार से हाल ही में कोई करार किया गया है जिसके अन्तर्गत भारतीय वैज्ञानिक अमरीकी वैज्ञानिकों के सहयोग से अन्तरिक्ष किरणों सम्बन्धी अनुसन्धान करेंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना पर कितना तथा किस प्रकार का खर्च आयेगा ; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर कितना खर्च किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) तथा (ग) : अमरीका की नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से प्राप्त एक निमन्त्रण के उत्तर में 'चन्द्र सतह पर कास्मिक किरणों का अध्ययन'' करने के बारे में उस ऐजेन्सी को एक प्रस्ताव भेजा गया था। इस परियोजना पर भारत जो व्यय करेगा वह केवल उपकरणों का मूल्य ही है जो 5000 रुपये के लगभग होगा।

पाकिस्तान को इटली द्वारा पनडुब्बियों की सप्लाई

7921. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली पाकिस्तान को पनडुब्बी सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान को पनडुब्बियों की सप्लाई से विश्व के इस भाग की नौवहन शक्ति के सन्तुलन में अन्तर नहीं हो जायेगा ; और

(ग) उक्त स्थिति के प्रतिकार में भारत क्या कार्यवाही कर रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सरकार हाल के पाकिस्तान और इटली के मध्य पनडुब्बियों की पहले वाले की पूर्ति के समझौते के बारे में परिचित नहीं है। तथापि समझा जाता है कि पाकिस्तान नौसेना के पास मिड गैट पनडुब्बियाँ हैं जो कि इटली की बनी बताई जाती हैं। हमारे विचार पाकिस्तान को शस्त्र पूर्ति के बारे में सब मित्र सरकारी को जिसमें इटली सरकार भी शामिल है बता दिए गए हैं।

परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिये संयुक्त अरब गणराज्य से करार

7922. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री नि० रं० लास्कर : **श्री मयावन :**

श्री दण्डपाणि : **श्री जनेश्वर मिश्र :**

श्री रमावतार शर्मा : **श्री आत्मदास :**

श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अणु शक्ति क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच एक नया करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, वित मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : कोई नया करार नहीं किया गया है लेकिन जुलाई, 1962 में किये गये करार की अवधि जुलाई, 1975 तक बढ़ा दी गई है।

पक्षियों और पशुओं का निर्यात

7923. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को निर्यात किये जा रहे उन भारतीय पशुओं और पक्षियों का ब्यौरा क्या है जिनके द्वारा काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है ;

(ख) 1968-69 और 1969-70 में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ग) उक्त व्यापार में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : **(क) तथा (ख)** : 1968-69 तथा 1969-70 (जनवरी, 1970 तक) के दौरान पशुओं और पक्षियों का निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3346/70]**

(ग) निर्यातकों को लाइसेंस की औपचारिकताओं से बचाने के लिए अधिकतर पशुओं और पक्षियों को निर्यात (नियंत्रण) आदेश के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर रखा गया है। और अधिक विदेशी मुद्रा के उपार्जन के लिये भेड़ तथा बकरियों के अयात पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है तथा इस मद को 5 जनवरी, 1970 से निर्यात के प्रयोजन के लिए विनियन्त्रित कर दिया गया है। कतिपय पशुओं और पक्षियों की सीमित प्राप्यता तथा दुर्लभ जातियों को पूर्णतः सामाप्त होने से रोकने की आवश्यकता के कारण कुछ पशुओं तथा पक्षियों का निर्यात नियन्त्रित और नियमित कर दिया गया है।

माही परियोजना के अन्तर्गत बांध का निर्माण

7924. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :
डा० सुशीला नैयर :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री हीरजी भाई :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की अनुमति प्राप्त ने होने के कारण माही परियोजना के अन्तर्गत मुख्य बांध के निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं हो सका है;

(ख) क्या अब सब औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और बांध निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क), (ख) और (ग) माही बजाजसागर (बंसवाडा परियोजना की अनुमानित लागत 29·56 करोड़ रुपये है जिसमें राजस्थान का भाग 21 करोड़ रुपये है और शेष भाग गुजरात का है।

परियोजना तकनीकी रूप से स्वीकार पाई गई है परन्तु इसे अभी तक योजना आयोग ने स्वीकार नहीं किया था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिये संसाधन राजस्थान को विकासात्मक योजना में उपलब्ध नहीं थे।

राज्य सरकार परियोजना को चरणों में बनाने और इस समय इसके केवल सिंचाई भाग को शुरू करने पर विचार कर रही है। योजना आयोग ने राज्य सरकार से प्रार्थना की है कि वे इस प्रस्ताव का ब्यौरा भेजें ताकि वे इस विषय पर और विचार-विमर्श कर सकें।

ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम की प्रतिशतता

7926, **श्री रवि राय :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में देश में सबसे कम काम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उड़ीसा को बिजली के मामले में बिजली की राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिये क्या कार्यवाही की है, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा राज्य देश के उन राज्यों में से है जिनमें विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशतांश न्यूनतम है ;

(ख) उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर जिनमें पम्पसैटों के उर्जन पर बल दिया गया है, तीसरी योजना के दौरान हुए 2.76 करोड़ रुपये के व्यय के मुकाबले में राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजनो में 6 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिये ग्राम विद्युतीकरण निगम भी धन की व्यवस्था करेगा। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से अभी तक तीन स्कीमें आ चुकी हैं 278 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 6225 पम्पों के उर्जन के लिये निगम इस पर विचार कर रहा है। उड़ीसा राज्य के अधिकारियों से कहा गया है कि वे सिंचाई पम्पों के उर्जन के लिये एक सम्बन्धित कार्यक्रम बनाएं।

कच्छ और काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के बारे में अध्ययन

7927. **श्री बलराज मधोक :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पकिस्तान द्वारा कच्छ और काश्मीर में 1965 में किये गये आक्रमण के बारे में प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने कोई विस्तृत अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन किस प्रकार का है और भविष्य में मार्ग प्रदर्शन के लिये सरकार ने इससे क्या सबक सीखा ; और

(ग) भविष्य के लिये सरकार ने इससे क्या सबक लिए हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : जैसा कि संसद को स्मरण होगा, 1965 की सक्रियाओं के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अपनी पूर्ण श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है। विभिन्न सैनिक सक्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण केवल इसलिए किया जाता है। जिससे कि उससे कोई पाठ ग्रहण किया जा सकें और 1965 की सैनिक सक्रियाएं इसका अपवाद नहीं थी।

सशस्त्र सेनाओं को और अधिक आक्रामक शक्ति बनाने के लिए अपनाये गए विभिन्न उपायों का पूरा विवरण रक्षा मन्त्रालय का वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। 1965 के अनुभव से भी यही

बताया है कि रक्षा उपकरणों के लिए बाह्य देशों पर हमारी निर्भरता कम होना चाहिए और इसलिए आधुनिकीकरण और आत्म निर्भरता की दिशा में हमारे प्रयत्न जारी हैं।

Construction of Lift canals in Uttar Pradesh

*7928. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lift canals are being constructed at such places in Uttar Pradesh where the sub-soil water is at higher level and in plenty and that no lift canal is being constructed in Tehsil Pokhrayan, Kanpur where it is not possible to set up tube-wells and the Jamuna water has also to be lifted from 100 feet below the ground level ;

(b) whether it is a fact that water is lifted from 1000 feet below the ground level in Russia ; and

(c) if so, the reasons for not lifting the same from only 150 feet below the ground level in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Uttar Pradesh have reported that no lift canals are being constructed by them where the sub-soil water at high level is available in plenty. They have further reported that schemes under lift irrigation are being sanctioned by them on no-profit-no-loss basis ; and that if water is lifted as much high as 150 feet or more, the scheme becomes uneconomic. The lift canal in tehsil Pokhrayan is not considered by them to be feasible.

(b) and (c): The Ministry of Food and Agriculture have stated that wells have been drilled upto depth of 1000 feet in parts of USSR in Central Asia. The Exploratory Tube-well Organisation and the State Governments have drilled wells beyond 150 feet in may parts of the country. Under the All India Groundwater Exploration, a number of wells have been drilled by them beyond 1000 feet also.

Manufacturing of Cement Poles

*7929. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cement poles manufactured with the help of old rails would be cheapter, if they are manufactured at the sites where they are to be fixed ; and

(b) if so, the scheme formulated by Government in this egard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b): The use of rods as reinforcement in the manufacture of reinforced cement concrete poles for electric line supports is cheaper than the use of old rails for reinforcement according to prevalent prices of rods and scrap rails. Reinforced cement concrete poles using rods as reinforcement are generally manufactured by the various State Electricity Boards as far as possible at selected Centres near the places of requirement.

थुम्बा में राकेट छोड़ने का केन्द्र

7930. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत वर्ष थुम्बा स्थित राकेट छोड़ने के केन्द्र से कुल कितने राकेट छोड़े गये; और

(ख) इस पर कुल कितना खर्च आया और राकेट किस प्रयोजन के लिये छोड़े गये ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, वित्त मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1970 की अवधि में 77 राकेट छोड़े गये ।

(ख) इन पर 33 लाख रुपये खर्च हुए । ये राकेट उच्च वायुमण्डल में वैज्ञानिक खोज करने तथा देश में बनाये गये राकेटों की कार्यदक्षता का पता लगाने के लिए छोड़े गये थे ।

राज्यों में बाढ़ संबन्धी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना

7931. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में बाढ़ सम्बन्धी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या उन राज्यों तथा अन्य राज्यों में बाढ़ संबन्धी चेतावनी केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है, जो राज्य आंध्र प्रदेश के नदी के पानी के प्रयोग के अधिकारों के बारे में समर्थन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : 1963 में स्थापित की गई वैज्ञानिक बाढ़ पूर्व-सूचना समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये और 1959 में दिल्ली में स्थापित की गई प्रयोगात्मक बाढ़ पूर्व-सूचना यूनिट के अनुभव के आधार पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के राज्यों में बाढ़ पूर्व-सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

इन केन्द्रों के स्थापित करने का मानदंड विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ों का बार बार आया है न कि अन्तर्राज्यीय विवाद । इन केन्द्रों की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभवों के आधार पर पांचवी योजना में कार्यान्वयन के लिये, जहां आवश्यक होगा, और यूनिट आयोजित किए जाएंगे ।

Contribution of Indian Scientists in Apollo-13

7932. **Shri Ram Avtar Sharma** : **Shrl Ram Gopal Shalwale** :
Shri Atma Das :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether there was any contribution of the Indian Scientists in respect of moon voyage by Apollo-13 ;

(b) if so, the arrangements made with U. S. A. for dissemination of news, exhibition of pictures and telecasting of programmes in respect of the said voyage; and

(c) the arrangements made to cnsure that thc scientific data collected as a result of the said voyage is transmitted to the Indian scientists ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Finance and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

सिथेटिक टाप बनाने वाले बेकार कारखाने

7933. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री जय सिंह :

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सिथेटिक टाप बनाने वाले तीन कारखाने हैं जिन पर देश की बहुत अधिक विदेशी मुद्रा लगी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कच्चे माल के आयात के लिए धन का नियतन न किये जाने के कारण ये कारखाने बेकार पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) यह सच है कि भारत में संश्लिष्ट टाप बनाने वाले ऐसे तीन संयंत्र हैं जिनमें आयातित मशीनें लगी हुई हैं।

(ख) तथा (ग) : तीन संयंत्रों में से केवल दो संयंत्र ही बेकार पड़े बताये गए हैं। तीनों संयंत्रों की आयातित कच्चे माल की आवश्यकताओं को ऐसे माल से निर्मित संश्लिष्ट टाप्स और/अथवा कट स्टेपलों के निर्यात के आधार पर, प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यवस्था की जा रही है।

भारत में आयुध कारखाने तथा उनका वार्षिक उत्पादन

7936. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने आयुध कारखाने हैं तथा उनका वार्षिक उत्पादन मूल्य कितना है;

(ख) सभी आयुध कारखानों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) (एक) प्राथमिक धातु उत्पादक वर्ग (दो) रसायनिक तथा विस्फोटक वर्ग और (तीन) इंजीनियरिंग तथा विविध वर्ग में कितने कारखानें हैं;

(घ) छोटे हथियारों का निर्माण करने वाले कारखानों की संख्या कितनी है तथा अन्य सरकारी-क्षेत्र उद्योगों की तुलना में इन कारखानों से कितनी उपलब्धि होती है; और

(ङ) क्या हाल में उत्पादन प्रणाली में सुधार किये जाने के परिणामस्वरूप आयुध कारखानों में मजदूर फालतू हो गये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) 28 (हैवी व्हीकल फैक्टरी, अवाड़ी और एक्सलरेटेड फ्रीज ड्राइड फैक्टरी, टुंडला को छोड़कर) 1968-69 के दौरान इन 28 आर्डनेंस फैक्टरियों से 102.95 रुपये (अन्तिम) मूल्य की मदें जारी की गई थी।

(ख) 1,24,965

(ग) (1) प्राथमिक धातु उत्पादक वर्ग –5

(2) रसायनिक तथा विस्फोटक वर्ग –3

(3) इंजीनियरिंग तथा विविध वर्ग –15

बाकी के 5 कारखानें क्लोदिंग और इक्वपमेंट ग्रुप के हैं।

(घ) 3 कारखाने छोटे हथियार बनाते हैं। आर्डनेंस कारखानों से सेनाओं को वास्तविक उत्पादन मूल्य के आधार पर जारी किये जाते हैं और उससे उपलब्धि का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कुछ फालतू क्षमता और फालतू मजदूर केवल आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरियों में है और वह भी सेनाओं द्वारा कपड़े की मदों की मांग घटने से हुई है।

जन संघ तथा स्वतन्त्र पार्टियों के विरुद्ध रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस प्रसारण

7937. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स में रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस प्रसारण के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या हाल ही में रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस प्रसारण से जन संघ और स्वतन्त्र पार्टी को इसलिए आलोचना की गई है क्योंकि ये पार्टियां अरब-इसराइल संघर्ष तथा अमरीकी सेंट्रल इंटैलीजेंस की सहायता से सैगौन का समर्थन करने के बारे में भारत सरकार की नीति की आलोचना करती है;

(ग) क्या सरकार ने रूस के गैर-सरकारी रेडियो में प्रसारित होने वाले ऐसे निरर्थक आरोपों के विरुद्ध आकाशवाणी अथवा रूस स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से जवाबी कार्यवाही करना और उसका प्रतिवाद करना उचित समझा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त आलोचना का मुकाबला करने के लिए मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने क्या कदम उठाये हैं, और यदि कोई कदम नहीं उठाये गए हैं तो सरकार ने रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस के प्रचार को क्यों सहमति दी हुई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : सरकार नहीं समझती कि इसके खंडन के लिए जो तरीका सुझाया गया है, वही सर्वोत्तम मार्ग है। बहरहाल, सरकार ने इस प्रकार के अवांछनीय प्रसारणों से सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ को अवगत करा दिया है।

कम्बोडिया की स्थिति के बारे में राष्ट्र संघ के महासचिव की भारतीय राजनयिक से वार्ता

7938. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1970 को राष्ट्र संघ के महासचिव ने कम्बोडिया की स्थिति के बारे में भारतीय राजनयिक से चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वार्ता हुई थी और कम्बोडिया के बारे में राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा क्या प्रस्ताव पेश किए गए और इस बारे में भारत द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 31 मार्च, 1970 को, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भारत के स्थायी मिशन के कार्यकारी प्रमुख से कम्बोडिया की स्थिति पर बातचीत की थी।

(ख) और (ग) : इस प्रकार की बातचीत को गोपनीय रखने की प्रथा है।

कर्णफूली तथा तिस्ता परियोजनाओं के लिए पाकिस्तान को सहायता

7939. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने पाकिस्तान को कर्णफूली और तिस्ता परियोजनाओं में कितनी सहायता दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अक्टूबर, 1959 में हुई भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा समस्याओं पर मंत्रालय स्तर पर हुए सम्मेलन में यह मान लिया गया था कि भारत में असम के मिजो पहाड़ी जिले में कुछ क्षेत्र के डूब जाने के विचार पर पूर्वी पाकिस्तान में कर्णफूली बांध परियोजना के संबन्ध में विकासात्मक कार्यवाहियों के लिए भारत कोई आपत्ति नहीं उठाएगा और कि भारत को दिये जाने वाले मुआवजे के तरीके और मात्रा को तय किया जाएगा।

तीस्ता परियोजना के संबन्ध में पाकिस्तान ने न तो कोई सहायता मांगी है और न ही उसे कोई सहायता दी गई है।

Officers Posted in Indian Embassies for Hindi work

7940. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3486 on the 18th March, 1970 and state :

(a) the number of officers of various categories posted in the Indian Embassies abroad to work in Hindi Embassy-wise ; and

(b) whether there is any proposal to direct Indian Embassies abroad to correspond in Hindi with the Government of foreign countries and with the Indian Government also ?

The Deputy Minister of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a)Except two posts of Hindi Stenographers in the Embassy of India, Kathmandu, there is no separate post exclusively for Hindi work in any of the Indian Missions abroad. However in most of them at least Hindi knowing official is available to do Hindi work.

(b) No, Sir. It is not possible at this stage to completely switch over to Hindi but instructions have been issued to them to reply to Hindi letters in Hindi.

1962 की लड़ाई में हार के लिए सिविलियन अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराते हुए अहमदाबाद में ब्रिगेडियर दाल्वी का भाषण

7941. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद में ब्रिगेडियर दाल्वी द्वारा दिये गए इस भाषण (हिन्दुस्तान टाइम्स, 7 अप्रैल,) की ओर दिलाया गया है कि 1962 को सैनिक हार के लिए मुख्यतः सिविल अधिकारी उत्तरदायी थे जिन्होंने अपने स्तर पर निर्णय किए जाने में विलम्ब किया;

(ख) क्या सरकार ने इस दोष को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने सच्चाई का पता लगाने के लिए इस मामले में जाँच करने का निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने प्रेस रिपोर्टों में ब्रिगेडियर जे० पी० दाल्वी (सेवा युक्त) द्वारा इलाहाबाद में "सेना की नई युद्ध नीति सैनिक प्रबंध और प्रशासन" पर दिये गये गए एक भाषण को देखा। ये एक सेवा मुक्त अफसर के व्यक्तिगत विचार हैं।

सदन को याद होगा कि नेफा में 1962 को सैनिक संक्रियाओं के बारे में ब्रिगेडियर दाल्वी के व्यक्तिगत विचार लोक सभा में दिनांक 23 जुलाई 1969 को दिये गये तारांकित प्रश्न का वाद-विषय थे। सरकार को इस विषय में कुछ और नहीं कहना।

Export of Dry Fruits

7942. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of the exporters of dry fruits and the value of the quota licences granted to each of them ;

(b) the number out of them who own godowns and the number out of them who do their own business and do not sell their licences ;

(c) whether Government are aware that the prices of dry fruits particularly the dates have sufficiently increased since the introduction of quota-licence system ;

(d) whethr Government propose to abolish the quota licence system and introduce Open General Licence system after fixing the maximum ceiling in this regard ; and

(e) if so, from which date and if not, the measures Government propose to adopt to maintain a difference of 50 per cent between the prices of dry fruits prevailing in India and foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) Names of exporters of dry fruits from foreign countries into India are not available. Presumably the Hon'ble Member is referring to the names of importers. Their names, together with the values of import licences granted to them, are published in the Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences, which is available in the Library of the Parliament.

(b) Information is not available.

(c) As no statistics of prices are maintained, we have no information in this regard.

(d) and (e): It will not be in public interest to divulge this information.

वर्ष 1969-70 में पाकिस्तान को अमरीका, रूस तथा तुर्की द्वारा शस्त्रों की सप्लाई

7943. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1969-70 में पाकिस्तान को रूस, अमरीका तथा तुर्की द्वारा अनुमानतः कितने शस्त्र सप्लाई किए गए थे;

(ख) उपर्युक्त देशों से पाकिस्तान को अनुमानतः ऐसे कितने शास्त्रों की सप्लाई करने का वचन दिया गया था जिसकी वर्ष 1970 में पूर्ण होने की संभावना है; और

(ग) वर्ष 1969-70 में भारत को अनुमानतः कितने विदेशी शस्त्रों की सप्लाई की गई है; और

(घ) विदेशी शस्त्रों की सप्लाई में अनुमानतः कितना अन्तर है तथा इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जनवरी 1969 से मार्च 1970 के दौरान सोवियत संघ के द्वारा पाकिस्तान को सेना उपस्कारों की पूर्ति की सूचना लोक सभा में 8 अप्रैल, 1970 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में रक्षा मन्त्री के द्वारा दिये गए विवरण में दी जा चुकी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार यू० एस० ए० और टर्की ने 1969-70 वर्ष के दौरान पाकिस्तान को घातक उपस्कारों की पूर्ति नहीं की है। सरकार के पास कोई विश्वस्त सूचना नहीं है कि इन देशों ने भविष्य में शस्त्रों की पूर्ति के लिए स्वीकृत दी हो।

(ग) और (घ) इस सूचना को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

पंजाब में अणुशक्ति परियोजना की स्थापना

7944. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक अणु शक्ति संयन्त्र स्थापित करने की मांग की है;

(ख) क्या पंजाब में अणुशक्ति संयंत्र के लिए स्थान चुनने की स्थिति अनुकूल है;

(ग) क्या हरियाणा और चंडीगढ़ में भी स्थिति समान रूप से अनुकूल है;

(घ) क्या पंजाब तथा हरियाणा में भी अणुशक्ति के उपभोग के अच्छे केन्द्र हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने स्थानों में से कहीं पर अणुशक्ति कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) तथा (घ) : परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों में बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुये जो अध्ययन किये गये, उनसे ज्ञात हुआ है कि उत्तरी बिजली क्षेत्र में नया परमाणु बिजलीघर लगाने की आवश्यकता है।

(ङ) परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के बरे में निर्णय उपरोक्त क्षेत्र में बिजलीघर के लिए उपर्युक्त स्थान का चुनाव करने के बारे में किये जा रहे अध्ययनों की समाप्ति तथा साधनों के उपलब्ध होने के बाद ही किया जा सकता है।

भारत-जर्मनी सहयोग के अन्तर्गत सिंचाई योजनायें

7945. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पूर्ण भारत में भारत-जर्मनी सहयोग के अन्तर्गत कई सिंचाई योजनायें आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छोटा नागपुर और बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में इन योजनाओं के नाम तथा स्थान क्या हैं तथा प्रत्येक पर आने वाली लागत का अनुमान क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत-जर्मन सहयोग के अधीन वृहत् और मध्यम सेक्टर अथवा लघु सिंचाई सेक्टर में कोई परियोजना हाथ में नहीं ली गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

आसाम, त्रिपुरा में मनीपुर में छपे विद्रोही नागाओं और मिजो की गतिविधियों के कारण प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि

7946. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छुपे विद्रोही नागाओं और मिजो के कारण आसाम, त्रिपुरा तथा मनीपुर के सीमा क्षेत्रों पर प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो विद्रोहियों के प्रत्येक दल पर होने वाले हमारे प्रतिरक्षा व्यय का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था पर किये जाने वाले व्यय के लिए अलग से कोई लेखा नहीं रखा जाता है, अतः अपेक्षित सूचना को देना संभव नहीं है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण का आधार

7947. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की जन संख्या और खाद्य आवश्यकताओं और राज्यों/संघ राज्यों की कृषि योग्य भूमि की जिसे सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत लाना है, प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुये कोई आधार बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सिंचाई तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस आधार पर बनाई जाती है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : जल संसाधन और उनके उपयोग के लिये प्रौद्योगिक रूप से अनुकूल स्थल देश में एक-सम वितरित नहीं है। अतः सिंचाई के विकास की संभाव्यताएं प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होंगी। इसके अतिरिक्त, क्योंकि 'सिंचाई' का विषय राज्य सूची में शामिल है, इसलिये सिंचाई परियोजनाओं का परिव्यय राज्य की योजना में निर्धारित समग्र परिव्ययों और विभागीय परिव्ययों से पूरा किया जाना है।

इन परिसीमाओं को ध्यान में रख कर सिंचाई स्कीमें इस प्रकार से बनाई जाती है जिससे राज्यों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास हो जाए, खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बद्ध आवश्यकताएं पूरी हो जाएं ।

1966-67 से ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें इस तरह से बनाई जा रही है जिनमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये यंत्र-समूहों के ऊर्जन पर बल दिया गया है । चौथी योजना के दौरान कूप और नलकूप समूहों के ऊर्जन के लिये लघु सिंचई के कार्यक्रमों को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के साथ जोड़ दिया जाएगा ।

Ban on Import of Foreign Wine by Embassies

7948. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even in a small country like Kuwait and in other big countries of the World permission is not granted to foreign Embassies to import foreign wine,

(b) if so, whether there is any proposal to impose restriction on the foreign Embassies for importing or bringing wine from foreign countries to check the increasing habit of drinking in the country and to save the losses incurred as a result of non-payment of customs duty ; and

(c) if so, when and if not the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : **(a) , (b) and (c)** Each country is entitled to enact regulations to suit its special requirements. We have no proposals to impose restrictions of this nature on Foreign Missions; nor are such restrictions likely to result in influencing the drinking habits of peoples generally. There is no financial loss involved as these supplies are drawn from bonded stocks, paid for in foreign exchange and in the normal course diplomatic missions are entitled to duty-free-privileges.

Visit to Delhi by State Officials in connection with Finalisation of Fourth Five-Year Plan

7949. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the **Prime Minister** be pleased to state

(a) the number of officers and employees of various States who visited Delhi or New Delhi in connection with the finalization of Fourth Five Year Plan during the last three years year-wise ; and

(b) the total expenditure incurred by Government on them and the work done by them ?

The Prime Minister, the Minister of Atomic Energy, Minister of Finance and the Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) Information asked for is not easily available. The time and labour required to collect it will not be commensurate with the results to be achieved.

आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में कोडिंग असिस्टेंटों के पद के लिए अनिवार्य अर्हताएं

7950. **श्री सूरज भान** : क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में अभी हाल ही में जारी किये गये परिपत्र में कोडिंग असिस्टेंटों के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायों अर्ध शास्त्र, संख्या शास्त्र तथा गणित शास्त्र विषयों के साथ बी० ए० द्वितीय श्रेणी निर्धारित की गई हैं ;

(ख) क्या सम्बन्धित अधिकारियों ने विभाग के कुछ ऐसे कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार किया था जो परिपत्र में निर्धारित स्तर के अनुसार पात्र नहीं थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : कर्मचारी-वर्ग के सभी सदस्यों को, जिन्होंने परिपत्र के उत्तर में आवेदन-पत्र भेजे थे, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उस समय भर्ती नियम मसौदे की अवस्था में थे । तथापि अन्तिम चयन उन्हीं व्यक्तियों में से किया गया जो परिपत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करते थे ।

Exports to African countries

7951. **Shri Om Prakash Tyagi : Shrimati Sharda Mukerjee :**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of the African countries to which Indian goods were exported during 1969 ;

(b) the quantity and the value of the said goods ; and

(c) the additional measures Government propose to take in respect of more consumption of Indian goods in the said countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Indian goods were exported to almost all the countries in Africa (including North Africa) during the year 1969. A list of these countries is attached.

(b) Indian goods worth Rs.8,076 lakhs were exported during 1969 (January—December) to Africa (including North Africa). Quantity of the goods exported, is however not available.

(c) With a view to promote our exports to African countries the Government has taken measures such as conclusion of trade agreements, trade arrangements, holding of Indian exhibitions in African countries, sending trade delegations sales-cum-study teams disseminating information to trade in India obtained from African countries on trade and commercial matters, participation in Trade Fairs, circulation of tenders invited by the African countries to interested parties in India and collaboration in joint ventures in these countries.

List of the African countries (including North Africa) to which Indian goods were exported during 1969

1. Algeria.
2. Botswana.
3. Burundi.
4. Cameroun.
5. Canary Island.
6. Comoro Island.

7. Congo (Brazzaville).
8. Congo (Kinshasa).
9. Dahomey.
10. Ethiopia.
11. Gabon.
12. Gambia.
13. Ghana.
14. Guinea.
15. Ivory Coast.
16. Kenya.
17. Lesotho.
18. Liberia.
19. Libya.
20. Madagascar.
21. Malawi.
22. Mali.
23. Mauritania.
24. Mauritius.
25. Morocco.
26. Nigeria.
27. Other East African Countries.
28. Other African countries.
29. Reunion.
30. Rwanda.
31. Senegal.
32. Scychelles.
33. Sierra Leone.
34. Somalia.
35. South Africa.
36. Sudan.
37. Swaziland.
38. Tangier.
39. Tanzania.
40. Togo.
41. Tunisia.
42. Uganda.
43. U. A. R.
44. Upper Volta.
45. West African, Spanish.
46. Zambia.

तुलिहाल हवाई अड्डा

7952. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सश्रित राष्ट्रों ने द्वितीय महायुद्ध में तुलिहाल हवाई अड्डे के प्रयोजन के लिये

मनीपुर में 4/231 आई० डब्ल्यू० टी० पट्टा भूमि, में से धान वाले कुछ क्षेत्रों खेतों का प्रयोग किया था और क्या मनीपुर के ए०/एफ प्रतिकर के प्रभारी न्यायालय ने उस समय 12 फरवरी, 1960 को इस भूमि के लिये 2654 रुपये का कुल प्रतिकर मंजूर किया था ;

(ख) क्या 1966 के हक्क दावा संख्या 3 के संदर्भ में मनीपुर के तृतीय मुन्सिफ के न्यायालय में 31 जनवरी, 1967 को यह निर्णय दिया गया था कि निनोम्बल बस्ती, आई० डब्ल्यू० टी० के श्री सोईबल सिंह को 1427 रुपये दिये जायें ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रतिकर का अंश उन्हें दे दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त दीवानी अदालत के निर्णय के अनुसार प्रतिकार देने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण देना

7953. **श्री सूरज भान** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीनों वर्षों के दौरान आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा गया ;

(ख) इस संगठन में उन अधिकारियों ने विदेशों में पृथक्-पृथक् कितनी अवधि तक तथा किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया ;

(ग) क्या इसी संगठन में उक्त सभी अधिकारियों की सेवाओं का समुचित लाभ उठाया जा रहा है ; और

(घ) इनमें से कितने अधिकारियों को इस विभाग से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 4 अधिकारियों को ।

(ख) अवधि 2 महीने से 12 महीनों के बीच थी । प्रशिक्षण निम्नलिखित से सम्बन्धित था : निर्यात संवर्धन, विदेशी व्यापार की तकनीकें, भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम और आर्थिक विकास तथा योजना के सामान्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण ।

(ग) तथा (घ) : इन चारों अधिकारियों की सेवाओं का उचित उपयोग किया जा रहा है । उनमें से दो आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं और अन्य दो विदेशी व्यापार मन्त्रालय तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर में कार्य कर रहे हैं ।

राजनयिकों को शरण देना

7954. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में राजनयिकों द्वारा स्वदेश त्याग तथा अन्य देशों द्वारा उनकी राजनीतिक शरण दिए जाने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : दूसरे देशों से कौन शरण मांगता है और कौन किसे शरण देता है, इससे भारत सरकार का कोई सरोकार नहीं है । जहां तक भारत में शरण देने का प्रश्न है, हम अपने विचार सदन में पहले ही यानी 14 फरवरी, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 360 और 403 के उत्तरों में स्पष्ट कर चुके हैं । हम भारत-स्थित विदेशी मिशनों के इस अधिकार को स्वीकार नहीं करते कि उन्हें अपनी चहारदीवारी में किसी या किन्हीं व्यक्तियों को शरण देने का अधिकार है । अन्तर्राष्ट्रीय सुस्थापित व्यवहार यह है कि किसी को शरण देना राजनयिक मिशन के उद्देश्यों की परिधि में नहीं आता । तदनुसार भारत स्थित सभी विदेशी मिशनों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सुस्थापित व्यवहार के अनुकूल ही आचरण करें ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में कर्मचारियों का स्थायीकरण

7955. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में सहायक निदेशकों के वेतन मान में बहुत से स्थायी पद है,

(ख) यदि हां, तो क्या 1965 के बाद कोई स्थायीकरण नहीं किया गया है यद्यपि बहुत से अधिकारी स्थायी बनाये जाने के उपयुक्त थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ समय से वरिष्ठ वेतन-मान में काम कर रहे अधिकारियों को भी सहायक निदेशकों के वेतन-मान में स्थायी रिक्त पदों के लिये संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियां की गई हैं जबकि उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अधिकारियों को स्थायी बनाने की बात पर अब तक विचार नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में इस समय सहायक निदेशक के ग्रेड में बहुत से स्थायी पद ऐसे पड़े हैं जिन्हें स्थायी-रूप से भरा जाना है ।

(ख) और (ग) : 1965 से स्थायी पदों के प्रति नियुक्त बहुत से अधिकारियों को स्थायी कर दिया गया है । अस्थायी पदों के प्रति भर्ती किये गए अधिकारियों का स्थायीकरण, जिनमें कुछ अधिकारी उच्चतर ग्रेड में भी काम कर रहे हैं, बहरहाल, अभी रहता है क्योंकि उनकी पारस्परिक प्रवरता को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(घ) 1961 से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में स्थायी और अस्थायी दोनों पदों के प्रति सहायक निदेशक के ग्रेड में सीधी भर्ती संयुक्त इन्जीनियरी सेवा की परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर की जा रही है ।

(ङ) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से स्थायी पदों में सीधी भरती करने का उद्देश्य उच्चतर दर्जे के प्रार्थियों को आकर्षित करना था ।

समुद्र द्वारा तट के कटाव को रोकने के लिये राज्यों को सहायता

7956. **श्री द० अमात** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र द्वारा तट के कटाव को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाबद्ध विकास की गत दो दशाब्दियों में उड़ीसा सरकार को ऐसी कितनी सहायता दी गई और उक्त अवधि में तट सम्बन्धी ऐसी योजना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितना खर्च किया गया है ; और

(ग) उड़ीसा सरकार को तटीय संरक्षण योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए गये कुल व्यय का कितना प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया गया और उड़ीसा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत तटीय क्षेत्र का संरक्षण किया जायगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तटों के साथ समुद्र-कटाव के रोकने के लिए ऐसी कोई सहायता राज्य सरकारों को नहीं दी जा रही थी क्योंकि समुद्र-कटाव सम्बन्धी स्कीमें बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का भाग थी जिनके लिए 1968-69 तक केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही थी । बहरहाल, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों के रूप में, बिना किसी विशेष स्कीम अथवा विकास शीर्ष के साथ जुड़े, दी जी रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छात्रपुर छावनी बोर्ड

7957. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर छावनी बोर्ड के अधिकारी कुछ समय से कानून के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली अन्य अदायगियों के अतिरिक्त, सभी जोतों से, जिनके पास पानी का कनेक्शन है, 3 रुपये मासिक वसूल कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह वसूली कब से की जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि संबन्धित उपनियमों में ऐसा शुल्क लेने की व्यवस्था नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो यह वसूली किन नियमों के अन्तर्गत की जा रही है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि हाल ही में फरवरी और मार्च 1970 के दौरान कई घरेलू कनेक्शन इस आधार पर काट दिये गये हैं कि यह अतिरिक्त और अनधिकृत शुल्क नहीं दिया जा रहा था ; और

(च) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (च) : छावनी बोर्ड 1958 से प्रत्येक स्थान से जहां पानी के कनेक्शन लगे हैं जल-कर के अतिरिक्त 3 रु० पर प्रतिमाह वसूल कर रहे हैं । फरवरी और मार्च 1970 के दौरान केवल दो कनेक्शन पानी का शुल्क न देने के कारण काट दिए गए थे और ये दोनों कनेक्शन अब दुबारा लगा दिए गये हैं । पानी के शुल्क को एकत्र करने के प्राधिकार की जांच की जा रही है और सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया जाएगा ।

Agreement with Poland

7958. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have concluded an agreement for the import of Sulphur with the Government of Poland ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): **(a) and (b)** : M. M. T. C. have concluded a contract during March 1970 with the Polish enterprise for the import of 12,0000 M/T. of sulphur with an option to buy an additional quantity of 20,000 tonnes during the year 1970. The delivery period would be from April to December, 1970.

Recruitment made in Bihar Regimental Centre at Danapur

7959. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recruitment is made in the Bihar Regimental Centre at Danapur ;

(b) if so, the details of the recruitment made during the last three years yearwise ;

(c) whether it is also a fact that no discrimination is shown in matters of recruitment in the Army ;

(d) if so, the number of persons of various communities and creeds recruited at Danapur during the last three years, separately ; and

(e) the number of persons belonging to minority groups in the First to Fourteenth Bihar Regiment, separately ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes.

(b), (c) and (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(e) There is no discrimination in the matter of recruitment to the Army.

Filing of Caes against Tax-Payers by Danapur Cantonment Board

7960. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the authorities of Danapur Cantonment Board have filed several cases against the tax-payers residing in the said area ;

(b) if so, the total number of cases filed by the authorities during the last 3 years and the number of cases won and lost by the Board ;

(c) the total expenditure incurred on the said cases by the Board during the last 3 years; and

(d) the justification for incurring the said expenditure ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : **(a) to (d)** The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Acquisition of Private House of Gun Carriage Factory Estate, Jabalpur

7961. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of acquisition of private house of Gun Carriage Factory Estate, Jabalpur is still under consideration of Government ;

(b) if not, the decision taken by Government in this regard; and

(c) if so, the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a), (b) and (c) : A decision has been taken to resume land, belonging to Gun Carriage Factory, Jabalpur, on which private houses were built by lessees to the extent required by the Government for its own use. Action is accordingly in hand to resume the land, under the terms of the lease deeds executed by the lessees.

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में असैनिक रोजगार में पुन: नियुक्त करना

7962. **श्री ग० चं० दीक्षित :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को असैनिक रोजगार में लगाने सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत एक वर्ष में कितने भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को पुन: काम पर लगाया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : अन्य राज्यों के समान मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को सिविल रोजगार में भूतपूर्व सैनिकों को लगाए जाने सम्बन्धी निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं :–

(1) केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिए नाम भेजने के मामले में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता III दी जाती है ।

(2) 30–6–1971 तक चतुर्थ श्रेणी के 20 प्रतिशत स्थायी रिक्त स्थान और तृतीय श्रेणी के 10 प्रतिशत स्थाई रिक्त स्थानों का आरक्षण ।

(3) आयु में सैनिक सेवा का समय और 3 वर्ष का रियायती समय की छूट ।

(4) चपरासी, जमादार, दफ्तरी, वाच और वार्ड तथा रिकार्ड सार्टर के पदों के लिए शैक्षिक अर्हताओं में छूट ।

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से स्थायी रिक्त स्थानों में 5 प्रतिशत पद आरक्षित कर रखें हैं ।

(ग) 1969 वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में भर्ती दफ्तरों द्वारा 413 भूतपूर्व सैनिक असैनिक रोजगार में लगाए गए थे ।

Recruitment of Persons from Madhya Pradesh in N. C. C. and Volunteer Corps

7963. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of persons recruited in army from N. C. C. and Volunteer Corps in Madhya Pradesh during 1969-70 ;

(b) whether it is a fact that the persons from N. C. C. and Volunteer Corps in Madhya Pradesh have got a complaint that very few people are taken in army from their organisations and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) : 87 persons from N. C. C. The reference to Volunteer Corps is not understood.

(b) : No such complaints have come to the notice of Government.

(c) : Does not arise.

Recruitment Centres in Madhya Pradesh

7964. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there are any recruitment centres for recruitment to the army in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the names of places where the said centres are situated ;

(c) the number of persons recruited in the Army from each of the said centres during 1969-70 ;

(d) whether there is any recruitment centre for Air Force in Madhya Pradesh ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) : Yes.

(b) : Jabalpur Indore, Gwalior and Bhopal.

(c) : **Centre**

	No. recruited during 1969-70
Jabalpur	317
Indore	302
Gwalior	478
Bhopal	397

(d) and (e) : Air Force Recruiting Offices are not located State-wise but on a zonal basis. The Air Force Recruiting Office at Kanpur recruits persons from Madhya Pradesh.

Talks with Yugoslavia Foreign Minister on Sino-Indian Relation

7965. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sino-Indian relations figured in the talks held between the Foreign Ministers of India and Yugoslavia in Delhi ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : **(a) and (b)** The talks were of a confidential nature and according to the accepted practice, it is not possible to give details other than those in the published Joint Communique.

महाराष्ट्र से वस्तुओं का निर्यात

7966. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य से विदेशों को किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों में इन निर्माताओं से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) इनका निर्यात किन देशों को किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा महाराष्ट्र पर एक निर्यात क्षमता सर्वेक्षण तैयार किया जा रहा है जिसमें निर्यात में काम आने वाली वस्तुओं और निर्यात क्षमता के संदर्भ में महाराष्ट्र की सफलताओं तथा निर्यात क्षमता का दिग्दर्शन होगा।

जवानों को समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की सप्लाई

7967. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवानों को पढ़ने के लिये कौन सी दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं तथा समाचार पत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं ;

(ख) क्या जवानों को पढ़ने के लिये कोई उपन्यास भी उपलब्ध कराये जाते हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो ये उपन्यास किस प्रकार के हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सैनिकों को कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका, पत्र पत्रिका उनको छोड़कर जो सरकारी प्रकाशन हैं, सरकार की ओर से नहीं दिये जाते हैं। समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं की यूनिटें अपनी आवश्यकतानुसार खरीदती हैं।

(ख) और (ग) : सामान्य रुचि की तथा मनोरंजक पुस्तकों और उपन्यासों को अग्रिम तथा अलग-अलग क्षेत्रों के सैनिकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष से खरीदा जाता है।

Uniform Rate of Dearness Allowance for All Officers in Army

7968. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only 80 per cent and not full dearness allowance is paid to some personnel on certain posts in the Army whereas Commissioned Officers and some other officers get full dearness allowance;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government have under consideration a proposal to pay uniform rate of dearness allowance to all officers in the Army ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Army officers (including Junior Commissioned Officers holding honorary ranks as Commissioned Officers) receive dearness allowance under the same conditions and at the same rates as applicable to corresponding civil Government servants. Personnel of the Army below officer rank including non-bombatants (enrolled) receive dearness allowance under the same conditions as applicable to civil Government servants but at 80 per cent of the rates applicable to them from time to time, rounded off to the nearest rupee.

(b) and (c) The reasons for grant of dearness allowance at a reduced rate to Army personnel below officer rank is that they are not affected to the same extent as civil Government servants by the rise in the cost of living as they receive certain concessions in kind (or monetary allosances in lieu) as a condition of their service viz. rations, accommodation, clothing, hair-cutting hair-cleaning and washi ng services and conservancy). There is no proposal at present for payment of dearness allowance at a uniform rate to all officers in the Army.

महाराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें

7969. **श्री देवराज पाटिल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जहां सिंचाई के पानी तथा पीने के पानी की कमी है, सिंचाई सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) योजनाओं से पहले विदर्भ क्षेत्र में वृहद् और मध्यम स्कीमों से लगभग 1 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होती थी। योजनाओं के दौरान अभी तक हाथ में ली गई स्कीमों से, उनका पूर्ण विकास होने पर, लगभग 4·3 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

Discriminatory rates of Electricity in Rajasthan

*7970. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the electricity is provided by the Chambal project to the Power House of Private Sector in Udaipur at the average rate of 7 paise per unit while the said Power house charges the average rate of 37 paise per unit from the consumers ;

(b) whether the rates charged by the said Power House are fixed with the concurrence of the State Government ;

(c) if so, the basis on whieh Government have given their concurrence in this connection and the justification thereof and the name of the authority responsible for this profiteering, and

(d) whether Government propose to take over the said Power House in the public interest ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddhesh war Prasad) : (a) to (c) : Electricity is supplied by the Rajasthan State Electricity Board to a private licencee in Udaipur at the average ratc of about 12.8 paise per unit according to the tariff schedule fixed by the Rajasthan State Electricity Board with the concurrence of the Rajasthan State Government, as applicable to distributing licencees, According to an agreement between the Board and the licencee, the Company is required to charge such rates to its consumers which are not higher than the rates prescribed in the tariff of the Board for consumers of similar categorics in areas served by the Chambal Grid Sub-station. On this basis the rate charged by the licencee for domestric lighting is 37 paise pet unit which is at par with the Board's tarriff for such consumers. The licencee also supplies power to large industrial consumers at rates which are lower than the rate at which the licencee receives bulk supply from the Board. The difference

between the wholesale rate of supply to the licencee and the retail rates of supply is to oover the expenditure incurred by the licencee for transformation, distribution and servicing charges and the reasonable return as laid down in the Sixth Schedule of the Electricity (Supply) Act which also provides for the control over the licencee by the State Government and State Electricity Board. The question of profiteering by the licencee, therefore, does not arise.

(d) As required under section 6 of the Indian Electricity Act, 1910, the State Electricity Board has given one year's notice to the licencee of its intention to take over the undertaking on the expiry of the licence.

कोटा को सप्लाई की जाने वाली विद्युत की दर

7971. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा में दिल्ली क्लोथ मिल्स के कारखानों और जे० के० सिनथेटिक तथा सम्बन्ध एककों को सप्लाई की जाने वाली विद्युत् शक्ति की प्रति यूनिट औसत दर कितनी है ;

(ख) कोटा और राजस्थान के अन्य नगरों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के कारखानों को सप्लाई की जाने वाली विद्युत् की प्रति यूनिट औसत दर कितनी है ;

(ग) इन दरों में भिन्नता का क्या औचित्य है ; और

(घ) इस भेदभाव वाली नीति से सरकार को कितनी हानि हुई है और इस हानि के लिये कौन उत्तरदायी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 80% भार अनुपात पर 25 मैगावाट की अधिकतम मांग के लिये बिजली की प्रतियूनिट औसत दरें निम्नलिखित हैं :--

(1) **डी० सी० एम० की फैक्टरियां**

श्री रामरेयोन्स	7·8 पैसे
श्री राम बिनाइल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज	3.0 पैसे
(2) जे० के० सिन्थेटिक्स	7.8 पैसे

(ख) गैर सरकारी सेक्टर में मै० श्रीराम बिनाइल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज और सरकारी सेक्टर में हिन्दुस्तान जिंक लि० उदयपुर और हिन्दुस्तान काप्पर लि० खेतरी को सप्लाई की जा रही बिजली की दरें बातचीत द्वारा हुए समझौते पर आधारित है। हिन्दुस्तान जिंक और काप्पर परियोजनाओं को सप्लाई की जा रही बिजली की औसत दर 7.5 पैसे प्रतियूनिट है। राजस्थान के अन्य बड़े उद्योगों पर राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड की सामान्य टेरिफ दरें लागू हैं। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड की सामान्य टेरिफ सूची के अनुसार 80% भार अनुपात पर 25 मैगावाट की अधिकतम मांग के लिये प्रतियूनिट औसत दर 7.8 पैसे है।

(ग) और (घ) : बिजली (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 49 के अधीन राज्य बिजली बोर्ड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, सप्लाई की किस्म सप्लाई लेने के उद्देश्य तथा अन्य संबंधित पक्षों को ध्यान में रख कर बिजली की सप्लाई के लिये टेरिफ निर्धारित कर सकता है। जिस

विशेष परिस्थिति में मै० श्रीराम बिनाइल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज को सप्लाई की जा रही बिजली के लिये समझौते के आधार पर दरें निश्चित करना उचित समझा गया वह यह थी कि यह उद्योग बिजली की गहन खपत करने वाला उद्योग था जोकि लगभग 98% भार अनुपात पर चलता है। यह कारखाना उत्पादन केंद्र के भी निकट स्थित था। दर के संबंध में 1961 में समझौता हुआ था जबकि चम्बल पनबिजली स्कीम की उत्पादन लागत 90% भार अनुपात पर 2.81 पैसे प्रतियूनिट प्रत्याशित थी...। इस दर में 1-1-1971 से संशोधन होना है। उद्योग में बिजली की गहन खपत तथा भार अनुपात के संबंध में इन्हीं तर्कों के कारण सरकारी क्षेत्र मै० हिन्दुस्तान जिंक और काप्पर परियोजनाओं के लिये समझौते के आधार पर दरें निश्चित की गई। क्योंकि उद्योगों के विशेष महत्व को ध्यान में रख कर दरों के संबंध में समझौता किया गया है; इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता कि राजस्थान की राज्य सरकार हानि उठा रही है।

Expenditure on Hydel Project in Kargil

*7972. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the expenditure likely to be incurred in respect of hydel project of Kargil this year ; and

(b) the details of the works completed so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) and (b) : Field investigations on Suru Hydro-electric scheme near Kargil which are in progress, are expected to be completed during ths current year. The scheme will be taken up for implementation after it is found feasible.

Setting up a Hydel-Electric Station in Leh

*7973. **Shri Kushok Bakula** : Will thc Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the progress made in respect of setting up a hydro-electric station in Leh;

(b) whether the said station would meet the requitement of local people fully; and

(c) the rate at which power would be supplied to the People for domestic use ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigasion aud Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) : Field investigations regarding Leh Hydro-electric scheme which are in progress are expected to be completed by 1970-71.

(b) : The above schcme will meet the demands for power in Leh fully.

(c) : The details of rates, etc. will be known after the project is formulated.

रिहन्द परियोजना, उत्तर प्रदेश द्वारा पैदा की जाने वाली विद्युत में मध्य प्रदेश का भाग

7974. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** **श्री अ० सिंह सहगल :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्रीमती मिनीमाता अगमदास गुरु :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचदेव समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर प्रदेश को रिहन्द परियोजना द्वारा पैदा की जाने वाली विद्युत में मध्य प्रदेश राज्य का कितना भाग है ;

(ख) सप्लाई की अवधि में उत्तर प्रदेश द्वारा वास्तव में कितनी बिजली सप्लाई की गई तथा सप्लाई बन्द कर देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सचदेव समिति के प्रतिवेदन के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए विद्युत् सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सचदेव समिति के अनुसार मध्य प्रदेश का बिजली का भाग वर्ष प्रति वर्ष रिहन्द पर उपलब्ध बिजली का 15 प्रतिशत है ।

(ख) मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई 16-11-1968 को शुरु की गई और 17-11-1969 से बंद कर दी गई थी । इस अवधि के दौरान, 38.5 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की गई थी । मध्य प्रदेश केवल दिन में ही बिजली की सप्लाई ले रहा था और फीडरें रात्रि में खोल रहा था । इससे कुछ प्रचालन संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई । इसलिए बिजली की सप्लाई बन्द कर दी गई ।

(ग) समझौता हो चुका है और बिजली की सप्लाई पुनः शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है ।

हीराकुण्ड परियोजना से बिजली की सप्लाई में मध्य प्रदेश का हिस्सा

7975. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री अमर सिंह सहगल : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुण्ड परियोजना के श्रवण क्षेत्र का बड़ा भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है और क्या उस राज्य के कुछ गांव इससे जलमग्न हो गये हैं ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस कारण अन्य बातों के साथ-साथ उक्त परियोजना से बिजली की सप्लाई में अपने हिस्से तथा इसकी दर निर्धारित करने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसका निर्धारण कर दिया गया है ; और यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इसे कब निर्धारित किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : यह स्वीकार कर लिया गया है कि हीराकुण्ड से मध्य प्रदेश को 5000 किलोवाट बिजली सप्लाई की जायेगी । सप्लाई की दर अभी राज्य सरकारों के बीच विचार विमर्श से तय की जानी है ।

पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा अजमेर का दौरा

7976. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के भारत स्थित उच्चायुक्त ने भारत सरकार अथवा

राजस्थान सरकार को सूचित किए बिना हाल में अजमेर (राजस्थान) का दौरा किया था और वहां कुछ लोगों से मिले थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह सारी दूरी मोटर-कार द्वारा उस पर पाकिस्तानी झंडा न लगाकर तय की थी ताकि किसी को उनका पता न चले ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने रात को राजस्थान के लोक निर्माण मंत्री, नवाब अमीनुद्दीन आफ लौहारू के साथ भोजन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पाकिस्तानी राजनयिकों की देश में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) : 25 अक्तूबर, 1969 को, पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने अजमेर की यात्रा की। पाकिस्तान उच्चायोग ने नियमानुसार हमें सूचित किया तथा अलवर और अजमेर के सर्किट हाउस में अपना सुरक्षित कराने के लिए वहां के जिलाधीशों से टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित किया। इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि उच्चायुक्त ने अपनी गाड़ी में पाकिस्तानी झंडा लगाए बिना दूरी तय की, किन्तु अजमेर में झंडे के बिना यह गाड़ी देखी गई। अजमेर से लौटने के बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त और उनके परिवार ने 27 अक्तूबर, 1969 को राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री श्री अमीनुद्दीन के घर पर निजी रूप से दिन का भोजन किया।

(घ) यह साधारण यात्रा थी।

आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

7977. **श्री सूरज भान** : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय स्थायी अनुदेशों के अनुसार आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय का कोई भी कर्मचारी लाइसेंसिंग अथवा प्रशासन प्रभाग में दो या तीन वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में कुछ कर्मचारियों को 6 से 10 वर्ष से अधिक समम तक एक ही प्रभाग में बने रहने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ग) : ऐसा कोई बड़ा नियम नहीं है जिसके अनुसार अमले का कोई सदस्य किसी विशेष अनुभाग अथवा प्रभाग में 2 अथवा 3 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता। फिर भी अधिकारियों और अमले को बारी-बारी से बदलने के लिये, प्रशासनिक सुविधा और अधिकारियों की योग्यता और अभिरुचि आदि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर एक स्थानान्तरण किये जाते हैं।

(ख) जी हां।

दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण विंग के अधीन डिवीजनों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों की संख्या

7978. **श्री लतीफ़ अली खां** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण विंग के अधीन डिवीजनों की संख्या तथा नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक डिवीजन में श्रेणीवार कितने पदों पर कार्य प्रभारित कर्मचारी नियुक्त हैं ;

(ग) श्रेणीवार वेतन क्रम क्या हैं ; और

(घ) क्या इन वेतनक्रमों को गजेट में अधिसूचित किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3347/70]**

(घ) कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतनमान मुख्य इंजीनियर, बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली-प्रशासन द्वारा सिंचाई व बिजली मंत्रालय और निर्माण तथा आवास मंत्रालयों के अधीन नियुक्त सम-श्रेणी के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतनमानों के आधार पर अथवा केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1960 के अधीन भारत के राजपत्र में अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग के मैनुअल में कार्यप्रभारित कर्मचारियों के लिये निर्धारित वेतनमानों के आधार पर निश्चित किये गये थे ।

दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण विंग में कार्य प्रभारित कर्मचारी

7979. **श्री लताफत अली खां** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण विंग में कितने कार्य-प्रभारित कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से कितने भविष्य निधि में धन जमा कर रहे हैं ;

(ग) ये कर्मचारी जिस भविष्य निधि में धन जमा कर रहे हैं, वह सामान्य/भविष्य निधि है अथवा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ;

(घ) क्या इस भविष्य निधि का हिसाब बाढ़ नियंत्रण विंग डिवीजनल कार्यालयों में अथवा किसी अन्य कार्यालय में रखा जाता है ;

(ङ) क्या अंशदाताओं को वर्ष 1968-69 के हिसाब का विवरण दे दिया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो यह विवरण उन्हें कब देने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1-4-1970 को कार्य प्रभारित कर्मचारियों की संख्या 300 थी ।

(ख) 256 (जैसाकि 1-4-1970 को थी) ।

(ग) वे वर्कमैन कंट्रिब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड में अंश-दान कर रहे हैं ।

(घ) इनका लेखा बाढ़ नियंत्रण स्कंध के डिविजनल कार्यालयों में रखा जा रहा है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

लोकसभा की बैठक में उत्तर दिये जाने के लिए ब्रिटेन में भारतीय कर्मचारियों के बारे में प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब

7980. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में भारतीय कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यताओं की पुष्टि करने वाले प्रमाण-पत्र जारी करने में औसतन कितना समय लगता है क्योंकि ऐसा बताया गया है कि इस पर दो, तीन वर्ष लग जाते हैं जिनमें कर्मचारियों को केवल एक तिहाई वेतन मिलता है।

(ख) क्या इस विलम्ब के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी और क्या सामान्य रूप से अथवा वैयक्तिक रूप से किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी ; और

(ग) उच्च आयोग के कार्यालय की कार्यप्रणाली को सुधार कर इसकी कार्य कुशलता को अन्य सरकारी कार्यालयों की कार्यकुशलता के स्तर तक लाने के लिए किन्हीं बाहरी एजेंसियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) : इस प्रश्न का सम्बन्ध स्पष्टतः यू० के० में भारतीय शिक्षकों की नियुक्ति से है। यू० के० का शिक्षा एवं विज्ञान विभाग इस बात की अपेक्षा करता है कि जो भारतीय आवेदक, ब्रिटिश स्कूलों में शिक्षण संबन्ध पद चाहते हैं, वे अपने विश्वविद्यालयों या स्कूलों से, अपनी योग्यता और शिक्षण अनुभव का सत्यापन कराके विश्वविद्यालय या शिक्षा निदेशक द्वारा एवं विज्ञान विभाग, लंदन को आवश्यक कागजात सीधे भिजवाएं। लंदन स्थित भारत का उच्चायोग, इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी नहीं करता। भारत में प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विलम्ब होता है। जब कभी भारतीय शिक्षक आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उच्चायोग में जाते हैं, उन्हें वह भारत में सम्बन्धित प्राधिकारियों को लिखकर, संभव सहायता प्रदान करता है। यू० के० सरकार के नियमों के अन्तर्गत, इन शिक्षकों को निर्धारित वेतन तभी दिये जाते हैं, जब भारतीय प्राधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाते हैं।

Republic Day Passes Issued to Foreign Embassies

7981. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of passes distributed to each foreign Embassy for the use of their officers and staff for witnessing Republic Day celebrations, 1970; and

(b) the details of lhe Republic day passes lsued to all the diplomatic missions ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : **(a) and (b)** : The number of seats for which invitation cards for the Republic Day Celebrations, 1970 were issned to the foreign Embassies is as under :—

(i) Republies Day parade—About 2,230 seats.

In addition, 1,000 admit cards were issued to non-diplomatic staff of the Foreign Missions to witness the full-dress Rehearsal of the Republic Day Parade on the 24th January, 1970.

(ii) Beating Retreat—About 540 seats.
(Main Show) on 29-1-70.

(iii) Beating Retreat—About 290 seats.
(Special Show) on 28-1-1970.

Compilation of the information asked for in respect of each Foreign Embassy will involve considerable time and labour which may not be commensurate with the results achieved.

Expenditure on Republic day

7982. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government in connection with the Republic day Celebrations in 1970 ;

(b) whether it is a fact that expenditure incurred this year far exceeded that incurred during any of the previous years, and

(c) if not, the expenditure incurred during each of the previous three years in connection with the Republic Day celebrations ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) ; (a) and (b) : Accounts for the Republic Day celebrations 1970 have not yet been finalised and a statement showing the expenditure incurred on this year's Republic Day Celebrations by the Central Government will be placed on the Table of the House after the accounts have been finalised.

(c) The expenditure incurred by the Central Government (except the Fly Past) on the Republic Day celebrations ftom 1967 to 1969 was approximately Rs. 9,24,000/-, Rs. 11,82,000/- and Rs. 16,60,000/-, respectively.

Employees of Prime Minister's Secretariat suspended due to their participation in 19th September, 1968 Strike

7983. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of employees suspended in her Secretariat on account of their participation in the strike held on the 19th September, 1968;

(b) the number of employees reinstated so far and the number of such employees who are still under suspension ;

(c) the number of employees being prosecuted in this regard ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to re-instate the said suspended employees ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) No employee of the Prime Minister's Secretariat participated in the srrike in September 1968.

(b) (c) and (d)—Do not arise.

Employees of Irrigation and Power Ministry suspended due to Particidation in September 1968, strike.

*7984. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total number of employees suspended in his Ministry on account of their participation in the strike held on the 19th September, 1968;

(b) the number out of those employees reinstated so far and the number of such employees who are still suspended ;

(c) the number of employees being prosecuted in this regard ;

(d) the action proposed to be taken by Government to reinstate the said suspended employees ?

The Deputy Minister in the Ministery of Irrigation and Power (Shri Siddhewar Prasad) :

(a) to (c) One employee of the Ministry of Irrigation and Power was suspended consequent on his arrest on 18th September, 1968, the allegations against him being that he had defied prohibitory orders under Section 144 Cr. P. C. and had actively Instigated other Government servants to strike. The case against him is pending in a Court of Law. He has, however, been reinstated with effect from 28-1-70., without prejudice to the action that might be taken against him in the light of the decision in the Court case.

(d) Does not arise.

भारतीय वैदेशिक व्यापार सेवा का बनाया जाना

7985. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात में सहायता देने के लिए भारतीय वैदेशिक व्यापार सेवा के बारे में सरकार को हाल में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Construction of Badi Utavali Project in Madhya Pradesh

*7987. **Shri G. C. Dixit**. Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether the work in respsct of Badi Utavali dam project near Sirpur villages of Burhanpur tehsil of Madhya Pradesh is being carried on acording to schedule and keeping the the target date of completion in view:

(b) if not, the reesons therefor: and

(c) the arca likely to be bronght under irrigation after the completion of the said dam in all respects ?

The Deputy Miniser in the ministry of Irrigation and Power (Shri. Siddheshwar Prasad). (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

and

पालमपुर में चाय का आधुनिक कारखाना

7988. **श्री हेम राज** : क्या विदेशी व्यापार मन्त्री 11 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2512 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालमपुर में चाय का एक आधुनिक प्रकार का कारखाना स्थापित करने के सम्बंध में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण पर कितनी लागत आयेगी और इसे कहां स्थापित किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं । कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार तथा सम्पूर्ण भारत में बिजली की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता

7989. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार तथा सम्पूर्ण भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में 1 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4742 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में इतने बड़े अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) दरभंगा जिले में प्रति व्यक्ति कितनी बिजली उपलब्ध है और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बिजली की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में भिन्नताओं को कम करने के उद्देश्य से बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने चौथी योजना अवधि के दौरान उत्तरी बिहार में और 110 मैगावाट बिजली उत्पन्न करने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) दरभंगा जिले में बिजली की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता इस समय 1.29 यूनिट है । इस स्थिति के आगामी दो वर्षों के दौरान दरभंगा जिले में एक नये ग्रिड उपकेन्द्र की स्थापना और 132 के० वी० प्रणाली के विस्तार के बाद सुधर जाने की संभावना है ।

व्यास परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भूमि का अर्जन

7990. **श्री हेमराज** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री 7 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5515 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यास परियोजना प्राधिकारी कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन का पुनः रेखांकन करने के लिए भूमि अर्जित करने हेतु भूमि सीमा का सर्वेक्षण तथा निर्धारण कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि परियोजना प्राधिकारियों ने पेड़ों को मनमाने ढंग से काट कर गिरा दिया है तथा खेतों की बाड़ को हटा दिया है और खड़ी फसलों को उस समय नुकसान पहुँचाया है जब उन्होंने बंजर भूमि क्षेत्र के स्थान पर तहसील देहरा में घर जारोट गांव की भूमि का सर्वेक्षण किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभाग ने काटे हुए पेड़ों और क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार किसानों की कृषि योग्य भूमि को छोड़ देगी और भूमि अधिग्रहण के लिये बंजर भूमि में सर्वेक्षण करेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व्यास परियोजना के अधिकारी कांगड़ा घाटी रेलवे लाईन के पुन: मार्ग रेखन के लिए उत्तरी रेलवे द्वारा प्रस्तुत मार्ग रेखन और भूमि हदों के अनुसार भूमि के अधिग्रहण के लिये पग उठा रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) रेलवे अधिकारियों ने बंजर भूमि में से मार्ग रेखन की जांच करनी है और उसे अमित-व्ययी पाया है ।

चाय बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा भेजा गया मांग पत्र

7991. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड के कर्मचारियों ने एक मांग-पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) **तथा** (ग) : मांग-पत्र भारतीय चाय बोर्ड के विचाराधीन है ।

चांदी का निर्यात

7992. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनो चांदी का निर्यात किया गया ; और

(ख) चांदी के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) **तथा** (ख) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें निर्यात की गई चांदी की मात्रा तथा मूल्य दर्शाये गये हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3348/70**]

कर्नल डी० एस० बोहरा की मेजर के रैंक में अनिवार्य सेवा निवृत्ति

7993. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई० एम० ई० सेंटर, काम्पटी के भूतपूर्व कमांडर, को किन परिस्थितियों में मेजर के रैंक में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके विरुद्ध 2.4 लाख रुपये के गबन का आरोप था ;

(ग) क्या सरकार को काम्पटी छावनी बोर्ड के एक सदस्य से उनके विरुद्ध गम्भीर आरोपों वाला एक अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक जांच अदालत के निष्कर्ष के आधार पर जो कि अफसर के विरुद्ध अभियोगों की जांच कर रहा था, उन्हें चीफ आफ आर्मी स्टाफ ने "भारी नाराजगी" दो और उन्हें कार्यकारी कर्नल के पद से कार्यकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदवनति का आदेश दिया गया। तथापि अफसर ने समय पूर्व सेवा निवृत्त होने के लिए प्रार्थना की जिससे कि वह असम्मानजनक और दुविधापूर्ण स्थिति में निचले पद पर कनिष्ठों के नीचे कार्य करना होगा। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और उन्हें 24-1-67 से सेवा मुक्त होने की अनुमति दे दी गई। चूंकि अफसर का मूल पद लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं था इसलिए मेजर के मूल पद से सेवा निवृत हो गए।

(ख), (ग) और (घ) : दो पत्र दिनांक 28 मार्च 1970 और 17 अप्रैल 1970 छावनी बोर्ड के सदस्य से प्राप्त हुए हैं उनमें दोषारोपित किया गया है कि पूर्ववर्ति ई० एन० ई० सेन्टर काम्पटी के कमांडेंट को अनिवार्यतः सेवा निवृत्त कर दिया गया उसने इसके पूर्व 2.4 लाख रुपए का सरकारी धन का गबन किया था और अपने बंगले में अप्राधिकृत निर्माण करवा लिए थे तथा 2000 रुपये छावनी बोर्ड के करों के रूप में बकाया है। जिन परिस्थितियों में अफसर को सेवा निवृत्ति होने की अनुमति दी गई वह ऊपर बता दिया गया है। सरकारी धन के गबन के अभियोगों की पुष्टि के लिये कोई सामग्री नहीं दी गई है। छावनी बोर्ड अप्राधिकृत निर्माण के अभियोगों की जांच कर रहा है। जहां तक छावनी के 327.89 रुपए की बकाया राशि का प्रश्न है छावनी बोर्ड के प्राधिकारी उसे वसूल करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

29 अप्रैल, 1970 को होने वाली सदन की बैठक के लिये समुद्र जल का तापीय अपक्षारीकरण

7994. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बम्बई स्थित अणु शक्ति संस्थान परमाणु शक्ति द्वारा समुद्र जल के अपक्षारीकरण के बारे में प्रयोग कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इनका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या सरकार अथवा अणु शक्ति संस्थान ने बम्बई के निकट परमाणु शक्ति तथा अपक्षारीकरण कारखाना स्थापित करने के आर्थिक पहलुओं पर विचार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार बम्बई की विद्युत तथा जल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने पर विचार करेगी ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ऐसे परीक्षण करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (घ) कुछ प्रारम्भिक पहलुओं पर विचार किया गया है।

(ङ) इस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने से पहले अभी और अध्ययन किये जायेंगे।

मुसी परियोजना

7995. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाँयें किनारे वाली नहर से मुसी नदी में पानी जाने देने से भारी मात्रा में पानी बेकार जा रहा है ; और

(ख) मुसी परियोजना में पानी भरने के लिये अस्थायी रूप से एक समानांतर नहर खोदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुछ उठाऊ सिंचाई स्कीमों की जांच हो रही है ।

नागार्जुन सागर परियोजना के अन्तर्गत विद्युत प्रजनन योजना पर व्यय

7996. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर परियोजना के अन्तर्गत विद्युत प्रजनन योजना पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 15 फुट ब्यास के पेन-स्टाक पाइप पहले ही उपलब्ध हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में इस पर कितना खर्च किया जायेगा ।

(ग) यदि इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो इसके अन्यथा आरम्भ किये जाने की क्या सम्भावनायें हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि हैदराबाद, तुंगभद्रा, श्रीसैलम तथा रामगुण्डम को मिलाने के लिए बांध के स्थान से उच्च शक्ति वाली ट्रांसमिशन लाइनें पहले ही बिछाई जा चुकी हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नागार्जुन सागर परियोजना के अधीन बिजली उत्पादन स्कीम (पंप द्वारा संचित जलसे उत्पन्न बिजली की स्कीम) पर 675 लाख रुपये लगने का अनुमान है ।

(ख) और (ग) यह स्कीम अभी तक स्वीकार नहीं की गई है ।

(घ) जी हां ।

पटसन का उत्पादन

7997. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** :

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की वस्तुओं के वर्तमान ऊंचे मूल्य को तथा इनकी कमी को देखते हुए सरकार का विचार उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना बनाने का है जिससे मूल्य और अधिक उचित स्तर पर आ जायें ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि जब तक निर्यात के लिए पटसन की वस्तुओं का उत्पादन अधिक नहीं होता तब तक निर्यात शुल्क में और कमी करने अथवा उसे समाप्त करने से निर्यात में वृद्धि नहीं होगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) : उत्पादन को बढ़ाने तथा मूल्यों को कम करके उन्हें और अधिक उचित स्तर पर लाने की आवश्यकता के विषय में पटसन उद्योग सामान्यत: जागरूक है। उद्योग इस दिशा में कदम उठा रहा है।

(ग) तथा (घ) : कुछ प्रकार की पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क हटा दिए गए हैं जबकि अन्य कुछ मामलों में शुल्कों में काफी कमी कर दी गई है। उत्पादन में वर्तमान कमी तथा ऊंचे मूल्यों को देखते हुए सरकार ऐसा नहीं समझती कि इस समय पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क और कम करने से निर्यात बढ़ाने में कोई सहायता मिलेगी ।

भूतपूर्व सैनिक लीग का वार्षिक समारोह

7998. **श्री हेमराज** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रपति ने 10 अप्रैल, 1970 को दिल्ली में भूतपूर्व सैनिक लीग के वार्षिक समारोह का उद्घाटन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन भूतपूर्व सैनिकों ने कौन-कौन सी शिकायतें पेश की थी ;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अपनी स्वीकृति के लिए किन-किन शिकायतों पर ध्यान दिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : राष्ट्रपति ने भूतपूर्व सैनिक लीग के वार्षिक जनरल मीटिंग का उद्घाटन नहीं किया था। तथापि वह वार्षिक मीटिंग प्रारम्भ होने से पूर्व लीग से सदस्यों के एक समूह से मिले थे।

(ग) तथा (घ) : अभी तक सरकार को वार्षिक समारोह की बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त नहीं हुआ है।

मगराहाट, (पश्चिम बंगाल) में गन्दे पानी की नाली

7999. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 24 परगना जिले में मगराहाट की गन्दे पानी की नाली बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या इस योजना पर वर्तमान योजना अवधि में कार्य आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के मन्त्रालय बेलिन की पानी-निकास प्रणाली में सुधार लाने के लिये

3.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक स्कीम प्रस्तुत की थी। इस स्कीम के दो भाग हैं—पूर्वी भाग में वे क्षेत्र आते हैं जिनका पानी पियाली नदी में और पश्चिम भाग में वे क्षेत्र आते हैं जिनका पानी हुगली नदी में प्रवाहित किया जा सकता है। केन्द्र और राज्य में विचार विमर्श करने के पश्चात्, यह महसूस किया गया कि पियाली नदी के क्षेत्रों वाले चरण को पहले हाथ में लिया जाए क्योंकि इसकी क्रियान्विति से पश्चिमी क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी। स्कीम के इस भाग का विस्तृत ब्यौरा जिसका नाम "पूर्वी मोग्राहट बेसिन जल-निकास स्कीम" होगा, राज्य सरकार तैयार कर रही है।

राज्य सरकार ने इस स्कीम को चौथी योजना में अपने प्रस्तावों में शामिल नहीं किया है। बहरहाल, राज्य सरकार ने इस स्कीम की क्रियान्वित के लिये योजना आयोग को योजना से बाहर विशेष सहायता के लिये कहा है। बहरहाल पश्चिम बंगाल की चौथी योजना सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इस स्कीम की क्रियान्वित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

विदेशों के साथ राजनयिक तथा व्यापार सम्बन्ध

8000. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों के साथ भारत के अब तक कोई राजनयिक अथवा व्यापार सम्बन्ध नहीं हैं और उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जिन स्वाधीन देशों के साथ इस समय भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

अलबानिया, बोट्स्वाना, छाड, डोमिनिकन गणराज्य, ईक्वाडोर, अल-साल्वेडोर, ग्वाटेमाला हाइटी, होण्डुरास, आइसलैंड, इसराइल लिसोथो, नौरू, निकारागुआ, नाइजर, पुर्तगाल, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी समोआ, स्वाजीलैंड, और इक्वेटोरियल गिनी।

इन देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध न होने के कारण संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं :—

अलबानिया : भारत के प्रति उसके अमैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण समवर्ती प्रत्यायन निलंबित है।

इसराइल : भारत बसराइल को मान्यता तो देता है किन्तु भारत के हितों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए वहां राजनयिक मिशन स्थापित नहीं किया गया है।

पुर्तगाल : उसकी दमनकारी औपनिवेशिकनीतियों के खिलाफ विरोध स्वरूप राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिए गए थे।

दक्षिण अफ्रीका : दक्षिण अफ्रीका की जातीय पृथगवासन की नीति के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए उसके साथ राजनयिक संबन्ध तोड़ लिए गए थे।

बोटस्वाना, छाड, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, एल साल्वेडोर, ग्वाटेमाला, हाइटी, होण्डूरास, आइसलैंड लिसोथो, नौरू, निकारागुआ, नाइजर, पश्चिमी समोआ, स्वाजीलैंड और इक्वेटोरियल गिनी।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण अभी इन देशों में राजनयिक मिशन स्थापित नहीं हो पाए हैं।

दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल, ये दो ऐसे स्वतन्त्र देश हैं जिनके साथ इस समय भारत के व्यापारिक सम्बन्ध नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका : उसकी जातीय पृथगवासन की नीति के कारण उससे व्यापार-सम्बन्ध नहीं हैं।

पुर्तगाल : पुर्तगाल की दमनकारी औपनिवेशिक नीति के कारण उसके साथ व्यापार-सम्बन्ध नहीं है।

भारत में अमरीकी विनियोजन

8001. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार उनकी अमरीका की हाल की यात्रा के दौरान अमरीका सरकार के प्रतिनिधियों ने अमरीका द्वारा धन विनियोजन करने के लिये उपयुक्त वातावरण न होने के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने यदि कोई कारण दिये हैं तो वे क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) : अमरीकी प्रशासन के साथ भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल की जो बातचीत हुई उसके दौरान अमरीकी अधिकारियों ने यह उल्लेख किया था कि जहां तक पूंजी लगाने का सम्बन्ध है अमरीकी व्यवसाय भारत में कम दिलचस्पी दिखा रहा है। इसका प्रमुख कारण भारत में अमरीकी पूंजी के सम्बन्ध में निर्णय लेने में देरी होना बताया गया है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की औद्योगिक नीति का स्पष्टीकरण किया। भारत में पूंजी लगाने के लिये माहौल सर्वथा उचित समझा जाता है और विदेशी निवेश और सहयोग सम्बन्धी सरकारी नीति के व्यापक ढांचे के अंतर्गत रहते हुए विदेशी निवेषकों को अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं में ये शामिल हैं--देश में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दिये जाने के पश्चात उसके विरुद्ध विभेद न किया जाना, लाभ और लाभांश भेजने की स्वतन्त्रता; लाभांशों पर करारोपण के मामले में आय, स्वामिस्व और जानकारी शुल्क पर दोहरे करारोपण का परिहार जो विदेशी समवायों और पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों को अनेक राहतें और छूटें, तकनीशियनों को आयकर से छूट आदि। विदेशी निवेश बोर्ड के गठन और सरकारी निर्देशों के प्रकाशन के फलस्वरूप विदेशी निवेश/सहयोग हेतु आवेदन-पत्रों को पहले की अपेक्षा शीघ्रता से निपटाया जा रहा है।

प्रति व्यक्ति आय

8002. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय क्या थी और इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग अवधि में एक अकुशल मजदूर को अधिकतम तथा न्यूनतम कितनी-कितनी मजूरी दी गई ;

(ग) गत तीन वर्षों में एक खेतिहर मजदूर की औसत आय क्या थी ;

(घ) वर्ष 1968-69 में अथवा जिन दो अन्तिम वर्षों के लिये नवीनतम आंकड़े उपलब्ध है उनमें एक व्यक्ति की अधिकतम तथा न्यूनतम आय कितनी थी ; और

(ङ) इन दोनों के बीच के अन्तर को कैसे कम करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के लिए प्रतिव्यक्ति आय निम्नलिखित है :—

वर्ष	प्रचलित कीमतों के अनुसार	स्थित कीमतों के अनुसार (1960-61)
	रुपये	रुपये
1966-67 (प्रा)	471.2	302.4
1967-68 (प्रा)	542.9	321.3
1968-69 (शी)	उपलब्ध नहीं	319.3

प्रा०-प्रारम्भिक अनुमान शी-शीघ्र अनुमान

कुल तथा शुद्ध राष्ट्रीय आय एवं प्रतिव्यक्ति आय के अनुमानों की गणना के लिए अपनाये गये रीतिविधान का उल्लेख "1960-61 से 1964-65 के लिए शुद्ध राष्ट्रीय आय की संशोधित अंकमाला सम्बन्धीपुस्तिका" में किया गया है जिसकी प्रतियां लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) श्रमिकों के विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्राधिकारियों (केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों) द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत समस्त उद्योगों के लिए निर्धारित की गई हैं और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच कोई भेद नहीं किया गया है पंजीकृत रोजगार कार्यालयों द्वारा कम से कम मजदूरी पाने वाले अकुशल पुरुष श्रमिकों के लिए निर्धारित न्युनतम मजदूरी सम्बन्धी जानकारी श्रम कार्यालय, श्रम, रोजगार एवं पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा जारी भारतीय श्रम आंकड़ों में प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। 'भारतीय श्रम आंकड़ों' में विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के क्रम सम्बन्धी जानकारी भी रहती है।

(ग) खेतिहर मजदूर परिवारों की आय सम्बन्धी जानकारी नियमित आधार पर प्रतिवर्ष एकत्र नहीं की जा रही है। श्रम कार्यालय, श्रम, रोजगार एवं पुनर्वास मंत्रालय द्वारा की गई ग्रामीण श्रम संबन्धी पूछताछ के अनुसार 1963-64 (यह अद्यतन वर्ष है जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध है) के दौरान खेतिहर मजदूर परिवारों की औसत वार्षिक आय 660.19 रुपये निर्धारित की गई। परिवारों के औसत आकार को ध्यान में रखते हुए प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय 147.69 रुपये होती है।

(घ) किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित अधिकतम एवं न्यूनतम आय संबन्धी अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। 1966-67 के लिए आय कर के आंकड़ों से उक्त वर्ष के दौरान आयकर के लिए निर्धारित उच्चतम आय समूह (पांच लाख रुपये या अधिक) के व्यक्तियों की औसत वार्षिक आय 9.9 लाख रुपये आती है। इस प्रकार के आंकड़े 1967-68 के लिए अभी तक उपलब्ध

नहीं है। इसके साथ यह भी कहा जा सकता है कि 9.9 लाख रुपये के आंकड़े केवल केन्द्रीय आयकर के संबद्ध आय को सूचित करते हैं। निम्नतम आय समूह के व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 22 वें दौर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम उपभोग व्यय वाली जनसंख्या के 10 प्रतिशत भाग का 1967-68 के दौरान 3.2 प्रतिशत रहा।

(ङ) हमारी विकास योजनाओं के प्रधान लक्ष्यों में से एक लक्ष्य देश में आर्थिक विषमता को दूर करना रहा है, और इसकी पूर्ति व्यक्ति की आय एवं सम्पत्ति पर क्रमशः बढ़ती दर से प्रत्यक्ष कर जैसे विभिन्न वित्तीय तथा अवित्तीय उपायों द्वारा करने का प्रयत्न किया गया है, उदाहरण के लिए समाज के सम्पन्न वर्गों द्वारा उपभोग में लाई गई विलास-सामग्रियों (वस्तुओं) पर कर की उच्चतर दर, रोजगार के अवसर का विस्तार, उद्योगों एवं विवरण व्यापार में सहकारी क्षेत्र का विस्तार लघु उद्योगों एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए अधिक सुविधाएं खाद्यान्नों आदि अत्यावश्यक वस्तुओं में सरकारी वितरण प्रणाली बनाये रखना अन्य बातों के साथ बैंकों का राष्ट्रीय करण समाज के निर्धन एवं अब तक उपेक्षित वर्गों की साख की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार शहरी सम्पत्ति को अधिकतम सीमा निर्धारित करने की समस्या के समस्त पहलुओं की जांच कर रही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप एवं 1970-71 के बजट में निहित प्रस्तावों से स्पष्ट है कि देश के निर्धन वर्गों के सहायतार्थ अनेक स्कीमें चालू की गई है।

फरक्का बांध परियोजना का पूरा होना

8003. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध पर कब कार्य आरम्भ हुआ था और इसके पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है; और

(ख) इस पर लागत का अनुमान क्या था और यदि कार्यान्वित में विलम्ल हुआ, तो उसका लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) फरक्का बराज परियोजना पर कार्य नवम्बर, 1963 में आरम्भ किया गया था। फरक्का बराज खास, फीडर नहर तथा जंगीपुर बराज को जून, 1971 तक काफी हद तक पूरा होना अनुसूचित था। परन्तु श्रमिक अशान्ति के कारण फरक्का बराज परियोजना के निर्माण की गति धीमी पड़ गई है।

(ख) परियोजना की संशोधित स्वीकृत अनुमानित लागत 156.293 करोड़ रुपये हैं। परियोजना की लागत में वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि कितनी जल्दी कार्य-परिस्थिति सामान्य होती है। इसलिए इस समय सही हिसाब लगाना संभव नहीं है।

शक्तिमान ट्रकों के उत्पादन में वृद्धि

8004. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "शक्तिमान" ट्रक बनाने वाले कारखाने अब अपना उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में हैं और वे सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा असैनिक प्रयोग के लिये काफी संख्या में ट्रक देने में समर्थ हो जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष असैनिक प्रयोग के लिये कितने ऐसे ट्रक दिये जायेंगे और क्या वे पूरी असैनिक मांग पूरी कर सकेंगे; और

(ग) उनकी कीमत लगभग कितनी होगी और क्या यह टाटा मर्सेडीज अथवा लैलैंड्ज की तुलना में कम होगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क), (ख) और (ग) : शक्तिमान के उत्पादन को आर्डनेन्स फैक्टरियों से जबलपुर की नई व्हीकल फैक्टरी में विभिन्न अवस्थाओं में ले जाया जा रहा है, जो 1972-73 तक अपना नियमित उत्पादन प्रारंभ कर देगी । 6000 ट्रकों की वार्षिक पूर्ण क्षमता 1975-76 तक हो जाने की आशा है, प्राप्त क्षमता की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद सिविल बाजार के लिए ट्रक निर्माण करने के लिए लगाया जाएगा। कीमत को प्रतियोगी स्तर पर लाने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

हवाई हमलों के दौरान समूचे देश में लगाने के लिए अपेक्षित राडारों की संख्या

8005. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई हमलों के समय समूचे देश में आवश्यक राडारों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित राडारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पर्याप्त संख्या में राडार लगाने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : आक्रमण की धमकी के निर्धारण को देखते हुए मेघ लक्ष्यों आदि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक राडारों का अनुमान लगाया गया है । प्राप्त स्रोतों और उपकरणों के आधार पर काफी बड़ी संख्या में उच्च शक्ति के चल और अचल राडारों और कम तल पर शीघ्र चेतावनी देने वाले राडारों को लगाया जा रहा है। अतिरिक्त संस्थापन के लिए रक्षा योजना में और व्यवस्था की गई है और अधिक विवरण को बताना लोक हित में नहीं होगा ।

वायु सेना के कैडिटों के प्रशिक्षण के लिए मैसूर में विदार हवाई अड्डे का सुधार

8006. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में विदार हवाई अड्डे को वायु सेना के कैडिटों के लिए (जैट) प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का प्रस्ताव था,

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब किया गया था और हवाई अड्डे के सुधार पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या यह सच है कि अब इसे जैट प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में अनुपयुक्त पाया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस हवाई अड्डे के उक्त सुधार का ठेका मैसर्ज भारत समाज को दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा महत्वपूर्ण निर्माण कार्य उनको देने के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) निर्णय नवम्बर 1952 में लिया गया था। हवाई पत्तन के सुधार पर किये गए धन राशि को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

(ग) जी हां, जून 1965 में क्योंकि लगातार खुले और दौड़ पथ के विटूमनी सतह तथा विमान के जैट ब्लास्ट कारण ।

(घ) जी हां ।

(ङ) संविदा प्रतियोगी दरों के आधार पर और सबसे कम निविदा होने के कारण दी गई थी ।

केरल में ट्रांसफार्मरों की कमी

8007. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिण कनारा जिले में कनेक्शनों के लिए दी गई बिजली को देखते हुए वहां ट्रांसफार्मर तथा मीटर अपर्याप्त हैं, जिसके फलस्वरूप कम तथा अस्थिर बिजली मिलती है और जिससे कृषि तथा उद्योग को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ट्रान्सफार्मरों में कितनी वृद्धि की आवश्यकता है और वे कब तक लगाये जायेंगे; और

(ग) यदि वित्त और सामग्री के लिए केन्द्र से सहायता मिलना अपेक्षित है तो कितनी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : हिर्यादका उपकेन्द्र की ट्रांसफार्मर क्षमता, जो कि दक्षिण कनारा जिले को बिजली दे रहा है, हाल ही में बढ़ा कर 3 एम वी ए से 5 एम वी ए कर दी गई है। पहले ऊर्जा मीटरों को कम सप्लाई होने के कारण सभी प्रतिष्ठापनों में मीटर देना संभव नहीं था । बहरहाल, सप्लाई स्थिति के सुधारने से मीटर यथासम्भव लगाये जा रहे हैं ।

(ग) इस संबंध में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं है ।

प्रतिरक्षा सेनाओं में विदेशी शराब का आयात

8008. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेनाओं के लिए अभी भी विदेशी शराब आयात की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है; और

(ग) गत दो वर्षों में इस आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यू० के० फ्रांस और वेस्टइंडीज ।

(ग) 1968-69 तथा 1969-70 वर्षों के दौरान कुल विदेशी मुद्रा जो आयात पर व्यय हुई है क्रमशः 10,52,694 रुपये और 7,50,000 रुपये हैं।

प्रतिरक्षा सेनाओं के अधिकारियों की मैसों में खपत के लिए विदेशी शराब का आयात

8009. **श्री रणजीत सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि प्रतिरक्षा सेनाओं के अधिकारियों की मैसों में खपत के लिए आयातित विदेशी शराब का वहां पर बहुत कम प्रयोग होता है परन्तु उसे बड़े अधिकारी व्यक्तिगत रूप से खरीद लेते हैं;

(ख) क्या ऐसी शराब प्रतिरक्षा अधिकारी क्लबों को भी दी जाती है जहां इसे वे लोग भी प्रयोग में लाते हैं जिनके लिए इसका आयात नहीं किया जाता; और

(ग) क्या इसको और विदेशी मुद्रा के बचाने को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार विदेशी शराब के आयात को बन्द करने का है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : आयातित विदेशी शराब एक निर्धारित मापमान पर अनुमोदित अधिकारियों की मैसों/क्लबों/रक्षा अधिकारियों की संस्थाओं को दी जाती है। सामान्यतः अधिकारियों के निर्धारित कोटे पर आयातित विदेशी शराब मैसों के द्वारा दी जाती है, केवल दिल्ली में ये सीधे ही अधिकारियों को बेची जाती है। विवाहित अधिकारी अपने कोटे की शराब घर ले जाकर प्रयोग कर सकते हैं। अन्य आयातित विदेशी शराब अनुमोदित अधिकारियों की मैसों/क्लबों/रक्षा अधिकारियों की संस्थाओं को साम्ययुक्त आधार पर दी जाती है। जहां तक सरकार की जानकारी है सैनिक अधिकारी ऐसी शराब का प्रयोग मैसों/क्लबों/संस्थाओं में ही करते हैं।

(ग) इस समय और विदेशी शराब के आयात को बन्द करने की कोई योजना नहीं है।

तम्बाकू का निर्यात

8010. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फ्लू क्योयर्ड वर्जिनिया' तम्बाकू की घटिया किस्मों के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर से प्रतिबन्ध हटाने के निर्णय से जमा हुये स्टाक के निपटान में सहायता मिली है;

(ख) यदि हां तो दक्षिण कोरिया तथा फिलीपीन द्वारा विश्व बाजार में उतारे गये तम्बाकू के स्टाक की तुलना में कितना तम्बाकू निर्यात किया गया;

(ग) गत वर्ष तम्बाकू के मामले में वस्तुविनिमय के आधार पर कितने सौदे किये गये तथा ये सौदे किन देशों के साथ किए गए तथा किसके द्वारा किये गये; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने ये सौदे गैर-सरकारी पार्टियों को न सौंपने का निर्णय किया है; यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) न्यूनतम निर्यात मूल्यों के हटा देने के पश्चात अनुमानतः 53.7 लाख किग्रा का निर्यात हुआ। कोरिया और फिलीपाइन के तुलनात्मक निर्यात निष्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(घ) जी हां, सरकार की यह नीति रही है कि देश के आयात/निर्यात व्यापार में सरकारी अभिकरणों के भाग को बढ़ाया जाये ।

विवरण

उन पक्षों के निर्यात के लिए वस्तु विनिमय की मन्जूरी दी गई ।	वे देश जहां वस्तु-विनिमय सौदों के अन्तर्गत तम्बाकू का निर्यात किया गया ।
1. मैसर्स बालिया बादर्स, बम्बई ।	पश्चिम अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, बेल्जियम, हालैंड, सिंगापुर तथा पश्चिम जर्मनी ।
2. मैसर्स मद्दी वेंकटरत्नम् एंड कंपनी, चिलकलुमपेट ।	
3. मैसर्स चीगू कृष्णमूर्ति, गुंटूर ।	
4. मैसर्स बोरुगू विश्वनाथम ब्रादर्स, गुंटूर ।	
5. मैसर्स एम० के० कश्यप एंड कम्पनी, बम्बई ।	
6. मैसर्स मोगीलाल प्रेमचन्द एंड क०, बम्बई ।	
7. मैसर्स नटवरलाल शामलदास, बम्बई ।	

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों की वरीयता का पुन: निर्धारण

8011. **श्री सूरज भान :**
श्री हीरजी भाई :
श्री कार्तिक उरांव :
श्री साधू राम :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री राम चरण :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक संसद् सदस्यों, अनुसूचित जातियों के संगठनों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति आयुक्त द्वारा भरसक प्रयास करने के पश्चात् उनके मन्त्रालय ने मार्च, 1970 के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों की वरीयता में गृह-कार्य मंत्रालय के उस विषय पर स्थायी आदेशों के अनुसार, संशोधन करने के लिए आदेश जारी किये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त आदेश अभी तक लागू नहीं किये गये हैं जिससे कि उक्त विभाग के अनुसुचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों के हितों को बड़ी हानि होती है;

(ग) उक्त आदेशों को लागू न करने के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन उत्तरदायी है; और

(घ) इन आदेशों को कब तक लागू करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : केन्द्रीय जल विद्युत आयोग के श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के अधिकारियों की प्रवरता-सूची, सिंचाई व बिजली मंत्रालय से परामर्श करके, बनाये गये नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है। हाल ही में प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

प्रतिरक्षा अध्ययन संस्थान के निदेशक का भारत द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त करने के बारे में वक्तव्य

8012. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रतिरक्षा अध्ययन संस्थान के निदेशक श्री के० सुब्रह्मण्यम के इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने जोर दिया है कि देश के पास परमाणु शक्ति होनी चाहिये;

(ख) क्या सरकार ऐसा समझती है कि हमारे राष्ट्रीय मामलों में पड़ोसी देशों को हस्तक्षेप न करने देने के लिए परमाणु शक्ति की क्षमता का होना आवश्यक है;

(ग) क्या श्री सुब्रह्मण्यम एक सरकारी अधिकारी हैं जो उस संस्थान में प्रति नियुक्ति पर गए हुए हैं; और

(घ) क्या यह संस्थान और इसके निदेशक ऐसे विचार व्यक्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं। जो सरकार की वैदेशिक नीति के अनुकूल न हों ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नाभिकीय अस्त्रों के विकास के सम्बन्ध में सरकार के विचार इस सदन में कई बार स्पष्ट किये जा चुके हैं, और हाल ही में 11 मार्च, 1970 को आधे घण्टे की बहस के दौरान स्पष्ट किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) श्री सुब्रह्मण्यम भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं, जिन्हें इस संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। यह एक स्वतन्त्र शैक्षिक अनुसंधान संस्थान है। इसके निदेशक जो बातें कहीं और विचार व्यक्त किए उन्हें सरकारी नीति का निरूपण नहीं समझा जा सकता।

केरल में विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण

8013. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री के० अनिरुद्धन** :

श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री ई० के० नायनार** :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार को पता है कि केरल सरकार ने केरल में विदेशी स्वामित्व वाले सभी चाय बगानों के प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।

'मित्रता संगठन' के सदस्यों तथा संसद सदस्यों द्वारा विदेशों की यात्रा

8014. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद् सदस्यों और 'मित्रता संगठन' के सदस्यों के नाम क्या हैं जिनका भारत स्थित विभिन्न विदेशी राजनयिक मिशनों के साथ संबंध है और जिन्होंने वर्ष 1967, 1968 और 1969 में उन देशों द्वारा आमंत्रित किए जाने पर उनकी यात्राएं की थी ; और

(ख) उन्होंने विदेशों की ऐसी यात्राएं किन अवसरों पर की थीं और क्या उन सबका व्यय संबंधित देशों ने वहन किया था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन को मेज पर रख दी जाएगी ।

लैफ्टिनेंट कर्नल रैंक से कर्नल के रैंक पर पदोन्नति की कसौटी

8015. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रक्षा** मन्त्री 20 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4121 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्थल सेना में अधिकारियों की आयु के सत्यापन के लिये केवल मात्र आधार मैट्रिक का प्रमाणपत्र है ;

(ख) क्या लैफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल के रैंक पर पदोन्नति का आधार (1) वरिष्ठता (2) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अथवा कुछ अन्य बातें है ; और

(ग) क्या एक ऐसे लैफ्टिनेंट कर्नल को जिसकी पहले उपेक्षा की गई थी और जो सेवा निवृत्त होने को हैं ; विशेष रूप से कर्नल के रूप में पदोन्नति करने के लिये कोई व्यवस्था है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) लैफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल के रैंक पर पदोन्नति का एकमात्र आधार वरिष्ठता एवं गुण हैं । अफसर की योग्यता की मुख्य कसौटी अफसर की उच्च कमान के उत्तरदायित्व और नेतृत्व पर निर्भर करती है ।

(ग) जी नहीं ।

सीमेंट का निर्यात

8016. **श्री पं० ला० बारूपाल** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल भाड़े में वृद्धि के कारण सीमेंट के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) सीमेंट के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से यह उपयुक्त समझा गया है कि लागत तथा भाड़ा आधार पर संविदाएं की जाएं ताकि जहाजरानी का दायित्व भारत द्वारा, भारतीय जहाजरानी

निगम, परिवहन मन्त्रालय में चार्टरिंग के मुख्य-नियंत्रक तथा खुले बाजार के माध्यम से कार्यकारी भाड़ा दरों पर उचित जलयानों की व्यवस्था करके, पूरा किया जा सके ।

कपड़ा मिलों को अधिकार में लेना

8017. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री 4 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1444 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अपने अधिकार में ली गई कपड़ा मिलों के कार्यकरण के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : राज्य वस्त्र निगमों के स्थापित होने के बाद, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जिन मिलों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया गया है, उनके कार्यचालन के विषय में जानकारी देना अभी सम्भव नहीं है क्योंकि उनके अधिकार में लिए जाने की बाद की अवधि के सपरीक्षित लेखे अभी उपलब्ध नहीं है ।

प्रादेशिक सेना की सेवा की शर्तों में संशोधन करने के लिये समिति की नियुक्ति

8018. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना की सेवा को अधिक आकर्षिक बनाने की दृष्टि से इसमें सेवा की वर्तमान शर्तों का पुनर्विलोकन तथा पुन: मूल्यांकन करने के लिये पटियाला के महाराजा यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हाँ, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक सरकार को मिल जायेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) (1) महा महिम महाराजा यादविंद्र सिंह अध्यक्ष
(2) श्री राम निवास मिर्धा, संसद सदस्य, गैरसरकारी सदस्य
(3) श्री ज्ञान दत्त शर्मा संसद सदस्य
(4) लेफ्टनेंट जनरल मोती सागर (सेवा निवृत्त) ,,
(5) कर्नल वी० एन० खन्ना (सेवा निवृत्त) ,,
(0) संयुक्त सचिव (जी) रक्षा मंत्रालय सरकारी सदस्य
(7) डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ ,,
(8) एडजूटेंट जनरल, थल सेना मुख्यालय ,,
(9) निदेशक, प्रादेशिक सेना सचिव

(ग) समिति से रिपोर्ट नवम्बर 1970 तक प्रस्तुत कर देने की आशा है ।

हिमालय क्षेत्र की पन बिजली क्षमता का अनुमान

8019. **श्री हेमराज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय क्षेत्र की पन-बिजली क्षमता का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो हिमालय क्षेत्र के साथ विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार क्षमता कितनी-कितनी है ; और

(ग) राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार अब तक कितनी क्षमता का लाभ उठाया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : अपेक्षित ब्यौरा नीचे सारिणी में दिया जाता है :—

राज्य/संघीय प्रदेश	60% भार अनुपात पर अनुमानित शक्यता	वर्तमान संयंत्र		निर्माणधीन संयंत्र	
		प्रतिष्ठापित क्षमता	60% भार अनुपात शक्यता	प्रतिष्ठापित क्षमता	60% भार अनुपात शक्यता
	(मैगावाट)	(मैगावाट)	(मैगावाट)	(मैगावाट)	(मैगावाट)
जम्मू और काश्मीर	3590	27	24	411	272
हिमाचल प्रदेश	2910	1256	690	1252	1142
पंजाब/हरियाणा	310				
राजस्थान	—				
उत्तर प्रदेश	1900	86	45	496	171
पश्चिम बंगाल	22	21.5	17	11	1
नेफा	9030	—	—	—	—
कुल	17762	1390·5	776	2170	1286

मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा पशु चिकित्सा संबंधी पदों पर एमरजेंसी तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में स्नातकों तथा अवर-स्नातकों की भर्ती

8020. **श्री हेमराज** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा पशु-चिकित्सा संबंधी पदों पर एमरजेंसी तथा शार्ट सर्विस कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के रूप में स्नातक तथा अवर स्नातक सेना की सेवा में आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी श्रेणी-वार संख्या कितनी थी और उनमें से कितनों को अब तक सेवा से मुक्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या तकनीकी योग्यताओं वाले एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को उनके लिये रिक्त स्थानों का आरक्षण करने, उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने तथा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी में उनका वेतन निश्चित करने की सुविधायें दी गयी हैं किन्तु गृह कार्य मंत्रालय की 6 अगस्त 1963 की अधिसूचिना संख्या 35/11/63 ई० एस० टी० एस० (बी) अनुसार अवर-स्नातकों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया है ; और

(घ) इन स्नातकों तथा अवर-स्नातकों द्वारा आपात काल में की गई देश की सेवा को ध्यान में रखते हुए क्या इन अवर-स्नातकों के मामले में इनके लिये रिक्त स्थानों का आरक्षण करने, उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने तथा उनका वेतन उन सभी पदों में, जिनके लिये वे पात्र हों, निर्धारित करने के लिये कोई ढील दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 5 अगस्त 1965 से 25 फरवरी 1966 तक मेडिकल, पशु-चिकित्सा सम्बन्धी पदों पर एमरजेंसी तथा शार्ट सर्विस कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के रूप में केवल स्नातक ही सेना की सेवा में आए।

(ख) उपर्युक्त समय के दौरान ऐसे पदों के लिए कमीशन दिए गए एमरजेंसी तथा शार्ट सर्विस कमीशन अफसरों की संख्या और उनमें से मुक्त किए गए लोगों की संख्या निम्नलिखित है :—

	शार्ट सर्विस कमीशन		एमरजेंसी कमीशन	
	कमीशन प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	सेवा मुक्त किये गये की संख्या	कमीशन प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	सेवा मुक्त किये गये की संख्या
इंजीनियर कोर	41	36	--	—
सिगनल कोर	2	2	—	—
ई० एम० ई० कोर	19	19	—	—
मेडिकल कोर	112	26	238	154
आर० वी० सी०	—	—	28	—

(ग) सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन/शार्ट सर्विस कमीशन अफसरों को इंजीनियरिंग और मेडिकल सेवाओं/पदों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी और पशु-चिकित्सा सेवाओं/पदों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी पर आरक्षित पदों पर नियुक्ति के समय स्नातक एमरजेंसी/शार्ट सर्विस कमीशन अफसरों का वेतन और वरिष्ठता सशस्त्र सेनाओं में उसकी सेवा का आधार बना कर की जाती है। क्योंकि अवर स्नातक एमरजेंसी/शार्ट सर्विस कमीशन अफसर इंजीनियरिंग और मेडिकल सेवाओं/पदों में आरक्षित स्थानों के पात्र नहीं हैं। अतः रिपाउंट और वेटरमरी कोर में ऐसे किसी व्यक्ति की एमरजेंसी/शार्ट सर्विस कमीशन नहीं किया गया है, और पशु-चिकित्सा विज्ञान अथवा कृषि में स्नातक नहीं था अतः ऐसे पदों पर अवर-स्नातक एमरजेंसी/शार्ट सर्विस कमीशन अफसरों के वेतन-निर्धारण और वरिष्ठता के लिए उनको सैनिक सेवा को महत्व देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सेवा निवृत एमरजेंसी/शार्ट सर्विस कमीशंड अफसरों को तृतीय श्रेणी में आरक्षित भूतपूर्व सैनिकों के स्थानों पर नियुक्त किया जाता है तो वेतन-निर्धारण के सम्बन्ध में स्नातक और अवर-स्नातकों को किसी प्रकार का भेद नहीं रखा जाता और उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए किसी भी वर्ग को सैनिक सेवा को कोई महत्व नहीं दिया जाता।

रबड़ अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान निदेशक के पद के लिए भर्ती

8021. **श्री कमलनाथन** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ अनुसंधान संस्थान में अनुसन्धान निदेशक के पद पर डा० जकब की सेवा निवृत्ति के उपरान्त नियुक्ति हो गई है;

(ख) क्या इस पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें पी० एच० डी० से कम करके एम० एस० सी० कर देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अनुसंधान निदेशक के कार्य को चलाने के लिए कार्यवाहक व्यवस्था की गयी है परन्तु यह पद अभी नियमित आधार पर नहीं भरा गया है ।

(ख) तथा (ग) : पद की न्यूनतम अर्हताओं को पी० एच० डी० से कम करके एम० एस० सी० करने का कोई विचार नहीं है । परन्तु भर्ती नियमों के मसौदे में केवल बागान पैदावार के सम्बन्ध में उत्पादन कारी अथवा व्यावहारिक गवेषणा में असाधारणतः विशिष्ट रिकार्ड वाले वैज्ञानिकों के मामले में डाक्टरेट की उपाधि के स्थान पर मास्टर्स डिग्री अथवा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष अर्हता तक की छूट देने का उपबन्ध रखा गया है ।

रबड़ उत्पादन आयुक्त की नियुक्ति

8022. **श्री कमलनाथन्** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड में रबड़ उत्पादन आयुक्त का पद रिक्त पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नियुक्ति में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) नियुक्ति शीघ्र ही की जाने की आशा है ।

कडाना परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

8023. **श्री हीरजी भाई** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कडाना परियोजना रिपोर्ट वर्ष 1960 में तैयार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट के अनुसार उन सम्पत्तियों के बारे में आंकड़े क्या हैं जो कि जलमग्न हो जायेंगी और कितने परिवार इससे प्रभावित होंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दो राज्यों के मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में यह आंकड़े गलत सिद्ध हुये हैं ; यदि हां, तो इस समय कितने गांवों के जलमग्न होने की सम्भावना है और उससे कितने परिवार प्रभावित होंगे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि गुजरात सरकार कडाना बांध का पुनः सर्वेक्षण कराने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का व्यय कौन वहन करेगा और वर्तमान सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : 1959 में बनाई गई कडाना परियोजना रिपोर्ट में यह बताया गया था कि गुजरात में 18995 एकड़ और राजस्थान में 22006 एकड़ भूमि जलमग्न हो जाएगी । गुजरात में प्रभावित होने वाले लोगों की

संख्या 10600 और राजस्थान में प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 5863 बताई गई थी । प्रभावित होने वाले ग्रामों की संख्या क्रमशः 45 और 114 बताई गई थी ।

(ग) से (ङ) : अप्रैल, 1969 में हुए विचार-विमर्श में गुजरात और राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों ने स्वीकार किया कि जलमग्न होने वाले क्षेत्रों और सम्पत्ति के संबंध में फिर से सर्वेक्षण किये जाएं क्योंकि पहले किये गए सर्वेक्षण को काफी समय हो चुका है । गुजरात सरकार की लागत पर राजस्थान सरकार द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षण कार्य चल रहे हैं ।

कडाना परियोजना के बारे में गुजरात और राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों की बैठक

8024. **श्री हीरजी भाई** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कडाना बांध की प्रस्तावित ऊंचाई को 419 एफ० आर० एल० से कम करने और क्षतिपूर्ति, पुनर्वास आदि जैसे अन्य मामलों के बारे में गुजरात और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच 4 अप्रैल, 1960 को दिल्ली में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) : अप्रैल 1969 में गुजरात तथा राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों ने फैसला किया था कि कडाना जलाशय में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों तथा सम्पत्ति का जिनका सर्वेक्षण पहले 1959 में किया गया था, पुनः सर्वेक्षण होना चाहिए । ये सर्वेक्षण अब भी किए जा रहे हैं ।

Height of Kadana Dam

*8025. **Shri Heerji Bhai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the proposed height of the Kadana dam agreed to by Rajasthan is from 250 to 419 feet;

(b) if so, whether loss to Rajasthan as a result thereof has been estimated and the arrangements made with the Government of Rajasthan in regard to compensation; and

(c) the details of the scheme in this regard ?

The Deputy Minister in the ministry of Irrigation and Power (Shri. Siddheshwar Prasad) : (a), (b, **and** (c) : The full resrvoir level of the 208 ft. high Kadana Dam, as had been agreed to by the two state Governments and as was sanctioned. by the Planning commission, is R. L. 419.

The project report prepared in 1959 assessed the submergence area as 18,995 acres in Gujarat and 22,006 acres in Rajasthan. The population to be affected was assessed as 10,600 in Gujart and 6,863 in Rajasthan. The number of villages to be affected was indicated as 45 and 114 respectivelv.

A provision of Rs. 1.3 crores had been made in the estimate for compensation and rehabilitation. Submergence area and property surveys are being carried out by the Government of Rajasthan afresh to ascertain uptodate position. Details of the compensation and rehabilitation measures etc. will be worked out by them, after the surveys are cver.

नागा विद्रोहियों के साथ मुठभेड़

†8026. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री जुगल मंडल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में चीन और पूर्वी पाकिस्तान के साथ सीमा पर तथा अन्य स्थानों पर नागा विद्रोहियों के साथ हुई प्रत्येक मुठभेड़ का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : पहली जनवरी, 1970 और 31 मार्च, 1970 के बीच चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली हमारी सीमा पर सुरक्षा सेनाओं और छिपे नागाओं में कोई मुठभेड़ नहीं हुई। तथापि नागालैंड और मनीपुर में छिपे नागाओं ने सुरक्षा सेनाओं पर बारह बार आक्रमण किया तत्सम्बन्धी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

तारीख	घटना का ब्यौरा
2. 1. 70	लगभग 20 छिपे व्यक्तियों ने तिपियामुख के उत्तर में गांव की स्वयंसेवकों की चौकी पर हमला किया। कोई नहीं मरा।
7. 1. 70	छिपे हुए लोगों ने परीफेमा के पूर्व के दस मील उत्तर पूर्व में सेना गश्त पर गोली चलाई और भाग गए। सुरक्षा दल ने उसी समय दो राइफलें और कुछ गोला बारुद बरामद किया जो विद्रोही भागते हुए फेंक गए थे।
9. 1. 70	माओ के 16 मील दक्षिण में हुए संघर्ष में 2 विद्रोही पकड़े गए। सुरक्षा दल को 4 राइफलें और कुछ गोला बारुद भी बरामद हुआ।
18. 1. 70	व्यूनसांग के 16 मील में दक्षिण में एक गश्ती टुकड़ी के साथ हुई मुठभेड़ में अपने आप को विद्रोही कहने वाला सार्जेन्ट एक राइफल तथा कुछ गोला बारुद सहित पकड़ा गया।
28. 1. 70	असैनिक नियन्त्रणाधीन एक पुलिस दल की दक्षिण पूर्व माओ के 18 मील पूर्व में नागा विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ हुई। गोली बारी के दौरान एक विद्रोही और एक अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी घायल हुआ।
6. 2. 70	उत्तर पश्चिम उखरूल के 8 मील उत्तरी क्षेत्र में नागा विद्रोहियों ने सेना की टुकड़ियों पर गोलीबारी की। गोलाबारी के बाद विद्रोही जंगल में भाग गए। एक 303 राइफल बरामद हुई।
7. 2. 70	मोकोकचेंग के 3 मील उत्तर में हुई मुठभेड़ में सेना की टुकड़ी ने थोड़े समय की गोली बारी के बाद 5 विद्रोहियों को पकड़ लिया। 2 राइफलें तथा कुछ गोला बारुद भी बरामद हुआ।
8. 2. 70	उत्तर पूर्व कांगपोकपी के 6 मील उत्तर में 3 नागा विद्रोहियों ने संयुक्त पुलिस टुकड़ी तथा गांव के स्वयंसेवक दल पर गोली चलाई। एक स्वयंसेवक घायल हुआ।
9. 2. 70	व्यूनसाँग के 20 मील दक्षिण पूर्व में 4 विद्रोहियों ने गश्ती सेना की टुकड़ी पर कुछ गोलियां चलाईं। प्रयास निष्फल रहा।

17. 2. 70 उत्तर पश्चिम किफीरी के 7 मील उत्तर में गश्ती सेना के साथ विद्रोहियों की मुठभेड़ हुई। थोड़े समय की गोलाबारी के बाद, विद्रोही जंगलों में भाग गए। किसी भी तरफ से कोई नहीं मरा।

21. 2. 70 ओइनमलोंग के दस मील दक्षिण पूर्व में, गांव के स्वयंसेवक दल तथा विद्रोहियों के बीच गोली बारी हुई। दो विद्रोही पकड़े गए।

21. 3. 70 कांगपोकपी के 4 मील उत्तर पश्चिम में 4 विद्रोहियों ने ग्राम स्वयंसेवक दल पर गोली चलाई। दल ने भी जवाब में गोली चलाई। किसी भी तरह से कोई नहीं मरा। बाद में उस क्षेत्र से एक हथगोला बरामद हुआ।

ऊन उद्योग का निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य करना

8027. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृति ऊन (रा वूल) की कमी के कारण ऊन उद्योग पूरी क्षमता पर कार्य नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऊन के आयात के लिए लाइसेंस देने में देरी होने के कारण ऐसा हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां, कच्चे माल का सम्पूर्ण आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण ऊनी उद्योग अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) जी नहीं।

1969-70 के विदेशी व्यापार के विकास के लिए सर्वेक्षण

8028. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1969-70 में आयात तथा निर्यात की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) क्या उक्त अवधि में भारतीय माल के लिये नई मंडियां बनाने के लिए कोई कार्य किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन प्रयत्नों में सफलता मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने अथवा आयात कम करने के लिए किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) निर्यात तथा आयात के वस्तुवार आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं।

(ख) हमारे निर्यातों के लिए नई मंडियां प्राप्त करने के लिये बराबर प्रयत्न किये जाते हैं।

(ग) पश्चिम यूरोप तथा ऐफ्टा देशों को छोड़कर संसार के सभी क्षेत्रों को हुए भारतीय

निर्यातों में अप्रैल-दिसम्बर 1969 के दौरान, गत वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यातों की अपेक्षा, वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

(घ) 1969-70 के लिये भुगतान संतुलन की स्थिति के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, प्रतिकूल व्यापार शेष जो अप्रैल-फरवरी 1968-69 में 423.33 लाख रु० था, घट कर अप्रैल-फरवरी 1969-70 में 102.24 लाख रु० रह गया।

पश्चिम बंगाल की बहु प्रयोजनीय तथा बड़ी सिंचाई परियोजनायें

8029. **श्री जुगल मंडल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इस समय ऐसी चुनी हुई बहुप्रयोजनीय तथा बड़ी सिंचाई परियोजनायें कितनी हैं जिनको केन्द्रीय सहायता मिल रही है ;

(ख) वे परियोजनायें किन किन स्थानों पर स्थित हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक प्रायोजना के लिये कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ग) चौथी योजना की अवधि में पश्चिम बंगाल में कितनी और सिंचाई परियोजनायें आरम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : 1968-69 तक योजना आयोग कुछ चुनी हुई वृहत सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता पृथग्-रक्षित कर रहा था और यह सहायता सिंचाई व बिजली मन्त्रालय द्वारा दी जा रही थी। बहरहाल, ऐसी सहायता राज्य योजनाओं के लिये दी जाने वाली सम्पूर्ण केन्द्रीय सहायता का भाग थी और राज्यों की वार्षिक योजनाओं के दायरे के अन्तर्गत आती थी।

बांकुरा जिले में अम्बिकानगर के निकट स्थित कंसवती परियोजना के लिये ऐसी पृथग्-रक्षित केन्द्रीय सहायता 1967-68 में शुरू की गई थी। उस वर्ष 222 लाख रुपये और 1968-69 में 350 लाख रुपये दिये गये थे।

चौथी योजना अवधि के दौरान अर्तात् 1969-70 से लेकर, राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रति वर्ष ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष स्कीम, स्कीमों के समूह अथवा विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती। 1969-70 के दौरान योजना आयोग ने कंसवती परियोजना के लिये राज्य योजना में 250 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त इस परियोजना पर कार्य की गति में तेजी लाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को 1968-69 के दौरान 1.3 करोड़ रुपये की और 1969-70 के दौरान 2 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी गई थी।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार ने चौथी योजना में दो नई स्कीमों का प्रस्ताव रखा है—97.94 लाख रुपये की अनुमानित लागत की हिंग्लो परियोजना और 42.33 लाख रुपये की अनुमानित लागत की बंधु परियोजना।

इंगलैंड में भारतीय उच्चायोग में विदेशी पत्नियों वाले कर्मचारी

8030. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंदन में हमारे उच्चायुक्त के कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) उनमें कितने कर्मचारियों की पत्नियां भारतीय हैं और कितने कर्मचारियों की पत्नियां विदेशी हैं तथा कितने कर्मचारी विदेशी हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) 737 (भारत- आस्थानी—176
स्थानीय —561)

(ख) (i) भारतीय जिनकी पत्नियां भारतीय हैं—280
(ii) भारतीय जिनकी पत्नियां विदेशी हैं—44 स्थानीय
(iii) विदेशी —203

भारतीय इलैक्ट्रानिक्स उद्योग का विकास

8031. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इलेक्ट्रानिक उद्योग ने कुछ दिशाओं में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रगति की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिरक्षा तथा दूर-संचार इलेक्ट्रोनिक्स में अधिक प्रगति करना संभव क्यों नहीं हो सका है तथा इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) और (ख) : पिछले 5 वर्षों में भारतीय इलेक्ट्रानिक उद्योग ने तत्व-संबन्धी प्रगति की है । 1964-65 के दौरान 30.5 करोड़ रुपयों, 26.2 करोड़ रुपयों के उपस्करों और 4 करोड़ रुपयों के उपकरणों के थोड़े मूल्य के उत्पादन के स्थान पर 1969-70 में 138 करोड़ रुपए 110 करोड़ रुपए के उपस्कर और 28 करोड़ रुपयों के उपकरणों का उत्पादन किया गया था । यद्यपि कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में प्रगति कुछ अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तीव्र हुई है, तब भी रक्षा और दूर-संचार इलेक्ट्रानिक क्षेत्र सहित सम्पूर्ण प्रगति संतोषजनक है । 1964-65 में रक्षा और संचार उपकरणों जिनका उत्पादन प्रमुख रुपये केवल सरकारी क्षेत्र की फैक्टरियों तक सीमित था, के कुल 8 करोड़ रुपए के उत्पादन के स्थान पर 1969-70 में उत्पादन 35 करोड़ रुपए का हुआ । सुरक्षा सेनाओं की जरूरतें केवल कुछ बहुत जटिल भण्डारों को जिन्हें आवश्यकता की शीघ्रता के कारण आयात करना पड़ता है, को छोड़कर देश में उत्पादन करके ही पूरी की जाती हैं । दूर-संचार के उपस्करों के उत्पादन में भी काफी प्रगति हुई है । नैनी में एक नया कारखाना लगाया जा रहा है । तथापि इस क्षेत्र में अब भी कुछ कमियां हैं और अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कुछ समय पश्चात् पूरी आवश्यकता को देशी उत्पादन से ही पूरा किया जा सके ।

उपभोज्य वस्तुओं के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप 1966-67 में 10 लाख रेडियो रिसीवरों के उत्पादन के स्थान पर 1969-70 में 30 लाख रिसीवरों का उत्पादन हुआ । इतने बड़े पैमाने पर रेडियो रिसीवरों के उत्पादन से पिछले कुछ वर्षों में विद्यमान कीमतों में 30 प्रतिशत की कमी हुई है । इलेक्ट्रानिक की अन्य उपभोज्य वस्तुओं में भी संतोषजनक प्रगति हुई है । उपकरणों के इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में कीमतों में 30 प्रतिशत की कमी हुई है ।

विश्वविद्यालयों द्वारा अनिवार्य राष्ट्रीय छात्र सेना दल प्रशिक्षण को लागू न करना

8032. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विश्वविद्यालयों ने अनिवार्य राष्ट्रीय छात्र सेना दल प्रशिक्षण लागू न करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) इन विश्वविद्यालयों ने अनिवार्य राष्ट्रीय छात्र सेना दल प्रशिक्षण को लागू न करने के पक्ष में क्या तर्क दिये हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : सब विश्वविद्यालयों की एक पूरी सूची संलग्न है [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3349/70**] जिसमें यह भी दिया गया है कि कहां एन० सी० सी० अनिवार्य है तथा कहां एच्छिक है । अभी 61 विश्वविद्यालयों में इस योजना के अन्तर्गत प्रशिशण एच्छिक है । यह प्रश्न कि एन० सी० सी० का प्रशिक्षण अनिवार्य हो या एच्छिक का निश्चय उसके पंजीकृत विद्यार्थियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय करता है । जब से राष्ट्रीय आपात स्थिति हट गई, अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड ने निश्चय किया है कि डिग्री कालेजों/विश्वविद्यालयों में इसे एच्छिक बना दिए जाएं । सरकार का विचार है कि एन० सी० सी० का एच्छिक प्रशिक्षण अच्छे अनुशासन, और दक्षता में सुधार होगा । ताकि जो लड़के सचमुच एन० सी० सी० में इच्छुक हैं एन० सी० सी० में भर्ती के लिए तैयार होंगे ।

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सम्बंधी जांच समिति के सभापति-पद से श्री० ए० के० सरकार के त्यागपत्र का समाचार

श्री उमानाथ (पूद्दुकोटै) : मैं शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :–

"वैज्ञानिक तथा औद्योगिक तथा अनुसंधान परिषद् सम्बन्धी जांच समिति के सभापति-पद से श्री ए० के० सरकार के त्यागपत्र का समाचार ।"

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : 1 जून, 1968 के आदेश में उल्लिखित विभिन्न मामलों की जांच के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष द्वारा इन परिषद् के नियमों तथा विनियमों के नियम 57 में अन्तर्गत नियुक्त की गई समिति के सभापति श्री ए० के० सरकार ने दिनांक 26 अप्रैल 1970 के पत्र में जोकि प्रधान मन्त्री तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित किया गया है जांच समिति के सभापति-पद से अपना त्यागपत्र दे दिया है । पत्र में यह नहीं बताया गया है कि वह अपना त्यागपत्र किन कारणों से दे रहे हैं ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने न्यायाधिपति सरकार से निवेदन किया है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। सरकार के यह राय है कि न्यायाधिपति सरकार का अपने पद पर बने रहना लोक हित में है। सरकार इस अवसर से लाभ उठाकर उनकी सत्यनिष्ठा तथा स्वतन्त्रता में अपना विश्वास व्यक्त करती है और उन्होंने लोक सेवा की जिस भावना से जांच समिति के इस पद के कठिन कर्त्तव्य को ग्रहण किया था उसकी सराहना करती है। मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि सभापति के साथियों ने उनके प्रति सम्मान तथा उनकी निष्पक्षता में पूरा विश्वास व्यक्त किया है।

मुझे विश्वास है कि हमारी तरह सभा को भी यह आशा है कि न्यायाधिपति सरकार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष के निवेदन को स्वीकार करेंगे और अपना त्यागपत्र स्वीकार किये जाने पर जोर नहीं देंगे।

श्री उमानाथ : यह बड़ा दुखद मामला है कि स्वदेश में विज्ञान का विकास करने हेतु बनाई इस मुख्य वैज्ञानिक संस्था की जांच के लिए नियुक्त की जांच समिति की आज स्थिति इतनी खराब है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थिति उस समय हुई जबकि यह जांच समिति अपना कार्य आरम्भ करने वाली थी। क्या माननीय मन्त्री को इस बात का पता नहीं है कि हम संख्या में काम कर रहे युवक वैज्ञानिकों को मुख्यालय द्वारा इस विषय पर वाद-विवाद तथा प्रश्नकाल के समय मन्त्रियों द्वारा संकट को गलत तथा अपूर्ण सूचना देकर अवमानित करने का प्रयास किया गया है? सरकार समिति ने यह पता लगाया था कि वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद् में कुछ निदेशकों की अर्हताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। श्री त्रिगुणसेन को इस बारे में संसद के उत्तर देना होगा।

वर्तमान महानिदेशक की अध्यक्षता में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय ने अपनी इच्छनुसार कार्यसंचालन सम्बन्धी कागज तैयार कराने के लिए सरकार समिति के कार्यालय में अपना प्रभाव प्रयोग किया था परन्तु मैं सरकार समिति को धन्यवाद देता हूं कि उसने अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखा और अपना प्रतिवेदन तैयार किया है। अपने प्रयास में असफल रहने पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान मुख्यालय ने कार्यसंचालन सम्बन्धी कागज को प्रकाशित कर दिया और यह कहा कि यह समिति का 'मूल' प्रतिवेदन है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय द्वारा इस कार्य को ठीक ढंग से न निपटाये जाने के कारण ही श्री सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा है? सभा में एक आरोप लगाया गया था कि श्री सरकार की अध्यक्षता में समिति ने यह 'मूल' प्रतिवेदन तैयार करके प्रधान मन्त्री को भेजा था और प्रधान मन्त्री ने इसको वापस भेज दिया और इस प्रतिवेदन में परिवर्तन करने के लिए समिति पर दबाव डाला और इस प्रकार समिति ने इसमें परिवर्तन किये।

मन्त्री महोदय ने इस आरोप के उत्तर में कहा था कि सरकार को एक अमुक तिथि को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था सरकार उसी को वैध समझती है और कि अन्य प्रारुपों से जिनपर हो सकता है समिति द्वारा चर्चा की गई है, सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं जानना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय को यह पता नहीं था कि उस दिन सभा में मूल प्रतिवेदन के रूप में जो कागज दिखाये गये थे वे केवलमात्र कार्यसंचालन सम्बन्धी कागज थे और कि वह समिति का प्रतिवेदन नहीं था।

श्री सरकार के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप भी लगाये गये थे। चर्चा के दौरान उनकी बिड़ला जांच आयोग से हटाने की भी माँग की गई थी। माननीय मन्त्री ने वाद-विवाद का उत्तर देते समय इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। यदि ये आरोप सच नहीं थे तो माननीय मंत्री को उनका खण्डन करना चाहिए था। इन परिस्थितियों में कोई भी आत्म-सम्मान वाला व्यक्ति अपने पद से त्यागपत्र दे देगा।

25 तारीख को सरकार समिति की जो बैठक हुई थी। जिनमें एक वैज्ञानिक सहित सभी सदस्यों ने भाग लिया था उसमें इन आरोपों का खण्डन करने को कहा गया था और उन्होंने इनका खण्डन किया था। परन्तु माननीय मंत्री ने उन आरोपों का अभी तक खण्डन नहीं किया है। क्या माननीय मंत्री इन आरोपों के बारे में सरकार की स्थिति स्पष्ट करके बतायेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सभापति तथा सदस्यों में विश्वास बहाल करने हेतु क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ताकि वे अपना शान्तिपूर्ण ढंग से कर सकें। क्या सरकार वर्तमान महानिदेशक को जोकि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं हटाने पर विचार करेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् के मुख्यालय ने वैज्ञानिकों को अवमानित करने के लिए मंत्रालय को गलत जानकारी दी है। जहां तक कार्यमंत्रालय सम्बन्धी कागज का सम्बन्ध है मैं कैसे जान सकता था कि वह कार्यसंचालन संबन्धी कागज है जबकि मैंने उसे देखा ही नहीं था। मैंने यही कहा था कि समिति ने यदि किसी प्रारूप पर विचार किया तो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा महानिदेशक अथवा प्रधान मंत्री के कार्यालय को पता नहीं है और न ही उनका उससे कुछ संबन्ध है। मैंने कहा था कि सरकार केवल उसी प्रतिवेदन को प्रतिवेदन मानती है जिस पर सभापति तथा समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।

श्री सरकार ने अपने त्यागपत्र दिये जाने का कोई कारण नहीं बताया है।

उसी दिन मैं सब बातें संक्षिप्त रूप से बताना चाहता था हालांकि मैं पहले ही लगभग 50 मिनट तक बोल चुका था क्योंकि मैंने सभा में बचन दिया था और आप भी इस पर सहमत हो गये थे कि उक्त परिषद् महानिदेशक तथा वर्किंग पेपर के प्रारुप और मूल प्रतिवेदन सम्बन्धी सभी बातों पर विचार करने के लिए सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। अतः मेरे विचार में उस दिन कुछ और कहने को शेष नहीं था। मैंने कहा था कि डा० जहीर के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। इन परिस्थितियों में यदि कुछ कहे जाने की आवश्यकता है तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा सकता है।

मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि सभापति प्रधान मंत्री के अनुरोध को स्वीकार करेंगे।

ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध यहां पर आरोप लगाना उचित नहीं है जो कि यहां पर उपस्थित नहीं है और अपनी रक्षा में कुछ नहीं, कह सकता सरकार समिति ने अपने प्रतिवेदन में डा० आत्मा राय को अनेक आरोपों से मुक्त किया है।

Shri Yashpal Singh : (Dehra Dun) : May I know the reasons for which Mr. Sarkar has been compelled to resign his present post within four months of assuming it although in his twenty years of service he never felt the need of submitting his resignation ? We should not level charges against such highly placed persons without any concrete proof. If Government continue to interfere like this, the judiciary cannot function smoothly.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री किस बात का उल्लेख कर रहे हैं। प्रतिवेदन को सभापटल पर रख दिया गया है। इस पर सभा में चर्चा होने वाली है। मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूँ कि सभा किसी भी प्रतिवेदन पर चर्चा कर सकती है। यदि हम समितियों के सभापति जैसे लोगों की निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा अथवा स्वतन्त्रता पर आक्षेप करना आरंभ कर देंगे तो आत्म-सम्मान वाले किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के पद को स्वीकार करना कठिन हो जायेगा।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मुझे बताया गया था कि समिति ने साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की थी जिनमें डा० जहीर ने हैदराबाद में उप-निदेशक तथा निदेशक के उच्च पदों के लिए अपने साथियों की सहायता करने अथवा उन पर उनको नियुक्त कराने का प्रयास किया था हालांकि अधिक अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति मिल सकते थे। साम्यवाद-समर्थक डा० जहीर के लोगों को उनके अपने हित में पदोन्नत किया गया था।

डा० जहीर ने जिन मामलों में पक्षपात किया था श्री सरकार ने उनकी जांच की थी। इन अधिकारियों से सम्बन्धित मूल फाइलों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यालय से मंगाया गया था। इस सम्बन्ध में अनेक दस्तावेज भी एकत्र किये गये थे। सरकार समिति ने एक उप-समिति नियुक्त की थी और उसने एक नोट तैयार किया था जिसको श्री समरगुह ने यहां पर प्रस्तुत किया था और जिसमें सभी तथ्य दिये गए थे। सरकार समिति ने सारे तथ्यों की तथा मामले के साक्ष्यों को हटा दिया और केवल वही भाग प्रधान मंत्री को भेजे जिसमें इन अनियमित नियुक्तियों में डा० जहीर का समर्थन होता था। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होने के नाते सभापति को इन तथ्यों को हटाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये थी चाहे अन्य सदस्य ऐसा करने की मांग ही करते रहें हो। यह एक बुरी बात थी और इससे सारा मामला संदेहप्रद बन गया है। इस समिति के चार सदस्यों ने जोकि संसद के सदस्य भी है विमति टिप्पण दिया है और कहा है कि साक्ष्य को हटाना बुरी बात है और वे इससे सहमत नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने साक्ष्य हटाये जाने तथा डा० जहीर का बचाव किए जाने की निन्दा की है।

ये सदस्य सच्चाई को सामने लाने तथा डा० जहीर का पर्दाफाश करने में असफल रहे हैं अतः प्रधान मंत्री को इस परिषद् का अध्यक्ष होने के नाते एक अन्य समिति नियुक्त करनी चाहिये ताकि इस मामले में वास्तविक साक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

क्या यह भी सच नहीं है कि इस प्रतिवेदन के पश्चात डा० जहीर ने उनको लिखा था कि उनको अपनी बात कहने का अवसर दिये बिना उनकी निन्दा नहीं की जानी चाहिये।

उप-समिति के प्रतिवेदन की मेरे पास एक अन्य प्रति है यदि आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ इसमें मूल तथ्य दिए गए हैं। क्या कोई समिति, न्यायाधीश अथवा कोई अन्य व्यक्ति किसी के बचाव के लिए किसी प्रतिवेदन से साक्ष्य को निकाल सकता है? यदि आप अनुमति दें तो मैं इस प्रति को सभापटल पर रख सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी है। मैं इसको देखूगां।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या एक उप-समिति नियुक्त की गई थी और उसने एक प्रतिवेदन तैयार किया था। क्या यह सच नहीं हैं कि उप-समिति

के प्रतिवेदन में दिये गए साक्ष्य को निकाल दिया गया था और बिना साक्ष्य के एक अन्य प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया था ? क्या यह सच नहीं है कि इस कारण सभापति तथा परिषद् का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री की बुराई हुई है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस बात का पता नहीं है कि कोई उप-समिति नियुक्त की गई थी और उसने क्या कार्य किया। सरकार का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं होता कि उसके द्वारा नियुक्त की गई समिति अथवा आयोग अन्तिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्या क्या काम करता है। सरकार का सम्बन्ध केवल उस प्रतिवेदन से होता है जो उसको प्रस्तुत किया जाता हैं और जिस पर सभापति तथा सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : इस बारे में सभा में अथवा इसके बारे में किसी ने भी आपत्ति नहीं की कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का कार्य निन्दनीय था और डा० जहीर वहां पर साम्यवादी-समर्थक लोग मंत्री कर रहे थे। आज भी मेरी जानकारी यह है कि हैदराबाद केन्द्र के निदेशक डा० सिधू ने पिछले दो वर्षों से कार्यकारी समिति की बैठक नहीं बुलाई है। इन्हीं बातों को लेकर जांच समिति नियुक्त की गई थी। परन्तु जांच समिति की निष्पक्षता के बारे में गम्भीर सन्देह प्रकट किया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवेदन का एक प्रारुप तैयार किया गया था जिसको समिति द्वारा अन्तिमरूप दिया जाना था परन्तु डा० जहीर के प्रभाव के अन्तर्गत उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। यदि श्री सरकार को इस विशेष सेवा भार से मुक्त किया जाता है तो इस सभा को प्रारूप को जानने तथा उस पर चर्चा करने का पूरा अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि जो प्रतिवेदन सभापटल पर रखा गया है उसको स्वीकार कर लिया जाये और चर्चा से पूर्व उसकी प्रतियां सदस्यों को बांट दी जायें।

सभापति एक सम्मानात्मक व्यक्ति है और उसकी यहां पर इस प्रकार आलोचना नहीं की जानी चाहिए। हम दिन प्रतिदिन अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर सम्मानात्मक व्यक्तियों की यहां पर आलोचना कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या रिपोर्ट की एक प्रति सदन् के सदस्यों को, उस पर बहस करने से पूर्व, परिचालित की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है केवल सुझाव है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : न्यायाधीश शंकर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति में सरकारी तथा विपक्ष के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया था। श्री अकबर अली खां की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार समिति के सदस्यों ने एक वक्तव्य जारी किया है जिस पर सभी चारों सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं, जिन्होंने विमति टिप्पण पर हस्ताक्षर किये थे। इसमें उन आरोपों का खंडन किया गया है और अध्यक्ष की निष्पक्षता और ईमानदारी में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया है। इसके बाद सदस्यों को समिति पर आक्षेप नहीं लगाने चाहिये।

अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने तक कोई भी आयोग या समिति कई प्रारूप तैयार करती है। क्या सरकार समिति द्वारा विचार किए गये पहले प्रारूप की मांग कर सकती है ? (अंतर्बाधाएं)

Shri Ram Charan (Khurja) : The aim of appointing such a commission is that the actual facts regarding the organisation may be made known to the public.

I am aware of the corruption and dishonesty prevailing in C. S. I. R. No Scheduled Caste persons have been appointed on technical posts in C. S. I. R. Mostly persons having recommendations have been appointed in it. I want to know whether there are some remarks on the basis on which Justice Sarkar has resigned.

डा० वी० के० आर० वी० राव : सरकार समिति ने जिन फाइलों को मांगा था वे उसे सप्लाई कर दीं गईं थी। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह बता सकूं कि समिति ने कौन सी निजी फाइलों को शामिल किया था।

Shri Ram Charan : Notes have beeen changed in the original files. This has been done before the appointment of the Enquiry Cnmmittee.

अध्यक्ष महोदय : उनके कहने का अभिप्राय यह है कि उन्हें किसी विशेष फाइल के बारे में जानकारी नहीं है।

श्री समर गुह : (कन्टाई) मुझे गैर जिम्मेदार व्यक्ति कहा गया है। मैंने कभी गैर-जिम्मेदार कार्यवाही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : आप मुख्य विषय पर बोलें।

श्री समर गुह : प्रवाद विवाद के दौरान मैंने जो कुछ भी कहा है इसका आशय 'मूल प्रतिवेदन' से था। मैंने कभी 'अन्तिम प्रतिवेदन' शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब भी मैंने 'मूल प्रतिवेदन' शब्द का प्रयोग किया है तो स्वाभाविक तौर पर इसका मतलब प्रतिवेदन के मूल मसौदे, जिसे परिचालित किया गया से होता है। अन्यथा मैं 'अन्तिम प्रतिवेदन' शब्द का प्रयोग करता।

इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने चार या पांच उदाहरण दिये थे, जिन्हें मसौदे में सम्मिलित किया गया था, लेकिन ये अन्तिम प्रतिवेदन में नहीं हैं।

सरकार समिति ने यह विचार प्रकट किया है कि मेरा विचार पूरी तरह असत्य, गैर-जिम्मेवार है। यह बात समझ में नहीं आती कि संसद् द्वारा नियुक्त समिति स्वयं श्रेष्ठ स्थिति का झूठा दावा करके ऐसा आलोचनात्मक और गैर-जिम्मेवार वक्तव्य सार्वजनिक रूप से दे। वह यह अनुभव करती है कि कोई गलत काम किया गया है तो वह टिप्पणी कर सकती है अथवा एक प्रस्ताव पास करके प्रधान मंत्री महोदय अथवा सम्बंधित मंत्री को भेज सकती है। लेकिन इसके बजाये इसने समाचार-पत्रों को अपना वक्तव्य जारी किया है और ऐसा करके उसने इस सभा और इसके एक सदस्य के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है उसके सम्मान को ठेस पहुँचाई है।

यदि सभा में की गई चर्चा के विषय में संसद् द्वारा नियुक्त समिति का अवलोकन करने तथा उसके बारे में समाचार पत्रों को वक्तव्य देने की अनुमति दी जायेगी तो इससे भविष्य के लिए खतरनाक प्रथा को प्रोत्साहन मिलेगा।

दस्तावेजों को बिगाड़ा गया है और वक्तव्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है। इस आरोप का खंडन नहीं किया गया है। सदस्यों को परिचालित मूल मसौदे और अन्तिम प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय सर्वश्री समर गुह, मधु लिमये और प्रकाशवीर शास्त्री ने सरकार समिति पर आरोप लगाये थे। इस

बारे में 25 अप्रैल, 1970 को हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था जिसमें यह बताया गया था कि प्रारूप को, जो कि वास्तव में समिति के लिए अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने हेतू चर्चा के लिए, एक कार्य-पत्र था, 'मूल प्रतिवेदन' कहना बिल्कुल अनुचित है।

यह कहना अवांछनीय और अनुचित है कि समिति पर दबाव डाला जा रहा है। समिति के सभापति के विरुद्ध लगाये गए आरोप पूर्णतया गैर-जिम्मेवार और अन्यायपूर्ण हैं। समिति सभापति का सम्मान करती है और समिति के वाद-विवाद के दौरान उनके पक्षपात रहित विचारों का सर्वसम्मति से समर्थन करती है। इस वक्तव्य पर समिति के उन सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं, जिन्होंने प्रमुख प्रतिवेदन के असहमति टिप्पण पर हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार की टिप्पणी से समिति के सम्मान को बहुत धक्का लगा है और इसका तीव्र विरोध किया गया है। यह दु:ख की बात है कि समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध जान बूझ कर झूठे आरोप लगाये गये हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : हम समिति के प्रतिवेदन से सहमत नहीं है। हम इसे अस्वीकार करते हैं।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : माननीय सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देते समय समिति के प्रतिवेदन को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : I fully agree with the statement issued by the Sarkar Committee regarding the allegations made in this House.

It will not be possibile for any Committee to work if such type of allegations are made.

It should be clarified that none of the members of the Committee has consulted the Prime Minister or the Education Minister in his personal capacity or as a representative of the Committee. It should also be clarified that the report of the Committee was not shown to them. All the allegations are baseless and irresponsible and they should be rejected.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस विषय में आपका विनिर्णय जानना चाहता हूँ कि क्या किसी सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देते समय सदन के अन्य सदस्यों के नाम का उल्लेख करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आप छोटे-छोटे विषयों पर मेरा विनिर्णय चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा) इस बारे में क्या प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की अग्रिम प्रति अध्यक्ष को भेजनी चाहिये। लेकिन यहां सभा में अन्य सदस्यों की आलोचना की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह को अपने विषय तक सीमित रहना चाहिये था। यदि भविष्य में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया जाना हुआ तो यह मौखिक न होकर लिखित होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I think when the debate is held on the report, it is open to the members of the Committee to speak on it,

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार समिति ने अपना कार्य पूरा नही किया है और उसे प्रतिवेदन का दूसरा भाग अभी प्रस्तुत करना है, श्री वाजपेयी द्वारा यह

कहना उचित नहीं है कि प्रतिवेदन पर वाद-विवाद के समय समिति के सदस्यों को उस पर विचार प्रकट करने का अधिकार है (अंतर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रतिवेदन से सम्बन्धित विषय नहीं है। मुझे दुःख है श्री समर गुह द्वारा दिए गए व्यक्तिगत स्पष्टीकरण से ये संकट उत्पन्न हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री हेम बरुआ : हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति के साथ भूतान यात्रा पर गये प्रेस संवाद-दाता की मृत्यु के बारे में माननीय मंत्री एक वक्तव्य दें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चंद्र शेखर) : मैं "नई सेवा" पर व्यय के लिये जिसके लिए वर्ष 1970-71 के बजट अनुमानों में आवश्यक व्यवस्था कर दी गई थी, लेखानुदान की अवधि के दौरान भारत की आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3338/70]**

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) नौसेना अधिनियम, 1957, की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नौसेना समारोह सम्बन्धी सेवा की शर्तें तथा विविध (दूसरा संशोधन) विनियम, 1969, जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 309 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नौसेना समारोह सम्बन्धी सेवा की शर्तें तथा विविध (तीसरा संशोधन) विनियम, 1970, जो दिनांक 21 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 1 मई, में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) नौसेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) पहला संशोधन विनिमय, 1970, जो दिनांक 26 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 126 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद (1) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3339/70]**

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : I beg to lay on the Table a copy of the Audit Report on the Accounts of the Tea Board for the year 1967-68. **[Placed in the Library. See L, T. No. 3340/70]**

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा दोष सिद्धि

ARREST AND CONVICTION OF MEMBERS

(सर्वश्री रामेश्वर राव और सुरेन्द्र रेड्डी)

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्रमशः डिप्टी कमिश्नर, सिकन्दराबाद तथा श्री ए० वेंकटराव से 28 अप्रैल, 1970 को प्राप्त दो तारों की सभा को सूचना, जिनमें सूचित किया गया था कि--

(1) लोकसभा के सदस्य सर्वश्री जे० रामेश्वर राव और आर० सुरेन्द्र रेड्डी को 28 अप्रैल, 1970 को 10 बजे पुराना पुल, हैदराबाद, के निकट निषेध आदेशों का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार किया गया था; और

(2) उपर्युक्त सदस्यों को निषेध आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया और उसी दिन उन्हें चार दिन के साधारण कारावास की सजा दी गई।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही-सारांश

श्री तिरूमल राव (काकिनाड़ा) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(1) रेलवे मंत्रालय--डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी-- के सम्बन्ध में 119वां प्रतिवेदन।

(2) पूर्ति मंत्रालय--पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (पूर्ति उपभाग)--के सम्बन्ध में 121वां प्रतिवेदन।

(3) पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग)--भारतीन भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था--के सम्बन्ध में 126वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

कार्यवाही-सारांश

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(1) बोकारो इस्पात लिमिटेड के सम्बन्ध में 68वां प्रतिवेदन।

(2) एयर इण्डिया के सम्बन्ध में 69वां प्रतिवेदन।

48वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के उत्तर दर्शाने वाला विवरण

श्री एम० बी० राणा : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 48वें प्रतिवेदन के अध्याय

5 में दर्ज सिफारशों के उत्तरों का, जो सरकार द्वारा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिये समय पर नहीं भेजे गये थे, एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

62वां प्रतिवेदन

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 62वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

121वां, 122वां, 126वां तथा 127वां प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकिनाड़ा) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :—

(1) पूर्ति मंत्रालय—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (पूर्ति उपभाग)—के सम्बन्ध में 121वां प्रतिवेदन।

(2) संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय—सीमावर्ती सड़कें—के सम्बन्ध में 122वां प्रतिवेदन।

(3) पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग)—भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था—के सम्बन्ध में 126वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग)—भारतीय खान ब्यूरो—के सम्बन्ध में 127वां प्रतिवेदन।

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

108वां, 109वां, 113वां, 114वां 117वां तथा 119वां प्रतिवेदन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee :—

(1) Hundred and eighth Report regarding Audit Report (Civil), 1969 relating to Department of Works, Housing and Urban Development.

(2) Hundred and ninth Report regarding Appropriation Accounts (Civil), 1967-68 and Audit Report (Civil), 1969 relating to Department of Food and Department of Agriculture.

(3) Hundred and thirteenth Report regarding Appropriation Accounts (Civil), 1967-68 and Audit Report (Civil), 1969 relating to the Ministry of Shipping and Transport and Audit Reports on the sccounts of Calcutta, Bombay Port Trusts for 1963-64 to 1967-68, and Cochin Port Trust for 1964-65 to 1967-68.

(4) Hundred and fourteenth Report regarding Appropriation Accounts (Civil), 1967-68 and Audit Repot (Civil), 1969 relating to the Ministry of Education and Youth Services and Audit Reports on the Accounts of the University Grants Commtssion for 1966-67 and 1967-68.

(5) Hundred and seventeenth Renort regarding Chapters IV and V of Audit Reports (Civil) on Revenue Receipts, 1969 relating to Direct Taxes.

(6) Hundred and nineteeth Report regarding Appropriation Accounts (Defence Services), 1967-68 and Audit Report (Defence Services), 1969.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

68वां तथा 69वां प्रतिवेदन

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : मै सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :—

(1) बोकारो इस्पात लिमिटेड के सम्बन्ध में 68वां प्रतिवेदन ।

(2) एयर इंडिया के सम्बन्ध में 69वां प्रतिवेदन ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

पांचवां प्रतिवेदन

श्री न० कु० सोधी (जोधपुर) : मैं अधीनस्थ विधान समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

आठवां प्रतिवेदन

श्री अंबाजागन : (तिरूचेंगोड) : मैं सरकारी अश्वासनों सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

साक्ष्य

श्री अंबाजागन : मैं शाहदरा क्षेत्र में विभिन्न सहकारी भवन निर्माण समितियों की भूमि के

आवंटन के सम्बन्ध में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास तथा नगरीय विभाग) और दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा 3 अप्रैल, 1970 को सरकारी विकास आश्वासनों सम्बन्धी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

श्री हरिदास मूंदड़ा के नाम बकाया कर को बट्टे खाते डालने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1085 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION No. 1085 RE : WRITING OFF OF TAX ARREARS AGAINST SHRI HARIDAS MUNDHRA

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 20 अप्रैल, 1970 को लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 1085 पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया गया था कि श्री हरिदास मूंदड़ा पर करों की 1.97 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि में से 1.57 करोड़ रुपये की राशि विवादास्पद है और शेष 40 लाख रुपये की मांग के बारे में कोई विवाद नहीं है।

विवादास्पद तथा उस राशि के सम्बन्ध में जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है, आंकड़े अनजाने से उलटे बताये गये थे। आंकड़ों में भी कुछ भूल हो गई थी। सही स्थिति यह है कि श्री हरिदास मूंदड़ा पर करों की 1.59 करोड़ रुपये की बकाया राशि के बारे में कोई विवाद नहीं है और विवादास्पद राशि 38 लाख रुपये है।

अनुदानों की मांगे, 1970–71

DEMANDS FOR GRANTS 1970-71

समाज–कल्याण विभाग

अध्यक्ष महोदय : अब सभा समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 99 तथा 100 पर चर्चा करेगी जिसके लिये 5 घंटे आवंटित किये गये हैं।

वर्ष 1970–71 के लिये समाज-कल्याण विभाग की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
99	समाज-कल्याण विभाग	16, 83,000
100	समाज-कल्याण विभाग का अन्य राजस्व-व्यय	7, 87, 04,000

समाज कल्याण विभाग की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावकका नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
99	13	श्री मोल्हू प्रसाद :	उन उद्योगों में, जहां कुल पूंजी को 51 प्रतिशत से अधिक पूंजी सरकार की है, अनुसूचित जातियों/जन जातियों को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व न देना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
99	14	श्री मोल्हू प्रसाद :	अनुसूचित जातियों/जन जातियों का शोषण रोकने हेतु जिला हरिजन कल्याण अधिकारियों को कनूनी शक्ति न देना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
99	15	श्री मोल्हू प्रसाद :	उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले की समाज कल्याण संस्था को अनावश्यक तौर पर भंग करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
99	16	श्री मोल्हू प्रसाद :	गत वर्ष गोरखपुर जिले में समाज कल्याण संस्था द्वारा चलाए जा रहे पांच बालक/बालिका विद्यालयों का बन्द किया जाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
100	17	श्री मोल्हू प्रसाद :	सामाजिक और विकास संगठनों को न्याय सम्मत न बनाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
100	18	श्री मोल्हू प्रसाद :	गैर-सरकारी संस्थाओं को दिए गए सहायक अनुदानों का ब्यौरा न देना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
100	19	श्री मोल्हू प्रसाद :	गत 23 वर्ष में अनुसूचित जाति/जन जाति के बच्चों को नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
100	20	श्री मोल्हू प्रसाद :	सामाजिक एवं विकास संस्थाओं को सत्तारूढ़ दल का प्रचार करने देना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
100	21	श्री मोल्हू प्रसाद :	मूल्य अध्यापकों द्वारा छात्रों को वृत्तिकाओं की सूचना तथा उनका भुगतान समय पर न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
100	22	श्री मोल्हू प्रसाद :	अपर्याप्त छात्रवृत्तियां देने की नीति ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
99	23	श्री मोल्हू प्रसाद :	गोरखपुर जिले के हरिजन कल्याण विभाग को दिये गये अनुदानों के कथित दुर्पयोग की जांच रोक देना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

1	2	3	4	5
99	24	**श्री मोल्ह प्रसाद** : औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, चारगांव में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्तियां देना।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
99	25	**श्री कन्सारी हाल्दर** : पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र की, जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, पूरी तरह से उपेक्षा।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
99	26	**श्री कन्सारी हाल्दर** : सरकारी खास भूमि तथा अतिरिक्त भूमि (ऊपरी सीमा से अधिक) का भूमिहीन अनुसूचित जन जाति तथा अन्य किसानों में वितरण करने में असफलता।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
99	27	**श्री कन्सारी हाल्दर** : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति और पश्चिम बंगाल के उन अन्य शरणार्थियों के हितों की रक्षा करने में असफलता जिन्हें नैनीताल (यू० पी०) में फिर से बसाया जाता है।		100 रुपये
99	28	**श्री कन्सारी हाल्दर** : पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता।		100 रुपये
99	29	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : गत 13 वर्षों में 275 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों सहित पिछड़े वर्गों की हालत सुधारने में असफलता।		100 रुपये
99	30	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : अब तक अपनाई गई नीतियों की असफलता की दृष्टि से पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध योजनाओं में परिवर्तन करने तथा नीतियों को नया रूप देने की आवश्यकता।		100 रुपये
99	31	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के नामकरण को जो अति घृणित जाति प्रथा के आधार के लिए जिम्मेदार है, समाप्त करने की आवश्यकता।		100 रुपये
99	32	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : पिछड़े वर्गों को किसी के आर्थिक स्तर पर न कि जाति के आधार पर जिसमें वह पैदा हुआ फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता।		100 रुपये
99	33	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : तथा कथित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कथित विशेषाधिकारों तथा कृत्रिम संरक्षण देने को समाप्त करने की आवश्यकता क्योंकि इससे अपने पैरों पर खड़े होने के बजाय उनका स्वाभाविक विकास रुक गया है।		100 रुपये

1	2	3	4	5
99	34	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : सभी के लिए एक सी आचार संहिता बनाकर तथा प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेद-भाव के शिक्षा तथा रोजगार की सारी सुविधायें प्रदान करके आदमी-आदमी के बीच के कृत्रिम तथा मानव निर्मित भेद को समाप्त करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
99	35	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : देश के मुसलमानों में बहु-विवाह प्रथा रोक कर मुसलमान स्त्रियों को उनकी हिन्दू बहिनों के समान लाने में असफलता ।		100 रुपये
99	36	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : बड़े शहरों तथा तीर्थ स्थानों में भिक्षा-वृत्ति समाप्त करने में असफलता ।		100 रुपये
99	37	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : मद्यनिषेद को, विशेषकर श्रमिकों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों में लागू करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
99	38	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी पार्टियों में शराब का प्रयोग रोकने की आवश्यकता ।		100 रुपये
99	39	**श्री बेणी शंकर शर्मा** : कुष्ट रोग के उपचार तथा उन्मूलन में लगी हुई खासतौर से संथाल परगना के जन जाति क्षेत्रों में कार्य कर रही संस्थाओं की और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।		100 रुपये
99	40	**श्री बेणी कर शर्मा** : गरीब अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क शिक्षा देने की आवश्यकता ।		100 रुपये
99	41	**श्री शिवचन्द्र झा** : देश में भिक्षा-वृत्ति को बन्द करने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
99	42	**श्री रामावतार शास्त्री** : समाज कल्याण की ओर आगे बढ़ने के लिए ढेबर तथा कालेलकर आयोगों के प्रतिवेदनों की क्रियान्वित करने में असफलता ।		100 रुपये
99	43	**श्री रामावतार शास्त्री** : अनुसूचित जाति तथा जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए और अधिक धनराशि देने की आवश्यकता ।		100 रुपये
99	44	**श्री रामावतार शास्त्री** : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
99	45	**श्री रामावतार शास्त्री** : विकलांग, अंधों तथा गूगों को विशेष सहायता प्रदान करने की आवश्यकता ।		100 रुपये

1	2	3	4	5
99	46	**श्री रामावतार शास्त्री** : विकलांग, अंधों एवं मूगों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
99	47	**श्री रामावतार शास्त्री** : बिहार की काजिया समुदाय को अनुसूचित-जाति में सम्मिलित करने की घोषणा करने में असफलता ।		100 रुपये
99	48	**श्री रामावतार शास्त्री** : समाज कल्याण विभाग का असंतोषजनक कार्यचालन ।		100 रुपये
99	49	**श्री रामावतार शास्त्री** : समाज कल्याण विभाग के कार्यों का विस्तार करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
99	50	**श्री रामावतार शास्त्री** : समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों पर अधिक धन-राशि व्यय करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
99	51	**श्री रामावतार शास्त्री** : समाज से छुआछूत उन्मूलन करने में असफलता ।		100 रुपये
99	52	**श्री रामावतार शास्त्री** : छुआछूत की प्रथा को दण्डनीय अपराध घोषित करने में असफलता ।		100 रुपये
99	53	**श्री रामावतार शास्त्री** :जो छुआछूत का प्रचार करते हैं उनके प्रति कड़ी कार्यवाही करने में असफलता ।		100 रुपये

Shri Sheo Narain (Basti) : In spite of the claim of the Government that they believe in socialism, nothing has been done so far to achieve this end.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER IN THR CHAIR]

Mahatma Gandhi had laid emphasis on prohibition, but it is regretted that nothing has been done to introduce it though we have been hearing slogan about prohibition for the last 22 years. As a result of this the families of drunkards especially of Harijans and poor sections of the society are suffering the most. But nothing has been done to mitigate their sufferings. At least the liquor shops located in Harijan colonies should bc shifted to far off places.

In a Welfare State and in a poor country like ours, it is necessary that proper nutrition should be provided to the children upto the age of five years and also to the expectant mothers. Free education should be given to those children whcse parents' income is less than Rs. 200/- per month. More hostels should he provided for **Harijan** and **Adivasi** ehildren. It is true that scholarshlps are being provided to the students of backward classes but the amount is often given very late and they have to face a lot of difficulties as a result thereof. It should, therefore be ensured that the scholarships are made available to them without delay. Besides mid-day meals, free glasses and hearing-aids should also be provided to school children.

More attention should he paid to mitigate the suffering of leprosy and T. B. Patients. Foreign missionasies are doing a wonderful work in this field.

So far as the old age pension is concerned, facility is there no doubt, but the procedure is very cumbersome. This procedure should be simplified so that they are are not put to any inconvenience. The amount of old pension is inadequate and it should he increased from Rs. 15/- to Rs. 30/-.

Since prostitution has now been banned, new jobs should be provided to the prostitutes and their children so that they are able to earn their livilihood.

It is regretted that untouchability still persists in our country and Harijan boys are not selected for higher posts.

It is a matter of shame for the Government that the law and order situation has worsened especially in West Bengal. Poor people especially Harijans are not being properly protected. We should adhere to the Gandhian philosophy instead of the Communist philosophy.

Free nursery schools should be opened for the children of working mothers.

With these words, I support the demands for grants in respect of the Department of Social Welfare.

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण की अवधि दस वर्ष और बढ़ा दी है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण करने के लिए एक विधेयक, जिस पर प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत कर दिया है, लाया गया है। यही नहीं, सरकार ने एक संसदीय समिति बनाई है जो देखेगी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों को क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं। इस बात पर विचार-विमर्श करने के लिये कि क्या उक्त जातियों की उचित देखभाल हो रही है या नहीं, गत जनवरी में मुख्य मंत्रियों तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में उन्हें सुझाव दिया गया था कि वे भी अपने अपने राज्यों में ऐसी समिति बनायें। ये सभी बहुत अच्छी बातें हैं और इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इतना कुछ करने के बावजूद भी हम इन जातियों के स्तर को अन्य लोगों के स्तर तक ला सकें हैं जैसा कि महात्मा गांधी चाहते थे ? स्पष्ट है कि सरकार ऐसा नहीं कर पाई है और इसीलिये आरक्षण अवधि 10 वर्ष से बढ़ा कर तीस वर्ष करनी पड़ी है।

मुझे देश का भ्रमण करने का अवसर मिला और वहां पर इन जातियों के लोगों की दुर्दशा देख कर मेरे आंसू निकल आये। केरल में अनुसूचित जातियों के 80 प्रतिशत लोगों के पास भूमि नहीं है। यद्यपि वहां पर 46 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, तथापि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के क्रमश: केवल 24 प्रतिशत और 17 प्रतिशत लोग ही पढ़े लिखे हैं। वहां पर इन लोगों की उच्च शिक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं हैं। इन लोगों की दशा सुधारने के लिये कुछ ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये। राज्यों का कहना है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें इस प्रयोजन के लिये अधिक धन उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। जो राशि 1955 में दी जाती थी वही अब दी जा रही है। परिणाम यह है कि विकास कार्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

खेद है कि आदिम जाति क्षेत्रों में जो 498 विकास खण्ड हैं उनके लिये दी गई धनराशि का

उचित उपयोग नहीं हो रहा है। इसका उपयोग बड़े-बड़े अधिकारियों के लिये भवनों का निर्माण आदि करने पर किया जा रहा है।

समाज कल्याण विभाग ने 29 मई, 1969 को एक परिपत्र जारी किया था जिसके अन्तर्गत उक्त जातियों के लोगों को मिलने वाली छात्रवृतियों पर कुछ प्रतिबन्ध इस आधार पर लगाये गये हैं कि विद्यार्थियों की संख्या पहले से बढ़ गई है। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

जहां तक आरक्षण का सम्बन्ध है, इसे वास्तव में केवल निम्न स्तर के पदों तक ही सीमित रखा गया है। अन्य श्रेणियों के बारे में कहा जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। परिणाम यह है कि 1-1-1968 को प्रथम श्रेणी के 2·11 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी के 3·11 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी के 9·22 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के 18·32 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के अधिकारी थे। इसी प्रकार अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों में क्रमश: केवल 0·59, 0.41 1·27 और 3·61 प्रतिशत थी। अगर यही हालत रही, तो मैं नहीं जानता कि हम इनके स्तर को ऊंचा करके अन्य लोगों के स्तर के बराबर कैसे जा सकेंगे।

छात्रवृतियां देने के सम्बन्ध में आय और अंकों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है। हालांकि इससे पहले अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को बिना किसी ऐसी शर्त के छात्रवृतियां दी जाती थी। उदाहरणार्थ, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के अंक 45 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिये। जो लोग बड़े पदों पर हैं, वे यह नहीं जानते कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग किस हालत में रहते हैं। वातानुकुलित कमरों में बैठकर वे यह समझते हैं कि उन्होंने इन जातियों के लिए बहुत कुछ कर दिया है। यदि आदिम जाति क्षेत्र को लिया जाये तो हमें मालूम होगा कि उस क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है। उन क्षेत्रों में स्कूल दूर-दूर पर होते है। पढ़ने के लिए बच्चों को छः या सात मील दूर जाना पड़ता है और वे पढ़ने में उतना समय नहीं लगा पाते, जितना लगाना चाहिए। अतः हमने यह सुझाव दिया था कि आश्रम की तरह के स्कूल वहां खोले जाने चाहिए। किन्तु किसी ने भी उस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। इन लोगों के कल्याण के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, आश्वासन दिये जाते हैं। कई समितियां इस सम्बन्ध में गठित की गई। किन्तु न तो कोई आश्वासन ही पूरा किया जाता और समिति की सिफारिशों को ही माना जाता।

सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में कई परियोजनाएं लगाई हैं। लाखों आदिवासियों की भूमि ली गई, उन्हें बेघर किया गया। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि परियोजना की रूपरेखा तैयार करते समय उसमें यह प्रावधान भी किया जाना चाहिए कि ऐसे आदिवासियों को ठीक से अन्यत्र बसाया जाये। इस समय ऐसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारे-मारे फिर रहे हैं। हमने सरकर से यह मांग की थी, कि जिन आदिवासियों की भूमि पर राज्य या केन्द्र सरकार ने परियोजना बनाई हो, उनकी सरकार सहायता करे। किन्तु हमारी मांग अस्वीकार कर दी गई। मैं तो आदिवासियों से यह कहता हूं कि वे भी पहाड़ी लोगों की तरह से अपना पृथक राज्य मागे। तभी लोगों की आंखें खुलेंगी और वे उनकी शोचनीय दशा को समझेंगे।

श्री कं० हाल्दर (मथुरापुर) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य रूप से भूमि, कृषि और शिक्षा के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि पिछड़े लोगों का कल्याण इनमें ही निहित है। हमारे देश में अधिकांश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग खेतों में काम

करके जीविका कमाते हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार देश में 3·15 करोड़ खेतीहर मजदूर थे जिनमें से 3 प्रतिशत मजदूर अनुसूचित जातियों के और 10·47 प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के थे। इन लोगों को पूरे वर्ष में केवल 3 या चार महीने काम मिल पाता है। इसी बात से उनकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। वे भूमि चाहते हैं। किन्तु इसका कारण यह नहीं है कि उन्हें भूमिधरों से द्वेष है या वे स्वयं भूमिधर बनने के लिए लालायित हैं। वे तो खेतीहर मजदूर के जीवन को त्यागना चाहते हैं। इसी सन्दर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि अब कृषि का व्यवसाय अत्यधिक लाभप्रद हो गया है और इसी कारण बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति कृषि की ओर दौड़ रहे हैं। ये लोग गरीब किसानों से जिनमें अधिकांश इन जातियों के लोग हैं, जमीन खरीद लेते हैं। अतः मेरा निवेदन यह है कि भूमि को स्वयं जोतने वालों से उद्योगपतियों द्वारा भूमि खरीदे जाने पर कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिए।

सरकार कृषि क्रान्ति के नाम पर किसानों को आर्थिक सहायता सिंचाई सुविधा और उर्वरक आदि दे रही है, क्या खेतिहर मजदूरों की मजूरी भी इसी अनुपात में बढ़ाई गई किसानों को जितना अधिक लाभ आजकल हो रहा है, उसका कुछ अंश तो खेतीहर मजदूरों को भी मिलना चाहिए। वर्ष 1948 में गठित की गई कृषि सुधार समिति ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की थी कि भूमि पर स्वामित्व उसका होना चाहिए जो उसको जोतता बोता है। किन्तु आज भी काश्तकारों की दशा वही है जो आज से 12 वर्ष पूर्व थी।

संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उल्लिखित है कि सरकार ऐसा प्रयास करेगी जिससे 1960 तक 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चे अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। किन्तु सरकार ऐसा करने में पूर्णतः असफल रही है, और सरकार ने इसका कारण धन का अभाव बताया है। शिक्षा के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग आज भी अन्य लोगों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, हालांकि उन्हें गत 17 वर्षों से विशेषाधिकार प्राप्त है। उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों की संख्या क्रमशः 24·07 और 15·75 प्रतिशत है जबकि उनके केवल क्रमशः 2·7 और 3·1 प्रतिशत बच्चे उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पहुंच पाते हैं। उनमें शिक्षा की कमी है। इसका मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति है। इसके अतिरिक्त जो पढ़ जाते हैं, उन्हें सेवाओं में नहीं लिया जाता। उनके लिए सुरक्षित स्थान भी उन्हें नहीं दिये जाते। उन्हें पदोन्नति भी वही दी जाती। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि सरकार इन लोगों की दुखों को दूर नहीं करेगी तो उनमें भी नक्सलवादी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायेगी। आजकल नक्सलवादी गतिविधियां शहर-शहर और गांव-गांव में बढ़ती जा रही है, इसका कारण भी यही है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार विभिन्न समितियों और आयोगों को सिफारिशों को स्वीकार करके उन्हें क्रियान्वित करेगी और गरीब लोगों को केवल आश्वासन देकर नहीं रह जायेगी।

Shri Kamble (Latur) : Sir, it is a matter of great satisfaction that Government have been providing increasing amounts under the head of Social Welfare in the budgets of past few years. The amount earmaked for the Department of Social Welfare in this year's budget is 9.64 crores. But when we see this amount vis-a-vis the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country, it appears to be a meagre amount. Funds in the Budget should be provided according to the percentage of their population in the country and the magritude of the task of welfare of these people. The population of these people has gone up to 12 crores in 1970. So I would like to know its percentage vis-a-vis their population, and whether the amount of 170 crores

for 5 yeare is sufficient. I would also like to know the per capita amount Government want to spend on the welfare programmes of these people.

After independence it was decided to collect the figures and other details in respect of the people who were backward socially, economically and educationally. For this purpose, the Commission for Schduled Castes and Scheduled Tribes was appointed. It submitted its first report in 1951. A Parliamentary Committee for Scheduled Castes and Schednled Tribes was also set up in 1968. This Committee has submitted its five reports since then. In these reports they have given full details about the social, economic and educational condition of these people. I would like to know the steps, taken by Government on the basis of the recommendations of these reports.

The people belonging to the scheduled castes and scheduled tribes are not properly treated by the other sections of the society. They are beaten up, abused and put to all sorts of humiliations. Even during Gandhi Centenary year they were subjected to ill-treatment. I would like to know as to what steps the Government have taken to help those who have been the victims of this kind of inhuman behaviour resulting in deaths or disablement. What remedial measures the Government have taken to check the recurrence of such anti-social activities in future. Moreover, the evil of untouchability still exists in our country even after 20 years of independence. May I know the positive steps the Government have taken to abolish it ? In fact they did nothing. The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has submitted many reports containing suggestions for improving the economic, social and educational condition of the people of these castes and tribes. But I regret to say that much has not been done in this regard. The Government have not formulated any definite scheme in this regard so far.

It is true that the period of the provision for reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes In the legislatures and the services has been extended for another ten years. But there are some State Legislatures in which the number of reserved seats has gone down. From Maharashtra State their representation has been considerably reduced in Lok Sabha as well as in the State Assembly. What is the reason for it ? If it is a political decision, then it is a violation of the Constitution and if it is on the basis of the population then it means that there has been conversion on mass scale. If it is due to conversion, I say that such conversion should not debar them for the reserved seats in the legislatures. All the poor sections of the society deserve help and social justice. Full attention should be paid to their uplift and welfare.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : The Department of Social Welfare was created with the purpose thar the backward sections of the society would be brought at par with others in the matter of social and economic status. I heartily wish that the sum of Rs. 135 crores earmaked for the welfare of backward people of the country in fourth Five year Plan, be doubled. Our Government should fight with this problem at war-footing. At the moment we are facing danger from China and Pakistan as well as from the people who are socially and economically backward and therefore Government should deal with this problem promptly and effectively. Till now Government have not been successful in improving the socio-economic condition of the scheduled castes and scheduled tribes.

The problem of untouchability still exists in our country. This very fact shows that nothing has been done in this direction. This is a very big problem and it poses a serious danger to our society. So Government should take concrete steps to tackle this problem at the earliest. The only way of removing untouchability is the spread of education. Unless people are educated, it cannot be uprooted. We should give psychological treatment to those also who think themselves as high castes.

The practice of untouchability is contrary to all canons of humanity. Simultaneously more educational facilities should be provided to the down trodden so that they come up to the level of the advanced sections of the society. Improvement in their educational standard will undoubledly enable them to occupy high positions in Government and other spheres and it will ultimately help in removing untouchability.

Another way of dealing with this problem is to have mixed colonies that is the people of scheduled castes and scheduled tribes should be settled along with the other people. This way can be more useful these days as new colonies are coming up in large number all over country. In schools, colleges and other educational institutions there should be common hostels for Harijan students and others. Moreover, Government should give encouragement to intercaste marriages.

As regards the economic condition of these people, the principle that the land belonged to the tiller should be applied to the Harijans and tribals. A Development Corporation should be set up to look after their interests. Now these people do not need money. They need land and employment. But unfortunately neither they are getting land nor the jobs. In the name of suitability they are being deprived of the posts reserved for them. Government should give them training and help so that they may establish their own industries or run their own business. One thing more I want to say that there should be ban on the conversion of these people. They should be given religious and cultural guarantee, so that their culture may remain safe.

Shri Chandika Prasad (Ballia) : I rise to support the demands of this Ministry but I will say that this Ministry has not made much headway in its works. Keeping in view the population of Uttar Pradesh the number of hostels for students are much less there as compared to other States.

No arrangements have been made to help the Harijans of eastern U. P., which is a drought affected area. The people, mostly Harijans are suffering from drought and floods simultaneously. I will request the hon. Minister to look into the grievances of these landless people and give them necessary help. Some of these people are migrating to the western parts of U. P. in search of employment.

Vast land is lying idle in Uttar Pradesh but this is not being alloted to Harijans. Some land became surplus as a result of consolidation of holdings which again has not yet been distributed to the Harijans. I will request the Government to look into this matter and allot the land to Harijans which have actually been kept for distributing to Harijans. The land should be given to them free of cost and if somehow it is not possible to do so then the land should be sold to them on hire purchase basis. The cost may be recovered from them in twenty years.

The eastern districts of Uttar Pradesh have been neglected altogether. Irrigation facilities have not been provided in this area. No industry has been established. The Ministry is not taking necessary steps for the development of this area which it should have taken. One reason for this perhaps is that sufficient funds have not been alloted to their Ministry.

Although there is a scheme of the State Government to give pension to the handicapped yet only one out of hundred gets this pension. No arangements have been made to help the widows. The Government should give financial assistance to the leprosy patients also. A hospital should be opened in this area for the treatment of leprosy.

The schools on the pattern of Ashram, have been opened at the developed places although they are needed most in the neglected areas,

A scheme on the pattern of a scheme which is already in force in Chandigarh may be made applicable in this area to help the post-matric students.

A coaching cum training centre may also kindly he opened in eastern Uttar Pradesh.

Although 18 percent posts are kept reserved for Harijans yet they are never filled. All efforts should be made to fill up the posts.

The Government should also stand security for those people who are not in a position to do so for getting loans from the banks.

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : शिक्षा तथा कृषि के क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को भलाई के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है । जब तक इन वर्गों के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जाता तब तक देश में प्रगति की आशा नहीं की जा सकती ।

यद्यपि हमारी आलोचना का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं होता तथापि हमें लोगों की शिकायतें को यहां पर प्रस्तुत करना है । सरकार को कम से कम अब तो अपनी आंखें अवश्य खोलनी चाहिए क्योंकि उसको सत्तारूढ़ बनने रहने के लिए दूसरों का आश्रय लेना पड़ रहा है । हरिजनों, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों तथा तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए । इन जातियों के रूप प्रतिनिधि इस संसद् में है । उनकी शिक्षा तथा अन्य चीजों के लिए 9.5 करोड़ रुपये रखे गये हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए

[SHRI SHRI CHARD GOEL IN THE CHAIR]

यह रुपया बिचौलियों की जेबों में चला जाता है । इस सीमा तक यहां पर भ्रष्टाचार है ।

यद्यपि कृषि राज्य विषय है तथापि राज्य सरकारों को सहायता देने हेतु केन्द्र में कृषि मंत्रालय विद्यमान है । पिछले बीस वर्षों में भूमि दो नियमों के अन्तर्गत जो भूमि हरिजनों को दी गई है वह या तो राजनीतिज्ञों के नाम पर हो गई है अथवा उनके रिश्तेदारों अथवा मित्रों के नाम पर कर दी गई है । अत: इस बारे में एक अन्य कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे हरिजनों की रक्षा की जा सके । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस प्रकार अवैधरूप से दूसरों के नाम की गई भूमि को किस प्रकार वास्तविक हरिजन मालिकों के नाम पर किया जा सकता है । केन्द्रीय सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करके बताये कि वह किस प्रकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है ।

यह कहा जाता है कि शिक्षा के लिए करोड़ों रुपये रखे गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि हरिजन महिलाओं के लिए इस समय कितने छात्रावास हैं । पिछले वर्षों में हरिजन महिलाओं के लिए कितने छात्रावास बनाये गये हैं । यह लेने के लिए कहीं-कहीं कोई छात्रावास अवश्य बनाया गया है परन्तु क्या हम यह कह सकते हैं कि इसके नीति को पूरी तरह क्रियान्वित किया गया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 23.5 प्रतिशत है, अत: उनके लिए 23.5 प्रतिशत नौकरियां रक्षित न किये जाने के क्या कारण हैं । मुझे आशा है कि सरकार अपने जिम्मेदारी को समझते हुए यह उत्तर देगी कि नौकरियों में उनकी प्रतिशतत: को बढ़ाकर 23.5 प्रतिशत कर दिया जायेगा । नीति के बारे में सभा में जिम्मेदारी से जो कुछ कहा जाता है माननीय मन्त्री को उसे गम्भीरता से क्रियान्वित करना चाहिए । यदि किसी

राज्य सरकार को हरिजनों पर खर्च करने के लिए कुछ अनुदान दिया जाता है और इस कार्य के लिए किसी हरिजन अधिकारी को लगाया जाता है और वह भ्रष्ट हो जाता है तो उसको क्या दण्ड दिया जायेगा। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में उसको कठोर दण्ड देने के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए। मेरे चुनावक्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे एक परिपत्र दिखाया है जोकि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक निर्धारित आयु से अधिक के हरिजन लड़कों को छात्रवृत्तियां देना बन्द कर दिया गया है। जबकि एक हरिजन लड़का 45 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता उसको कुछ निर्धारित संस्थाओं में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मेरे विचार में सम्बन्धित अधिकारी सरकार से परामर्श किये बिना इस प्रकार से मनमाने ढंग से निर्णय नहीं ले सकता। इस आदेश की क्रियान्विति को रोक दिया गया है परन्तु ऐसा आदेश जारी करने वाले अधिकारी को कोई दण्ड नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री अपने उत्तर में यह कहें कि इस आदेश को पूर्णतया रद्द कर दिया गया है।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : इस आदेश को रद्द किया जा चुका है।

श्री एन० शिवप्पा : यदि इसको रद्द कर दिया गया है तो यह बहुत अच्छा है। मुझे आशा है कि सरकार अपने अधिकारियों को आदेश देगी कि वे भविष्य में भी ऐसे आदेश जारी न करें।

नागालैण्ड, मनीपुर, खासी और ज्यन्ती हिल के आदि जातियों के लोगों के पास दस्तकारी है और यदि ग्रामीण उद्योगों में उनको प्रोत्साहन दिया जाता तो इन उद्योगों की उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ सकती थी परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सहकारियों समिति में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की निधियों का स्वयं उनके प्रतिनिधियों द्वारा ही दुरुपयोग किया गया है। मेरा निवेदन है कि बैंकों के धन का भी दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस धन का लाभ गरीब व्यक्तियों को उठाने दिया जाना चाहिए।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : First of all I want to say that each and every Member has the right to criticise the reports of any Committee. That may be replied to by the Government or by the Member himself but I have never seen any committee itself repudiating the criticim through a statement. No committee can issue a statement of this nature. This is wholly unfair and unjustified. This thing has never been included in the terms of reference of any Committee. The day I suggested amendments in the report on that very day I also demanded that discussion should be held on it as soon as possible. So I feel it is not fair to talk about it in this manner.

Secondly Mr. Sarkar should not withdraw his resignation if he has submitted one.

Thirdly I want to suggest that Government should not entrust such jobs to the retired Judges of High Courts or the Supreme Court as we have seen that they have made the matters more complicated. I want a positive assurance from the hon. Minister in this regard.

Mr. Chairman : In future only those Members will be permitted to speak on the point of personal explanation who will give a copy of their statement in writing beforehand.

अनुदानों की मांगें, 1970-70
DEMANDS FOR GRANTS 1970-71

समाज कल्याण विभाग

श्री अ० कु० किस्कु (झाड़ग्राम) : समाज कल्याण विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए मैं इसके कार्य संचालन के बारे में अपना असंतोष तथा अप्रसन्नता प्रकट करता हूं।

श्री जयपाल सिंह : स्वयं मैं एक महान नेता थे और सारे आदिवासी उन्हें अपना नेता समझते थे। हम समझते हैं कि उनकी मृत्यु एक अचम्भा है अतः हम मांग करते हैं कि उनकी मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच कराई जाये। इस सम्बन्ध में नवभारत टाइम्स में प्रकाशित होने वाले एक समाचार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि ग्राम भुंगली के निकट बिलासपुर में एक हरिजन युवती को जिन्दा जला दिया गया है। इस युवती का नाम श्रीमती चन्द्रबाई है। उसकी चीख पुकार सुनकर कुछ लोग उसकी सहायता के लिए आये थे परन्तु तब तक दोषी भाग चुके थे। उसको पहले थाने में ले जाया गया और उसके बाद अस्पताल में जहां उसकी मृत्यु हो गई। मैं चाहता हूँ कि इस युवती की मृत्यु पर सभा में चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान किया जाये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के दो ग्रुपों को एक ही विभाग में रखकर हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इन लोगों की अपनी संस्कृति, भाषा, परम्परा इतिहास तथा धर्म है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की अलग-अलग समस्यायें हैं, अनुसूचित जातियों की आर्थिक शोषण तथा छूआछूत की समस्या है जबकि अनुसूचित जन-जातियों की मुख्य समस्या आर्थिक शोषण की है। यद्यपि आदिवासी अनुसंधान संस्थान अथवा केन्द्र बने हुए हैं फिर भी उनकी समस्याओं तथा जीवन के अन्य पहलुओं को जानने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया है। आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए युद्ध स्तर पर कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये और नये सिरे से इसको देखा जाना चाहिये।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदिवासियों के लिए कोई लाभदायक नहीं हुआ है। ऋण लेने के लिए शर्तें ऐसी हैं कि आदिवासी ऋण नहीं ले सकते। ऋण लेने के लिए सम्पत्ति अथवा भूमि को गिरवी रखना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आदिवासियों के पास भूमि है? अतः अगर उनके पास भूमि ही नहीं है तो वे किसे गिरवी रखेंगे। अगर किसी के पास जमीन हो भी तो उनको इस बात का भय है कि अगर उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी तो क्या उनको उनकी जमीन वापिस मिलेगी? एक प्रश्न और है कि उनकी गारन्टी कौन देगा। बैंक राष्ट्रीयकरण से इन लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। बैंक राष्ट्रीयकरण उनके लिए मजाक सिद्ध हुआ है।

समाज कल्याण विभाग इस दलित वर्ग के लोगों का उत्थान करने में गत दो दसाब्दियों में असफल रहा है। हम जानते हैं कि हमारे सामने बड़ी-बड़ी नीतियां रखी गई हैं लेकिन ऐसा क्यों है कि गत 22 वर्षों में भी राष्ट्र की अच्छी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है। यदि समाज कल्याण विभाग कोई ठोस कार्य नहीं कर सका तो कम-से-कम यह विभाग इन लोगों को शोषण से बचा सकता था। इन लोगों का राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

सभा के सामने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश संशोधक विधेयक है जिसमें लगभग 30 लाख आदिवासियों को अनुसूचित करने का प्रश्न है जो आसाम के चाय उद्योगों में काम कर रहे हैं। जन-जाति व्यक्ति किसे कह सकते हैं--इस बारे में बनायी गयी कसौटी को ये लोग पूरा करते हैं लेकिन मन्त्री महोदय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये लोग कसौटी पर खरे नहीं उतरते। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस पर सहानुभूति पूर्वक पुनः विचार करें और इन भाग्यहीन लोगों को अनुसूचित करने के लिए कार्यवाही करें जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश से वहां गये हैं।

मैं छात्रवृत्ति योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सब योजनाओं में, छात्रवृत्ति योजना ही एक ऐसी योजना है जो कि कुछ संतोषजनक है, फिर भी, वर्तमान जीवन-निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए, छात्रवृत्ति दर अवश्य बढ़ायी जानी चाहिये तथा छात्रवृत्तियां ठीक समय पर दी जानी चाहिये।

सेवाओं में आरक्षण की स्थिति की बहुत असन्तोष जनक है। सरकार को इस विषय में अवश्य कुछ करना चाहिये।

आदिवासियों से भूमि छीन लेना सबसे बड़ा आर्थिक शोषण है। यदि यह विभाग उनको भूमि देने के बारे में कोई प्रबन्ध कर सके तो उनकी आधी समस्यायें हल हो जायेंगी।

अन्त में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र झाड़ग्राम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यह एक उपेक्षित क्षेत्र है और इसके प्रति सरकार उदासीन है। यह नक्सलवादियों का अड्डा बन गया है। यहां स्कूलों, सड़कों, पीने के पानी की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं। इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं हैं और न कोई सिंचाई की सुविधायें हैं। अस्पताल नहीं के बराबर हैं। रोजगार के अवसर बहुत ही कम हैं। इन आदिवासियों में सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना है। सरकार को देखना चाहिये कि आदिवासियों के कल्याण के लिये जो योजनायें हैं, उनको कार्यान्वित करें। यदि आप अपनी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सकते तो वह करें पर नमक छिड़कने के बराबर होगा, इससे उनका बड़ा अपमान होगा।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : On 9th December, 1969 a question was asked from the Social Welfare Minister whether the people having vested interests wanted to remain backward because of the rules regarding reservations in the Legislative Assemblies on the basis of birth in the backward class and whether any action had been taken to fix some other criterion to determine backwardness of a person besides the criterion of birth and if so, what was that criterion ?

The Social Welfare Minister Shrimati Phulrenu Guha in reply to that question had stated that there were different views over that issue and the Central Government had recommended to the State Governments to conduct an economic review to ascertain backwardness.

This shows that the Government do not know even after 23 years that what is the basis of backwardness· When the Government cannot find out the exact cause of disease, how can they cure it. The situation took a bad turn when the Government started Five Year Plans after the independence. I read Sevagram magazine. There are two atticles in it regarding land reforms aud employment to landless people. The hon. Minister will get many suggestions if he will go though it.

The Government have increased the quota of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. For the Scheduled Castes it has been increased to

15 percent and for Scheduled Tribes to 7½ percent. But it will not solve the problem. The important question is whether the quota reserved for these people is being filled up. Had the reserved quota been filled up, the Social Welfare Department would not have faced the present problem.

The Government encouraged private sector in the first place, The question of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes arises only in the public Sector. The Scheduled castes can be encouraged only when the public sector is extended. The Government played a trick with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes when they encouraged the private sector. There are companies in which Government have made 51 percent investment and the rules of the Central Government and State Governments are applicable to them. Had the Government made reservations in them, many persons of the Scheduled Castes would been benefited. But this was not done. Among them 166 are such companies, which have accepted the reservation principle but 12 companies have not accepted the reservation principle. These twelve companies are such industrial undertakings in which more them 51 percent investment has been made by the Government but even then they are not prepared to abide by the rules of the Central Government and neither the Home Minister tried to persuade them. Had proper action been taken to make reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in these Government Companies and joint Government Companies, the present situation would not have arisen. But this cannot be expected from this Government. According to Article 46 of the Constitution, Government have to promote the educational and economic interest of the weaker sections of the people and in particular of the Scheduled Tribes and have also to protect them from social injustice and all forms of exploitation, But the Government have done nothing concrete to enforce that Article, We do not know what the attached and subordinate offices of the department of Social Welfare do with regard to scheduled castes because no Report is submitted by them in this respect.

The private organisations, which receive grants from the Governments for the welfare of the backward clases, do not do any welfare work. Instead they do propaganda work of their parties. This drawback in their character should be removed. There should be no mis appropriation of grants. There are no facilities for the education of children of farm laboures belonging to Scheduled Castes. The laws regarding removal of untouchability have become ineffective after independence. The Kerala Government have done much for the uplift of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They have made education free up to 5th class and have imposed a ceiling of 15 acres on land. The Government should learn a lesson from that State.

There are Harijan Welfare Officers in every district but they have no powers to safeguard the interest of the Harijans. The action is taken by the Collector or S.P. I have been raising questions about one Harijan Welfare Officer for the last three years. He has misused the grants of this Ministry. When I raise the question, the secretaiat comes forward to shield him and no clarification is given. Appointments to Government service on merit is a handicap for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. The posts reserved for these people should be filled up on the basis of minimum qualifications.

श्री रा० द्वो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन को मैंने ध्यान से पढ़ा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम उन दुःखों अथवा निर्योग्यताओं का पता नहीं लगा सके हैं जिनसे देश में अनुसूचित जाति पीड़ित है, अस्पृश्यता निवारण के नाम पर हम हमेशा एक प्रकार का कार्यक्रम बनाने का प्रयत्न करते रहे हैं लेकिन मैं इस सदन को तथा

विभिन्न दलों के सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जब तक उनके दुःखों के कारणों तथा आधार का पता नहीं लगा लेते तब तक हम इस समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ सकते ।

जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है वे दो निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, अपवित्रता की निर्योग्यता तथा अलगाव की निर्योग्यता, हर ग्राम में दो भाग हैं, एक में सामान्य समुदाय रहता है और दूसरे में अनुसूचित जातियां, ऐसा समझा जाता है कि केवल छूने मात्र से सामान्य समुदाय अपवित्र हो जायेगा । सारे राजनीतिक दलों तथा जनता के नेताओं को प्रचार करना चाहिये ताकि सामान्य समुदाय की प्रवृत्ति अनुसूचित जातियों के प्रति बदली जा सके । जब तक सामान्य समुदाय की प्रवृत्ति इन लोगों के प्रति नहीं बदलती तब तक इनकी रक्षा नहीं हो सकती ।

एक ओर तो सामान्य समुदायों से अपनी प्रवृत्ति बदलने के लिए कहा जाना चाहिये और दूसरी ओर अनुसूचित जाति के लोगों को उपयुक्त कानूनों के द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिये । कानूनों में दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि अपराधियों को समुचित दण्ड दिया जा सके ।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग की नीति और योजना आयोग द्वारा अपनाई गई नीति संतोषजनक नहीं है । जब तक इन लोगों को शिक्षित नहीं किया जायेगा तब तक इनमें जागृति नहीं आयेगी और ये लोग इन पर अन्याय होने की स्थिति मे उसका प्रतिकार नहीं कर सकेंगे । अतः सम्पूर्ण शिक्षा नीति में पूर्ण परिवर्तन होना चाहिये ।

1962 से इस सरकार ने जीविका-साधन-जांच के आधार पर छात्रवृत्तियां और सुविधायें देने की नीति अपनायी है, इस जीविका-साधन-जांच पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्ति देने के लिए कुछ धनराशि निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है । मैट्रिक के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो कोई शिक्षा संस्थान अथवा कालेज में पढ़ना चाहता हो उसे छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये ।

हाल में अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया है उनकी समस्याओं का सहानुभूति पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये । हालांकि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है फिर भी वे अपवित्रता और अलगाव की उसी निर्योग्यता से पीड़ित हो रहे हैं । धर्म परिवर्तन के बाद भी उनकी हालत पूर्ववत है ।

अनुसूचित जाति से धर्म परिवर्तन किये गए बौद्धों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने की नीति सरकार ने स्वीकार कर ली है । शिक्षा संबन्धी सुविधाओं के साथ-साथ इन लोगों के लिए सेवाओं में कुछ आरक्षण किये जाने चाहिए । अनुसूचित आदिम जातियों की मुख्य समस्या पुनर्वास की है । जब तक उनका पुनर्वास नहीं किया जायेगा तब तक हम उनकी स्थिति नहीं सुधार सकेंगे ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति कल्याण संबन्धी संसद सदस्यों की समिति इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी कि इसके होने की आशा की गई थी । अभी तक समिति ने पांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं । यह ज्ञात नहीं है कि इन प्रतिवेदनों तथा इनमें दिये गए सुझावों का क्या हुआ ।

यह खेद का विषय है कि राज्यों में अभी तक इस तरह की समितियां नियुक्त नहीं की गई हैं ।

जब कभी हम समाज कल्याण की बात करते हैं तब सरकार यह उत्तर देती है कि यह राज्य का विषय है । जब कभी हम केन्द्र में कोई नीति स्वीकार करते हैं तो उस नीति का कार्यान्वियन

राज्यों पर छोड़ दिया जाता है, परिणाम यह होता है कि नीति सभी स्तरों पर कार्यान्वित नहीं की जाती है। संविधान में इस तरह का संशोधन किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कल्याण का मामला राज्यपाल का एक विशेष उत्तरदायित्व का मामला बन जाये।

***श्री दुरायरासु** (पेरम्बलूर) : मुझे खेद है कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों की स्थिति में अब तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। हाल ही में वेदों से उद्धरण दे कर अस्पृष्यता को उचित बताया गया है। ऐसी स्थिति में इस बुराई को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

समाज कल्याण कार्यक्रम केवल प्रचार मात्र बन कर रह गये हैं। उन्होंने इन वर्गों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये हैं। इन लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 2 प्रतिशत है परन्तु इन समुदायों से संबन्धित केवल 8 व्यक्तियों को समुद्रपार देशों में छात्रवृत्तियों के रूप में सहायता प्राप्त हुई है। यदि यही स्थिति रहती है तो मेरे विचार में इस विभाग का बन्द कर देना ठीक रहेगा।

इस मंत्रालय के ढांचे और उनकी कार्यविधि में परिवर्तन किया जाना चाहिये। महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के स्थान पर यदि उनकी अनिवार्य समस्याओं के समाधान के लिए क्रमबद्ध तरीके से कार्य किया जाये तो कोई ठोस परिणाम निकल सकता है और उनकी स्थिति में वास्तव में सुधार हो सकता है। इस संबन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि जिस भूमि पर ये लोग कार्य कर रहे, उस भूमि को इन्हीं के नाम कर देने के लिए विशेष विधि की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे ये लोग जमीनदारों के चंगुल से निकल सकें। इसके बाद मकान बनाने, उनमें बिजली की व्यवस्था करने, सड़के बनाने, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है। तामिल नाडू में इस प्रकार की लाभप्रद योजनाएं आरम्भ की गई हैं। हमारे राज्य में एक अलग समाज कल्याण मंत्रालय बना हुआ है। केन्द्रीय सरकार को भी इसी नीति का अनुसरण करना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार का समाज कल्याण विभाग थोड़े से धन की व्यवस्था करके सभी प्रकार की गतिविधियों में खर्च कर देता है जिसके कारण हमारे समाज के किसी भी वर्ग को कोई लाभ नहीं पहुंचता। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि समाज कल्याण का कार्य राज्यों को सौंप दिया जाना चाहिये। यदि केन्द्रीय सरकार इस सिफारिश को स्वीकार कर ले तो उपर्युक्त राशि का विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करने के बजाय राज्य सरकारें अपनी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए इसका उपयोग कर सकती हैं। राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजनाएं बना सकेंगी। फिर राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकेंगी। केन्द्रीय सरकार को समाज कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वित करने का पूरा उत्तरदायित्व राज्यों पर डाल देना चाहिये। यदि यह सम्भव नहीं तो केन्द्रीय सरकार का केवल बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को आरम्भ करना चाहिये और उन्हें प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

अनुसूचित जाति और अनुसुचित आदिम-जाति आयुक्त एक सांविधिक अधिकारी है और अब तक प्रत्येक राज्य में उपायुक्त उनकी सहायता करते थे। हाल ही में उपायुक्तों के पद समाप्त कर दिये गए हैं और उनके स्थान पर क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किये गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह प्रत्येक राज्य में उपायुक्त का कार्यालय फिर से स्थापित करें। अनुसूचित जनजातियों

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised Translated Version based on English Translation of speech delivered in Tamil.

को दिए गए सहायता सम्बन्धी आश्वासन ठीक प्रकार से पूरे नहीं किये जा रहे हैं। प्रत्येक राज्य में उपायुक्त रहने से इन कार्यों की देखभाल अच्छी प्रकार से की जा सकेगी।

मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि इनको बताई गई गलतियों में सुधार करने के सम्बन्ध में इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। हाल ही में गृह कार्य मंत्रालय ने पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए कुछ स्थल आरक्षित करने के सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी किया था। परन्तु केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों ने उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। जिन्होंने स्वीकार किया भी है उन्होंने ईमानदारी के साथ उसे क्रियान्वित नहीं किया। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह इन लोगों के साथ इस प्रकार धोखा न करें।

एक वर्ष पूर्व सरकार ने कहा था कि जिन राज्यों में मद्य निषेध पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है उन्हें पूरी तरह से मद्यनिषेध लागू करने पर वित्तीय सहायता दी जायेगी। परन्तु कोई भी राज्य इस पेशकश को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। यदि सरकार उन राज्यों को, जहां मद्यनिषेध पहले से लागू है, उनकी हानि के लिए मुआवजा देने की पेशकश करे तो इससे अन्य राज्यों को प्रेरणा मिलेगी।

मुझे इस बात का दुःख है कि सरकार ने गत 20 वर्षों में छुआछूत समाप्त करने के लिए गम्भीरता पूर्वक प्रयास नहीं किए हैं। इस बुराई को समाप्त करने के लिए अब तक एक भी वृत्तचित्र का निर्माण नहीं किया गया है। तामिल नाडू में इस दिशा में ठोस कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय सरकार के लिए लज्जा की बात है कि वह उन लोगों को दंड भी नहीं दे सकी है जो छुआछूत का प्रचार करने से भी नहीं चूकते हैं।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और हमारे समाज के पिछड़े वर्गों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए ठोस कार्यवाही करें।

श्री के० अनिरुद्धन (चिरयन्कील) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के 22 वर्ष बाद भी इस मंत्रालय ने इस समस्या को हल करने का प्रयत्न तक नहीं किया है। अनुसूचित आदिमजाति आयुक्त के प्रतिवेदनों में प्रायः इस बात का उल्लेख किया जाता है कि इस कार्य के लिए निर्धारित राशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इसमें से अधिकांश राशि का उपयोग बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्ययों में होता है और शेष धन शासक दल के कुछ व्यक्तियों के प्रचार में खर्च हो जाता है।

समाज कल्याण का मुख्य प्रयोजन छुआछूत है। देश के लगभग सभी भागों में छुआछूत अभी मौजूद है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति आयुक्त के प्रतिवेदन में से ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि अनुसूचित जातियों पर अब भी काफी अत्याचार किये जा रहे हैं।

अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान गन्दी बस्तियों वाले क्षेत्रों की ओर दिलाता हूं। दिल्ली तथा अन्य छोटे बड़े सभी नगरों में यह समस्या है और वहां रहने वाले लोगों को कड़कती धूप से अथवा भयंकर सर्दी से अपनी रक्षा करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन लोगों के पास रहने के लिए झोंपड़ी तक नहीं है। उनमें से अधिकांश पिछले वर्ग के तथा हरिजन लोग हैं। हमारा

समाज कल्याण मंत्रालय इस समस्या का समाधान अब तक नहीं कर सका है। वास्तव में इस विभाग का संचालन वे लोग नहीं करते हैं जो इस समस्या को समझते हैं। इसलिए इस विभाग का कार्यभार किसी हरिजन को सौंप देना चाहिये। जब तक हमारे समाज में पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में कुछ आमूल परिवर्तन नहीं किये जाते तब तक सामाजिक ढांचे वाले समाज का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन है।

गत कई वर्षों से किसानों को भूमिवितरण की बात चल रही है, किसानों में अधिकतर हरिजन अथवा आदिमजाति के लोग ही हैं। वास्तव में वही लोग हल चलाते हैं। परन्तु भूमि वितरण के समय हम इन लोगों की उपेक्षा कर देते हैं। जहां कहीं आदिमजाति के लोगों के पास कुछ भूमि है, जोतदार तथा जमीनदार पुलिस अथवा कुछ अन्य शक्तिशाली लोगों की सहायता से उन लोगों से भूमि वापिस ले लेते हैं।

ट्रावनकोर-कोचीन में अनुसूचित जातियों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। यह खेद की बात है कि अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लोगों का सेवाओं में उचित हिस्सा नहीं है। गत वर्ष "सेल्स असिस्टेंट्स" के पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और विशेष रूप से यह बताया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के कुछ उम्मीदवारों ने समुचित प्रमाणपत्रों, उचित अनुभव और अर्हताओं के साथ उस परीक्षा में भाग लिया था परन्तु अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं चुना गया था और सवर्ण हिन्दू चुने गए थे। अतः हम इस समस्या के प्रति जब तक युक्तियुक्त दृष्टिकोण नहीं अपनाते तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता।

श्री स्व० प्रधानी (नौरंगपुर) : हमारे राज्य अर्थात उड़ीसा में अधिकांश लोग आदिवासियों की तरह रहते हैं निरक्षरता और निर्धनता के कारण वे आधुनिक सभ्यता से बहुत दूर हैं। इन लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने और उनकी शिक्षा आदि के लिये शीघ्र आवश्यक उपाय करने चाहिये। अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित आदिमजातियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिये वहाँ पर विद्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक बच्चों की ओर उचित ध्यान नहीं देते। आदिवासियों और हरिजन विद्यार्थियों को दिन का खाना, वस्त्र तथा लेखन सामग्री प्राथमिक विद्यालयों से मिलनी चाहिये परन्तु मुझे खेद है कि अधिकांश बच्चों को ये वस्तुएं नहीं मिलती जहां तक मैट्रिक के बाद की शिक्षा का सम्बन्ध है 82,000 लड़के और लड़कियां छात्रवृत्ति की पात्र हैं परन्तु राज्य सरकार ने केवल आधे विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सेवाओं में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों को बहुत कम स्थान प्राप्त हैं यद्यपि इन जातियों में काफी योग्य व्यक्ति विद्यमान हैं। भर्ती सम्बन्धी नियमों में उदारता से काम लेना चाहिये।

उड़ीसा में साहूकार और शराब विक्रेता आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण कर रहे हैं। यदि इन लोगों के संरक्षण के लिये कोई उपर्युक्त कानून नहीं बताया गया तो इन लोगों का शोषण कभी भी समाप्त नहीं होगा।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच-बिहार) : अनुसूचित जनजाति आयुक्त के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन हमने देखे हैं। उन पर सदन में चर्चा नहीं की गयी और मन्त्री महोदय ने भी इस विषय पर चर्चा के लिये कोई उपयुक्त समय निर्धारित नहीं कराया है जिससे हमें यह ज्ञात होता कि

अनुसूचित जातियों के लिये क्या कार्य किया जा रहा है। अनुसूचित जन जाति आयुक्त की यह जिम्मेदारी समझी जाती है कि वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण की देखभाल करें और यदि इन जातियों के लोगों पर कोई अत्याचार किये जाते हैं तो आयुक्त की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने प्रतिवेदन में इन मामलों का उल्लेख करे। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि आयुक्त अनुसूचित जातियों के सबसे अधिक महत्व के इस मामले पर बिल्कुल मौन है।

जहां तक संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिये गये संरक्षणों का सम्बन्ध है, इनको भलि-भाँति क्रियान्वित नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने वर्ष 1963-64 के अपने प्रतिवेदन मे यह विचार व्यक्त किया था कि यह आवश्यक है कि सेवा सम्बन्धी मामलों में संरक्षणों के भंग करने की शिकायतों के बारे में संगत रिकार्ड आयुक्त को दिया जाना चाहिये। तब से आयुक्त की संस्था गृह कार्य मन्त्रालय और विधि मन्त्रालय से पत्र व्यवहार कर रही है लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है।

22 जुलाई 1965 के अपने एक पत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने इस मामले को तत्कालीन विधि एवं सामाजिक सुरक्षा मन्त्री के विचार के लिये भेजा। पत्र के अन्तर्गत जो नोट भेजा गया उसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को जो संरक्षण प्रदान किये गये हैं उनके क्रियान्वित के बारे में देखभाल करना मेरा कार्य है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में प्रतिनिधित्व के जो आदेश दिये हैं नियुक्ति अधिकारियों द्वारा इन आदेशों को क्रियान्वित न किये जाने के विषय में लगभग प्रतिदिन ही शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमने इन शिकायतों का रिकार्ड मांगा है और साथ ही इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय से स्पष्टीकरण भी मांगा है कि क्या हम इस प्रकार का रिकार्ड मांग सकते हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गयी है कि आयुक्त इस प्रकार की शिकायतों की जांच करे। यद्यपि 1966 से 1969 तक बार बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने विधि एवं समाज-कल्याण मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिये आयुक्त कार्यालय की स्थिति को गिराने का दायित्व मन्त्रालय पर है। सरकार को विभिन्न कार्यालयों और मन्त्रालयों के लिये आदेश जारी करने चाहिये कि वे अनुसूचित जाति आयुक्त की जांच सम्बन्धी सहायता के लिये उन सभी सम्बन्धित कागजातों को उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करें जिनमें अनुसूचित जातियों के सेवा प्रतिनिधित्व के क्रियान्वित के बारे में शिकायतें की गयी हैं।

यह खेद का विषय है कि जब कभी अनुसूचित जाति के लोगों से कोई शिकायत मिलती है और आयुक्त इन शिकायतों को अच्छी तरह जांच करने का प्रयास करता है तो विभाग विशेषकर डाकतार विभाग तथा पूर्ति महानिदेशालय उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं। यदि सरकार की इन लोगों के साथ सच्ची सहानुभूति है तो वह यह देखें कि विभाग आयुक्त के साथ सहयोग करें।

जहां तक शिक्षा एवं क्षात्रवृतियों का सम्बन्ध है मन्त्री महोदय ने कुछ समय पहले कहा था कि हो सकता है कोई व्यक्ति जिसकी आय 500 रुपये मासिक है अपने क्षात्रों के लिये मैट्रिकोत्तर शिक्षा शुल्क तथा अन्य वस्तुओं का प्रबन्ध न कर सके इसलिये वह न्यूनतम आय बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ने

जो सलाह दी है और सुझाव पेश किये हैं हम उन्हें मानेंगे। क्या मन्त्री महोदय ने इस ओर कोई कदम उठाये हैं कि सरकार समिति के सुझावों पर विचार करें और उन्हें माने ?

विभागीय प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनूसूचित जनजातियों को दी जाने वाली क्षात्रवृतियों को संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। लेकिन वर्ष 1950-51 और इस वर्ष जो धनराशि व्यय की गई है हम उसका तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहेंगे। 1950-51 में कुल राष्ट्रीय बजट 500 करोड़ रुपये से 600 करोड़ रुपये था और आज यह लगभग 4,000 करोड़ रुपये हैं। मन्त्री महोदय को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिये कि इन जातियों के क्षात्रों की शिक्षा के लिये कुल कितनी धन राशि दी गयी है और वह यह भी बतायें इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है !

श्री छ० म० केदरिया (मांडवी) : संविधान के 23 वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये संरक्षण की अवधि दस वर्ष तक और बढ़ा दी गई है। हमने तीसरी बार यह अवधि बढ़ाई है इससे पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति और उत्थान के लिये जो गति निर्धारित की गई थी, उसको सरकार बनाये नहीं रख सकी। केन्द्रीय सरकार को इन जाति के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिये, क्योंकि ये जातियां अभी भी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। इसके लिये किसी विशेष संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 16 में पिछड़े वर्ग को शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति के सुधार के लिये सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने के बारे में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार केन्द्रीय सरकार भारत को संचित निधि से इन जातियों के लिये और अधिक मुद्रा दे सकती है परन्तु ऐसा न करने के कारण हर बार 10 वर्ष की अवधि बढ़ानी पड़ती है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों और कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी अनुसूचित जोति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद, मद्रास और चंडीगढ़ में खोले गये हैं जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या बहुत कम है। इन स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का क्या अर्थ है ? आदिवासी लोगों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास स्थानों पर ये केन्द्र खोले जाने चाहिये।

ढेबर आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार, बड़ी परियोजनाओं के कारण लगभग 14,113 परिवार विस्थापित हो गये हैं जिनमें से 3,447 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। दूसरे इन परिवारों से 62,238 एकड़ भूमि ली गई जब कि 8,314 एकड़ भूमि इन लोगों को दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि इन लोगों के उत्थान के कार्यों के स्थान पर बिल्कुल उसके विपरीत कार्य किया गया है। यह आवश्यक है कि पुनर्वास व्यय परियोजना व्यय का एक अंग बनाया जाय, ताकि जहां कहीं आदिवासी लोग विस्थापित हों, वहाँ उनका विकासित स्थानों में पुनर्वास किया जा सके। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

भूमि सुधार के बारे में बहुत कम कार्य किया गया है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारी अर्थ व्यवस्था कृषि एवं बनों पर टिकी हुई है और आदिवासियों के लिए कृषि जीवन यापन का एक मात्र सहारा है। बड़े खेद का विषय है कि भूमि सुधार के कारण से ही इन लोगों की 20 प्रतिशत भूमि समाप्त हो गई है। इससे यह ज्ञात होता है कि योजना को लोगों की तथा सरकार की आवश्यकतानुसार क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

यदि इन पिछड़े हुए लोगों का उत्थान तथा विकास करना है तो सबसे पहले मद्य निषेध किया जाना चाहिये । इन लोगों के वेतन का बहुत बड़ा भाग मदिरा-पान में व्यय हो जाता है और परिवार के लिये पैसा बचता ही नहीं । संविधान के अन्तर्गत मद्य-निषेध अनिवार्य है और मन्त्रालय को राज्य सरकारों से इसे लागू करने के लिये कहना चाहिये, ताकि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके ।

श्री वासु देवन नायर पीठासीन हुए
[SHRI VASU DEVAN NAIR IN THE CHAIR]

यह बड़े शर्म की बात है की सत्ता रूढ़ दल के पास ऐसी कार्यवाही करने के लिये पैसा है परन्तु इन पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए पैसा नहीं है । सरकार को इन वर्गों की स्थिति पर ध्यान देते हुए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की समस्या को सुधारने में हम लगभग 20 वर्ष से लगे हुये हैं परन्तु अभी तक सन्तोषजनक परिणाम उपलब्ध नहीं हो सके हैं । इसका कारण यह है कि हमने इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार नहीं की । सबसे महत्व पूर्ण बात यह है कि लोगों के कल्याण के लिये जितना भी धन दिया जाता है उसका ठीक प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिये ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्यायें राष्ट्रीय समस्यायें हैं । इन लोगों के विकास में राष्ट्र का विकास निहित है । जहां तक अनुसूचित जातियों की समस्या का प्रश्न है, यह मानव की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित है, भारतीय समाज में आज जिसकी कमी है । 20 वर्षों में भी हम इनका उत्थान नहीं कर सके इसके लिये हम सभी को लज्जित होना चाहिये ।

हरिजन भी भारत के ही नागरिक है । खबर है कि हरिजनों को जलाया जाता है । यह कानून के विरुद्ध है और ऐसे लोगों को जो कानून विरोधी कार्यों में सम्मलित हों दंड दिया जाना चाहिये । यही इस प्रकार की समस्या का एकमात्र हल है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का हमेशा से भूमि से सम्बन्ध रहता रहा है चाहे वे जंगलों में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में । परन्तु उनको उनकी भूमि से निकाला जा रहा है । शायद स्वतंत्रता के पश्चात और भी अधिकता से । इस स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिये । पंडित नेहरू के शब्द आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं कि आदिवासियों का उत्थान उनकी परम्पराओं के आधार पर ही किया जाना चाहिये । परन्तु आज प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करने में लगा हुआ है आदिवासियों के उत्थान की ओर सरकार नेहरु जी को इच्छानुसार कोई कदम नहीं उठाया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिये जो धनराशि निर्धारित की जाती हैं वे सड़कों के निर्माण तथा जल सप्लाई के लिये प्रयोग में नहीं लाई जानी चाहिये । इन कार्यों के लिये धन परिवहन तथा लोक स्वास्थ्य विभागों को दिये गये धन से लिया जाना चाहिये ।

इन जातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के मामले में जो सरकार की नीति है वह दोषपूर्ण है । जो आरक्षित पद किसी विशेष वर्ष में नहीं भरे जाते हैं उनका आरक्षण नहीं किया जाता है । यह अनुचित है । जो कोटा उस विशेष वर्ष में नहीं भरा गया है उसको अगले वर्ष के लिये रख लेना चाहिये । अधिकारी वर्ग में यदि इन इन लोगों के प्रति सहानुभूति हो तो समस्या बहुत सीमा तक हल हो सकती है । आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

आदिवासी लोगों ने अपनी भूमि कुछ सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को दे दी है। परन्तु वे लोग जिन्होंने अपनी भूमि दे दी थी उनका पुनर्वास नहीं किया गया। इन लोगों के पुनर्वास की समस्या की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकारी उपक्रमों में चाहे ये किसी भी स्थान पर स्थित हों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण किया जाना चाहिये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनका उद्देश्य इसलिये विफल हो जाता है कि उचित समय पर ये नहीं दी जाती हैं। इस बात की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। इन जातियों के छात्रों के लिये प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय शिक्षालय होना चाहिये जिनमें 10% चुने हुये उत्तम छात्र चाहे वे किसी भी जाति के हों रखे जाने चाहिये। राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता प्राप्त करने का यही उपाय है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह ग्रामों में जाकर इन जातियों के लोगों से सम्पर्क स्थापित करें तो उन्हें वास्तविक कठिनाइयों का पता चलेगा। मंत्री महोदय सरकार से कहें कि इस समस्या के विषय में वह अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी बने।

****श्री हुचे गोडा** (चिकमगलूर) : दलित तथा पिछड़े वर्गों के जीवन निर्वाह स्तर में सुधार लाने के लिये पिछले बीस वर्षों में बहुत वायदे किये गये हैं। इन वायदों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत कम काम किया गया है।

समाज कल्याण की कार्यवाही को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। नाई, मछुवे, मोची और धोबी जैसे अन्य कई लोग भी पिछड़े समुदायों के अन्तर्गत आते हैं। इनकी आर्थिक दशा भी अत्यन्त शोचनीय है। जिस पर सरकार के ध्यान की अत्यन्त आवश्यकता है।

बजट में पिछड़े समुदायों की दशा में सुधार के लिए किये जाने वाले कार्यों के लिए साढ़े नौ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। पिछड़े लोगों की लगभग 10 करोड़ की जनसंख्या को देखते हुए यह राशि बहुत अपर्याप्त है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, इस बारे में सरकार ने बहुत बड़ी राशि व्यय की है, किन्तु पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने में विशेष प्रगति नहीं हुई।

पिछड़े वर्गों के समुदायों को शैक्षणिक तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में सुझाव देने के लिए पिछले 20 वर्षों में अनेक समितियों और आयोगों का गठन किया गया। हमने दिल्ली में कार्यरत इन विभिन्न समितियों पर लगभग 20 लाख रुपये व्यय किये हैं। परन्तु इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया है कि ये समितियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं। सरकार इन समितियों को विशाल धन राशि केवल प्रशासनिक व्यय चलाने के लिए ही दे रही है। यह बताने में निराशा होती है कि इन समितियों ने विभिन्न वस्तुओं पर किये गये व्यय का ठीक प्रकार से लेखा जोखा नहीं रखा है।

विभिन्न योजनाओं के लिए विशाल धनराशियों का प्रावधान करने का कोई भी फायदा नहीं

**कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English Translation of speech delivered in Kannada.

है, जब तक उस धन का उचित उपयोग न हो। सरकार के पास पैसा गरीब जनता और किसानों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई से आता है। केवल सम्पन्न और धनी व्यक्ति ही कर अदा नहीं करते हैं। गरीबों की गाढ़ी कमाई से प्राप्त हुए धन का रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग होना चाहिए।

हाल ही के वर्षों में पिछड़े वर्गों की आर्थिक दशा के निरीक्षण के लिए तथा सरकार को सिफारिशें देने के लिए इलायापेरुमल, रेणुका राय और बासुमतारी आदि की अध्यक्षता में महत्त्वपूर्ण समितियां स्थापित की गई। खेद का विषय है कि सरकार ने इन समितियों की महत्त्वपूर्ण रचनात्मक सिफारिशों पर नगण्य कार्यवाही की है।

केन्द्र में और प्रत्येक राज्य में एक समाज कल्याण बोर्ड है। वे बोर्ड प्रभावशाली तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति में पिछड़े समुदायों के प्रति गहन सहानुभूति की भावना हो, उसी व्यक्ति को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। तभी हम इन बोर्डों से ठोस परिणामों की आशा कर सकते हैं।

यह वर्ष एक महत्त्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इसे हम गान्धी जन्म-शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सरकार बताए कि अनेक पिछड़े समुदायों के सुधार के लिए सरकार ने इस वर्ष के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं बनाई हैं तथा उन पर कार्य किया है। यह अत्यन्त खेद की बात है कि महत्त्वपूर्ण और विशाल योजनाएं बनाये जाने के बावजूद भी प्राप्त परिणाम उत्साहजनक नहीं हैं। समाज कल्याण विभाग में कार्य कर रहे जिम्मेदार व्यक्तियों को गरीब लोगों के पास जाना चाहिए और उनकी निर्वाह स्थिति को निकट से देखकर उन्हें स्वस्थ जीवनयापन करने की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तभी हम गांधीजी के गरीबों की सेवा करने के संदेश के साथ न्याय कर सकेंगे।

हरिजनों को छात्रवृत्तियां देने के लिए अनेक योजनायें हैं। छात्रों को मात्र छात्रवृत्तियां देना ही पर्याप्त नहीं है। हमें छात्रावास में उनकी निर्वाह स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें उचित और स्वास्थ्यवर्धक खुराक नहीं मिलती। कुछ छात्रों को प्रतिमाह 10 से 15 रुपये तक छात्रावास-व्यय की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। यह नगण्य राशि है। अनुसूचित जातियों और गरीब छात्रों को सहायता देते समय उनके वास्तविक खर्चे का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

भूमिहीन श्रमिकों को भूमि के वितरण के मामले में हमेशा असामान्य विलम्ब और लालफीता शाही चलती है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह स्वयं मेरे साथ राज्य का भ्रमण करें और वास्तविक स्थिति से परिचित हों। यद्यपि भूमिहीन लोगों को भूमि बांटने के मामले में राज्य सरकारें सर्वेसर्वा है, मगर केन्द्र उन्हें ऋण और सहायता के रूप में धन देता है। अतः इस सम्बन्ध में केन्द्र को पूर्ण अधिकार है कि वह राज्यों को उचित निदेश दे, ताकि इन पिछड़े वर्गों के समुदायों को खेती करने के लिए भूमि प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

किसी भी क्षेत्र में हरिजनों के साथ भेदभाव-पूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक कार्य-कलापों में उन्हें समानता का पद दिया जाना चाहिए। ताकि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकें।

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : 1970-71 वर्ष में समाज कल्याण विभाग के कार्य में सराहनीय प्रगति हुई है जैसा कि इसके बजट प्रावधान और कार्य-

क्रम से पता चलता है। इस विभाग को 0-3 और 3-5 वर्ष की आयु-वर्ग के शिशुओं को पौष्टिक आहार सेवा प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विभाग को दो पृथक परन्तु परस्पर सम्बद्ध कार्यक्रम सौंपे गये हैं। नवजात शिशु से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था के लिए जोरदार कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसके लिए चालू बजट में 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, आदिवासी क्षेत्रों के लगभग 5 लाख बच्चों और लगभग इतनी ही संख्या में शहर की गन्दी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक आहार सेवा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। यह पौष्टिक आहार कार्यक्रम मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और आदिवासी तथा गन्दी बस्तियों में शिशु कल्याण कार्य में संलग्न स्वेच्छी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जायगा। यह कार्यक्रम अभी गैर-योजना व्यवस्था के अन्तर्गत है, परन्तु वर्ष के अन्त से पूर्व ही इसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार 4 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से चौथी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा।

दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसके लिए चौथी योजना में 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों से कम आयु वाले बच्चों के लिए बालवाड़ियों के माध्यम से पौष्टिक आहार की सप्लाई करने से सम्बन्धित है। बालवाड़ी चलाने वाले स्वैच्छिक समाज-कल्याण संगठनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए 1970-71 के बजट में 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम से पहले वर्ष लगभग 60,000 बच्चों को लाभ पहुँचेगा। यह कार्यक्रम मूलतः उन बच्चों के लिए प्रारम्भ किया गया है जिन्हें पौष्टिक खुराक नहीं मिलती। इसलिए आदिवासी विकास ब्लाकों और शहर की गन्दी बस्तियों को इस कार्य के लिए प्रारम्भ में चुना गया है। ये दोनों कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक और सहायक होंगे और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के अधिकाधिक बच्चों को, जिन्हें अपुष्ट अथवा कम आहार मिलता है, लिया जायेगा। विभाग देश के बच्चों की पौष्टिक आहार सम्बन्धी आवश्यकता से पूर्णतः अवगत है, परन्तु संसाधनों की कमी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 1968 में प्रारम्भ किया गया परिवार तथा शिशु कल्याण सेवा सम्बन्धी पहला कार्यक्रम निरन्तर प्रगति कर रहा है। केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड की सहायता से देश के विभिन्न भागों में 175 परिवार तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। इस वर्ष 50 नई परियोजनायें प्रारम्भ की जायेंगी। पिछले वर्ष परिवार तथा शिशु-कल्याण के कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

इसी प्रकार व्यवसाय-पूर्व प्रशिक्षण के कार्यक्रम की भी गत वर्ष राज्यों के शिक्षा और तकनीकी शिक्षा निदेशकों के एक सम्मेलन द्वारा समीक्षा की गई थी। इस वर्ष इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए उन सिफारिशों पर अमल किया जायगा। 4000 बच्चे 64 व्यवसाय-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यावसायिक और साथ ही साथ सामान्य शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 1969-70 में दस नये केन्द्र राज्य सरकारों को नियत किये गये थे और इस वर्ष 10 नये केन्द्रों की स्थापित करने का प्रस्ताव है।

निराश्रित बच्चों और विशेषकर भिक्षा मांगने वाले बच्चों की समस्या के बारे में हम चिन्तित है। निराश्रित बच्चों के लिए अपेक्षित सेवाओं पर राष्ट्रीय शिशु कल्याण संगठनों के

प्रतिनिधियों के 16 जनवरी 1970 को आयोजित सम्मेलन में चर्चा की गई थी। इस समय निराश्रित बच्चों को सेवा प्रदान करने वाली थोड़ी-सी कल्याण संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान मिलता है। अनेक अनाथालय और आश्रम धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। मगर, फिर भी अनेक अनाथ बच्चों को कोई आश्रय नहीं मिल पाता। यह सच है कि समस्या गम्भीर है और संसाधन सीमित है। परन्तु हम निराश्रित बच्चों के लिए कल्याण सेवायें प्रदान करने के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए कटिबद्ध है। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष में हम 10 लाख रुपये की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

अपराधी बच्चों को सेवायें राज्य विधान-मण्डलों द्वारा पारित किये गये बाल अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है। यद्यपि बाल अधिनियम अनेक राज्यों में लागू है। परन्तु उन राज्यों में भी ये सेवायें एक सीमित क्षेत्र में ही उपलब्ध की जा सकी है। संसाधनों की कमी की वजह से, सभी क्षेत्रों में बाल-न्यायालय और सुधारगृह आदि स्थापित नहीं किये जा सके हैं।

देश में सुधारात्मक सेवाओं के प्रभावशाली विकास के लिए हम उत्सुक हैं। इन सेवाओं के प्रभावशाली विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने सुधारात्मक सेवाओं सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। बोर्ड ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

कल्याणकारी राज्य के उत्तरोत्तर विकास की अपनी नीति के अनुसरण में, समाज कल्याण विभाग विकलांग व्यक्तियों के कुछ वर्गों, मुख्यत: अन्धे, बहरे और मानसिक दृष्टि से शिथिल व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, प्रशिक्षण और शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम प्रारम्भ करने की प्रयास कर रहा है। यद्यपि यह मूलत: राज्य-विषय है, मगर फिर भी समाज-कल्याण विभाग ने इस क्षेत्र में कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। समाज कल्याण विभाग का मुख्य प्रयास राष्ट्रीय निदर्शन परियोजनाएं स्थापित करना रहा है। अन्धों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए देहरादून में स्थापित राष्ट्रीय केन्द्र इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। बहरों के लिए हैदराबाद में एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया गया है। मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए नई दिल्ली में एक माडल स्कूल की स्थापना की गई है।

विभिन्न रूप में विकलांग बच्चों की जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए, विकलांग बच्चों के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय केन्द्र के लिए रूपरेखा तैयार करने का काम एक समिति को सौंप दिया गया है, जिसका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है।

इस क्षेत्र में एक वर्त्तमान प्रवृत्ति यह भी है कि विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल में ही शामिल कर दिया जाय। इसीलिए विभाग का इस वर्ष यह परियोजना प्रारंभ करने की प्रस्ताव है कि नेत्रहीन बच्चों को दिल्ली में सामान्य स्कूलों में ही दाखिल करवा दिया जाय। और इस कार्य में स्वेच्छी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले विशेषज्ञ की सहायता ली जाय।

जहां तक नशाबन्दी का सम्बन्ध है, यह राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा लागू की जायगी। सदन को पता ही है कि भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्यों द्वारा जिलों में नशाबन्दी करने के कारण उन्हें जितने राजस्व की हानि होगी, उसका आधा भाग भारत सरकार उन्हें देगी।

अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है। हम सभी को यह मालूम है कि सरकार अकेले ही इस सामाजिक बुराई का उन्मूलन नहीं कर सकती। हम आशा करते हैं कि सरकार तथा सभी सम्बन्धित

लोगों के संगठित प्रयत्नों द्वारा हमारे देश से अस्पृश्यता शीघ्र ही दूर हो जाएगी। सरकार द्वारा केवल कानून बना देने से ही इस बुराई का अन्त नहीं हो सकता। अस्पृश्यता पर एक चलचित्र बनाया गया है और साथ ही इस विषय पर अनेक वृत्त चित्र बनाए गये हैं।

यद्यपि राष्ट्रीय योजना में शिशु कल्याण कार्यक्रम को उपयुक्त प्राथमिकता देने की आवश्यकता को बराबर अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है परन्तु अभी इस कार्यक्रम को एक समंजित कार्यक्रम के रूप में देखना है। विभाग द्वारा गंगा शरण सिन्हा समिति की नियुक्ति इस दिशा में पहला कदम है, इस समिति ने सारी स्थिति की समीक्षा की और कुछ दूरगामी सिफारिशें की हैं। इस समिति ने मुख्य निष्कर्ष ये निकाले हैं कि शिशु कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आयोजन में कुछ कमियां है, जिनमें से ये दो मुख्य हैं (क) एक स्पष्ट नीति निदेश का अभाव जो सभी सरकारी एजेन्सियों के लिये अनिवार्य; और (ख) सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों को एक ही विस्तृत शिशु कार्यक्रम के रूप में विचार करने के लिए किसी निकाय का अभाव। हम इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के विचारार्थ राज्यों के परामर्श से बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति पर संकल्प का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि शिशु कल्याण सेवाओं के समन्वयन के लिए एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : सरकार द्वारा अस्पृश्यता के विषय पर दो वृत्त चित्र बनाये जाने के निर्णय पर मैं आभार प्रकट करती हूं तथा साथ ही चाहती हूं कि सरकार इन वृत्त चित्रों को जाति-पाति के भेदभाव के न मानते हुए अनिवार्य रूप से सभी स्कूल के बच्चों को मुफ्त दिखाये जाने के प्रश्न पर विचार करे।

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर सरकार विचार करेगी।

श्री एस० कन्डप्पन (मैट्टूर) : माननीय मंत्री ने गंगाशरण सिन्हा समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें आगामी योजना में 5,000 करोड़ रुपये से भी अधिक परिव्यय दर्शाया गया है है जबकि वस्तुत: इस पर केवल 7 करोड़ रुपये ही निर्धारित किये गये हैं। माननीय मंत्री इस आवंटन से क्या संतुष्ट हैं?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : 1970-71 के वर्ष में 4 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं और पूरी चतुर्थ योजना के लिये 6 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad) : I strongly oppose the Grants of the Department of Social Welfare. In fact the Schednled Castes, for whom crores of rupees were allocated for being spent for their welfare are not getting any benefit out of it. During the last 18 years of planning, Rs. 275 crores had been spent. But the importiant question is that for whose benefit all this amount was spent. Lokur Committee pointed out that there was evidence to prove that quite a substantial part of the concessions given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are taken advantage of by majority communities and politically well-organised people. The amount of Rs. 17 crores in the First Five Year Plan, Rs. 41 crores in the Second Five Year Plan and Rs. 53 crores in the Third Five Year Plan, had been allocated for the scheduled castes and scheduled tribes.

It has been mentioned in the report of the Ministry that in 1969-70. Rs. 6, 89, 641 had been given to Harijan Sewak Sangh, Delhi and Rs. 1,18,440 to Bhartiya Depressed classes League, New Delhi for carrying on propaganda against untouchability and other welfare activities for the down trodden people. There is

no need of propaganda against untouchability in Delhi. The amount thus provided to these institutions should be spent for providing houses and drinking water facilities for Harijans in rural areas.

Great social reformers like Mahatma Gandhi, Dr. Lohia and Swami Dayanand faced many hardships so that the Harijans could also find and claim respectable place in the society but the Harijans are still considered backward in the society.

The Government had stated in reply to a question that during 1966-67, 1967-68, 1968-69 grants worth Rs. 27,392, Rs. 52412, and Rs. 82,521 respectively were given to Hind Sweepers Sewak Samaj. The Government should order an inquiry to find out how this amount was spent.

Those castes in the list of Scheduled Castes whose economic condition has improved should no longer hc regarded as scheduled castes. Only the poor and needy scheduled castes people should get the facilities provided by the Government.

The plight of Harijan is misesrable and pitiable. They have no houses to live in, no food to eat and no water to drink. Their educated children are without jobs. It is the duty of the Government to do something solid and concrete in improving their lot or should give up social welfare work.

Shri B. N. Kureel (Ramsanehighat) : There is no doubt that in India about one fourth of the total population, Harijans and tribals are socially, economically and educationally backward. It is true that the Government have taken some steps to improve their condition but the desired results have not been achieved. Had the Government tackled this problem at the national level, it would not have been difficult to solve it. Morever, sufficient amount should he provided to implement the scheme.

Many recommendations have been made in the report by the Commissioner for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and a Parliamentary Committee has also been appointed for their welfare which has made many suggestions. But no attention has been given to these suggestions, by saying that there is a paucity of funds. The progress made in this direction appears to be a drop in the ocean.

Some work has been done in the field of education. The amount of scholarship given to a Harijan or tribal student was fixed in 1952-53. Since then the conditions have totally changed and the cost of living has gone very high. It is, therefore, necessary that the amount of all scholarship should be accordingly raiaed.

Harijans living in rural areas generally do not have any land. It is a matter of regret that lakhs of acres of land is lying unutilised in the villages but it is not given to them. The Government should give undistributed land to the landless Harijans. It would provide them employment and increase our agricultural production. The Government should also encourage cottage industries in the rural areas so that their economic condition could be improved.

Harijans and tribals are regarded as untouchables and there is a sense of hatred towards them. In the past, the people believed that with the spread of education, the problem of untouchability would came to an end. Uufortunately, the expecation has not come true.

Harijans and tribals have their quota in the services. But inspite of the reservation, Harijan candidates are not recruited. And, those who are recruited are not given the normal facilites of promotion, confirmations, fixation of seniority and

so on. The Government should look into the matter seriously and the reserved posts shouid he filled up immediately.

The Commissioner for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as well as the Committee of Parliament on Scheduled Castes and Scheduled Tribes have made many recommendations to improve the conditions of the Harijans and the tribes. The Government should take steps to implement them.

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधीनगर) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि गत 17 वर्षों से जो अग्रिम राशि इस पर व्यय की गई है, उसके अनुसार प्रगति जितनी होनी चाहिए अथवा हुई है, उतनी नहीं हुई है। अनुसूचित वर्ग की सुरक्षा और बचाव के लिए हमारे संविधान के भाग XVI में विशेष उपबन्ध रक्खे गये हैं। एक कल्याणकारी राज्य में लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक विषतमाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रयास एक दायित्व है, ताकि वे अच्छा आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकें यदि सरकार प्रगतिशील होने का दावा करती है तो उसे चार विषयों पर मुख्य रूप से अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ; (i) शिक्षा तथा सेवा ; (ii) आर्थिक उत्थान; (iii) भूमि अर्जन, आवास और अन्य सामाजिक उपाय; तथा (iv) छुआ-छूत को दूर करना।

हमारे देश में लोकतंत्रीय मर्यादा से कार्य होता है लेकिन भारतीय लोकतंत्र की दु:खद घटना यह है कि जो कुछ हम कहते हैं उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि वास्तविक प्रगति तभी सम्भव है जब वैयक्तिक प्रगति होगी और वैयक्तिक प्रगति तभी सम्भव है जब किसी व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाये।

यह सच है कि भारतीय संविधान में सब नागरिकों को बिना जात-पात तथा सम्प्रदाय के समान अधिकार दिये गये हैं, फिर भी इस विचार को व्यवहारिक करना है जिससे समाज के सभी वर्गों को समान शैक्षणिक तथा आर्थिक अवसर मिल सकें। उदाहरण के लिये यह हमें अच्छी प्रकार मालूम है कि शैक्षणिक संस्थायों में दाखिले तथा सेवाओं के लिये भर्ती के मामलों में इन अल्प समुदायों जिनमें अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियाँ है, इनके विरुद्ध भेद-भाव की नीति अपनाई जाती है।

भारत में समाजवाद तब तक कोई अर्थ नहीं रखता जब तक समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिये कोई ठोस कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता तथा सभी प्रचलित परम्पराओं और मान्यताओं में असमानता को दूर नहीं किया जाता। राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता के लिये सामाजिक न्याय एक मूल आधार है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के लिये सहायता देना और स्थिति को सुधारना एक सर्वोत्तम और महान् सेवा है जो कि राज्य समाज के इस वर्ग के प्रति कर सकता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि उनको सभी प्रकार की अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च-माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क मिलनी चाहिये। प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर विचार किये बिना सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। एक लाख जनसंख्या वाले नगरों में अधिक समर्थन और अधिक सुविधाओं वाले छात्रावास स्थापित किये जाने चाहिये और 5 लाख जनसंख्या वाले नगरों में ये दुगने होने चाहिये। ऐसे बड़े नगरों में लड़कियों के लिये भी एक छात्रावास आवश्यक है।

सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गत 17 वर्षों से अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण सम्बन्धी आदेश होने पर भी उनका प्रतिनिधित्व वर्ग I, II, III, और IV में अपर्याप्त है। कई बार सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को बहुत कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है।

अगर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो उनके स्थान आगे ले जाने चाहिये और सरकार की इस सम्बन्ध में तीन बातों का ध्यान रखना चाहिये। प्रथमतः इन स्थानों को समाप्त नहीं करना चाहिये और उन्हें अगले विज्ञापन द्वारा भर लेना चाहिये। दूसरे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को उन्हीं की योग्यता के आधार हर चुना जाना चाहिये। तीसरी बात यह कि रिक्त स्थानों की योग्यता के आधार पर पूर्ति करने के बाद आरक्षित रिक्त स्थानों की पूर्ति अवश्य की जानी चाहिये। चौथे यह कि पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण होना चाहिये अन्यथा समाज विरोधी विचारों वाले अधिकारी जिनकी संख्या 90 प्रतिशत है, दलित वर्गों की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति कभी भी नहीं होने देंगे।

गृहकार्य मंत्रालय ने समय समय पर इस कार्य के लिए आदेश जारी किये हैं परन्तु टेलीफोन विभाग, आयकर विभाग तथा उत्पादनशुल्क विभाग इन्हें कार्यान्वित नहीं कर रहा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को वहां पदोन्नतियों से वंचित रखा जा रहा है। जिस प्रकार भर्ती के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत का कोटा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिया जाता है वैसी ही नीति पदोन्नतियों के सम्बन्ध में भी अपनाई जानी चाहिये।

देश में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है परन्तु जब इन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास तथा कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि की माग की जाती है तो इन्कार कर दिया जाता है। देश में उपलब्ध बेकार भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्ति की जानी चाहिये और इसे मालूम करना चाहिये इस भूमि का इन लोगों में किस प्रकार संतोषजनक आवंटन करे। सरकार को इस भूमि पर भवन निर्माण के लिए भी इन लोगों की सहायता करनी चाहिये।

आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी अस्पृश्यता का धब्बा हमारी समाज पर विद्यमान है। आज हम विश्व सभा के अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर समानता के लिए तर्क और उपदेश देते है; जोरदार शब्दों से छुआछूत की निंदा करते हैं, पर हमारे अपने देश में क्या हो रहा है इसे हम भूल जाते है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

व्यापक संदर्भ में विचार किया जाये तो अस्पृश्यता का सम्बन्ध जाति भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यह मुख्यतः कुछ छुआछूत के व्यवसायों पर आधारित है। इन कार्यों को करने के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिये और सफेदपोश कर्मचारियों की अपेक्षा इन्हें अधिक मजदूरी दी जानी चाहिये। परन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राजनीतिक नेताओं ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं और अन्य विभिन्न सदस्य इस विषय पर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं परन्तु समयाभाव के कारण मैं इतना ही कहूंगा कि यदि सरकार सच्चे अर्थों में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को राहत देना चाहती है तो उसे इन सुझावों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री सोनावने (पेंढ़रपुर) : समाज कल्याण मंत्रालय की मांगों के विरुद्ध जो आवाज उठाई गई है मैं उसका समर्थन करता हूँ और शासक दल का सदस्य होते हुये भी मुझे यह कहते हुये खेद हो रहा है कि इस मंत्रालय की उदासीनता बहुत स्पष्ट है। इसके उदाहरण के रूप में मंगलवार 28 अप्रैल के बुलेटिन को लिया जा सकता है जिसके अनुसार आयुक्त की रिपोर्ट पर भी वाद-विवाद नहीं करने दिया गया। हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हर शुक्रवार संसद्-कार्य मंत्री से कहते रहते हैं परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों से सम्बद्ध कल्याण सम्बन्धी कार्य-कलापों को दो मंत्रालयों समाज कल्याण विभाग और गृहकार्य मंत्रालय में विभाजित कर उनकी असुविधा को और भी बढ़ा दिया गया है। किसी को यह मालूम नहीं कि मंत्रालयों के इस विभाजन से कौन सा उद्देश्य पूरा होने वाला है। यदि यह कार्य-कलाप केवल एक ही मंत्री स्तर के मंत्री के कार्यभार में रखे जायें तो निस्संदेह विभिन्न समस्यायें शीघ्रतापूर्वक और साहस के साथ हल करने में सहायता मिलेगी। मन्त्रि-मण्डल स्तर के मंत्री के कार्यभार में एक पृथक मंत्रालय होना बहुत आवश्यक है। केवल ऐसा होने पर ही इस समस्या का सही हल हो सकता है और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों का कल्याण हो सकता है। परन्तु इस सन्दर्भ में मेरा यह कहने का कोई उद्देश्य नहीं है कि श्री गोविन्द मेनन एक काबिल मंत्री नहीं है।

हममें से कुछ लोगों पर आक्षेप लगाया जाता है कि हम अनुसूचित जातियों की वकालत किसी निहित स्वार्थ के कारण करते हैं परन्तु यह ठीक नहीं है। अपने आपको अनुसूचित कहला कर किसे खुशी होगी? हमारी चौथी योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग के समाज कार्य के लिए लगभग 43 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। क्या यह राशि प्रर्याप्त है? मेरी समझ में यह नहीं आता कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्यों के लिए इतने कृपणता क्यों बरती जा रही है?

मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। इस कार्य के लिए न तो सरकार की कोई सामाजिक नीति है और न ही कोई प्राथमिकताएं ही इसके लिए रखी गई हैं। हर कार्य तदर्थ रूप से हो रहा है, इसीलिए इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है। आजकल प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं की भर्ती हो रही है। अतः अब जब कि महिलाओं के रोजगार की समस्या का समाधान किया जा रहा है तो फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों को भी अधिक संख्या में रोजगार दिया जा सकता है। परन्तु सरकार इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देती। सरकार यदि इस समस्या को सुलझाना चाहे तो वह सुलझा सकती है।

आरक्षण की अधधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हमें इस व्यवस्था पर प्रसन्नता है। परन्तु केवल आरक्षण की अवधि बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि हमारी कार्य की यही धीमी गति रही तो स्थिति में सुधार नहीं होगा हमें सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में अपनी प्रगति गति को तीव्र करना होगा।

अभी अस्पृश्यता का बोल बाला है। हिन्दू धर्म के इसी अवगुण से तंग आकर कुछ लोगों ने बुद्ध धर्म अपना लिया और कुछ लोग सिख धर्म की ओर आवृत हुये। परन्तु इससे समस्या

का अन्त नहीं हुआ। मेरा यह सुझाव है कि अस्पृश्यता को दूर करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की तरह ही प्रत्येक राज्य में एक पुलिस विभाग होना चाहिये। पुलिस के इस विभाग को यह देखने का कार्य सौंप दिया जाये कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अन्तर्गत जो व्यक्ति भी अपराध करे उसे सजा मिल सके। इस प्रकार की नीति अपनाने पर ही स्थिति में कोई सुधार सम्भव है। आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahar) : About 20 years have passed since independence but the problem of untouchability is still there in the country. Inspite of the fact that we have a law banning untouchability, the objective has not been achieved. Hence it made it necessary that the causes responsible for it are found out and removed, One of the steps for solving this problem should be to provide all facilities of education for the so-called untouchables. It should also be ensured that the general attitude towards these people is changed so that their children do not develop the feeling of untouchability at all. Apart from it, the persons practising untouchability should not be recruited in Government services.

In Bombay and Delhi washermen are being evicted from the places where they wash clothes. It would put them to a great hardship. Unless alternatire plans are arranged for them they should not be evicted.

Mushar caste is one of the most backward scheduled castes in Bihar and U. P. Economically they were very backward. However their traditional vocations are not getting them sufficient money to make the both ends meet. I will earnestly request the hon: Minister to take some steps to improve their condition.

श्री ना० नि० पटेल (बलसार) : सभापति महोदय, मांगों के समर्थन करने के साथ ही साथ मै मंत्री महोदय के ध्यान में कुछ तथ्यों को लाना चाहता हूं। गत बाईस वर्षों से हम बहुत कुछ कहते आ रहे हैं, मगर पहाड़ी प्रदेशों में रहनेवाले आदिमजाति के लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने में असफल रहे। इन प्रदेशों में और गांवों में जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्हें जमीन दी जानी चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, तीन साल पहले प्रधानमन्त्री ने आकर 8000 एकड़ भूमि आदिवासियों को बांट दी थी। मगर 6000 एकड़ जमीन और रह गयी है। वे लोग केवल जमीन ले कर क्या करेंगे ? उन्हें बैल और जोतने की अन्य सामग्री मिलनी चाहिये। उन्हें आज रहने के लिए मकान की सुविधा प्राप्त नहीं है। कई सदस्यों ने पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के बारे में कहा। हमने उनका पुनर्वास किया है। ये हरिजन और आदिवासी लोग भारत में ही रहने वाले हैं। मगर हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। मुझे बिहार और उत्तर प्रदेश की मंत्री कालोनियों को देखने का मौका मिला। यहां के लोग बहुत ही बुरी स्थिति में रह रहे हैं। सुअर भी इससे अच्छी स्थिति में रहता है। अतः मेरा निवेदन है कि इन अभागे लोगों की हालत को सुधारने के लिए कुछ न कुछ कदम उठा दिया जाएं।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : Madam Chairman, I would like to draw the attention of the house towards Article 340. According to this Article the President as and when necessary, appoints a Backward Class Commission. On 3rd september, 1953 a commission was appointed. After three years in 1956 the commission submitted its report. But upto 1965, no action was taken. After that, as everybody knows, Rs. 2.75 croers was spent which is a very small amount keeping in view the magnitude of the problem. If they are of the opinion that no assistance should be given to the helpless scheduled castes, then it will be better to delete the

article 340, because the commission was set up according to the provisions of this Article. I reqest the honourable Social Welfare Minister to give special attention towards Article 340. If he thinks that this Article need net be adhered to he may delete this. 30 crores people of this country regard it as a Veda which had been written by Dr. Ambedkar. If he really wants the constitution to be duly respected, then he must take initiative in implementing these programmes to which they are committed.

I would like to quote the report of the commission. But since there is no time, I shall confine myself to a few lines in that report, which is regarding girls education 'we recommend the following measures for the advancement of women: free education at all stages to all girls whose parents' income is less than Rs. 3000 per annum. scholarships for girls belonging to the backward classes. Residential hostels for girls students, with priority for girls of the backward classes.' The problem is of a great magnitude, but within the last 18 years the Government could not do anything effectively.

Hence, I would request the honourable Minister to appoint another committee. Otherwise the people will think that the Government is not allegiant towards the constitution, that is sacred. As a result the people's faith in the constitution may decline.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : While extending my support to the demands for Grants for the Ministry of Social Welfare I would like to draw the attention of the Minister for social welfare towards some important matters. This is about the unpleasant condition of the scheduled castes and scheduled tribes. There is so doubt that the Ministry has done so many important things to ameleorate the condition of these castes. The constitution gives them legal protection. Nevertheless, the people who are living in the remote villages are not being benefited anyway. There are so may villages in India where even today untouchability prevails.

It is true that they have been given legal protection against untouchability and such other social evils. But legal protection is not every thing, until their financial problems are solved, nothing more can be achieved. Only by reserving some posts in Government departments, the whole population cannot be benefited. In order to prevent social discriaination, provisions for more severe punishment should be made in the unthuchability (offences) Act of 1955.

Mr. Chairman You may continue tomorrow.

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 30 अप्रैल, 1970/10 वैशाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 30th April, 1970/ Vaisakha 10, 1892, (Saka).

Printed at Tirthraj Press, Allahabad-3